सप्तम माला, खंड 27, अंक 31, गुरुवार, 1 अप्रेल, 1982/11 चैत्र 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी-संस्करण

(आठवां सत्र)

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 27, आठवां सत्र, 1982/1904 (शक)

अंक 31, गुरुवार, 1 अप्रैल, 1982/11 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—18
तारांकित प्रश्न संख्या 560, 562, 564, 565 और 567 से 569	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	18—195
तारांकित प्रश्न संख्या 561, 563 और 570 से 579	
अतारांकित प्रश्न संख्या 6235 से 6375 और 6377 स 6465	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	195—199
राज्य सभा से सन्देश	199
विधेयकों पर अनुमति	199
लोक लेखा समिति	199—200
75वां, 78वां, 82वां तथा 85वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	200—227
विभिन्न राज्यों में सीमेंट के कथित दोषपूर्ण वितरण से उत्पन्न स्थिति	
श्री हरीश रावत	200
श्री नारायण दत्त तिवारी	201
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	203
श्री जैनुल बशर	222
इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के बारे में वक्तव्य	
श्री नारायण दत्त तिवारी	227

*किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	228—235
(एक) मद्रास के गोदी श्रमिक बोर्ड पर लगाये गये कल्याण उपकर और केन्द्रीय उपकर में कमी	
डा० ए० कलानिधि	228
(दो) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के डाकू-पीड़ित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता	
श्री माधवराव सिन्धिया	229
(तीन) मद्रास-ताम्बरम रेलवे सैक्शन पर रेल यातायात की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री ईरा अनबारसु	230
(चार) पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया में नूरा से लोगों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पदयात्रा	
प्रो० रूपचन्द पाल	231
(पांच) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरण	
श्रीमती संयोगिता राणे	233
(छः) उत्तर प्रदेश के आंवला लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में रेल सेवाओं के बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री जयपाल सिंह कश्यप	233
(सात) दिल्ली में धोबियों की समस्यायें	
श्री चन्द्रपाल शैलानी	234
(आठ) माल के जमा हो जाने के कारण केरल में हथकरघा उद्योग में संकट	
श्री के० कुन्हाम्बु	235
अनुदानों की मांगें, 1982-83	236—301
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	
श्री अजित बाग	236
श्री हरिनाथ मिश्र	251

विषय	पृष्ठ
श्री बी० डी० सिंह	256
प्रो० नारायण चन्द पराशर	260
श्रीमती कृष्णा साही	266
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	271
श्री ए० ई० टी० बैरो	272
श्री महावीर प्रसाद	277
श्री केयूर भूषण	281
श्री सूरज भान	286
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	290
श्री डी० पी० यादव	294
श्री अशोक गहलोत	297
श्री ईरा अनबारासु	299
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	301—302

लोक-सभा

गुरुवार, 1 अप्रैल, 1982/11 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे भूतपूर्व साथियों सर्वश्री मोतीलाल पंडित तथा एम० मत्याराजू के निधन की दुःखद सूचना देनी है।

श्री मोतीलाल पंडित 1950-52 के दौरान उड़ीसा से अंतरिम संसद के सदस्य रहे। उड़ीसा के एक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्री मोतीलाल पंडित ने सहकारी आन्दोलन, भूमि सुधारों एवं भूदान आन्दोलन में भाग लिया। उनकी मृत्यु 9 मार्च 1982 को कटक में 73 वर्ष की अवस्था में हुई।

श्री एम० मत्याराजू आंध्र प्रदेश के नरसीपटनम निर्वाचन क्षेत्र से 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उससे पूर्व 1955 से 1962 तक वह आंध्र प्रदेश की विधान सभा के दौरान सदस्य रहे।

वह एक सक्रिय समाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। 22 मार्च, 1982 को मदुगुला में 70 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ।

उनके निधन पर हमें गहरा शोक है तथा मुझे विश्वास है कि सभा इन मित्रों के निधन पर उनके शोक संतप्त परिवारों को शोक सन्देश भेजने में मेरे साथ होंगे।

अब सदस्यगण शोक व्यक्त करने के लिए कुछ देर मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*560. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में खुर्मनी बंदरगाह छोड़ते समय 'ऋषि विश्वामित्र' जहाज को एक मिसाइल लगा था;

(ख) क्या सरकार ने गुमशुदा द्वितीय इंजीनियर, श्री सी० रोजारियो का इराक/ईरान सरकारों से पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त जानकारी का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) श्री सी० रोजारियो की तलाश के बारे में तेहरान स्थित हमारे दूतावास के द्वारा ईरानी नौसेना अधिकारियों से सम्पर्क किया गया। उन्होंने सूचित किया कि उन लोगों ने उन्हें खोजने के हरसम्भव प्रयास किए और लगभग दो सप्ताह बाद ही यह प्रयास छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि श्री रोजारियो अभी तक लापता हैं और शायद मर गए हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : श्रीमान, इस मामले में श्री सी० रोजारियों के साथ एक ईरानी पाईलट भी था। दोनों ही लापता हैं। जबकि इस घटना में मारे गये श्री आदम का शव तो मिल गया तथा अन्य लोगों को भी बचा लिया गया। परन्तु वे श्री रोजरियो का शव, यदि वह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, खोज नहीं सके हैं। वह बहुत सीमित सा क्षेत्र था तथा हो सकता है कि किसी इराकी पोत द्वारा उन्हें बचा लिया गया हो। उनमें से एक ईरानी पाईलट था। सम्भव है उन्हें युद्ध बन्दी बना लिया गया हो। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने इस इरादे से पूछताछ की है कि कहीं उन्हें इराक में युद्ध बन्दी न बना लिया गया हो और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री वीरेन्द्र पटिल : हमें प्राप्त सूचना के अनुसार "ऋषि विश्वामित्र" पोत पर 16 अधिकारी तथा 20 चालकवृन्द अर्थात कुल 36 अधिकारी थे। जब पोत प्रक्षेपणास्त्र की चपेट में आ गया तो ईरानी नौ सेना ने सभी चालकों तथा दो को छोड़कर सभी अधिकारियों को बचा लिया। उनमें से एक श्री आदम थे जिनका शव बरामद हो गया है और दूसरे श्री रोजारियों थे। हमने अपने दूतावास के माध्यम से ईरान के उच्चतम अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया ताकि लापता व्यक्ति को खोजा जा सके। श्री रोजारियो पोत पर दूसरे इन्जीनियर थे। परन्तु उन्होंने हमें सूचित किया कि दो सप्ताह के सभी प्रयत्नों के बावजूद वे रोजारियो या उनके शव को खोजने में असफल रहे हैं। इस प्रकार उनकी रिपोर्ट के अनुसार उन्हें मृत मान लिया गया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : उसके भाई ने इराक में पूछताछ की क्योंकि हो सकता है इराकी सेना द्वारा उसे युद्ध बन्दी बना लिया गया हो। उसके परिवार वालों को यही विश्वास है। मैं जानना चाहती हूं, कि क्या उन्होंने इराक में पूछताछ की है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह पोत उस समय प्रक्षेपणास्त्र की मार में आ गया जब वह ईरानी क्षेत्र के बन्दर खोमेनी में था। माननीय सदस्या कह रही हैं कि इराकी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जाये क्योंकि हो सकता है श्री रोजारियो वहां पर हों। यदि माननीय सदस्या समझती हैं कि हमारे प्रयत्न फलदायक होंगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इराकी अधिकारियों से सम्पर्क करूंगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : कम से कम आप उसके परिवार को सन्तुष्ट करें तथा आगे जांच करें।

शिशु मृत्यु प्रतिशतता में वृद्धि

*562. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रतिवर्ष शिशु मृत्यु की प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या करण हैं;

(ग) शिशु मृत्यु रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक और शिक्षाप्रद उपाय किए गए हैं; और

(घ) किन राज्यों में प्रतिवर्ष शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) नमूना पंजीयन पद्धति अथवा भारत के महा पंजीयक के 1979 तक अन्य सर्वेक्षणों से शिशु मृत्यु दर में कमी का पता चलता है। हालांकि कुछ राज्यों में समय-समय पर इस दर में कमी-बेशी हुई है, लेकिन उनमें निश्चित रूप से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए जो कुछेक उपाय किए जा रहे हैं वे हैं—अधिक स्वच्छ और सुरक्षित ढंग से प्रसव करवाने के लिये दाइयों को प्रशिक्षण देना, उप-केन्द्रों के माध्यम से प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीका लगाना और अपोषणज अरक्तता से उनका बचाव करना तथा सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा सुलभ करना।

श्री अर्जुन सेठी : अपने प्रश्न में मैंने उन राज्यों के नाम पूछे हैं जिनमें शिशु मृत्यु दर बढ़ी है। मन्त्री महोदय ने राज्य में शिशु मृत्यु के आंकड़े नहीं बताये। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि यदि कुछ राज्यों की शिशु मृत्यु के आंकड़ों को अखिल भारतीय शिशु मृत्यु के औसत से तुलना करें, तो हमें पता चलेगा कि कुछ राज्यों में औसत बहुत अधिक है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है और क्या उन्होंने उन राज्यों में शिशु मृत्यु दर में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य ने उन राज्यों के नाम पूछे हैं जिनमें शिशु मृत्यु दर के आंकड़े बैठे हैं। श्रीमान हमारे पास 1975, 1976, 1977 और 1978 के नमूना सर्वेक्षण आंकड़े हैं। परन्तु यह कहना कि ये सब आंकड़े सही हैं; सम्भव नहीं है क्योंकि ये नमूना सर्वेक्षण पर आधारित हैं। कई शिशुओं की मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। हम इस बारे में सही आंकड़े नहीं दे सकते। वास्तव में शिशु मृत्यु की दर घटती-बढ़ती रहती है। इसलिए प्रत्येक राज्य के वर्षवार आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिशु मृत्यु के मुख्य कारण ये हैं; समयपूर्व जन्म, अन्तर-गर्भाशय डिस्पेपशिया, जन्म समय की क्षति, जन्मजात रोग रचना, टिटनेस, इलसिग रोग, गैस, आन्तर रोगों, विशेषत: छोटे शिशु से सम्बद्ध रोगों तथा गम्भीर कुपोषाहार।

मैं कह सकता हूं कि सरकार ने कार्यवाही की है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में बच्चों के जन्म सम्बन्धी आधारभूत ढांचों का विस्तार किया है।

परम्परा से शिशु के जन्म के समय सहायता देने वाली प्रशिक्षित, दाइयों की संख्या गांवों में बढ़ाई गई है।

इसके साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड ही योजनाओं को चालू किया गया है तथा उसे 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा समर्पित बताया गया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक कर्मचारी जहां तक हो सके महिला कर्मचारी की व्यवस्था करना है। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य के वर्धनपरक, निरोधपरक तथा उपचारपरक पहलुओं का विस्तार होगा।

माता तथा शिशुओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने उप-केन्द्र स्तर पर दाइयों की नियुक्तियां की हैं।

माता तथा शिशु के लिए हमने निरोधक प्रतिरक्षी कार्यक्रम बनाया है तथा उसका और विस्तार कर रहे हैं।

गर्भवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों के लिए विशेष चिकित्सालय खोले गये हैं तथा माताओं तथा शिशुओं में कुपोषाहार अनीमिया रोकने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं।

श्री अर्जुन सेठी : यह सच है कि सरकार ने इन रोगों को कम करने के लिए उपाए किये हैं।

मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर कि लोग गरीबी की नीचे के स्तर पर निर्वाह कर रहे हैं, अधिक है।

इस बारे में क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम दूर-दराज के गावों तक, विशेषत: गरीबी के नीचे के स्तर पर

जीवन यापन करने वाले लोगों तक नहीं पहुँचा है। उसके परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है ?

यदि हां, तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उन्होंने विशेषत: ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य की देखभाल के क्या उपाय किये हैं ताकि गरीबी की स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं तथा शिक्षा मिल सके और यह प्रवृत्ति समाप्त या कम हो।

श्री बी० शंकरानन्द : जैसा कि मैंने कई बार सभा में बताया हैं, हम निरोधात्मक पहलुओं पर अधिक बल दे रहे हैं तथा साथ ही उपचारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं।

हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों और ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना को सुदृढ़ कर रहे हैं और उनका विस्तार कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि हम यथाशीघ्र अधिक से अधिक लोगों के घरों तक प्रसूति-सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सा सहायता के कारण, वहां के लोगों को परिवार नियोजन के लिये चिकित्सा सहायता नहीं मिल पा रही है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

क्या यह सच नहीं है कि कुछ राजनैतिक दल के इन लोगों को परिवार नियोजन न करने के लिये कह रहे हैं क्योंकि उन्हें उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है ?

श्री बी० शकरानन्द : यद्यपि प्रश्न सीधे पूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मैं फिर भी उत्तर दूंगा। सदस्य की यह सूचना सही नहीं है कि कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे है।

श्री डी० पी० यादव : भारत में बच्चों की मृत्यु दर 140 प्रति हजार है जबकि अन्य विकसित देशों में यह दर मुश्किल से 14 से 15 प्रति हजार है। अत: भारत में यह दर दस गुणा अधिक है। जहां तक चिकित्सा जनशक्ति का सम्बन्ध है, शायद हम इस मामले में सर्वोत्तम देशों में से है; हमारे डाक्टर यहां से बाहर के देशों में जा रहे हैं। इस चिकित्सा जनशक्ति के बावजूद भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे डाक्टर तथा अन्य मशीनरी बच्चों को मृत्यु की इस दर के क्यों नहीं नियंत्रित कर सकते, यह एक महान चुनौती है। कुपोषण भी इसका एक पहलू है; अनुमान है कि 50 प्रतिशत मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। उसके अतिरिक्त, 27 प्रतिशत पैदा हुये बच्चे नेत्र रोग तथा अन्धेपन से ग्रस्त होते हैं। इन राष्ट्रीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुये क्या मन्त्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि वे वर्तमान संसाधनों में वृद्धि करेंगे—मैं योजना परिव्यय में वृद्धि करने के लिये नहीं कह रहा हूं—ताकि इस चुनौती का सामना किया जा सके और बच्चों की मृत्यु दर में काफी सीमा तक कमी की जा सके। मैं पिछले वर्ष 14 नवम्बर को हुए सैमिनार, जिसने इसके लिये कई सुझावों की सिफारिशें की हैं, के बारे में भी इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : कुछ सीमा तक मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि

हमारे ग्रामीण, विशेषकर माताय तथा बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। लेकिन मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि माताओं तथा बच्चों सम्बन्धी प्रतिरक्षण कार्यक्रम का विस्तार कर दिया गया है और विस्तार कार्य चल रहे हैं।

छठी योजना कार्यक्रमों के योजना प्रावधान के लिये हमने 250.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिसमें से 1980-81 के दौरान 23.14 करोड़ रुपये; 1981-82 के दौरान 29.94 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था; 1982-83 के लिये हमने 43.64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। छठी योजना में प्रतिरक्षण हेतु 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था है; 1980-81 के दौरान अनुमानित व्यय 2.82 करोड़ रुपये था; 1981-82 के दौरान अनुमानित व्यय 5.89 करोड़ रुपये था और 1982-83 के लिये हमने 7.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

"120 चिल्ड्रन डाइ आफ मिस्ट्री डिजीज" शीर्षक समाचार

*564. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "120 चिल्ड्रन डाइ आफ मिस्ट्री डिजीज" (120 बच्चों की रहस्यमय रोग से मृत्यु) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि लद्दाख के कारगिल जिले में खसरा जैसा भयानक रोग फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग को फैलने से रोकने के लिये विचारक उपाय किये हैं और चिकित्सा सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है। परन्तु यह सच नहीं है कि लद्दाख क्षेत्र के कारगिल जिले में किसी रहस्यमय रोग से 120 बच्चों की मृत्यु हुई है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समाचार में कुछ सच्चाई है; क्या बच्चे सचमुच मरे हैं या कि नहीं, यदि हां, तो 'रहस्यमय रोग' क्या था, यदि किसी रहस्यमय रोग के कारण नहीं तो किस कारण मृत्यु हुई; क्या सरकार ने असली कारण का पता लगाया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : हमें जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि दो गांवों में केवल छः मौतें हुई हैं और उन द्वारा, मुख्य चिकित्सा

अधिकारी तथा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ये मौतें फैमोनियां तथा कड़ाके की सर्दी के कारण हुईं ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मुझे कोई और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

समुद्री कानून पर सन्धि

*665. †**श्री भीकू राम जैन** :

श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा सुझाये गये संशोधनों के कारण समुद्री कानून को प्रारूप संधि पर वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था;

(ख) संयुक्त राष्ट्र की इन संसाधनों को मानव जाति की सामान्य विरासत मानने की घोषणा और इस संधि के नवीकरण के लिये अमरीका के आग्रह के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) शीघ्र ही आयोजित किये जाने वाले सम्मेलन में इन बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) समुद्रतल और समुद्र की सतह तथा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे उसके सब-सायल का विनियमन करने वाले सिद्धातों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा को, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र और उसके संसाधनों को समूची मानवता की धरोहर, घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसम्बर, 1970 को शून्य के मुकाबले में 108 मतों से पारित किया था; इस मतदान में 14 देशों ने भाग नहीं लिया था । भारत ने इस संकल्प के पक्ष में मत दिया था और वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धान्तों के रूप में इसका प्रबल समर्थन करता है । इस घोषणा के आधार पर समुद्री कानून से संबंधित तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र और उसके संसाधनों के संदोहन को विनियमित करने के लिए एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास किया जोकि 28 अगस्त, 1981 को तैयार किए गए समुद्री कानून से संबंधित अभिसमय में समाविष्ट है ।

77 देशों के समूह जिसका भारत भी सदस्य है, पूर्व यूरोपीय समाजवादी देशों और अन्य कई देशों ने अमरीका द्वारा मसौदा अभिसमय की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और ऐसे मूलभूत संशोधन पेश करने के हठ पर चिन्ता व्यक्त की है जो उन एक समग्र समझौता प्रस्तावों के मूल तत्वों से ही भिन्न है जो आम सहमति के आधार पर पहले ही स्वीकार किए जा चुका है ।

(ग) समुद्री कानून से संबंधित तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 11वें अधिवेशन में, जो 8 मार्च, 1982 से न्यूयार्क में हो रहा है, भारत 77 देशों के समूह के सदस्य देशों और अन्य देशों के साथ मिलकर अमरीका द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनौपचारिक संशोधनों पर विचार कर रहा है और भारत अमरीका को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उन आधारभूत पहलुओं के संबंध में बातचीत फिर से न शुरू करे जिन पर पहले ही सहमति हो चुकी है।

श्री भीकूराम जैन : संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 17 दिसम्बर, 1970 को हुई बैठक में समुद्रतल तथा इसके अन्य संसाधनों को, मानवता की सांझी विरासत घोषित किया है। मन्त्री महोदय ने भी अभी यही कहा है। 77 देशों के ग्रुप ने संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संधि के प्रस्तावों के प्रारूप की समीक्षा पर बल देने तथा इसमें भारी संशोधन लाने, जो अन्य शर्तों से भिन्न हैं, के बारे में चिन्ता प्रकट की है।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि समुद्र में भारी मात्रा में उपलब्ध तथा मानवता के लिए लाभदायक खनिज सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हम मानवता की सांझी विरासत के लिये वचनबद्ध हैं। वास्तव में अगस्त 1981 में हुए कन्वेंशन में अनेक सिद्धान्तों पर सहमति हुई थी और कान्फ्रेंस का वर्तमान अधिवेशन केवल प्रारूप को पारित करने के लिए है। इस काम में कठिनाई सामने आ गयी है। इस मामले पर विचार हो चुका है और भारत स्वयं इस मामले को नहीं उठा सकता। जब एक बार यह घोषणा हो गयी कि यह मानवता की सम्पत्ति है, तो यह स्वाभाविक है कि हमें इस बारे में मान्य सिद्धान्तों का पालन करना ही चाहिये।

श्री भीकूराम जैन : समुद्रतल की हाईड्रोकार्बन तथा अन्य खनिज सम्पत्ति की भारी मात्रा, जो पृथ्वी के धरातल से दो तिहाई भाग अधिक है, को दृष्टि में रखते हुए और समुद्र के नीचे की सम्पत्ति, जो पृथ्वी तल पर उपलब्ध सम्पत्ति से दस गुणा अधिक है, को ध्यान में रखते हुए तथा समूची मानवता के लिए इसके लाभ को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस बात का खेद है कि हमने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है और इसका उपयोग केवल यू० एल० ए०, फ्रांस तथा इंगलैंड जैसे अमीर देश ही कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस हेतु प्रौद्योगिकी में वृद्धि करने और मानवता के सांझे लाभ के लिए इसका उपयोग करने हेतु वे क्या कदम उठाना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने अभी-अभी कहा भी है और विशेषकर हमारे अपने देश के लिए।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने महासागर तथा इसकी सम्पत्ति सम्बन्धी एक पृथक विभाग की स्थापना कर दी है और यह विशेष विभाग महाद्वीपीय क्षेत्र के अन्दर के समुद्र की सम्पत्ति का उपयोग करने की ओर उचित ध्यान दे रहा है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, विभाग उस अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण से अवश्य सहयोग करेगा जिसकी स्थापना समुद्री कानून के अन्तर्गत किए जाने की सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिदनाल। वे यहां नहीं हैं। श्री सिंधिया।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 8 विकसित देशों ने समुद्री कानून के बारे में अपने राष्ट्रीय कानून पास कर दिए हैं और उन्होंने एक दूसरे के कानून को माना है और यदि यह सच है तो क्या भारत सरकार इस बात को अनुभव करती है कि इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हो रही समुद्री कानून सम्बन्धी वार्त्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

श्री पी० शिवशंकर : कुछ देशों ने समुद्री सम्पत्ति के उपयोग सम्बन्धी अपने कानून पास कर दिए हैं। लेकिन संयोगवश, वे सब समुद्री कानून में भागीदार हैं और अगस्त, 1981 के कान्वेंशन में प्राप्त हुए मतैक्य से सहमत हैं। इसमें सन्देह नहीं कि संयुक्त राज्य अमरीका यदि वह उस स्थिति से पीछे हठना चाहे, तो उस मतैक्य को यह पहला अघात होगा। उन्होंने मान्य फार्मूले में संशोधन करने के सुझाव दिए हैं जो संयुक्त राज्य अमरीका की पहली सरकार द्वारा स्वीकृत फार्मूले के विपरीत हैं। अतः इस स्थिति में, उस समय तक यह नहीं कहा जा सकता कि क्या कदम उठाये जायें, जब तक कि ये देश जिन्होंने कानून पास कर दिये हैं और जिनके पास विकसित प्रौद्योगिकी जानकारी है, इसे वापिस न लेना चाहें। लेकिन जहां तक 77 देशों के ग्रुप तथा अन्य देशों का सम्बन्ध है, प्रतीत होता है कि वे समुद्री कानून पारित करने के लिये वचनबद्ध हैं चाहे लोग सहमत हों या नहीं (**व्यवधान**)। यह सम्भव है कि आपकी चर्चा जारी हो। लेकिन इस समय वापिस लेने के कोई भी लक्षण नहीं हैं।

श्री नीरेन घोष : मैं जानना चाहूंगा कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका के संशोधनों के अनुसार अन्य विकसित देश भी समझौते के तोड़ने के लिए अमरीका के साथ चल रहे हैं। उस स्थिति में केवल संयुक्त राज्य अमरीका का निषेधाधिकार ही उन्हें समुद्रीतल क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रीतल प्राधिकरण स्थापित करने के लिये एकत्र कर सकेगा। एक बार ही इस निषेधाधिकार का प्रयोग करने से यह समझौता समाप्त हो जायेगा।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सुझाये गये संशोधनों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या 5 है। वे उत्पादन, अधिकतम सीमा तथा एकाधिकार विरोधी उन प्रावधानों को समाप्त करना चाहेंगे जिनके बारे में सहमति हो गयी थी। दूसरे के एंटरप्राईज पर भी रोक लगायेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत होगा। इसे उद्योगीकृत पश्चिमी देशों की कम्पनियों की तुलना में तरजीह दी जाएगी क्योंकि इस समय करार यह है कि इससे 'एंटरप्राईज' को तरजीह वाले अधिकार प्राप्त होंगे और वे चाहेंगे कि इसे समाप्त किया जाये।

तीसरे वे 'इन्टरप्राइज' को प्रौद्योगिकी के किसी अनिवार्य अंतरण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। अभी तक 'इन्टरप्राइज' का गठन नहीं किया गया है। समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो जाने तथा विभिन्न उपबन्धों के अनुसार 'इन्टरप्राइज' की स्थापना के पश्चात् विभिन्न कम्पनियों को 'इन्टरप्राइज' को प्रौद्योगिक अन्तरित करनी पड़ेगी। समझौते के इस भाग से वह सहमत नहीं थे। चौथे वे प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण की 36 सदस्यीय परिषद के अन्दर निर्णय लेने का एकाधिकार चाहते हैं। पांचवें वे सभी राज्यों की सहमति के बिना

पद्धति को बदलना नहीं चाहते। ये वे प्रस्तावित संशोधन हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है तथा जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चाहेगा कि सम्मेलन उन्हे स्वीकार करे। निःसन्देह, ये समझौते की जड़ों पर आघात करते हैं। इस विषय पर अभी भी बातचीत चल रही है तथा श्री कोह, जो समुद्र कानून सम्बन्धी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, और श्री इंगो, जो पहली समिति के चेयरमैन हैं, ने नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तथा इसी प्रकार के 11 महत्वपूर्ण पश्चिमी औद्योगिकृत राज्यों की मदद से एक लघु समिति का गठन किया है तथा वे इन संशोधनों को सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे है ताकि वे अन्य देशों को भी स्वीकार्य हो सकें। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है तथा मामलों पर अभी भी बातचीत चल रही है। अगस्त 1981 में मैं स्वयं बैठक में सम्मिलित हुआ था तथा विभिन्न देशों के विचारों से ऐसा लगा कि संयुक्त राष्ट्र तथा उसके कुछ मित्र राष्ट्रों के विरोध के बाजजूद भी समझौते को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा सभी देशो को संधि-पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : महोदय, यदि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र तथा उनके मित्रों के अलावा अन्य देशों अथवा अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार कर भी लिया जाता है, तब भी यह पर्याप्त नहीं होगा अथवा उन्हें एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी की स्थापना करनी पड़ेगी। अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रा-क्षेत्र प्राधिकरण की परिकल्पना समुद्र संबंधी कानून के प्रथम सम्मेलन में की गयी थी और उनकी स्थापना की पहली शर्त यह सुनिश्चित करना था कि समुद्र के तल के संसाधनों पर केवल उन देशों का ही एकाधिकार नहीं होगा जिनको औद्योगिक काफी उन्नत है तथा उनके पास अत्याधिक संसाधन हैं और उन देशों की जो कि अविकसित है लेकिन जिनके सीमांतर्गत जल क्षेत्र है अथवा जिनके सीमांतर्गत जलक्षेत्र अधिक सम्पत्ति है, उनकी ही रक्षा की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि वे प्रस्ताव जो किसी प्रकार का समझौता करने अथवा संशोधन करने के बारे में हैं, क्या उनमें कुछ एकाधिकार फर्मों को इस क्षेत्र में काम करने की स्वतन्त्रता देने के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय् समुद्र-तल प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना को त्यागने का विचार किया है तथा यदि ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो इस संबंध में भारत की क्या स्थिति रहेगी तथा क्या इस वार्त्ता में कोई अविकसित देश भी शामिल हैं अथवा केवल स्वीडन तथा डेनमार्क आदि यूरोपीय देश ही शामिल हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैंने सभी 11 देशों के नाम नहीं लिए। मैंने केवल कुछ देशों के नामों का उल्लेख किया था। मैं उन सभी देशों के नाम बताता हूं। वे देश हैं—नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिलैंड आइसलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड तथा आस्ट्रीया। वे पश्चिम के मध्यम औद्योगिकृत देश हैं। वे समुद्र संबंधी कानून सम्मेलन के चेयरमैन की कोह, तथा पहली समिति के चेयरमैन, के कहने पर मध्यस्थता कर रहे हैं।

जहां तक भारत का संबंध है, हम समझौते में जिस बात पर सहमति हो चुकी है, उसे त्यागना नहीं चाहते। पर यह इस बात पर निर्भर है कि 77 देशों का ग्रुप तथा अन्य देश क्या निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन अगस्त 1981 में एक बात जो मुझे अच्छी लगी वह यह थी कि 77 देशों के ग्रुप तथा अन्य देशों का विचार समझौते के अनुसार आगे कार्यवाही करने तथा संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने का था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि संयुक्त राष्ट्र तथा उसके मित्र राष्ट्र समझौते से अलग होना चाहें तो इससे कुछ समस्या अवश्य पैदा होगी किन्तु मुझे आशा है कि अन्त

में अन्य देशों की एकता के तथा अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में आकर, निश्चय ही, संयुक्त राष्ट्र अमरीका को उनकी भावनाओं का आदर करना ही पड़ेगा तथा वह इन देशों का साथ मिलकर चलेगा। मुझे तो यही आशा है लेकिन यह एक सुखद कल्पना मात्र है।

हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से अलग करना

*567. †**श्री रेणुपद दास** :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से अलग करने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश तथा दोनों पत्तनों के बेहतर कार्यकरण के हित में हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से अलग न करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार और राज्य विधान सभा तथा शिपर्स, व्यापार और श्रमिकों के प्रतिनिधित्व वाले कुछ संगठनों ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट से हल्दिया डाक कम्प्लेक्स को अलग करने के खिलाफ मत व्यक्त किया है। उनके विचार में इस प्रकार का निर्णय कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के लिए अहितकर होगा।

(ग) और (घ) इस विषय में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया है। इस प्रकार के निर्णय लिए जाने के पहले बहुत से मुद्दों -- प्रशासनिक, संचालन संबंधी और वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श की आवश्यकता है।

श्री रेणुपद दास : महोदय, यह पश्चिम बंगाल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा इसका पड़ोसी राज्यों के लोगों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन मन्त्री महोदय ने बड़ी सावधानी से मेरे प्रश्न का उत्तर टालने की कोशिश की है। महोदय, मैं यह उद्धृत करना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभापति ने क्या कहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने 1990-91 तक 9,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित किया है। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने जो कहा, मैं उद्धृत करता हूं—

"हल्दिया गोदी को कलकत्ता बन्दरगाह का भाग माना जाना चाहिए अन्यथा जहाजों के कलकत्ता बन्दरगाह से न गुजरने से निर्यातकों को काफी असुविधा होगी।"

मन्त्री महोदय को इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभापति की इस टिप्पणी तथा व्यापारी समुदाय द्वारा केन्द्रीय सरकार के उस प्रस्ताव के प्रति प्रकट किए गए विरोध के विषय में क्या कहना है जिसमें हल्दिया को कलकत्ता बन्दरगाह से असम्बद्ध किया जा रहा है। मेरा यही प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं पहले ही इसे विस्तार में बता चुका हूं। न केवल इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभापति के विचारों को अपितु उन सभी के विचारों को अन्तिम फैसला करने से पूर्व ध्यान में रखा जाएगा जिन्होंने हल्दिया को कलकत्ता बन्दरगाह से असम्बद्ध करने के लिए उसके पक्ष में अथवा विरोध में विचार प्रस्तुत किए हैं—में या अन्यथा विरोध प्रकट किया है।

श्री रेणुपद दास : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभापति ने जो कहा, उसका क्या उत्तर है। इंन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सभापति ने कहा है कि 9000 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य कलकत्ता हल्दिया पोर्ट कम्पलेक्स से पूरा किया जाना चाहिए। यदि हल्दिया को कलकत्ता से अलग कर दिया जाता है, तो उन सबके लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जाएगी जो अपना माल कलकत्ता से निर्यात करना चाहते हैं। अत: मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं नहीं जानता इसका उत्तर कैसे दूं। यदि कोई सभापति अथवा किसी सोसाइटी का कोई सदस्य कुछ विचार व्यक्त करता है तो मैं समझता हूं कि सरकार उन मतों पर निश्चय ही विचार करेगी। वह मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री रेणपद दास : सबसे ज्यादा संतोषजनक बात यह है कि पहले की अपेक्षा औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। यह तथ्य इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि 1980 में 2,600 श्रम दिवसों की हानि की तुलना में पिछले वर्ष केवल 10,921 श्रम दिवसों की हानि हुई। कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। सामान्य निर्यात माल संभाल के मासिक औसत में वृद्धि हुई है। महोदय, इसे देखते हुए, कलकत्ता-हल्दिया पोर्ट कम्पलेक्स अलग-अगल क्यों किया जा रहा है? सरकार द्वारा यह प्रस्ताव क्यों रखा गया?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने कहा है कि इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। इस समय स्थिति यह है। हल्दिया कलकत्ता बन्दरगाह का भाग है। हमने इसे असम्बद्ध नहीं किया है। हमने इसे अलग करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। एक ऐसा प्रस्ताव रहा है तथा इस बारे में कुछ मत व्यक्त किए गए हैं। भारत सरकार को कुछ अभ्यावेदन दिए गए हैं। इन सभी मतों पर विचार किया जा रहा है तथा अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने कहा है कि हल्दिया कलकत्ता बन्दरगाह का एक भाग है। मैं उनसे शत-प्रतिशत सहमत हूं। लेकिन मैं उनका ध्यान प्राकलन समिति ने 1964-65 की अपनी 67वीं रिपोर्ट में जो कहा है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें कहा है :

"हल्दिया पत्तन के विकास के लिए कलकत्ता बन्दरगाह का विकास जरूरी है।"

"समिति को आशा है कि पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण कलकत्ता बन्दरगाह की महत्ता बनाए रखेगा, तथा उसके डुबाव में सुधार करगा, विशेषकर फरक्का बाध का पूरा करन के बाद, तथा हल्दिया को कलकत्ता के सहायक बन्दरगाह के रूप में प्रयोग करेगा।"

इसी समिति की रिपोर्ट के 69वें पृष्ठ में यह कहा गया है :

"अत: हल्दिया पर डाक प्रणाली की स्थापना को पूर्वी भारत के विकास की मूलभूत आवश्यकता के अनिवार्य अंग के रूप में हल्दिया में डाक प्रणाली की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए। हल्दिया डाक के बिना, अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारत के तटीय व्यापार को हानि होगी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर जबरदस्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

इसी रिपोर्ट की 73वें पृष्ठ पर यह कहा गया है :

"जैसा कि समिति को मालूम है, हल्दिया का विकास कलकत्ता पोर्ट प्रणाली के सहायक बन्दरगाह के रूप में किया जा रहा है, अत: उसके विकास का कार्यक्रम कलकत्ता बन्दरगाह की आवश्यकताओं के अनुसार तथा उसके अनुकूल होना चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्राकलन समिति की 1963-64 की रिपोर्ट के संदर्भ में (दि हिंदू) में कलकत्ता बन्दरगाह के पूनरुद्धार के सम्बन्ध में विशेषज्ञ मत प्रकाशित हुआ था, जो इस प्रकार है :

"व्यापार संस्थाएं तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि इस बात से सहमत हैं कि कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाह का प्रशासन एक ही प्रशासनिक प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिए'''इसके अलावा कलकत्ता बन्दरगाह की नदी पत्तन सम्बन्धी विशिष्टता का इस्तेमाल दोनों पत्तनों का एक दूसरे के पूरक के रूप में संचालन करने के लिए किया जा सकता है।"

1981 में हमारे सिंचाई मन्त्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मन्त्री तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल से भेंट की तथा कहा कि भारत सरकार को हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से अलग नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अब एक ही कलकत्ता पत्तन समूह के अन्तर्गत आते हैं। कलकत्ता पत्तन पर नलकर्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं देना आवश्यक है ताकि कमी के महीनों में पर्याप्त मात्रा में अर्थात् 40,000 क्यूसेक पानी आ सके। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक, परिचालन सम्बन्धी वित्तीय तथा राष्ट्रीय हित में क्या सरकार कोई अन्तिम निर्णय लेगी तथा आज यह घोषणा करेगी कि सरकार कलकत्ता पत्तन को हल्दिया से अलग नहीं करेगी तथा उन्हें हमेशा के लिए कलकत्ता पत्तन का अंग मानेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य ने हल्दिया को कलकत्ता पत्तन से अलग न करने का निवेदन किया है। हम पश्चिम बंगाल सरकार तथा उनके दल के विचारों से परिचित हैं। हमें विधान सभा के विचारों की भी जानकारी है। यह सच है कि विधानसभा के प्रतिनिधि-मंडल ने मुझसे तथा माननीय प्रधान मन्त्री जी से भेंट की थी तथा उन्हें यह बताया गया था कि अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, इन सभी बातों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। माननीय सदस्य चाहते यह हैं कि अभी निर्णय की घोषणा करूं। चूंकि अभी तक मामले की पूरी जांच नहीं हुई है, अत: मैं इस पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कलकत्ता पत्तन में कुल कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, तथा वहां कुल कितना माल संभाला जाता है और हल्दिया पत्तन में कितने लोग काम पर लगे हुए हैं तथा वहां कुल कितना माल संभाला जाता है। यदि दोनों पत्तनों में अलग-अलग लेखे रखे जाते हैं तो इन दोनों स्थानों पर होने वाले लाभ तथा हानि के आंकड़े क्या हैं? दोनों पत्तनों को अलग करने के लिए किन आधारों पर विचार किया गया है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान से मैं बता सकता हूं कि कलकत्ता पत्तन पर 30,000 कर्मचारी काम पर लगे हुए है तथा वहां करीब 40 लाख टन अथवा 30 लाख से 40 लाख तक माल संभाला जाता है। हल्दिया पत्तन पर कर्मचारियों की संख्या लगभग 2000 है। मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं। हल्दिया पत्तन में कलकत्ता पत्तन से अधिक माल संभाला जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है, हल्दिया पत्तन की माल संभालने की अधिक क्षमता है, जबकि कलकत्ता पत्तन की नहीं है···(**व्यवधान**)

चेतक एक्सप्रेस में स्थान की कमी

*568. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री चेतक एक्सप्रेस का डीजलीकरण के बारे में 10 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3036 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15/16 चेतक एक्सप्रेस में स्थान की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक नई तेज रेल गाड़ी चलाने का है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस गाड़ी में निर्धारित संख्या में डिब्बे लगाये जा रहे हैं। फिर भी, कई खंडों पर इसमें अधिक भीड़ रहती है।

(ख) जी नहीं।

श्री भीखाभाई : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे राणा प्रताप के बहादुर घोड़े-चेतक का नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं। अधिकांश भारतीय पर्यटक तथा विदेशी पर्यटक भी झीलों का नगर देखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह गाड़ी जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ से होकर उदयपुर जाती है। ये सभी ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल हैं। बहुत से इतिहासप्रेमी, धार्मिक, तथा प्राकृतिक सुन्दरता के प्रेमी लोग तथा विदेशी पर्यटक, इस गाड़ी से यात्रा करते हैं, उन पर

इस गाड़ी का बहुत बुरी धारणा बनती है, इसे पहुंचने में करीब 24 घन्टे लग जाते हैं। केवल यह ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है, जिससे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा के माननीय सदस्य तथा मेरे साथ बैठे हुए मेरे सहयोगी, दौसा से यात्रा करते हैं। भूतपूर्व रेल मन्त्री तथा वर्तमान मन्त्री ने भी गाड़ी की गति बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया को भी आश्वासन दिया गया था। क्या उन आश्वासनों को पूरा किया जाएगा ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रथम श्रेणी का पूरा कोटा फिर से चालू किया जाएगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वयं 'चेतक' की गति के बारे में विवाद था।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता तथा भावों को समझता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप भी इसे कैसे दूर करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह ठीक ही कहा गया है कि स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया की भी यही इच्छा थी। उन्होंने भी इस गाड़ी के बारे में कई बार बात की थी।

समस्या वास्तव में यह है कि इस विशेष गाड़ी को कितने स्टेशनों पर रोका जाये। हमने इस मामले को उठाया है। इस गाड़ी की गति बढ़ाने का एकमात्र तरीका उन स्टेशनों की संख्या कम करना है जहां गाड़ी रुकती है। पटरियों की स्थिति बुरी है तथा इस लाइन पर गाड़ियां भी ज्यादा चलती हैं। हमने राज्य सरकार के सामने यह मामला उठाया था लेकिन राज्य सरकार इससे सहमत नहीं हुई। हमने राज्य सरकार से पुनः इस बारे में बात की है और यदि वह सहमत होते हैं, तथा माननीय सदस्य राज्य सरकार पर गाड़ी को कम स्टेशनों पर रोकने के लिए दबाव डालें, तो हम गाड़ी की गति बढ़ा सकते हैं। गाड़ी की गति बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया है कि पहले इस पूरी गाड़ी में पूरी प्रथम श्रेणी की व्यवस्था थी। अब इस गाड़ी के आधा प्रथम श्रेणी तथा आधे द्वितीय श्रेणी की व्यवस्था की गयी है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। मैंने यह भी पूछा था कि अब जोधपुर से जयपुर तक मरुभूमि एक्सप्रेस कब आरम्भ हो सकती है, जहां कि बहुत से प्राचीन और धार्मिक स्थल हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने किसी भी तथ्य पर विवाद नहीं किया है। मैं इस लाइन की क्षमता सम्बन्धी बाधाओं के बारे में पहले ही विस्तार से बता चुका हूं। दूसरी तरफ हम समय में परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर दिल्ली स्टेशन पर उस गाड़ी के रुकने की सुविधा नहीं दी जा सकती। गाड़ी की गति बढ़ाने के संबंध में केवल एक ही बात हो सकती है कि हाल्टस को कम किया जाए।

श्री भीखाभाई : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय अथवा रेलवे बोर्ड, स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया को दिए गए आश्वासन को पूरा करेंगे ? मेरा एक प्रश्न यह भी है।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास : चेतक एक्सप्रेस उदयपुर से शाम को 5-45 बजे रवाना होती है और दिल्ली में 2-05 बजे पहुंचती है। जैसा कि श्री भीखा भाई ने कहा है, इतना समय किसी ट्रेन में नहीं लगना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस ट्रेन को दिल्ली में 10 बजे पहुंचाया जा सकता है, ताकि उस क्षेत्र के लोग यहां आकर पार्लियामेंट एटेंड कर लें, शहर में अपना काम कर लें और सरकारी काम कर लें। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इस ट्रेन में डीजल इन्जिन लगाया जाएगा और यह ट्रेन 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी ? मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार को हाल्ट्स को कुछ कम कराने की बात कही गई है। हम यह बात नहीं कह सकते, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अजमेर, जयपुर और रिवाड़ी जैसे बड़े-बड़े शहरों में यह ट्रेन एक-एक, डेढ़ डेढ़ घंटे तक रुकती है। क्या मंत्री महोदय वहां हाल्ट के समय को कम करके इस ट्रेन को दिल्ली में 10 बजे पहुंचाने का कष्ट करेंगे ?

रेल मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : अध्यक्ष महोदय, यह ट्रेन 795 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 20 घंटे 40 मिनट में यहां आती है। वह मीटरगेज लाइन है। ट्रेन में डीजल इन्जिन लगाने से रनिंग टाइम में केवल एक घन्टे का फर्क पड़ सकता है लेकिन एक फायदा यह हो सकता है कि इसमें दो तीन कोचिज बढ़ाए जा सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार को हमने कहा था, और आज भी [illegible] से बात की है, और राजस्थान के माननीय सदस्यों से भी कहा है, कि अगर [illegible], तो कुछ हाल्टस कम करवाएं, तो हम इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि यह ट्रेन 2 बजे के बजाए 1 बजे यहां पहुंचे।

संकाय अध्यापकों की पदोन्नति के मानदंड

*569. श्री जैनुल बशर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय (फैकल्टी) अध्यापकों की पदोन्नतियों के क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) क्या कोई समान नीति है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सामान्यत: सभी नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की जाती हैं। प्रत्येक पद का विज्ञापन देना होता है और एक यथागठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाता है और वह समिति नियुक्ति के लिए इनमें से योग्य व्यक्ति की सिफारिश करती है। इस प्रकार, शिक्षकों की पदोन्नति के लिए मानदण्डों का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, उसी विश्वविद्यालय में पहले से ही कार्य करने वाले शिक्षक इन विज्ञापनों के उत्तर में आवेदनपत्र भेजने के लिए स्वतंत्र होते हैं और पात्रता की शर्तें पूरी करने व नियुक्ति के लिए योग्य पाए जाने पर उनके लिए किसी उच्च पद पर चुने जाने के अवसर उपलब्ध हैं।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति था पदोन्नति के बारे में समय-समय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चित आरोप लगाए गए हैं तथा उस विश्व-विद्यालय में सैद्धान्तिक तथा पारिवारिक आधार पर नियुक्ति करने में अनियमितताओं के बारे में संसद सदस्यों ने भी कई आरोप लगाए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन आरोपों की जांच की गई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अध्यापकों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाती है। इन पदों पर अध्यापकों के चुनाव की व्यवस्था सम्बन्धित विश्व-विद्यालयों के अधिनियमों में की गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम में यही प्रावधान लागू होता है, केवल अन्तर यह है कि जाने माने कुछ विद्वानों की उन्हें निमंत्रण देकर नियुक्त अथवा चयन किया जा सकता है।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 1977 के बाद इस प्रक्रिया को कार्यान्वित अथवा अपनाया नहीं गया है। यदि माननीय सदस्य इसी विशेष व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका सम्बन्ध पदोन्नति से नहीं है बल्कि सीधी भर्ती से है।

श्री जैनुल बशर : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं चयन सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जे० एन० यू० में की गई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के बारे में कई संसद सदस्यों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच की गई थी और यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकाला ?

श्री पी० के० थुंगन : यहां प्रश्न पदोन्नति के बारे में पूछा गया है।

श्री जैनुल बशर : प्रश्न नियुक्ति तथा पदोन्नति के बारे में पूछा गया है।

श्री पी० के० थुंगन : प्रश्न पदोन्नति के बारे में है। चूंकि पदोन्नति के बारे में कोई नियम नहीं है अत: लोगों की पदोन्नति करने में भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय नियुक्तियों में भेदभाव करने से है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अधिनियम में ही इसकी व्यवस्था की छूट है, जिसके अन्तर्गत कुछ श्रेष्ठ विद्वानों को निमंत्रण देकर नियुक्त किया जा सकता है।

श्री जैनुल बशर : मैंने साधारण सा प्रश्न पूछा है। यह अलग बात है कि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्री पी० के० थुंगन : यदि माननीय सदस्य मुझे धैर्य से सुनें, तो मुझे इस बारे में बता लेने दीजिए। यह पदोन्नति के नियमों से सम्बन्धित नहीं है। यदि उन्हें चयन सम्बन्धी मामले में कोई आपत्ति है तो वह इससे सम्बन्धित कोई अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री जैनुल बशर : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में समय-समय पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कुछ नियम अर्थात् केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम बनाने के लिए अर्थात् नियुक्ति तथा पदोन्नति में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेने का विचार कर रही है

श्री पी० वे० थुंगन : माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि 1.1.73 से पहले विश्वविद्यालय के अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध मे एक योजना थी। उसके पश्चात्, इस योजना को कार्यान्वित तथा लागू नहीं किया गया। बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पदोन्नति के लिए योजना बनाने का सुझाव दिया तथा उस पर चर्चा की गई और हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों पर विस्तार से जांच करने के लिए कहा। इस मामले पर आगे जांच की जानी चाहिए। तदानुसार, उन्होंने एक समिति को गठन किया तथा उस समिति की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। उसके मिलने पर, हम उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीयों को लेबनान से वापस भेजा जाना

*561. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **विदेश मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बेरुत से वापस भेजे गये 31 भारतीय राष्ट्रिकों को प्रलोभित करने वाले एजेन्टों का पता लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी घटनाओं में कुछ समय से वृद्धि हो रही है यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने भारतीय राष्ट्रिकों को वापस देश भेजा गया तथा किन-किन देशों से उनको वापस भेजा गया; और

(ग) ऐसे घोटाले करने वालों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 31 भारतीय राष्ट्रिकों को प्रलोभन देकर बेरुत ले जाने वाले एजेन्टों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता और उत्प्रवासन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन दिल्ली पुलिस ने 2 फरवरी, 1982 को जो मामला दर्ज किया था, उसकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

(ख) इन 31 भारतीय राष्ट्रिकों को देश-प्रत्यावर्तित किया गया था न कि निर्वासित। जहां तक निर्वासन का ताल्लुक है, विदेशी सरकारों के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे अपने देशों से हमारे राष्ट्रिकों के निर्वासन के बारे में भारत सरकार को सूचित करें। लेकिन, हमारी जानकारी के अनुसार वर्ष 1979 के दौरान 39, वर्ष 1980 के दौरान 88 और वर्ष 1981 के दौरान 77 भारतीय राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया। जिन देशों से भारतीय राष्ट्रिकों का निर्वासन किया गया था, उनमें आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बर्मा, कनाडा, डेनमार्क, मिस्र, फिजी, हांग कांग, ईरान, मोजाम्बिका, नीदरलैन्ड्स, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्वीडन, पश्चिम जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं।

(ग) ऐसे कांडों को रोकने के लिए उत्प्रवासन सम्बन्धी एक विधेयक का मसौदा विचार करने की अन्तिम स्थिति में है और शीघ्र ही उसे श्रम मंत्री द्वारा सभा में पुर:स्थापित किया जाएगा।

विज्ञापन, स्टिकर्स वाले मोटर वाहनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान

*563. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मोटर वाहनों पर उनके स्वामियों का नाम और पता अंकित नहीं होता है;

(ख) क्या तिपहिया स्कूटरों, टैक्सियों और बसों पर बिना किसी शुल्क का भुगतान किए विज्ञापन, स्टिकर्स/पोस्टर लगाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, 1940 के अनुसार मालिक का नाम, ब्यौरा और उसका पता संक्षेप में सभी परिवहन गाड़ियों पर प्रदर्शित करना होता है, सिवा ऐसी किस्म की गाड़ियों के, जैसे मोटर-कैब, डिलीवरी वैन या ट्रेलर आदि, जिन्हें इससे छूट है। परिवहन निदेशालय का प्रवर्तन स्टाफ और यातायात पुलिस इन उपबन्धों के कार्यान्वयन की जाँच करती है और नियमों के उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करती है।

(ख) इस तरह के स्टिकर्ज/प्रोस्टर्ज/विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई कर नहीं लगाया जाता।

(ग) दिल्ली में, राज्य परिवहन अधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक गाड़ी पर किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। दिल्ली परिवहन निगम की बसों

में विज्ञापन देने/स्टिकर्ज लगाने के मामले पर दिल्ली राज्य परिवहन अधिकरण विचार कर रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम को जब यह पता चला कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा छोटे-छोटे विज्ञापन स्टिकर्ज लगाए जा रहे हैं, तो निगम ने अपराधियों को समाचार पत्रों के माध्यम से चेतावनी दी और उसके बाद इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली।

राज्यों में "हैल्थ-गाइड" प्रशिक्षण शिविर खोलना

*570. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित "रूरल हैल्थ-गाइड स्कीम" लागू कर दी गई है और कितने "हैल्थ-गाइड" प्रशिक्षण शिविर खोले गये हैं; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में कितने हैल्थ-गाइड शिविर खोले गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाता है। हर बैच में लगभग 20 अथवा 25 स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइडों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

31-12-1981 तक प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइडों की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षित स्वास्थ्य गाइडों की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	18049
2. असम	7490
3. बिहार	5502
4. गुजरात	19616
5. हरियाणा	5235
6. हिमाचल प्रदेश	4477
7. जम्मू और कश्मीर	शून्य

1	2
8. कर्नाटक	2442
9. केरल	शून्य
10. मध्य प्रदेश	13020
11. महाराष्ट्र	22817
12. मणिपुर	1102
13. मेघालय	854
14. नागालैंड	326
15. उड़ीसा	11581
16. पंजाब	2960
17. राजस्थान	6196
18. सिक्किम	149
19. तमिलनाडु	शून्य
20. त्रिपुरा	616
21. उत्तर प्रदेश	49241
22. पश्चिम बंगाल	12212
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	140
24. अरुणाचल प्रदेश	शून्य
25. चंडीगढ़	23
26. दिल्ली	160
27. दादर व नगर हवेली	74
28. गोवा, दमन व द्वीप	555
29. लक्षद्वीप	शून्य
30. मिजोरम	468
31. पांडिचेरी	245
योग	183533

मिदनापुर-खड़गपुर लाइन का विद्युतीकरण

*571. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर और खड़गपुर लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) छठी योजना के दौरान जिन खंडों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, उनकी तुलना में इस खंड पर यातायात का घनत्व बहुत ही कम है ।

एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा वियतनाम के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सहयोग

*572. **श्री हरीश रावत** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम ने शिक्षा के प्रयोजन के लिये रेडियो और दूरदर्शन का प्रयोग करने में अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एन० सी० ई० आर० टी० का सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 1980 तथा 1981 के भारत-वियतनाम सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अन्तर्गत एक चार सदस्यीय वियतनामी प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का 13 से 27 फरवरी, 1982 तक दौरा किया था । भ्रमणकारी प्रतिनिधि-मंडल ने वियतनामी शिक्षकों को शिक्षा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से रेडियो तथा दूरदर्शन के प्रयोग में प्रशिक्षित करने के लिए रा० श० अ० प्र० प० के सहयोग की सभावना का अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया है । तथापि, कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

पिट्यूइटरी ग्रंथियों का निर्यात

*573. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध फर्मों के एजेंट भारतीय अस्पतालों में शव-परीक्षित मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को विशेषकर मानव शरीर की पिट्यूइटरी ग्रंथियों को निर्यात के लिए प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मृतक शरीरों से कितनी पिट्यूइटरी ग्रंथियों तथा अंगों का किस मद के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान विदेशों को निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य क्या था;

(ग) क्या पिट्यूइटरी ग्रंथियों के उच्च मूल्य पर निर्यात किए जाने के कारण इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के अन्तर्गत इंडियन पिट्यूइटरी एजेंसी नामक एकक को पिट्यूइटरी ग्रंथियों की कम सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) पिट्यूइटरी ग्रंथियों के निर्यात पर नियंत्रण करने तथा उन्हें देश में हारमोन्स संबंधी रिसर्च तथा चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मानव शरीर के अंगों का निर्यात, जिनमें पिट्यूइटरी ग्रंथियां भी आ जाती हैं, निर्यात व्यापार नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं आता है। चूंकि निर्यात के प्रयोजन के लिए पिटयूइटरी ग्रंथियों की अलग से कोई वर्गीकृत मद नहीं है, इसलिए, निर्यात की गई ऐसी ग्रंथियों की संख्या और उनके मूल्य की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि इण्डियन पिट्यूइटरी एजेंसी के कार्य को या सामान्य रूप से अनुसंधान कार्य को पिट्यूइटरी ग्रंथियों की अप्रर्याप्त सप्लाई के कारण हानि पहुंच रही है।

आई० आई० टी० खड़गपुर के लिए कम्प्यूटर

*574. **श्री नारायण चौबे** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कई वर्षों से आई० आई० खड़गपुर आधुनिक कम्प्यूटर के लिए अनुरोध कर रहा है;

(ख) क्या भारत के अन्य आई० आई० टीज आधुनिक कम्प्यूटरों से सज्जित हैं;

(ग) क्या आई० आई० टी० खड़गपुर के काम में इस वजह से बाधा पड़ रही है; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने हाल ही में एक नयी बड़ी संगणक प्रणाली की मांग की है।

(ख) सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आधुनिक संगणकों से सुसज्जित हैं।

(ग) बताया गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की विद्यमान संगणक प्रणालियां अपर्याप्य हैं। अत: संस्थान अपना कुछ कार्य अन्य संगणक केन्द्रों में करवा रहा है।

(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लिए एक नई बड़ी संगणक प्रणाली की स्थापना के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

अस्पताल से बाहर बच्चे जनने वाली महिलाओं को अन्ध्याकरण की सुविधा

*575. **श्री रामविलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि ऐसी महिलाओं को, जिन्होंने अस्पताल के अलावा अन्यत्र बच्चों को जन्म दिया है, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उन्हें बन्ध्याकरण आपरेशन कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये तथा उन्हें दी जाने वाली अनुग्रह राशि का पात्र नहीं समझना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रसव हेतु अस्पताल की पर्याप्त सेवायें उपलब्ध नहीं ९, तथा गर्भवती महिलायें प्राय: घरों पर ही बच्चे जनती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) टेटनस और अन्य संक्रमणों से होने वाली उग्णता और मृत्यु को रोकने के लिए सरकार ने यह सलाह दी है कि घर पर प्रसव कराने वाली महिला को, यदि उसने टेटनस का टीका नहीं लगवाया हो अथवा जिसके बारे में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हो कि वह प्रसवोत्तर संक्रमण की संभावना से पूर्णतया मुक्त है तो उसे प्रसव के छः सप्ताहों के अन्दर-अन्दर नसबन्दी की सेवाएं न दी जायें ।

हावड़ा-अमता लाइन

*576. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हावड़ा-अमता बड़ी लाइन के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है;

(ख) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि निर्माण के लिए सभी सामान समय पर सप्लाई किया जाये;

(ग) क्या सरकार इस काम को निर्धारित समय तक पूरा कर लेगी;

(घ) क्या इस काम में देरी हो रही है; और

(ङ) क्या सरकार लोगों को हो रही कठिनाइयों की ओर उचित ध्यान देगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) 1982-83 में इस परियोजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये की राशि नियत की गयी है । 1981-82 में परिव्यय 1 करोड़ रुपए था । संतरागाछी और बड़गछिया के बीच के खंड को, जहां

पर कार्य प्रगति पर है, पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नयी लाइनों के निर्माण के लिए धन की अत्यधिक तंगी के कारण परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि आगे बढ़ानी पड़ेगी।

इस क्षेत्र में जनता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उससे सरकार पूरी तरह अवगत है और उपलब्ध संसाधनों की तंगी के भीतर परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है।

गुर्दा-प्रत्यारोपण हेतु मृत व्यक्ति के गुर्दे के दान का कानून

*577. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान कानून के अनुसार गुर्दा-प्रत्यारोपण के लिए मृत व्यक्ति के गुर्दे का दान सम्भव नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्ति के गुर्दा-दान हेतु समुचित कानून पारित करने की भारी मांग, खासतौर पर नेशनल किडनी फाउंडेशन (इण्डिया) की ओर से है;

(ग) क्या इसका प्रत्यारोपण कराना महंगा पड़ता है और रोगियों को इसके लिए विदेशों में जाना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में समुचित कानून लाने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) मृत व्यक्ति के गुर्दे का प्रत्यारोपण करने के बारे में इस समय कोई कानून नहीं है। ऐसा कानून बनाने के लिए सुझाव मिलते रहे हैं। गुर्दा प्रत्यारोपण महंगा तो है लेकिन देश में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डाक्टरों को प्रोत्साहन

*578. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक्टरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत डाक्टरों को, उनके गांव में कार्य करने के प्रोत्साहन के रूप में, अधिक वेतन देने का विचार प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) कौन-कौन से प्रोत्साहनों का पहले ही सुझाव दिया गया है और दिये जा रहे हैं; और

(घ) क्या बड़ी संख्या में डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) गांवों में डाक्टर आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं या वे प्राइवेट चिकित्सकों के रूप में काम करते हैं। डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिये प्रोत्साहित करने के बारे में प्रत्येक राज्य की अलग-अलग नीति है। प्राइवेट चिकित्सकों को राष्ट्रीयकृत बैंक ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देते हैं। देश के 5500 से भी अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल 36 केन्द्र ऐसे बताये जाते हैं जहां डाक्टर नहीं हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए नया कम्प्यूटर

*579. **श्री रशीद मसूद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नए कम्प्यूटरों की खरीद के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 2.5 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दी है:

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरों के रखा रखाव के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सर्विस इंजीनियर्स आफ कम्प्यूटर्स स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वर्तमान कम्प्यूटरों का रख-रखाव करने में असमर्थ है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय के अनुसार, एक कम्प्यूटर में, जिसका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है, समय-समय पर खराबी आती रहती है। अन्य दो कम्प्यूटर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान मेडीसिन प्रोडक्ट बरौनी

6235. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में हिन्दुस्तान मेडीसिन प्रोडक्ट बरौनी, नाम की एक दवा निर्माण कम्पनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1981 में इस कम्पनी ने डक्ट्रोज एम्परोल इन्जेक्शनों का निर्माण किया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1981 के "सान्ध्य टाइम्स" और 30 दिसम्बर, 1981 के "बन्दे मातरम" में प्रकाशित होने वाले समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ) बिहार राज्य से अपेक्षित सूचना मांगी गई है तथा वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

'हाई टी० बी० इन्सीडेन्स अमंग पावर हाउस मैन" शीर्षक से समाचार

6236. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री के० ए० राजन :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1982 के (टाइम्स आफ इंडिया) में प्रकाशित "हाई टी० बी० इन्सीडेन्स अमंग पावर हाउस मैन" (बिजली घरों के आदमियों में टी० बी० के अधिकांश मरीज) शीर्षक समाचार की तरफ दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (ख) और (ख) जी हां । नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र ने इन्द्रप्रस्थ और राजघाट के बिजली घरों के कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया है । इन बिजली घरों के कर्मचारियों में क्षय रोग की व्याप्तता उनकी उम्र, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले आम स्त्री-पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं है ।

पारपत्रों का जब्त किया जाना

6237. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पारपत्रों को इस प्रकार जब्त किया गया है जिससे पारपत्रधारी विदेश जाने से वंचित रह गए; और

(ख) उन्हें जब्त किए जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

कोक वैगनों का पुनः तोला जाना

6238. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों के दौरान कोक के वैगनों को पुनः तोलने के बारे में अनुरोधों को नामंजूर करने की कितनी शिकायतें हैं और ये शिकायतें कितने व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों ने की;

(ख) ऐसी कितनी शिकायतें मंजूर की गईं और पुनः तोलने के आदेश जारी किए गए;

(ग) क्या यह सच है कि कोल्हापुर के अनेक ऐशोसिएसनों ने कोल्हापुर रेलवे अधिकारियों द्वारा और हुबली रेलवे अधिकारियों द्वारा भी वैगनों को पुनः तोलने की शिकायतों के बारे में उन्हें परेशान किए जाने की शिकायतें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान व्यापारियों/उद्योगपतियों द्वारा कोक माल डिब्बों को पुनः तोलने के लिए अनुरोधों की कुल संख्या 2,874 थी। इनमें से, 2331 मामलों में अनुरोध स्वीकार कर लिये गये थे और पुनः तोल करने के आदेश जारी किये गये थे।

(ग) माल डिब्बों को पुनः तोलने के सम्बन्ध में कोल्हापुर रेल प्राधिकारियों और हुबली रेल प्राधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के बारे में कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के विभिन्न संगठनों की ओर से ऐसी कोई शिकायत सम्बन्धित रेल प्रशासन को नहीं की गयी थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड के अस्थाई कर्मचारी

6239. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में सभी श्रेणियों में श्रेणीवार कुल कितने अस्थाई कर्मचारी हैं और वे वहां कब से कार्यरत हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय रेलवे बोर्ड में 2 से 12 वर्ष की सेवा वाले तृतीय श्रेणी के लगभग 460 और चतुर्थ श्रेणी के लगभग 250 अस्थायी कर्मचारी हैं।

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान तृतीय श्रेणी के लगभग 117 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश दिया गया है। तृतीय श्रेणी के 70 और कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शेष मामलों में, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के उपयुक्त और पात्र कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में विचार किया जायेगा जो स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

"अवार्ड" द्वारा इस्राइल को भेजे गये व्यक्तियों की संख्या

6240. **श्री बाबूलाल सोरेंकी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान "अवार्ड" द्वारा कितने व्यक्ति इस्राइल भेजे गए और उन पर अवार्ड द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ख) क्या "अवार्ड" द्वारा किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को भी इस्राइल भेजा गया था; यदि हां, तो उस अधिकारी के आवास, ठहरने व खाने पीने का खर्च किसने दिया और उसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विगत एक वर्ष दौरान "अवार्ड" द्वारा एक व्यक्ति को इजराइल भेजा गया। उनके अतिथि-सत्कार और यात्रा-भाड़ा की व्यवस्था इजरायली प्रशिक्षण केन्द्र ने की थी।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान "अवार्ड" द्वारा किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को इजराइल नहीं भेजा गया।

पुराने स्मारकों का संरक्षण

6241. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर दिल्ली और अन्य राजधानी नगरों में ऐतिहासिक और पुराने स्मारकों की वास्तुशिल्पीय विरासत के संरक्षण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी मूर्तिकला (इमेज) के संरक्षण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों के रूप में समय-समय पर अभिज्ञात ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय परम्परा की सरचनाओं का परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। दिल्ली और अपेक्षाकृत प्राचीन राजधानी के नगरों में अनेक संस्मारकों के सुरक्षण के अतिरिक्त वर्तमान ध्वंसावशेषों का परिरक्षण पृथ्वी के अन्दर दबी हुई किलेबन्दी के भागों के वास्तुशिल्पीय मूलरूप को बचाने के उद्देश्य से उन्हें अनावृत्त करके, उनकी चिनाई को सुदृढ़ करके और दीवार के खुले शीर्षों को जलरोधी बनाकर किया जाता है। हाल ही में पृथ्वीराज चौहान की राजधानी—किला राय पिथौड़ा और अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी—सीरी के किले की किलेबन्दियों को इसी प्रकार अनावृत किया गया है और उनकी विशेषताओं को सुरक्षित रखा गया है।

कोरापुट और कटक-भुवनेश्वर के बीच सीधे यात्री डिब्बे की व्यवस्था करना

6242. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस या कोणार्क एक्सप्रेस या 3/4 मद्रास मेल से भारत के सबसे बड़े जिले कोरापुट को जोड़ने के लिए रेल अधिकारियों से कोरापुट और कटक-भुवनेश्वर के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी का सीधे संयुक्त यात्री डिब्बे को जोड़ने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपयुक्त मेल लेने और गाड़ियों में स्थान की कमी के कारण, सुझावानुसार कोरापुट और भुवनेश्वर/कटक के बीच एक सवारी डिब्बा लगाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

इटावा स्टेशन को बिजली की सप्लाई

6243. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के इटावा रेलवे स्टेशन में रात में अचानक बिजली फेल हो जाने की स्थिति में प्रकाश की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(ख) नई दिल्ली और इटावा के बीच प्रत्येक स्टेशन में रात में बिजली तथा पानी की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक स्टेशन में यात्रियों की सुविधा हेतु, कितने हेन्ड पम्प लगाये गये हैं, और जलाशय बनाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रात्रि में अचानक बिजली चली जाने पर वैकल्पिक बिजली की रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस

आशय के अनुदेश विद्यमान हैं कि मिट्टी के तेल से जलने वाले लैम्पों का इस्तेमाल करके प्लेटफार्मों पर रोशनी की व्यवस्था की जाये ।

(ख) निम्नलिखित 10 स्टेशनों को छोड़कर नयी दिल्ली तथा इटावा के बीच सभी स्टेशनों पर स्थानीय सप्लाई से बिजली की रोशनी की व्यवस्था है ।

1. बड़की हाल्ट
2. सिकन्दरपुर
3. कमालपुर हाल्ट
4. कुलवा
5. मेहरावल
6. चमरौला
7. मितावली
8. भदान
9. बलरई
10. सराय भोपत

स्टेशनों पर रोशनी की व्यवस्था सहित बिजली के अनिवार्य भार (लोड), को पूरा करने के लिए गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस और टूण्डला में गाढ़े में इस्तेमाल करने के लिए डी० सी० सैटों की व्यवस्था की गई है ।

नयी दिल्ली और इटावा के बीच सभी स्टेशनों पर निम्नलिखित स्रोतों से पानी की सप्लाई की व्यवस्था पहले ही मौजूद है ।

(i) 14 स्टेशनों पर हथ पम्प ।

(ii) 13 स्टेशनों पर पानी के नल ।

(iii) शेष स्टेशनों पर खुले कुएं ।

गर्मी के मौसम में इन व्यवस्थाओं के अलावा, बाल्टियों के साथ पानी वाले तैनात किये जाते हैं और पानी की ट्रालियों की व्यवस्था की जाती है ।

बालावामपुरम सुरंग

6244. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेलवे लाइन में आने वाली बालावामपुरम सुरंग सुरक्षा के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्षेत्र की जमीन की स्थिति को देखते हुए जब बालावामपुरम सुरंग बनाई गई तो जमीन खोदने और ढकने (कट एण्ड कवर मैथड) की प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य-निष्पादन की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि जमीन खोदने और ढकने की पद्धति (कट एण्ड कवर मैथड) न अपनाकर केवल बोर किये हुए एक सुरंग की व्यवस्था की जाए।

अस्पतालों में कैंसर का पता लगाने और चिकित्सा कराने का प्रबंध

6245. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ऐसे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां एकदम शुरू के स्तर पर कैंसर का प्रभावी ढंग से तत्काल पता लगाया जाता है और चिकित्सा की व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार के पास विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश में प्रशिक्षण के लिए ऐसे संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल जहां कैंसर की प्रारम्भिक खोज और उसका उपचार किया जाता है, इस प्रकार है :

1. दिल्ली—सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।

2. पांडिचेरी—जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, पांडिचेरी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न किस्म की नौकाओं के लिए एस० डी० एफ० सी० द्वारा दिए गए ऋण

6246. **श्री मोहनलाल पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच सालों के दौरान विभिन्न श्रेणी की नौकाओं के लिए एस० डी० एफ० सी० द्वारा दिए गए ऋणों का वर्षवार ब्योरा क्या है; और

(ख) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को अलग-अलग कितनी धनराशि दी गयी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

(करोड़ रुपये)

वर्ष	टैंकर/प्रोडेक्ट कैरियर/ ओ० बी० सी० आदि		बल्क कैरियर/लाइनर/कार्गो वैसलस आदि		कंटेनर		विविध	
	रुपया ऋण	सफौस ऋण	रुपया ऋण	सफौस ऋण	रुपया ऋण	सफौस ऋण	रुपया ऋण	सफौस ऋण
1976-77	4.26	—	217.08	—	—	—	—	—
1977-78	2.12	86.91	61.29	101.74	—	—	—	—
1978-79	8.00	—	53.80	66.24	—	—	—	32.65
1979-80	—	—	42.28	19.67	—	—	—	—
1980-81	1.21	49.61	134.92	14.44	—	0.75	—	—
कुल	15·59	136.52	509.37	202.09	—	0.75	—	32.65

*मंत्रिमंडल मार्गदर्शन के अधीन स्वीकृत ।

विवरण-2

(करोड़ रुपये)

वर्ष	पब्लिक सेक्टर		प्राइवेट सेक्टर		कुल	
	रुपया	सफीस	रुपया	सफीस	रुपया	सफीस
1976-77	88.13	—	134.22	—	222.35	—
1977-78	59.13	124.19	4.28	50.83	63.41	175.02
1978-79	40.22	83.09	1.70	14.89	41.92	97.98
1979-80	39.10	—	18.66	19.67	57.76	19.67
1980-81	31.19	42.68	108.33	36.66	139.52	79.34
कुल	257.77	249.96	267.19	122.05	524.96	372.01

ईस्टर्न रेलवे इम्प्लाईज कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी, धनबाद

6247. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न रेलवे इम्प्लाइज कंज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी धनबाद संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इस कोआपरेटिव सोसाइटी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोसाइटी के निदेशक मंडल ने निदेशक सहकारिता, रेलवे बोर्ड और दूसरों के नाम लिखे गए दिनांक 15 जनवरी, 1982 के अभ्यावेदन द्वारा बताई गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है, और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे के कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, धनबाद की ओर से दिनांक 15-1-82 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दे शामिल थे :

(i) रेलवे द्वारा 3 वर्ष पहले सोसाइटी का एक गोदाम वापस ले लिया गया था, किन्तु उसके बदले अभी तक किसी वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(ii) सोसाइटी से उनकी कैंटीन को मुख्य भंडार भवन में स्थानान्तरित करने को कहा जा रहा है, जिसके कारण सोसाइटी के परचून विभाग, उचित दर की दुकानों और विभागीय भंडारों आदि को बन्द करना पड़ेगा ।

रेल प्रशासन द्वारा इन मुद्दों की जांच की जा रही है ।

एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण

6248. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा किये गये तीसरे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण में स्कूलों में 368 मातृ भाषाओं का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मातृ भाषाओं के संवर्धन के लिए सरकार की नीति क्या है और शैक्षिक संस्थाओं में इन मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार ने क्या विभिन्न सुविधायें तथा प्रोत्साहन दिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाएं केवल भारत की जनसंख्या में 77.53 लोग ही जानते हैं और देश की शेष जनसंख्या सर्वेक्षण में दी गई अन्य मातृ भाषाओं पर निर्भर करते हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किए गए तीसरे अखिल भारतीय

शैक्षिक सर्वेक्षण में 367 मातृभाषाओं का उल्लेख किया गया है। सर्वेक्षण में स्कूल स्तर पर शैक्षिक भाषाओं के रूप में 58 भाषाएं भी दी गई हैं।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 350क के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य तथा राज्य के प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृ-भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए।

राज्य सरकार इस स्थिति तथा शिक्षा आयोग की सिफारिशों और अन्य समितियों की अनुवर्ती सिफारिशों से अवगत है। इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेना उनका ही काम है।

कलकत्ता पत्तन के बारे में रोट्टरडम पत्तन विशेषज्ञों की सिफारिशें

6249. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोट्टरडम पत्तन विशेषज्ञों ने हाल में कलकत्ता पत्तन का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या सिफारिशें हैं;

(ग) क्या सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) रोट्टरडम यूरोपोर्ट मिशन आफ इंडिया 26 और 27 फरवरी, 1982 को कलकत्ता गया था। मिशन के सदस्य कलकत्ता गोदियों में गए और पत्तन अधिकारियों और पत्तन प्रयोक्ताओं से भी मिले।

उक्त मिशन किसी तरह की सिफारिशें करने के लिए कलकत्ता नहीं गया था।

(ख) से (ङ) उपरोक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पास और पी० टी० ओ० बन्द करना

6250. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डी० आर० एम०) के कार्यालय में काम करने वाले तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के पासों और पी० टी० ओ० को बन्द करने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है और किन परिस्थितियों में यह दण्ड दिया जाता है;

(ख) दण्ड देने वाले अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध पहली और दूसरी अपील, यदि कोई की जाती हो तो किस अधिकारी से की जाती है;

(ग) क्या उत्तरी रेलवे विशेषकर मुरादाबाद डिवीजन में दण्ड देने वाले अधिकारी के पास पुनः मामले को भेजने की प्रथा है और वही अन्तिम निर्णय देता है तथा अपीलीय अधिकारी को प्रायः दण्ड देने वाले अधिकारी से मार्ग-दर्शन मिलता है;

(घ) वर्ष 1981 के दौरान विभिन्न डिवीजनल रेलवे मैनेजरों के कार्यालयों से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके पासों और पी० टी० ओज० को उस समय बन्द कर दिया गया जब वे सेवा निवृत्त होने वाले थे और उनकी अपील नामंजूर करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उनकी अपील नामन्जूर करने के कारण उन्हें नहीं बताए गए ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तृतीय श्रेणी के रेल कर्मचारियों के पास तथा सुविधा टिकट आदेशों का बन्द किया जाना रेल कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम 1968 में अल्प दंडों में से एक अल्प दंड माना गया है। उक्त नियमों में दंड देने वाले सक्षम प्राधिकारियों तथा अपीलीय और पुनरीक्षा प्राधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है। अपीलीय तथा पुनरीक्षा प्राधिकारी प्रभावित कर्मचारियों की अपीलों पर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए, मुरादाबाद मंडल सहित उत्तर रेलवे पर इस प्रकार के मामले अनुशासनिक प्राधिकारी (दंड देने वाले प्राधिकारी) के पास भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

6251. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला और उसने महाराष्ट्र द्वारा चलाये गए तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए केन्द्रीय कानून की मांग की; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) अखिल भारतीय जूनियर डाक्टर परिसंघ, बम्बई से 4 फरवरी, 1982 तारीख का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) पढ़कर निकलने वाले स्नातक डाक्टरों की अधिक संख्या को देखते हुए सरकार का विचार है कि लाइसेंसिएट चिकित्सा पाठ्यक्रम को फिर से आरम्भ करने का कोई औचित्य नहीं है।

विश्रामपुर-चरताडिह रेलवे लाइन

6252. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सरगुजा में विश्रामपुर से चरताडिह तक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अम्बिकापुर के रास्ते बड़वाडीह से विश्रामपुर तक नयी रेल लाइन के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में क्षेत्र कार्य दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा पूरा कर लिया गया है और आशा है कि तत्सम्बन्धी रिपोर्ट मई, 1982 तक तैयार हो जाएगी ।

8 डाउन आसाम मेल के लिए 7 मार्च, 1982 के लिए आरक्षण वाले रेल टिकटों की संख्या

6253. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मार्च, 1982 को आरक्षण वाले रेल टिकटधारी 500 से अधिक यात्रियों को 86 डाउन आसाम मेल में उनकी आरक्षित सीटें नहीं मिल सकीं और बड़ी संख्या में यात्रियों द्वारा अपना पैसा वापस लिया गया;

(ख) यदि हां, तो 7 मार्च, 1982 के लिए 86 डाउन आसाम मेल के लिए कितने आरक्षण वाले टिकट जारी किये गये और आरक्षण वाले टिकटों पर वास्तव में कितने लोगों को स्थान दिया गया;

(ग) किन परिस्थितियों में उपलब्ध सीटों की अपेक्षा आरक्षण वाली टिकटें अधिक संख्या में जारी की गईं;

(घ) कितने लोगों ने अपना पैसा वापस लिया; और

(ङ) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह सही नहीं है कि 7-3-1982 को 86 डाउन असम मेल में ऐसे 500 यात्रियों को स्थान नहीं दिया गया जिनके आरक्षण को पुष्टि की गयी थी और रेल किराया लौटाना पड़ा ।

(ख) दूसरे दर्जे में 439 शायिकाएं और पहले दर्जे में 54 शायिकाएं आरक्षित की गयी थीं। पहले दर्जे के सभी 54 यात्रियों के लिए आरक्षण के अनुसार की व्यवस्था को गयी थी, दूसरे दर्जे में 395 यात्रियों के लिए आरक्षण के अनुसार स्थान उपलब्ध किया गया था।

(ग) आरक्षण शुदा टिकट गाड़ी में उपलब्ध आरक्षित स्थान के अनुसार जारी किये गये थे।

(घ) केवल 44 यात्रियों ने ही रकम वापस करने की मांग की थी जिन्होंने दूसरे दर्जे में अपना स्थान आरक्षित करवाया था और स्टेशन पर ही उसका पूरा भुगतान कर दिया गया था।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ियां निर्धारित डिब्बों के साथ चलती हैं, दिन-प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है।

लेपरोजी मिशन इन्टरनेशनल द्वारा भेजी गई धनराशि का उपयोग में लाया जाना

6254. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेपरोजी मिशन इन्टरनेशनल ने घोषणा की है कि मिशन द्वारा भारत में इस वर्ष 4 करोड़ रु० की राशि व्यय की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या राशि केवल मिशन की कुष्ठ रोगियों के उपचार से सम्बद्ध गतिविधियों पर पर व्यय की जायेगी अथवा क्या इसे कुष्ठ रोग के क्षेत्र में अनुसंधान पर भी उपयोग में लाया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) कुष्ठ मिशन भारत में कुष्ठ के क्षेत्र में कार्य करने वाला सबसे पुराना स्वैच्छिक संगठन है जो पिछले 108 वर्ष से कार्य कर रहा है। यह संगठन देश में 29 अस्पताल चला रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के साथ मिलकर भारत के विभिन्न राज्यों में 57 लाख रोगियों का इलाज कर रहे हैं। वे निम्नलिखित स्थानों पर तीन अनुसंधान केन्द्र भी चला रहे हैं :

(1) शीफलिन कुष्ठ अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, कारीगिरी, तमिलनाडु।

(2) झालदा क्षेत्र अनुसंधान यूनिट, झालदा, पुरूलिया।

(3) फिलाडेल्फिया लेपरासी एण्ड रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी यूनिट, सलूर, आन्ध्र प्रदेश।

(ख) यह मिशन बेस अस्पताल कार्यक्रम, नियंत्रण कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के रख-रखाव पर यह मिशन कुल मिलाकर 4 करोड़ से कुछ अधिक रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है।

दिल्ली परिवहन निगम के सेवा से हटाये गये तथा नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या

6255. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के ऐसे स्थायी/नियमित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी सेवायें 1980 तथा 1981 के दौरान उनको अपने बचाव का अवसर दिए बिना समाप्त कर दी गयी थीं;

(ख) 1980 और 1981 के दौरान रोजगार कार्यालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए बिना कितने लोगों को भर्ती किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनुशासनात्मक मामलों के निपटाये जाने में बहुत अधिक समय लगता है;

(घ) यदि हां, तो दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या क्या है; और

(ङ) इनको कब तक पूरा किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रखा दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) अनुशासनात्मक मामलों में कोई निर्णय लेने से पूर्व अपेक्षित प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय लगता है। 25.3.82 के अनुसार 2 वर्ष से अधिक समय से पड़े अनिर्णीत मामलों की संख्या 145 है। दिल्ली परिवहन निगम से अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी टाईपिस्टों/हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों की भर्ती की योजना

6256. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय काफी समय से विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों में हिन्दी टाईपिस्टों/हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों की भर्ती की योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन दूतावासों/उच्चायुक्तों/मिशनों के नाम क्या हैं जहां पर ये पद खाली हैं और यह कब से खाली हैं तथा ये पद कब तक भरे जायेंगे।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कुछ विदेश स्थित भारतीय मिशनों में विभिन्न वर्गों में हिन्दी अधिकारियों के कुछ नए पदों के सृजन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस प्रस्ताव में लन्दन, न्यूयार्क, वाशिंगटन, काठमाण्डू, रंगून, बैंगकाक, नैरोबी, जार्जटाऊन, थिम्पू, पारामारीबो, कुआलालम्पुर और मास्को में ऐसे पदों के सृजन का विचार है।

(ग) विदेश स्थित मिशनों में हिन्दी अधिकारियों के वर्तमान पदों के रिक्त होने की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है, यह नीचे लिखे अनुसार है—

क्र० सं०	पदनाम	मिशन का नाम	पद कब से खाली है	पद पर भर्ती की स्थिति
1.	हिन्दी अधिकारी	भारत का हाई कमीशन पोर्ट लुई	6.11.80	इस पद के लिए उपयुक्त अधिकारी की भर्ती के लिए कार्यवाही की जा रही है।
2.	हिन्दी अधिकारी	भारत का हाई कमीशन पोर्ट आफ स्पेन,	19.10.81	इस पद पर काम करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

इंजीनियरिंग वाणिज्यिक लेखा शाखाओं के प्रमुखों के रिक्त पद

6257. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में विभिन्न जोनों में इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक, लेखा शाखाओं में प्रमुखों के अनेक पद खाली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, जोन-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) अन्य शाखाओं में रिक्त पदों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में से, उत्तर रेलवे के लेखा विभाग में एक पद तथा मध्य रेलवे के यातायात विभाग में एक पद खाली है। इन पदों को भरने के लिए फरवरी, 1982 में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(ग) कोई नहीं।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस दिया जाना

6258. **श्री थाजाई एम० करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस का भुगतान करने के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस की अदायगी करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या पूरी अदायगी करने में होने वाले विलम्ब की संभावना को देखते हुए अनुग्रह राशि की अदायगी करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपुओं के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राऊरकेला से लखनऊ बरास्ता पटना के लिए एक्सप्रेस गाड़ियां

6259. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मित्र संघ, राऊरकेला से लखनऊ बरास्ता पटना के लिए एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ करने का अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) कोचिंग स्टाक और लाइन क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों की कमी के कारण, राऊरकेला और लखनऊ के बीच पटना के रास्ते कोई एक्सप्रेस गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है।

येवट रेलवे स्टेशन के निकट रेल फाटक

6260. **श्री शंकरराव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई-मद्रास लाईन (मध्य रेलवे) पर येवट रेलवे स्टेशन-ए वे बिन 232/6 तथा 7 के निकट एक रेल फाटक का निर्माण करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि जिला परिषद् पुणे ने सम्बद्ध रेल अधिकारियों के पास पिछले वर्ष 2000 रु० जमा कराए थे; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित रेल फाटक का निर्माण अनुमानत: कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिला परिषद्, पुणे के लिए कि० मी० 239/1-2 पर, न कि कि० मी० 232/6-7 पर, एक समपार का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां। जिला परिषद् द्वारा जमा करायी गयी 2000 रुपये की राशि केवल सर्वेक्षण करने, नक्शे और अनुमान तैयार करने की लागत की बाबत है।

(ग) प्रस्तावित नया समपार एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में होगी, जिसकी मांग जिला परिषद्, पुणे द्वारा की गयी है। वर्तमान नियमों के अनुसार, इस निर्माण कार्य की सम्पूर्ण लागत (प्रारंभिक तथा आवर्ती दोनों) जिला परिषद को वहन करनी होगी। इस निर्माण कार्य का नक्शा 6.3.82 को जिला परिषद् पुणे को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। लेकिन, उसके लिए स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। नक्शा अनुमोदित कर दिये जाने तथा पार्टी द्वारा निर्माण कार्य की लागत जमा करा देने के बाद, कार्य शुरू किया जायेगा।

सेवा रिकार्ड की जांच तथा सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया जाना

6261. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** सेवा रिकार्ड की जांच तथा सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4190 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/सम्बद्ध कार्यालय में काम कर रहे गैर-मेडिकल श्रेणी-1 अधिकारियों के सेवा रिकार्डों की जांच करने के काम में क्या आगे प्रगति हुई है और ऐसे अधिकारियों के ब्यौरे क्या हैं जिनके मामले में सेवा सत्यापन प्रमाणित पत्र जारी कर लिये गए हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों के ब्यौरे क्या हैं जिनके मामले अभी भी लम्बित हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको पूरा करने में और अपेक्षित सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) 17 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4190 के उत्तर के साथ संलग्न विवरण-I में उल्लिखित 7 क्लास-1 अधिकारियों में से एक अधिकारी अभी हाल ही में सेवा निवृत्त हुआ है। वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सूचना/दस्तावेजों के उपलब्ध न होने के कारण शेष छः अधिकारियों के सत्यापन प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं किये जा सके हैं।

इस मंत्रालय में कार्य कर रहे 34 क्लास-1 अधिकारियों में से जो अपने सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र पाने के पात्र हैं, 12 अधिकारियों के बारे में ऐसे प्रमाण-पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। (विवरण-I) शेष 22 अधिकारियों के मामले उनके सेवा रिकार्ड पूरे न होने के कारण बकाया पड़े हुए हैं (विवरण-II)।

इस मंत्रालय के इन 22 क्लास-1 अधिकारियों तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के 6 क्लास-1 अधिकारियों के सेवा रिकार्डों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा आशा है कि किसी परिहार्य देरी के बिना इन अधिकारियों के बारे में आवश्यक सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

विवरण-I

1. श्री आई० सी० बंसल	निदेशक
2. श्री एस० डी० लाल	अवर सचिव
3. श्री ए० एस० सिकन्द	अवर सचिव
4. श्री के० सी० कपूर	अवर सचिव
5. श्री पी० वी० श्रीनिवासन	अवर सचिव
6. श्री बी० के० चक्रवर्ती	अवर सचिव
7. श्री जी० पंचापकेसन	अवर सचिव
8. श्री जे० एस० संधु	अवर सचिव
9. श्री जे० सी० दत्त	अवर सचिव
10. श्री एन० ए० सुब्रामोनि	अवर सचिव
11. श्री एच० के० कवान्ता	अवर सचिव
12. श्री आर० गणपति	कैमिस्ट

विवरण-II

1. श्री के० वेनुगोपाल	उप सचिव
2. श्री पी० एन० साधु	उप सचिव
3. श्री एस० पी० गोस्वामी	अवर सचिव
4. श्री के० एल० भाटिया	अवर सचिव
5. श्री एम० आर० कुलकर्णी	अवर सचिव
6. श्री पी० सी० जैन	अवर सचिव
7. श्री के० पी० निगम	वरिष्ठ विश्लेषक
8. श्री पी० एल० शर्मा	वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी
9. श्रीमती सुधा गुप्ता	कल्याण अधिकारी
10. श्री पी० आर० डोगरा	विशेष कार्य अधिकारी
11. श्री गुलवन्त सिंह पारिख	सम्पादक (अंग्रेजी)
12. श्री जयलाल साज	मुख्य संपादक

13. श्री एस० एस० नायर	निदेशक (ई)
14. श्रीमती ए० पण्डित	कार्यक्रम अधिकारी
15. कुमारी लक्ष्मी अबीचंदानी	जन शिक्षा अधिकारी
16. श्री वी० एस० भट्ट	वरिष्ठ अनुसधान अधिकारी
17. श्री आर० के० थुंग	उप सहायक आयुक्त
18. श्री एस० डी० सरदाना	अनुसंधान अधिकारी
19. श्री एस० के० धवन	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
20. श्री एस० सी० जैन	जन शिक्षा अधिकारी
21. श्री एम० आर० राजू	ए० एम० ओ०
22. श्री ओ० पी० खतरी	अनुसंधान अधिकारी
23. श्री डी० एस० चड्ढा	सहायक महानिदेशक
24. श्री शिवदयाल	उप निदेशक (प्रा०)
25. श्री एस० डी० मतगे	वास्तुविक
26. श्री बी० सी० मिस्त्री	वास्तुविद
27. श्री डी० आर० चावला	सांख्यिकीविद
28. श्री के० देवाराजन	सांख्यिकीविद

जानकी एक्सप्रेस का डीजलीकरण

6262. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयनगर तथा कटिहार के बीच चलने वाली जानकी एक्सप्रेस गाड़ी कोयले की कमी के कारण हमेशा देरी से चलती है और इसके कारण क्षेत्र की जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उस क्षेत्र में यही एक मात्र एक्सप्रेस गाड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भाप के इंजन के स्थान पर डीजल का इंजन लगाने का है; और

(ग) गाड़ी को समय पर चलाने के लिये डीजल इंजन की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उखाड़ी गई माधोगंज सांधी लाईन का पुनर्निर्माण

6263. **श्री मन्नो लाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला हरदोई में माधोगंज और सांधी रेलवे लाइन को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस लाइन का पुनर्निर्माण करने का है और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माधोगंज-औहदपुर (सांधी के नजदीक) लाइन को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1941 में उखाड़ा गया था।

(ख) और (ग) संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल इस लाइन के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर-भाटनी संयुक्त गेज

6264. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर से भाटनी तक मिली-जुली मीटरगेज, ब्राड गेज लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में इस समय कोई मिली-जुली मीटर गेज ब्राड गेज लाइन है; और

(ग) यदि हां, तो इन लाइनों के बारे में अनुभव क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, निम्नलिखित खंडों के बीच मिली-जुली लाइनें हैं।

(i) सोनपुर-पहलेजाघाट;

(ii) सोनपुर-हाजीपुर;

(iii) बरौनी-बछवाड़ा।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़े/मीटर आमाप की जो मिली-जुली रेल लाइनें हैं, वे संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अंकों के मामले में किया जा रहा अनाचार

6265. **श्री जेवियर अराकल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंकों के मामले में तथा परीक्षाओं से सम्बद्ध अन्य मामलों में केरल विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे अनाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि अनेक छात्रों ने विश्वविद्यालय से नकली प्रमाण पत्र प्राप्त किये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याणम मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केरल विश्वविद्यालय, केरल विधान मंडल के एक अधिनियम के अन्तर्गत कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में गलत तरीके अपनाने तथा छात्रों को जारी किए गए अंक पत्रों में जो जालसाजी की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल सरकार ने केरल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराने का निर्णय किया है।

(ग) सरकार को विश्वविद्यालयों से छात्रों द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के किसी विशिष्ट उदाहरणों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

खाद्य अपमिश्रण रोकने के निदेशकों का स्थानान्तरण

6266. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा खाद्य अपमिश्रण रोकने के लिए 1979 से कितने निदेशकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि निदेशकों के पद पर प्रायः परिवर्तन किये जाने के कारण विभाग के कार्यकरण पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार का विभाग के कार्यकरण को अधिक दक्ष बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) छह।

(ख) नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय दल की अंटारकटिका यात्रा के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा व्यक्त किए गए विचार

6267. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "न्यूयार्क टाइम्स डाउट्स इंडियाज इन्टेशन आन अंटारकटिका" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अंटारकटिका के बारे में विशेष रूप से वाशिंगटन द्वारा कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बताया जाता है कि संयुक्त राज्य के विदेश विभाग में महासागर एवं ध्रुवीय मामलों के कार्यालय के अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत के एन्टारकटिका अभियान का कोई राजनैतिक उद्देश्य है या नहीं। समाचार-पत्रों में उनके इस कथन को भी उद्धृत किया गया है कि अमरीका का विचार है कि एन्टार्कटिका सन्धि में भाग लेने के लिए भारत को प्रोत्साहित किया जाय।

निलम्बित रेल परियोजनाएं

6268. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 रेल परियोजनाओं में जिनमें से कुछ को 1977 तक पूरा किया जाना था, असाधारण विलम्ब हुआ है जिसके कारण भारी लागत वृद्धि हुई है तथा जनता में, जिसे उनसे लाभ पहुंचना होना, असन्तोष बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे के गैर उत्पादक पद

6269. **श्री सुभाष यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे के कुछ अधिकारियों को हाल ही में पदोन्नत किया गया है और यदि हां, तो क्या इन पदोन्नतियों से रेलों के कार्य निष्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मन्त्रालय ने ऐसी पदोन्नतियों के आर्थिक पहलू का मूल्यांकन किया है और यदि नहीं, तो क्या मन्त्रालय का विचार गैर उत्पादक पदों को समाप्त करने का है; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा आयोग द्वारा रेल कर्मचारियों की भर्ती के लिये अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार विज्ञापन की तिथि से भर्ती तक 2 से 4 वर्ष का समय लगता है और क्या मंत्रालय इस प्रक्रिया के लिये कोई समय सीमा नियत करेगा ताकि प्रत्याशियों की आयु सम्बन्धी दिक्कतें कम की जा सकें ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, सेवा-निवृति, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, आदि अनेक कारणों से अधिकारियों के बहुत से पद खाली हो जाते हैं और परिणामी रिक्तियों का पदोन्नति द्वारा भरा जाना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, अन्यथा रेलों के कार्य-निष्पादन में बाधा पड़ सकती है।

(ख) विशेष निर्माण कार्यों, जिनके लिए सीमित अवधि के पदों का सृजन किया जाता है, के पूरा होते ही, अनुत्पादक पदों को समाप्त कर दिया जाता है।

(ग) रेल सेवा आयोगों द्वारा तकनीकी और गैर-तकनीकी कोटियों की भर्ती के लिए 5 से 7 महीने तक की समय-अनुसूची निर्धारित की गयी है। तकनीकी कोटियों के लिए समय-अनुसूची आयोग द्वारा आमतौर पर अनुपालन किया जाता है, जबकि आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण, गैर-तकनीकी कोटियों के लिए प्रवरणों को अन्तिम रूप देने और रेलों को पैनल भेजने में समय कुछ अधिक लग जाता है। बहरहाल, उम्मीदवारों की नियुक्ति में होने वाले विलम्ब से किसी प्रकार की उलझन पैदा नहीं होती, क्योंकि पदों के लिए आवेदन करने की आयु सीमा प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने के समय निर्धारित की जाती है।

दिल्ली में अपमिश्रण सम्बन्धी मुकदमों की मूल फाइलों का गायब होना

6270. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य अपमिश्रण रोकथाम विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली की अपमिश्रण के मुकदमों की कुछ मूल फाइलें गायब हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो मुकदमों की गायब मूल फाइलों का ब्यौरा क्या है और इस क्षति के लिये कौन उत्तरदायी है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि मैसर्स मद्रास स्टोर्स, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली और मैसर्स नानक स्वीट्स अजमल खां रोड, नई दिल्ली से सम्बन्धित दो फाइलें क्रमशः अगस्त, 1981 और जनवरी, 1981 में गायब पाई गईं। विभागीय जांच की गई है लेकिन किसी व्यक्ति पर भी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्तियां

6271. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं;

(ख) नियुक्ति की तारीख सहित उनके नाम क्या हैं और उन्हें किन पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ग) इन नियुक्तियों के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) इन नियुक्तियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 12-2-1982 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान 17 शैक्षिक कार्मिकों की तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं ।

(ख) नाम, नियुक्तियों की तारीखें, तथा पद, जिन पर वे कार्य कर रहे हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्प अवधियों के वास्ते अस्थायी नियुक्तियों को बिलकुल समाप्त नहीं किया जा सकता । सामान्यतः ये नियुक्तियां स्थानीय चयन समितियों के माध्यम से की जाती हैं ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यह बताया कि इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने एक जांच समिति के गठन को अनुमोदित कर दिया है । इसके अलावा कार्यकारी परिषद ने यह भी निर्णय किया है कि तदर्थ नियुक्तियां केवल तब ही की जानी चाहिए जबकि सम्बन्धित केन्द्र के संकाय की राय में कार्य को देखते हुए अत्यधिक आवश्यकता हो तथा ऐसी तदर्थ नियुक्तियों की अवधि दो सेमिस्टरों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

विवरण

क्रम सं०	नाम	पद	नियुक्ति की तारीख
1.	डा० अलोकेश बरुआ	सहायक प्रोफेसर	20-11-1979
2.	डा० राजाराम पंडा	सहायक प्रोफेसर	28-7-1981
3.	श्री शिवानन्द पटनायक	सहायक प्रोफेसर	7-9-1979
4.	श्री वाई० के० त्यागी	सहायक प्रोफेसर	7-4-1981
5.	डा० वी० रामाकृष्णम्मा चारयुलु	सहायक प्रोफेसर	20-8-1979
6.	डा० (श्रीमती) एस० बी० एफ० हुसैनी	सहायक प्रोफेसर	5-11-1979

7. श्रीमती सुनन्दा कावले	सहायक प्रोफेसर	31-7-1980
8. श्री रजत दत्त	सहायक प्रोफेसर	12-10-1979
9. श्री रामचन्द्र गुप्त	सहायक प्रोफेसर	7-2-1981
10. श्री राजेश शर्मा	सहायक प्रोफेसर	26-11-1979
11. डा० (कुमारी) ग्लोरिया सरावया	सहायक प्रोफेसर	18-8-1980
12. श्री राजेन्द्र डेंगले	सहायक प्रोफेसर	1-8-1979
13. श्री ई० पी० जार्डियल	सहायक प्रोफेसर	12-12-1980
14. श्री जी० डी० शिवम्	सहायक प्रोफेसर	26-11-1979
15. डा० अशफाक एम० खां	सहायक प्रोफेसर	7-8-1979
16. श्रीमती मीनू बख्शी	सहायक प्रोफेसर	27-7-1981
17. श्रीमती मुरियल फलारियों	सहायक प्रोफेसर	18-3-1981

श्री रामचन्द्र गुप्त (क्रम संख्या 9) तथा श्री राजेश शर्मा (क्रम संख्या 10) को एक विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर अवकाश रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों द्वारा विदेश दौरा

6272. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष जनवरी-फरवरी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कितने फैकल्टी सदस्य विदेश दौरों पर गये थे; उनके नाम क्या हैं तथा उनको दौरे पर भेजने का प्रयोजन क्या था;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून, स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर पिछले तीन वर्षों से अमरीका में हैं;

(ग) क्या सरकार उनकी सेवायें निलम्बित करेगी क्योंकि वे भारत लौटने तथा अपने अवकाश के समाप्त होने पर विश्वविद्यालय लौटने में असफल रहे हैं; और

(घ) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में किसी संसद सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो शिकायत का स्वरूप क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रोफेसर ने चिकित्सा आधार पर अपनी छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध किया है। विश्वविद्यालय द्वारा उनके अनुरोध पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

(घ) विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से राष्ट्रपति को सम्बोधित एक पत्र में एक संसद सदस्य ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि अध्यापकों को एक साथ ही कई वर्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि केन्द्र में उस समय कोई स्थायी सदस्य नहीं था। यह मामला विश्वविद्यालय के नोटिस में ला दिया गया था। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अध्यापकों द्वारा छुट्टी लेने पर विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक प्रबंध किए जाते हैं ताकि शिक्षण कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था न हो।

विवरण

क्रम सं०	नाम	प्रयोजन
1.	प्रोफेसर रहमतुल्लाह खान	एफ० ए० ओ० कार्य स्वीकार करने के लिए
2.	डा० सतीश कुमार	इस्लामाबाद तथा करांची में सम्मेलन में भाग लेने के लिए
3.	डा० वी० एस० मणि	नौरा गणराज्य परिषद में कार्य
4.	प्रोफेसर के० पी० मिश्र	गुट-निरपेक्ष सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लेने के लिए
5.	प्रोफेसर विमल प्रसाद	गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए
6.	प्रोफेसर एल० एस० बराल	अनुसंधान/क्षेत्र कार्य के लिए विश्राम छुट्टी
7.	प्रोफेसर रोमिला थापर	व्याख्यान देने के लिए
8.	प्रोफेसर आर० खान	अधिगृहीत क्षेत्रों और फिलीस्तीन की समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए
9.	डा० अशोक मित्रा	एक कार्य दल की बैठक में भाग लेने के लिए

नेपाल में सीमेंट उद्योग शुरू करने के लिए करार

6273. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के तराई क्षेत्र (सप्तरी जिले) में सीमेंट उद्योग चलाने के लिए नेपाल के साथ कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में ब्यौरा तथा निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी नहीं। 26 सितम्बर, 1978 को भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच सिर्फ एक समझौता ज्ञापन पर ही हस्ताक्षर

हुए थे जिसके अन्तर्गत नेपाल में एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

स्टाफ कारों पर रेलवे द्वारा व्यय

6274. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा स्टाफ कारों पर कितनी राशि व्यय की जाती है; और

(ख) क्या स्टाफ कारों का दुरुपयोग किया गया है और सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, विक्रय केन्द्रों, सिनेमा हालों पर बच्चों तथा महिलाओं को लेने तथा छोड़ने जाते हुए स्टाफ कारों को देखा गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान प्रति माह लगभग 3.98 लाख रुपये।

(ख) स्टाफ कारों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विदेशी शिपयार्डों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु इण्डियन शिपयार्डों को संरक्षण दिया जाना

6275. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय शिपयार्डों को विदेशी शिपयार्डों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से किसी प्रकार का संरक्षण देने के लिए योजना बना रही है जैसा कि ओटोमोबाइल उद्योग के मामले में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय शिपयार्डों को दी जा रही सुरक्षा निम्नलिखित है :

(i) सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर शिपयार्डों को सीधा उपदान देगी।

(ii) जहाज मालिक, अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर आयातित मालों के आंशिक मूल्य शिपयार्डों को देगी।

हानिकारक औषधियों की बिक्री पर प्रतिबंध

6276. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई जांच के आधार पर हानिकारक औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में कोई नीति तैयार करने हेतु सरकार को तत्काल सहायता तथा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसी संगठन अथवा सेल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में हानिकारक औषधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इसके द्वारा और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसा करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को कुछ देशों द्वारा अपने बाजारों से कतिपय औषधियों के वापस लेने के बारे में सूचना मामतः (1) हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्ट ड्रग्स (2) निटरोफुरन कम्पाउण्ड (3) फैनफोर्मिन (4) आक्सीक्विनो लिन्स डेरीवेटिक्स और (5) हायर डोस लाइनेस्ट्रेनाले प्रोडेक्टस को देश में बेचने की अनुमति देने का सुविचारित निर्णय इस शर्त पर लिया गया था कि कुछेक मामलों में इनके लेबल पैकेज पर एक चेतावनी और निषेधक लक्षण छापे जाएं।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल को एक पृथक यूनिट माना जाना

6277. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल को एक पृथक यूनिट के रूप में माना गया है।

(ख) क्या कोई व्यक्ति इन नियमों के अन्तर्गत दो अथवा अधिक स्कूलों के प्रबन्धक के रूप में कार्य कर सकता है; और यदि नहीं तो क्या दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम की जानकारी में ऐसे कुछ मामले लाये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल को एक अलग संस्था के रूप में समझा जाता है।

(ख) और (ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59 (2) (द) के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल का प्रबन्धक नहीं हो सकता। एंग्लो संस्कृत सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज तथा कामर्शियल सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज की प्रबन्ध समितियों द्वारा नियम 59 (2) (द) का उल्लंघन करने के एक मामले की सूचना दिल्ली प्रशासन को दे दी गई है। दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के

अनुसार ए० एस० वी० जे० प्राथमिक स्कूल तथा कामर्शियल प्राथमिक स्कूल एक ही न्यास द्वारा चलाये जा रहे हैं और उनका प्रबन्धक भी एक है ।

दिल्ली प्रशासन/दिल्ली नगर निगम ने उपर्युक्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को चलाने वाली प्रबन्ध समितियों/न्यासों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये हैं कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक स्कूलों का प्रबन्धक न रहे । प्रबन्ध समितियों ने दिल्ली प्रशासन को दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 की अपेक्षाओं का शीघ्र अनुपालन करने का आश्वासन दिया है ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुस्तकालय

6278. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कार्यकरण के बारे में जांच करने के लिये किसी समिति का गठन किया गया;

(ख) यदि हां, तो निदेश पद क्या है;

(ग) समिति के सदस्य कौन हैं;

(घ) क्या वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, यदि हां, तो उनका दर्जा क्या है;

(ङ) क्या उन्होंने प्रतिवेदन पेश किया था, यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) पुस्तकालय के कामकाज को सभी पहलुओं से जांच करने तथा इसके कार्यकरण में सुधार के लिए उपाय तथा साधन सुझाने के वास्ते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक समिति गठित की है ।

(ग) और (घ) समिति में विश्वविद्यालय के ही सदस्य हैं । इसके सदस्य हैं :

1. प्रोफेसर एम० एस० अगवानी, अध्यक्ष
   अध्यक्ष, पश्चिम एरिया तथा
   अफ्रीकी अध्ययन केन्द्र, एस० आई० एस०

2. प्रोफेसर जी० एस० भल्ला, सदस्य
   अध्यक्ष, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र,
   समाज विज्ञान स्कूल,
   जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

3. डा० एस० बी० वर्मा, सदस्य
सहायक प्रोफेसर,
एशियाई तथा अफ्रीकी भाषा केन्द्र
भाषा स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

4. डा० जे० सुब्बाराव सदस्य
सहायक प्रोफेसर,
पर्यावरण विज्ञान स्कूल,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

5. श्री अमरजीत सिंह सिरोही, सदस्य
(अथवा उनका नामित व्यक्ति),
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
छात्र संघ

6. कार्यवाहक पुस्तकाध्यक्ष सदस्य सचिव
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

(ङ) जी नहीं। समिति का कार्य प्रगति पर है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बालासोर रोड़ पर ऊपरि पुल

6279. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के उड़ीसा में बालासोर रोड पर ऊपरिपुल शीघ्र ही बनकर तैयार हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि आवंटित की गयी थी और अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आशा है कि बालासोर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण 31-12-83 तक पूरा हो जावेगा।

(ख) 31-3-82 तक रेलों द्वारा 29.00 लाख रुपये की राशि के परिव्यय की संभावना है। 1982-83 के लिए 14.15 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। अभी तक 21.03 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। इस कार्य पर कुल 93.33 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें से रेलवे को 43.15 लाख रुपए खर्च करने होंगे।

टुण्डला से हावड़ा के लिए गायों का लदान किया जाना

6280. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री टुण्डला से हावड़ा के लिए गायों का लदान किए जाने के बारे में 4 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2003 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशन अधीक्षक, टुण्डला ने हावड़ा के लिये गायों के लदान किए जाने के बारे में कोई लिखित आदेश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये जाने, जिसने स्टेशन अधीक्षक के आदेशों का मात्र पालन किया था, तथा स्टेशन अधीक्षक के विरुद्ध मुकदमा न चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा शल्य चिकित्सा के लिये दी गई लम्बी अवधि की तारीखें

6281. **श्री रामविलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धन और गंभीर रोगियों को शल्य-चिकित्सा के लिए लम्बी अवधि की तारीख दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कई रोगियों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि धन-राशि जमा करवाने, रक्त देने और इस कार्य के लिए तारीख निर्धारित करने के बावजूद शल्य चिकित्सा (आपरेशन) नहीं की जाती है;

(ग) क्या केवल लघु शल्य चिकित्सा ही की जाती है और गंभीर रोगियों की शल्य चिकित्सा लम्बी अवधि के लिए टाली जाती है; और

(घ) क्या सरकार कथित अनियमितता की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) हृदय शल्य चिकित्सा केवल रक्त दे देने, फीस आदि जमा कर देने पर ही नहीं बल्कि विभिन्न क्लीनिकी परीक्षणों पर भी निर्भर करती है।

(ग) नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई खेलों पर व्यय

6282. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एशियाई खेलों के लिए विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत होने वाला मूल व्यय कितना है जो अब तक वास्तव में खर्च किया जा चुका है;

(ख) विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत अभी कितना और व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या "दिल्ली में विकास कार्य" के लिए रखे गये धन में कुछ धनराशि एशियाई खेलों में खर्च की गई है और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) एशियाई खेलों 1982 के समाप्त होने पर स्टेडियमों से कितनी वार्षिक आय होने का अनुमान है और उन पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) 1982 के एशियाई खेलों के लिए सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय का कुल अनुमान 54·83 करोड़ रुपये का रखा गया था, जैसा कि इसके द्वारा नवम्बर, 1982 में अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त समग्र अनुमान में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि में से 24.77 करोड़ रुपए 28 फरवरी, 1982 तक के व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। किए गए व्यय तथा शेष 30.06 करोड़ रुपये की राशि के शीर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

तथापि, कुछ अलग-अलग मदों पर व्यय अन्ततः मूल अनुमानित व्यय से कुछ अधिक तथा अन्यों पर कुछ कम हो सकता है। वर्तमान स्थिति से यह पता चलता है कि ऐसे अनुमानों में संशोधन होने से कुल अनुमानों में कुछ वृद्धि सम्भवतः हो सकती है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 1982 के एशियाई खेलों के समाप्त हो जाने पर, 1982 के एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत किए जा रहे इन स्टेडियमों से आवर्ती वार्षिक आय का अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता है। नए स्टेडियमों के निर्माण तथा वर्तमान स्टेडियमों के नवीकरण पर नवम्बर, 1980 में मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित कुल अनुमानित व्यय 36.82 करोड़ रुपये है ।

विवरण

क्रम सं॰	मद	अनुमानित व्यय	28.2.82 तक निर्धारित व्यय	शेष राशि
1	2	3	4	5
1.	नए स्टेडियमों के निर्माण तथा वर्तमान स्टेडियमों का नवीकरण	36.83	21.16	15.67
2	अन्य मद			
	(क) खेलों का आयोजन, स्टाफ, कला प्रदर्शनियां, विविध	6.00	2.25	3.75
	(ख) स्वास्थ्य तथा सफाई व्यवस्था	0.70	कुछ नहीं	0.70
	(ग) सुरक्षा, कानून और व्यवस्था का प्रबन्ध	1.50	कुछ नहीं	1.50
	(घ) सूचना तथा संचार	4.20	0.09	4.11
	(ङ) उपस्कर (च) भारतीय टीमों की तैयारी	2.00 1.50	1.27	2.23
	(छ) खेल गांव की सज्जा आदि	1.50	कुछ नहीं	1.50
	(ज) यातायात	0.60	कुछ नहीं	0.60
	कुल अन्य मदें	18.00	3.61	14.39
	कुल	54.83	24.77	30.06

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित की गई सड़कें

6283. **प्रो॰ रूपचन्द पाल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितनी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दनकुनी (हुगली जिला) और जमालपुर (बर्दवान जिले) के बीच जिसे दुर्गापुर रोड के नाम से पुकारा जाता है, कोई अधूरी सड़क है; और

(ग) क्या किसी एजेंसी ने दुर्गापुर रोड को पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य महोदय का आशय दुर्गापुर एक्सप्रेस वे से है जिसे वह दुर्गापुर रोड बता रहे हैं। जमालपुर (जिला बर्दवान) दुर्गापुर एक्सप्रेस-वे में नहीं है। दुर्गापुर एक्सप्रेस-वे कलकत्ता और दुर्गापुर बरास्ता पालसित के बीच है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का एक भाग है। छठी योजना (1980-85) में इस एक्सप्रेस-वे के भाग के निर्माण के लिए 285 लाख रुपये का प्रस्ताव है। इसका पूरा होना इन बातों पर निर्भर करेगा कि कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है और अखिल भारतीय आधार पर उन कार्यों की परस्पर प्राथमिकता क्या है।

विवरण

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	रूट का वर्णन
1	2	3.
1.	2	यह राजमार्ग जो कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ती है और यह पश्चिम बंगाल में बर्दवान और आसनसोल से होकर गुजरती हैं।
2.	6	यह राजमार्ग जो कलकत्ता को बम्बई से जोड़ती है और यह पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से होकर गुजरती है।
3.	31	यह राजमार्ग जो बरही (बिहार) के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर है, को असम में गुवाहाटी से जोड़ती है और यह पश्चिम बंगाल में डलखोला, सिलीगुड़ी और कुच बिहार से होकर गुजरती है।
4.	31-ए	यह राजमार्ग जो सिलीगुड़ी को सिक्किम में गंगटोक से जोड़ती है।
5.	31-सी	यह उत्तरी बंगाल में मूलत: लेटरल रोड के नाम से जाना जाता है।
6.	32	यह धनबाद को जमशेदपुर से जोड़ती है और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया से होकर गुजरती है।
7.	34	यह राजमार्ग कलकत्ता को राष्ट्रीय राजामार्ग संख्या 31 पर डलखोला से जोड़ती है और पश्चिम बंगाल में राजघाट, बरहमपुर और मालदा से होकर गुजरती है।

1	2	3
8.	35	यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर बारासात को बोनगांव के समीप बंगलादेश की सीमा तक जोड़ता है।
9.	41	यह राजमार्ग हल्दिया को मेचदा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से जोड़ती है।

दवाई निधारित करने हेतु वरिष्ठ सर्जन की सक्षमता

6284. **श्री आर० आर० भोले** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वरिष्ठ सर्जन ऐसे हैं जो स्वतंत्र यूनिटों के प्रभारी हैं परन्तु वे करिसोमा कम्पाउण्ड, इक्यूजेसिक, बी० केप्सूल और रिलेक्साइल ट्यूब जैसे कुछ दवाइयां देने में सक्षम नहीं हैं तथा उनके द्वारा बताई गई दवाइयों को कुछ अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों को इन दवाइयों को प्रतिहस्ताक्षरित कराने के लिए कई पदाधिकारियों के पास जाना पड़ता है;

(ग) इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं और क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार नियमों में संशोधन करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फार्मुलरी के अन्तर्गत हिदायतें जारी कर दी गई हैं जिसकी प्रति सभा पटल पर रखना जरूरी है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों द्वारा उपहारस्वरूप दिये गये चलते-फिरते आपरेशन थियेटर

6285. **श्री आनन्द सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बाहरी देशों ने भारत सरकार को सड़क दुर्घटनाओं में उपयोग के लिए चलते-फिरते आपरेशन थियेटर उपहारस्वरूप दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये थियेटर कहां पर कार्यरत हैं; और

(ग) यदि ये थियेटर कार्यरत नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

गोदियों से आयात के माल की निकासी पर प्रतिबंध

6.86. **श्री तारिक अनवर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन प्राधिकारियों ने आयात किए गए माल की तेजी से निकासी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयात किए गए माल की सुपुर्दगी के लिए पोत स्वामियों तथा उनके एजेण्टों पर कुछ शर्तें तथा प्रतिबंध लगाए हैं; और

(ख) क्या ये प्रतिबंध अन्य गोदियों पर भी लगाए जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बम्बई गोदी में आयात किए गए माल का विसर्जन, गोदाम प्रभार और सुपुर्दगी को बम्बई पत्तन न्यास के उपनियमों द्वारा प्रशासित किया जाता है। बम्बई पत्तन पर माल के विसर्जन के लिए कोई नयी शर्तें/प्रतिबन्धें नहीं रखी गई हैं। फिर भी, बम्बई पत्तन न्यास ने उपनियमों के उपबन्धों को कड़े रूप से पालन करने के निर्णय लिए हैं। यह 1.4. 982 से लागू होगा।

(ख) उपनियमों का कड़े पालन के लिए बम्बई पत्तन न्यास द्वारा लिए गए निर्णय बम्बई पत्तन के सभी गोदियों पर लागू हैं।

रेलों का अनुरक्षित रख-रखाव

6287. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेमी जाँच करने की नीति को छोड़ देने तथा अनुरक्षित रख-रखाव को न्यूनतम कर देने से रेलवे की स्थिति काफी बिगड़ जायेगी;

(ख) क्या कोचों, वैगनों तथा रेलमार्गों की इस समय जिस प्रकार देख-रेख/ओवरहालिंग की जा रही है उससे रेलवे की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलू को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नेमी जाँच छोड़ी नहीं जाती। नामित मध्यवर्ती स्टेशनों पर सभी सवारी और माल गाड़ियों का समुचित अनुरक्षरण किया जाता है और उनकी निर्धारित देख-रेख भी की जाती है। रोलर बेयरिंग, सेंटर

बफर कलपर और स्लैक एडजैस्टर आदि युक्त नवीनतम अभिकल्पित स्टाक वाली माल गाड़ियों को लम्बी दूरी तक चलाने की अनुमति दी जाती है। ऐसी गाड़ियों को लम्बी दूरी के लिए चलाने से पूर्व उनकी गहन जांच की जाती है।

(ख) आवधिक ओवरहाल कारखानों में ओवरहाल किये गये बड़े आमान के सवारी डिब्बों की मासिक दर को, जो 1980-81 में लगभग 1955 थी, 1981-82 में बढ़ाकर लगभग 1960 डिब्बे कर दिया गया है। बड़े आमान के माल डिब्बों की ओवरहालिंग प्रतिमाह लगभग 5980 चौपहियों से बढ़कर 7390 चौपहिये हो गयी। इनकी ओवरहालिंग करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, आशा है, उससे ओवरहालिंग क्षमता बढ़कर ओवरहालिंग के लिए प्राप्त होने वाले स्टाक के अनुरूप हो जायेगी।

रेलपथ की ओवरहालिंग सुव्यवस्थित नियमित रेलपथ अनुरक्षण परिचालन की एक मद है जिसमें प्रत्येक वर्ष खंड की एक तिहाई से एक चौथाई तक लम्बा. में थ्रू पैकिंग सहित गिट्टी की सतही जांच भी की जाती है। रेलपथ के शेष भाग की कम से कम एक बार थ्रू पैकिंग की जाती है और आवश्यक होने पर दुबारा यह काम किया जाता है। इसके अलावा, सारे खंड में समय-समय पर स्लैक की भी मरम्मत की जाती है। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष पूरा किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतीक्षा सूची के प्रत्याशित यात्रियों के लिए नई आरक्षण प्रणाली

6288. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री नवीन रवाणी :

श्री अनन्त रामलु मल्लु :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यस सच है कि सरकार ने ऐसे यात्रियों को सीटों के आरक्षण के लिए सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए एक नई प्रणाली बनाई गई है जो प्रतीक्षा-सूची में होते हैं और जिन्हें शायिका उपलब्ध कराना सम्भवत नहीं होता; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रतीक्षा-सूची के कुछ यात्रियों को वरिष्ठता के आधार पर गाड़ी के पहले दर्जे और दूसरे दर्जे के शयनयानों में बैठने की सीटें दी जाती हैं और उन्हें शायिकाओं के बदले उन शायिकायें आवंटित कर दी जाती हैं जो पक्के आरक्षण वाले यात्रियों के न आने के कारण रिक्त होती हैं।

तंजानिया के राष्ट्रपति से हुई वार्ता

6289. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 फरवरी, 1982 को उन्होंने तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जूलियस के० न्यूरेरे से मुलाकात की;

(ख) क्या योजना आयोग के एक सदस्य डी० एम० एस० स्वामिनाथन ने भी उसी दिन उनसे मुलाकात की;

(ग) क्या उन्होंने मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों और आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) और (घ) विदेश मंत्री शिष्टाचार के नाते 23 फरवरी, 1982 को तन्जानिया के राष्ट्रपति से मिले थे । अतः इस मुलाकात के दौरान सामान्य स्वरूप के विजयों पर बातचीत हुई ।

योजना आयोग के सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने भी उसी दिन तन्जानिया की सरकार के अनुरोध पर तन्जानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कृषि विकास सम्बन्धी नीतियों के बारे में बातचीत की । इस क्षेत्र में भारत के अनुभव से भी तन्जानिया के राष्ट्रपति को अवगत कराया गया ।

साउथ ईस्टर्न रेलवे बाइज हायर सेकेंडरी स्कूल, खड़गपुर

6290. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल (लाइन) खड़गपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध तथाकथित आरोपों के बारे में 20 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अन्तर्गत उक्त प्रिंसिपल को बड़ा दंड देने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के वास्ते आरोप की पुष्टि में सम्बद्ध और विश्वसनीय दस्तावेज एकत्रित करने के बाद, आरोप-पत्र को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । आशा है कि आरोप-पत्र शीघ्र ही तामील कर दिया जायेगा ।

"परादीप बन्दरगाह का विकास"

6291. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को परादीप बन्दरगाह के विकास के लिए उड़ीसा सरकार से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परादीप बन्दरगाह के विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) 1982-83 में क्या कदम उठाये जाने का निर्णय किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने, परादीप पत्तन के विकास के लिए 5 फरवरी 1982 को एक ज्ञापन दिया था।

(ख) सरकार ने, परादीप पत्तन के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं पहले ही स्वीकृत की हुई हैं :

(i) 726.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दूसरे सामान्य माल घाट का निर्माण।

(ii) 712.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से तीसरे सामान्य माल घाट का निर्माण।

(iii) 808 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आयरन-ओर हैंडलिंग प्लांट में संशोधन और सुधार करना।

(iv) 1550.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक उर्वरक घाट का निर्माण।

(ग) और (घ) परादीप पत्तन पर विकास कार्यों के लिए 1982-83 की वार्षिक योजना में 954.00 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस राशि में से 433.00 लाख रुपये चालू कार्यों के लिए हैं और 521 लाख रुपये की शेष धनराशि नये कार्यों के लिए है जिनमें उर्वरक घाट और तीसरे सामान्य माल घाट का निर्माण शामिल है।

"दिल्ली परिवहन निगम में महिला कंडक्टर"

6292. **श्री एन० ई० होरो** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने पहले बसों में महिला कंडक्टर नियुक्त करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी महिला कंडक्टर सेवा में हैं; और

(ग) क्या सरकार उनके काम से संतुष्ट है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ।

(ख) 141 ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम का विचार है कि कंडक्टर का काम महिला उपयुक्त नहीं समझती और वे डेस्क-जाब करने की इच्छुक होती हैं ।

डोइवाला स्टेशन पर प्लेटफार्म

6293. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में डोइवाला तथा रामवाला रेलवे स्टेशनों में प्लेटफार्म नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वहां प्लेटफार्मों का निर्माण कब तक करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डोइवाला और रामवाला रेलवे स्टेशनों पर होने वाले यात्री यातायात की सुविधा के लिए पटरी के सतह के प्लेटफार्म पहले से ही उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रायल सीमा एक्सप्रेस के डिब्बों का पटरी से उतरना

6294. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रायल सीमा एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के कारण कितनी जान व माल की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । यह दुर्घटना 1-3-82 को हुई थी ।

(ख) इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ । रेल सम्पत्ति की 20,000 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है ।

सिक्किम के लिए विश्वविद्यालय

6295. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम के लिए एक पूर्ण विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पहले ही उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किया जएगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों मे राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और सिक्किम के राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री के बीच, उस राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, औपचारिक चर्चा हुई है तथापि, राज्य सरकार से विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कोई विस्तृत ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्राथमिक अध्यापक एसोसिएशन के लिए निःशुल्क स्थान की व्यवस्था

6296. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "आल इन्डिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन" को नई दिल्ली में बिना किराए का स्थान आवंटित किया है;

(ख) क्या "आल इण्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गनाइजेशन" (ए० आई० एफ० यू० सी० टी० ओ०) ने जो इस क्षेत्र का अध्यापकों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, ऐसी ही सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय प्राप्त किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार को आल इण्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गनाइजेशन से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

"मद्रास पत्तन पर भारतीय जहाजरानी निगम की शाखा खोला जाना"

6297. **श्री नीरेन घोष** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कलकत्ता को छोड़कर अन्य पत्तनों पर भारतीय जहाजरानी निगम का कार्य एजेंटों के माध्यम से होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) मद्रास पत्तन के लिए कितना कमीशन देना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार का विचार मद्रास पत्तन पर भारतीय जहाजरानी निगम की शाखा खोलने का है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जहाज मालिकों के लिए यह अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति है कि जिस पत्तन पर जहाज आते हैं—वहां वे एजेन्सी कार्य उन फर्मों को सौंप देते हैं जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव होता है। प्रारम्भिक पत्तनों पर जहां से जहाज चलते हैं, जहाज मालिक सामान्यत: अपने कार्यालयों के जरिए ये कार्य करवाते हैं और उन्हें परिचालनात्मक मामलों के अलावा अन्य कई कार्य भी करने होते हैं। परन्तु जहाज मालिक के लिए यह लाभप्रद नहीं है कि वह सभी पत्तनों पर जहां उनके जहाज जायें, अपने कार्यालय खोलें। अपने कार्यालय की स्थापना, अनुरक्षण के लिए कुछ न कुछ स्टाफ संख्या का, पत्तन पर होने वाले कारोबार की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है और फिर उस पत्तन पर शायद जहाजों का आना भी अधिक बार या पर्याप्त न हो तो जो स्टाफ रखा जाएगा, वह बिना काम के ही रहेगा और कारोबार न होने या अपर्याप्त होने के बावजूद भी फालतू खर्च होता रहेगा, और फिर एक एजेन्ट कई मालिकों की सेवा कर सकता है जिससे एजेन्ट द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं का खर्च अधिक नहीं होता और साथ ही उसकी सेवाएं प्रतियोगिता आधार पर उपलब्ध होती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम ने मद्रास पत्तन पर दी एजेन्सी फीस और कमीशन की राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	दी गई एजेन्सी फीस और कमीशन की कुल राशि लाख रु०
1978-79	32.46
1979-80	33.22
980-81	33.99

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भारतीय नौवहन निगम मद्रास में शाखा कार्यालय खोलना लाभप्रद नहीं समझता, इस पर जो खर्च होगा वह एजेन्सी फीस और कमीशन के रूप में एजेन्टों को दी जाने वाली राशि से कहीं अधिक होगा।

प्राइमरी और मिडिल स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर

6298. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) 1972-73 से 1976-77 और (दो) 1976-77 से 1980-81 तक सारे देश में प्राइमरी और मिडिल स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर क्या थी; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक हैं ।

विवरण

बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वालों की दर

क्र० सं० वर्ष	प्राथमिक स्तर कक्षा v के अन्त में	मिडिल स्तर कक्षा viii के अन्त में
1. 1972-73	65.0	79.1
2. 1973-74	64.0	79.0
3. 1974-75	63.2	78.7
4. 1975-76	62.8	77.6
5. 1976-77	63.1	77.1
6. 1977-78	62.5	76.9
7. 1978-79	62.6	76.8

टिप्पणी : वर्ष 1979-80 और 1980-81 के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

नगरों के लिए सर्कुलर विद्युत रेल गाड़ी

6299. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली रिंग रेलवे की भांति देश के अन्य बड़े नगरों के लिए स्थानीय सर्कुलर विद्युत रेल गाड़ी की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) बड़े-बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के लिए सतही, उत्थापित या भूगत रेल सेवाओं से सम्बन्धित योजनाएं उनके तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययनों के आधार पर पूरी तरह औचित्यपूर्ण पाये जाने तथा योजना आयोग, जो सामान्य रेलवे योजना से बाहर की ऐसी परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करता है, द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर ही प्रारम्भ की जा सकती हैं। दिल्ली रिंग रेलवे की ही तरह की सर्कुलर बिजली गाड़ियों की व्यवस्था करना भी इसी के अन्तर्गत आयेगा ।

आल इंडिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टरी एसोसिएशन की मांग

6300. **श्री जी० एम० बनातवाला**

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री एस० बी० सिद्दननाल :

श्री एन० एन० नन्जे गौडा :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आल इन्डिया फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर एसोसिएशन की राष्ट्रीय परिषद में, जिसकी बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई थी जिसमें जून, 1982 में जूनियरों की हड़ताल का राष्ट्रव्यापी आह्वान करने का निर्णय लिया गया है, की सूचना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फेडरेशन की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हड़ताल की धमकी को टालने के लिए सौहार्दपूर्ण समझौता करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस एसोसिएशन का यह निर्णय कि जूनियर रेजिडेंट डाक्टर 8 जून, 1902 को हड़ताल करेंगे, समाचार पत्रों में छपा है ।

(ख) इस फेडरेशन से प्राप्त 5 अक्तूबर, 1980 के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 3809/82**]

(ग) चूंकि विभिन्न मांगों और विशेष रूप से ठोस मांगों पर, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी समुचित विचार किया जाना है इसलिए इस मंत्रालय ने उन्हें भी आवश्यक कार्यवाही के लिए लिखा है ।

भारत में फुटबाल खेल

6301. **श्री सन्तोष मोहन देव : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के एक लोकप्रिय खेल फुटबाल में हाल ही में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या देश में फुटबाल कार्यकरण के गिरते हुए स्तर के कारणों का अध्ययन करने का विचार है; और

(ग) एशियाई खेलों से पहले फुटबाल के स्तर को सुधारने के लिए इस खेल में तरक्की करने, प्रशिक्षण सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने, जो प्रतियोगात्मक फुटबाल में स्तरों के सुधार तथा

अनुरक्षण के लिये जिम्मेदार है, यह बताया है कि भारतीय फुटबाल टीमों के खेल में हाल ही में सुधार हुआ है। विशेषकर हाल ही में कलकत्ता में आयोजित जवाहरलाल नेहरू स्वर्ण कप फुटबाल टूर्नामेंट में भारतीय टीम के खेल से संघ ने प्रोत्साहन का अनुभव किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एशियाड-82 को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने राष्ट्रीय खेल संस्थान के परामर्श से एशियाड-82 की तैयारी के लिये एक व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना के कार्यान्वयन में 28 फरवरी, 1982 तक निम्नलिखित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये :

प्रशिक्षण शिविर	तिथि	शिविर में भाग लेने वाले/ संभावित खलाड़ियों की संख्या
(क) एशियाड-82 के लिये प्रथम चरण फुटबाल प्रशिक्षण शिविर	6-2-1981 से 6-3-1981	35
(ख) एशियाड-82 के लिये द्वितीय चरण फुटबाल प्रशिक्षण शिविर	10-3-1981 से 4-4-1981	27
(ग) एशियाड-82 के लिये फुटबाल प्रशिक्षण शिविर	8-5-1981 से 10-6-1981	38
(घ) एशियाड और मरडेका फुटबाल प्रतियोगिता के लिये फुटबाल प्रशिक्षण शिविर	26-7-1981 से 17-8-1981	33
(ङ) एशियाड-82 के लिये फुटबाल प्रशिक्षण शिविर	1-10-1981 से ?-11-1981	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(2) एशियाड-82 के लिये भारतीय फुटबाल टीम को प्रशिक्षित करने के लिये जी० डी० आर० सरकार की सहायता से जी० डी० आर० फुटबाल प्रशिक्षकों की सेवायें प्राप्त की गयी हैं।

(3) अनुमोदित योजना के अनुसार, चार टीमों को देश के भीतर और विदेशों में यथा-सम्भव सीमा तक सरकारी लागत पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(4) एशियाड-82 के लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों का खुराक खर्च बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 25 रुपये कर दिया गया है। शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दूसरी श्रेणी का रेल किराया और जेब खर्च भी दिया जाता है।

(5) एशियाई खेलों में भाग लेने के लिये भारतीय टीमों को प्रशिक्षित करने की प्रगति पर नजर रखने के लिये श्री रामनिवास मिर्धा, संसद सदस्य की अध्यक्षता में, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय ने एक समिति गठित की है।

दिल्ली-साबरमती लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

6302. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-साबरमती मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये 108 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मेहसाना से वीरमगाम तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये, जिससे सौराष्ट्र की रेल लाइन दिल्ली से बड़ी लाइन के माध्यम से जुड़ जायेगी, कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) क्या दोहरी लाइन बिछाने के शुभारम्भ के रूप में मेहसाना-वीरमगाम सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने का भी विचार किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। 1977-78 में, जिस समय कि यह कार्य बजट में शामिल किया गया था, विद्यमान कीमतों के आधार पर इस परियोजना पर 108 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) मेहसाना-वीरमगाम मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी नहीं।

नीमच-कोटा रेल लाइन

6303. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच-चित्तौड़गढ़-कोटा बड़ी लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और इस निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या नीमच-रतलाम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोटा से बूंदी तक के खंड के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और स्थल पर मिट्टी बिछाने का काम तथा पुलों का निर्माण किया जा रहा है। शेष खंड के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। समस्त लम्बाई के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने और धन की उपलब्धता में सुधार होने के बाद इस परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित की जायेगी।

(ख) जी नहीं।

"यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत पोत"

6304. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत पोतों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन पोतों के लिए सामान आरक्षण के लिए कोई प्रावधान है; और

(ग) इस उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1-1-1981 को पाल पोतों के रूप में रजिस्टर्ड जलयानों की संख्या 14,058 थी जिसमें 2,270 मेकानाइज्ड थीं ।

(ख) मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 431 के तहत भारतीय पाल पोतों को तटीय व्यापार के लिए आरक्षित रखा गया है, जैसा कि इसी एक्ट की धारा 407 के तहत भारतीय जहाजों के लिए व्यवस्था है । पश्चिमी एशिया (गल्फ) से भारत के लिए आयात किये जाने वाले खजूरों के लिए मुख्यत: पाल पोत ही आरक्षित हैं ।

(ग) मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत भारत में पाल पोत उद्योग का संचालन होता है । क्षेत्रीय अधिकारी (पाल) के अधीन बम्बई, जामनगर, कालिकट और टूटीकोरिन में अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं । पाल पोत उद्योग, इसके मालिकों और कर्मियों के हित के लिए ये काम करते हैं । नन मेकानाइज्ड पाल पोतों के मालिकों को मौजूदा पाल पोतों के मेकानाइज्ड करने के योग्य बनाने और मेकानाइज्ड पालपोतों के निर्माण के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने अदायगी ऋण की मन्जूरी की योजना शुरू की है । मेरीटाइम्स राज्य सरकारों से इन कार्यों के लिए पाल पोत मालिकों को ऋण देने के लिए कहा गया है । ग्रीम्स कोटन, किर्लोस्कर आयल इंजीन्स और क्यूमीन्स डीजल सेल एन्ड सर्विसेज की मदद से पाल पोत के लिए आवश्यक डीजल इन्जीन का निर्माण भी अब भारत में होने लगा है राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड और राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड पर पाल पोत उद्योग को प्रतिनिधित्व दिया गया है । हाल ही में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने पाल पोत उद्योग की समस्याओं की जांच और आवश्यकतानुसार इसके विकास के उपाय सुझाने के लिए एक उप समिति गठित किया है ।

दक्षिण रेलवे में कार्मिक निरीक्षकों (पर्सोनल इन्स्पैक्टर) का पद

6305. **श्री एम० अरुणाचल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे में 425-640 रु० के वेतनमान में कार्मिक निरीक्षक के पद को संवर्ग इतर चयन पद के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यहां तक कि कनिष्ठ लिपिकों पर भी पिछले चयन के लिये भी विचार किया गया था किन्तु अब इसे संवर्ग इतर चयन पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भविष्य में चयन हेतु वरिष्ठतम लिपिकों पर ही विचार किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो चूंकि इस पद को संवर्ग इतर के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था तो क्या पिछले चयन के लिये तैयार किये गये पैनल को रद्द किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह सच है कि इस पद को संवर्ग इतर पद के रूप में मात्र इसलिए वर्गीकृत किया गया था कि जिससे इस प्रयोजनार्थ कनिष्ठतम लिपिकों पर भी विचार किया जा सके तथा 25 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठतम लिपिकों को लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था; और

(घ) क्या वे इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण रेलवे पर कार्मिक शाखा में 7 वर्ष की सेवा वाले स्नातक लिपिक और 12 वर्ष की सेवा वाले गैर स्नातक लिपिक 425-640 रुपये के वेतनमान में कार्मिक निरीक्षकों के पदों के लिए पात्र हैं। यही पद्धति दक्षिण रेलवे में अपनायी जा रही है और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जेनेवा में भारतीय दूतावास द्वारा पृथकतावादी नेता के पासपोर्ट का नवीकरण

6306. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा पृथकतावादी सिख नेता श्री जगजीत सिंह का पासपोर्ट जब्त किए जाने के बाद भी जेनेवा स्थित भारतीय दूतावास द्वारा उसे एक नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया था जिसके आधार पर श्री जगजीत सिंह अमरीका पहुंचे थे;

(ख) क्या उक्त घटना इस बात का संकेत नहीं करती है कि मंत्रालय और विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के बीच आवश्यक समन्वय नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो श्री जगजीत सिंह किस प्रकार जेनेवा स्थित भारतीय दूतावास से अपना जब्त किया गया पासपोर्ट नवीकृत करा सके और क्या मंत्रालय ने इस बारे में कोई जांच कराई है; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) 4 सितम्बर, 1980 को डा० जगजीत सिंह चौहान ने अपने पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त पुस्तिका संलग्न करवाने के लिए जेनेवा स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास से सम्पर्क किया था, क्योंकि अतिरिक्त वीजा के लिए उनके पासपोर्ट में खाली पृष्ठ नहीं थे। उसी दिन उनके मूल पासपोर्ट में एक और पुस्तिका संलग्न कर दी गई।

बाद में 24.4.81 को मंत्रालय ने डा० जगजीत सिंह के पासपोर्ट को रद्द करने के लिए हिदायतें जारी कीं।

इसलिए यह कहना सही नहीं है कि यह घटना मंत्रालय और विदेश स्थित अपने राजदूतावासों के बीच समन्वय के अभाव के कारण हुई थी।

दक्षिण पूर्व रेलवे में नया जोन

6307. **श्री दलबीर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे का विलासपुर और नागपुर तथा मध्य रेलवे के नागपुर, जबलपुर, झांसी और प्रस्तावित भोपाल रेलवे डिवीजन को मिलाकर रेलवे का एक नया रेलवे जोन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों के पुनर्गठन, यदि आवश्यक हो, के बारे में रेल सुधार समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

"बार में आबू रोड तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना"

6308. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बार से आबू रोड तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) अभी इस प्रकार का कोई संकेत देना सम्भव नहीं है। किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना बहुत से कारणों पर निर्भर करता है जिसमें पर्याप्त साधनों का उपलब्ध होना शामिल है जिसके बारे में अभी कुछ कहना असंभव है।

डीजल और स्टीम की बी० जी० इन्जन

6309. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी रेलवे को कितने डीजल और स्टीम बी० जी० इंजन दिये गये; और

(ख) इन इंजनों की कितनी मांग थी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बड़ी लाइन के 70 भाप रेल इंजनों की मांग को पूर्णरूपेण पूरा कर दिया गया है। जब गोंडा डीजल शेड में डीजल रेल इन्जन खड़े करने की व्यवस्था हो जाएगी, तब पूर्वोत्तर रेलवे के बड़ी लाइन के डीजल रेल इन्जन भी आवंटित कर दिये जाएंगे।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता

6310. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने छठी योजना की शेष अवधि में चित्तरंजन में निर्माण क्षमता कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) योजना अवधि के दौरान विद्युत चालित इंजन का निर्माण करने का क्या लक्ष्य है; और

(घ) 1980-81 और 1981-82 की अवधि के दौरान कितने इंजनों का निर्माण किया गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चित्तरंजन रेल कारखाने में निर्माण क्षमता में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छठी योजनावधि के दौरान 253 बिजली रेल इंजनों के निर्माण की योजना है।

(घ) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 1980-81 के दौरान जितने इंजनों का निर्माण किया गया तथा 1981-82 के दौरान जितने इंजनों के बनाने की योजना है उनकी संख्या नीचे दी गयी है :

	1980-81	1981-82	जोड़
बिजली	69	60	129
डीजल	38	33	71
जोड़ (बिजली + डीजल	107	93	200

एशियाड-82 के लिए स्वदेशी खेलकूद का सामान

6311. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड' 82 खेलों के लिये खेलों की विभिन्न मदों के लिए विदेशों को आदेश दे दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं तथा किन-किन देशों से इनका आयात किया जाएगा;

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्गस्त है; और

(घ) भारत की खेलकूद के सामान का निर्माण करने वाले उद्योग के बारे में सम्यक दृष्टिकोण के अभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां। तथापि, केवल उन्हीं उपस्करों/सामग्री का आयात किया जाता है जो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए अपेक्षित स्तरों तक के उपस्करों का देश में निर्माण नहीं किया जाता है। बहुत सी वस्तुएं देश के अन्दर ही उपलब्ध की जा रही हैं।

(ख) और (ग) नेताजी, सुभाष राष्ट्रीय खेल सस्थान, पटियाला से प्राप्त सूचना के आधार पर अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए-संख्या एल० टी० 3810/82]

स्वचालित रेलपथ सर्किट का निर्माण

6312. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान आरेखन और मानक संस्थान ने 'स्वचालित रेलपथ सर्किट' की एक नई प्रणाली का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपनी रेलवे में इसके प्रयोग करने के सम्बन्धित क्या कार्यक्रम हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

1982-83 के दौरान ऊपरी पुलों का निर्माण

6313. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1982-83 में देश में विभिन्न रेलवे स्टेशनों के क्रासिंग लेबल पर उपरी पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में उड़ीसा के रेलवे स्टेशनों के लेवल क्रासिंगों पर कितने उपरी पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 1982-83 के दौरान उडीसा में 5 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा ।

रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय राशि

6314. **श्री बी० आर० नेहाटा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने रेलवे के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिये बहुत अधिक मात्रा में राशि व्यय की है किन्तु मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा किया गया पूंजी निवेश रेलवे द्वारा उसे उपयोग में न लाए जाने के कारण अवरुद्ध हो गया है;

(ख) क्या बिजली बोर्ड द्वारा कार्य सम्पन्न किए जाने की तारीख से न्यूनतम गारंटी राशि का भुगतान किए जाने के किसी करार पर रेलवे ने हस्ताक्षर किए थे;

(ग) यह देय राशि कितनी है अथवा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने कितनी राशि का दावा किया है और क्या उस राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं तो इस राशि का भुगतान बिजली बोर्ड को कब किया जाएगा; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस राशि का भुगतान कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल विद्युतीकरण के लिए बिजली की सप्लाई हेतु मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए निवेश को अवरुद्ध नहीं किया जा रहा है । सभी प्रतिष्ठापनों का उपयोग हो रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) वात्तेरु-किरान्दुल लाइन पर किरान्दुल-जगदलपुर खंड को बिजली की सप्लाई के लिए, म० प्र० बि० बो० द्वारा काम को पूरा करने की तारीख के सम्बन्ध में और जिस अवधि में म० प्र० बि० बोर्ड ने बिजली गाड़ियों के चालन के लिए बिजली की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया था, उसके सम्बन्ध में दक्षिण पूर्व रेलवे और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के बीच कोई विवाद है । ऊर्जा मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में दोनों पक्षों ने यह तय किया कि यह मामला पंच-निर्णय के लिए सदस्य (आर्थिक एवं वाणिज्य) मु० प्रा० स० को सुपुर्द कर दिया जाय और पंच-निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गोल मार्केट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय (होम्योपैथिक) में कर्मचारियों की संख्या

6315. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्केट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय (होम्योपैथिक) में चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या तीन है जबकि वहां पांच डाक्टर नियुक्त हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ कनिष्ठतम तदर्थ डाक्टरों को वहां नियुक्त किया गया है जबकि वरिष्ठ नियमित डाक्टरों को बार-बार दूरवर्ती औषधालयों में एवज ड्यूटी करने के लिए नियुक्त किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी स्थिति न होने देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां। गोल मार्केट स्थित औषधालय में 5 होम्योपैथिक फिजिशियन तैनात किए गए हैं क्योंकि यह औषधालय 12 घंटे खुलने की लगातार पारी के आधार पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय होम्योपैथिक सामग्री भण्डार भी इस औषधालय में स्थित है।

(ख) और (ग) पांच फिजिशियनों में से केवल एक फिजिशियन ही तदर्थ आधार पर है। साथ ही सभी फिजिशियनों को बारी-बारी रिलीविंग ड्यूटी करनी पड़ती है। इसलिए, असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के लोगों की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

6316. **श्री जय नारायण रोत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल सेवा में कोटे के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संविधान में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, जिसे सेवा संबंधी मामलों के सम्बन्ध में नियम और विनियम बनाने का प्राधिकार है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए भर्ती और पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण के लिए समय-समय पर आदेश जारी करता है। रेलों द्वारा ऐसे आदेश पूर्ण रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

भर्ती : न्यूनतम वेतनमान में 425 रुपये (सं० वे०) या इससे अधिक वेतन के ग्रेड में रहने वाली रिक्तियों के लिए भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$% का कोटा आरक्षित है। निम्नतर ग्रेडों में रहने वाली रिक्तियों के लिए भर्ती के लिए प्रत्येक रेलवे के लिए अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में समग्र आबादी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत पर निर्भर होता है क्योंकि ये रिक्तियां स्थानीय/क्षेत्रीय समझी जाती हैं।

रेलों में श्रेणी i सेवा के लिए संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है। सामान्यतः श्रेणी ii सेवाओं में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, श्रेणी ii में रिक्तियां श्रेणी iii के उपयुक्त

कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरी जाती हैं लेकिन इसमें रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा अधिकारी और कुछ छोटे-मोटे संवर्ग जैसे सहायक रसायनज्ञ एवं धातुविज्ञानी, सहायक खजांची एवं वेतनदाता, सहायक अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड आदि के पद शामिल नहीं हैं जिनके लिए भी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है। श्रेणी iii की सेवाओं के लिए भर्ती सामान्यतया रेल सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है और जहां रेल सेवा आयोग आरक्षित कोटे के लिए पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, वहां महाप्रबन्धकों को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अन्तर्गत रेलवे द्वारा ऐसे कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाती है। चौथी श्रेणी में भर्ती रेलों द्वारा स्वयं की जाती है। इसके अलावा, रेलें नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की भी नियुक्ति करती हैं। यद्यपि नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की नियुक्ति के लिए जाति के आधार पर कोई रोस्टर नहीं बनाया जाता है तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, यथासंभव, इन समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार भर्ती किया जाता है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार चौथी श्रेणी की सेवा में नियमित नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग के समय पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में विभिन्न छूट और रियायतें दी जाती हैं जो इस प्रकार हैं :

(1) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि।

(2) आवेदन फार्मों और परीक्षा फीस की कम लागत।

(3) लिखित परीक्षा/साक्षात्कार/उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अलग से करना।

(4) अतिरिक्त प्रशिक्षण।

(5) असफल प्रशिक्षुओं और कोटि विशेष में डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य प्रशिक्षुओं के लिए वैकल्पिक नियुक्तियां।

(6) रेलवे सुरक्षा बल में रक्षक और उप निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शारीरिक स्तर में छूट।

(7) अपेक्षित न्यूनतम व्यावहारिक अनुभव 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष और जहां 3 वर्ष है वहां एक वर्ष कर दिया गया है।

पदोन्नतियां : जहां रिक्तियां निम्न प्रकार से भरी जाती हैं वहां पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$% आरक्षण की भी व्यवस्था है।

(1) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा श्रेणी ii, iii और iv में या ऐसे ग्रेडों या पदों में, जिनमें सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक न हो।

(ङ) प्रवरण द्वारा श्रेणी iii के लिए और उसके भीतर और श्रेणी iii से श्रेणी ii में और श्रेणी ii से श्रेणी i के निम्नमत वेतनमान में, बशर्ते कि सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई है, 66 2/3 प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) श्रेणी i, ii, iii और iv में वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर बशर्ते कि सीधी भर्ती का तत्व 66 2/3 प्रतिशत से अधिक न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में दी गयी छूट और रियायत इस प्रकार है :

(1) पदोन्नति से भरे जाने वाले उन पदों में, जिनमें संरक्षा का पहलू अन्तर्ग्रस्त न हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(2) जहां तक गैर संरक्षा कोटियों के पदों का सम्बन्ध है, यदि उपर्युक्त रियायत के बावजूद, आरक्षित पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनमें से सर्वोत्तम उम्मीदवारों को 'आरक्षित' रिक्तियों की सीमा तक चयन सूची में रखने के लिए अनन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार निर्धारित उम्मीदवारों को 'तदर्थ' आधार पर 6 महीने के लिए पदोन्नत किया जाता है और इस अवधि के दौरान उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाने और अपेक्षित स्तर तक आने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। 6 महीने की अवधि के अन्त में, रेल प्रशासन द्वारा इन उम्मीदवारों के कार्य के सम्बन्ध में एक विशेष रिपोर्ट मंगायी जाती है और उनका नाम चयन सूची में शामिल किया जाता है यदि समीक्षा करने पर उनका कार्य निष्पादन औचित्यपूर्ण पाया जाता है।

(3) रेलों को ये भी अनुदेश दिये गये हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए चयन से पूर्व कोचिंग क्लास की व्यवस्था करें ताकि पदोन्नति परीक्षाओं में फेल होने वालों की संख्या कम की जा सके।

यह भी व्यवस्था की गयी है कि सभी भर्ती/चयन बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य शामिल किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की भलीभांति देख-भाल की जा सके।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र

631. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र हैं; कुल छात्रों की संख्या में उनका अनुपात कितना है;

(ख) उनमें से कितने छात्रों को फैलोशिप/स्कालर-शिप प्राप्त होती है;

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को फैलोशिप/स्कालरशिप मिलती है और गत तीन वर्षों के दौरान उन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रों ने अपना अध्ययन पूरा किया है; और

(ङ) बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है और उसके क्या कारण हैं; बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पी० एम० फोर हाई मेडिकल स्टैन्डर्डस" शीर्षक से समाचार

6318. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "पी० एम० फोर हाई मेडिकल स्टैन्डर्डस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने डा० बी० सी० राय शताब्दी समारोह पर दीक्षान्त भाषण देते समय अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा का स्तर गिर जाने, ग्रामीण डाक्टरों को अधिक भुगतान किये जाने और "2000 तक सभी के लिये चिकित्सा सुलभ" करने के लक्ष्य के बारे में भी अपने विचार प्रकट किये थे; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है कि प्रधान मन्त्री के सुझाव समय पर पूर्णरूपेण कार्यान्वित हो जायें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में शिक्षा और स्वास्थ्य में समग्र-रूप से सुधार लाने की आवश्यकता तथा सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के वास्ते ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डाक्टरों को प्रेरित करने के बारे में उल्लेख किया था।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि सरकार आम लोगों के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने, संचारी रोगों पर काबू पाने तथा जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए वचनबद्ध है चिकित्सा शिक्षा के स्तर को कारगर ढंग से लागू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

बांग्ला देश में भारतीय प्रतिनिधियों से अपमानजनक तरीके से पूछताछ

6319. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री सनत कुमार मंडल :

प्रो० अजीत कुमार मेहता :

श्री रशीद मसूद :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने हाल में हुई एक अत्यधिक क्षोभनीय घटना के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है जिसमें बांग्ला देश सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को अलग ले जाकर उनसे अपमानजनक पूछताछ की गई; और

(ख) यदि हां, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) 12 फरवरी, 1982 को वरेन्द्र अनुसंधान संग्रहालय, राजशाही में आयोजित पुरातत्वीय अध्ययन संगोष्ठी में भाग लेने वाले कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को राजशाही स्थित सहायक हाई कमिश्नर के निवास स्थान के बाहर बांग्लादेश के गुप्तचर विभाग के प्राधिकारियों ने रोका और उनसे पूछताछ की । ढाका स्थित भारतीय हाई कमीशन ने बांग्लादेश विदेश कार्यालय के साथ समुचित रूप से यह मामला उठाया है । इस बारे में बांग्लादेश सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

एशियाई खेलों में भाग लेने वाले युवा छात्रों की संख्या

6320. **श्री ओस्कर फर्नान्डिस** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों में अनुमानतः कितने युवा छात्रों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है; और

(ख) दिल्ली में उन्हें भोजन, निवास और प्रवेश शुल्क जैसी क्या रियायती सुविधायें प्रदान की जायेंगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) इस समय यह संख्या बताना संभव नहीं है ।

(ख) खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार खेल देखने वाले युवा छात्रों के लिए रियायती भोजन तथा आवास के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किए जा रहे हैं । तथापि यह निर्णय किया गया है कि पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर सभी खेलों/प्रतिस्पर्धाओं के लिए छात्रों को रियायती दरों पर प्रवेश टिकटें मिल जाएंगी ।

पश्चिम बिहार में नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोला जाना

6321. **श्री रामप्रसाद अहिरवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** पश्चिमपुरी नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के बारे में 12 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमपुरी में औषधालय न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) औषधालय कब तक खोला जायेगा;

(ग) क्या औषधालय के लिए किसी भवन का कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(घ) क्या सुन्दर बिहार के भी जो पास की एक नई कालोनी है, तथा पूरी तरह से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभाहियों से बसी हुई हैं, प्रस्तावित औषधालय के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) पश्चिम बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने का प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है । उसके बाद ही वहाँ पर औषधालय खोला जाएगा ।

(ग) उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) जब यह औषधालय खुल जायेगा तो सुन्दर बिहार के क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, जो वहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर है ।

"तमिलनाडु में 16 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना"

6322. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 152 करोड़ रु० की लागत से राज्य की 16 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने नवम्बर 1981 3 राज्य की 16 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव किया था । तथापि इन सड़कों को विश्व बैंक के धन की मदद से विकास करने के संबध में कोई जिक्र नहीं था ।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण भारत सरकार अभी किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्थिति में नहीं है और यह तमिलनाडु की सड़कों पर भी लागू होता है ।

पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस में पेन्ट्रीकार का जोड़ा जाना

6323. **श्री बी० एन० गाडगिल :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस में पेंट्री कार लगाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) सरकार का विचार कब पेंट्री कार जोड़ने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 177 अप/178 डाउन झेलम एक्सप्रेस गाड़ियों में पुणे और नयी दिल्ली के बीच पेन्ट्री कार सेवा 15-3-1982 से आरम्भ कर दी गयी है ।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य के घण्टे

6324. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नयी दिल्ली के बहिरंग विभाग में एक्सरे विभाग और औषधालय में कार्यरत नर्सिंग बार्ड अरदलियों के घंटे वहां कार्यरत अन्य कर्मचारियों के घंटों से भिन्न है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां ।

(ख) बाह्य रोगी विभागों में नर्सिंग अर्दली प्रातः आठ बजे से शाम 3.30 बजे तक कार्य करते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रातः 8 बजे शुरू हो जाता है । डिस्पेंसरी और एक्स-रे विभागों में वहां के काम के लिहाज से नर्सिंग अर्दलियों को प्रातः 8 बजे से शाम 4.00 बजे तक कार्य करना होता है ।

कल्याण में माल शेड

6325. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री कल्याण गुड्स शेड को अन्यत्र ले जाने के बारे में 17 दिसम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न 4364 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण, महाराष्ट्र (मध्य रेलवे) के वर्तमान माल शेड को अपने वर्तमान स्थान से कहीं अन्यत्र ले जाने तथा इसके बाद कल्याण स्टेशन पर एक होम प्लेटफार्म बनाने की योजना के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना के लिए 1981-82 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई थी और 1982-83 में इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करने का विचार है; और

(ग) क्या इस योजना के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1981-82 और 1982-83 के लिए क्रमशः 10.26 लाख रुपये और 1.70 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है ।

(ग) जी नहीं ।

विशेष गाड़ी चलाने या विशेष डिब्बे जोड़ने की मांग को पूरा न करने के कारण धनराशि का लौटाया जाना

6326. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष गाड़ी चलाने या विशेष डिब्बे जोड़ने की मांग के लिए जमा की गई धनराशि मांग स्वीकार न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पार्टियों को किसी अवधि तक लौटा दी जाती है, और इसके सम्बन्ध में क्या नियम है;

(ख) क्या वर्ष 1978 में चार पार्टियों ने उत्तर रेलवे की समदरी-मिलदी लाइन और धनेरा स्टेशन से विशेष गाड़ी चलाने और विशेष डिब्बे जोड़ने की पृथक-पृथक मांग की थी और उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई थी; और

(ग) अब तक उनकी जमा राशियों को न लौटाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) धन की वापसी के दावे मुनासिब समय के भीतर निपटाये जाते हैं। तीन मामलों में प्रतिभूति निक्षेप की रकम वापस करने की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है, जबकि चौथे मामले में सम्बन्धित पार्टी को पत्र लिखकर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा विज्ञापन और जन सम्पर्क पर खर्च की गई धनराशि

6327. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीत नौवहन निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन और जन सम्पर्क पर खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ख) भारतीय नौवहन निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन के लिए प्रयोग में लाये गये समाचार पत्रों का वर्ष-वार भाषा-वार ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा पिछले 3 वर्षों में जन सम्पर्क पर व्यय की गई राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	व्यय की गई राशि रुपये
1978-79	33,24,380.28
1979-80	36,76,576.13
1980-91	44,85,864.53

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्रचार कार्य के लिए जिन समाचार पत्रों का उपयोग किया गया, उनकी सूचना वर्षवार, भाषावार निम्नलिखित है :

स्थान	अंग्रेजी समाचार पत्र		भाषाई समाचार पत्र	
बम्बई	टाइम्स आफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस	नियमित	लोक सत्ता महाराष्ट्र	मराठी नियमित
	फ्री प्रैस जनरल चैनिंग	कभी-कभी	नवभारत टाइम्स विश्वमित्र	हिन्दी कभी कभी
			बम्बई समाचार — गुजराती	(नियमित)
			जन्मभूमी व्यापार उद्योग	गुजराती कभी कभी
मद्रास	हिन्दू इंडियन एक्सप्रेस (सदैव प्रकाशित)	नियमित	दिनामानी दैनिक घंटी	तमिल नियमित
	दि मेल —	कभी कभी (इसके बन्द होने 81) तक	मक्कल कुरल स्वदेश मित्र	तमिल कभी कभी
कोचीन	हिन्दू इंडियन एक्सप्रेस	नियमित	मालयाला मनोरमा माथृ भूमि	मलयालम (नियमित)
कर्नाटक (सिटी)	(मंगलोर पोर्ट के जलयानों के लिए) डेकन हेराएल्ड हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस	नियमित	प्रजावाणी कन्नड़ प्रभा	कन्नड़ नियमित
विशाखापत्तनम	हिन्दू इंडियन एक्सप्रेस	नियमित	इकांडू आन्ध्र प्रभा	तेलगु नियमित
गोवा	नव हिन्द टेज	नियमित	गोमंतक	भाषाई नियमित

स्थान	अंग्रेजी समाचार पत्र		भाषाई समाचार पत्र	
कलकत्ता	स्टेट्समैन अमृत बाजार पत्रिका	नियमित	आनन्द बाजार पत्रिका युगांतर	बंगाली नियमित
	(मुख्यत: पदों को भरने के लिए विज्ञापन)		हिन्दुस्तान	हिन्दी-नियमित
दिल्ली	हिन्दुस्तान टाइम्स स्टेट्स मैन टाइम्स आफ इंडिया रोजगार समाचार नेशनल हैरल्ड पैट्रियेट	कभी कभी		
चण्डीगढ़	ट्रीब्यून	नियमित		
अहमदाबाद	गुजरात के पत्तनों—जामनगर कांडला आदि पर जलयानों के लिए			
	टाइम्स आफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस	नियमित	गुजरात समाचार प्रभात गुजराती	गुजराती नियमित कभी कभी

इन समाचार पत्रों के अलावा कभी-कभी दूसरे राज्यों में अंग्रेजी और भाषाई समाचार पत्रों को उनके अनुरोध पर भारतीय नौवहन निगम छोटे मोटे विज्ञापन दिया करता है ।

प्रचार खर्च मुख्यत: जलयानों के चलाने पर किया जाता है । विभिन्न भारतीय और विदेशी पत्तनों पर जहां भारतीय नौवहन निगम के जहाज चलते हैं, खर्च किए जाते हैं ।

"डी० टी० सी० के बर्खास्त ड्राइवरों और कंडक्टरों को दिहाड़ी पर रोजगार देना"

6328. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० टी० सी० के उन ड्राइवरों और कंडक्टरों को जिन्हें भ्रष्टाचार या दुराचरण के आरोपों से हटाये गये थे, को दिल्ली परिवहन निगम प्रबन्ध के तमाम नियमों के विरुद्ध दिहाड़ीदर के रूप में पुन: रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों में असन्तोष है; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जिन ड्राइवरों और कंडक्टरों की सेवाएं पहले विभिन्न कारणों से समाप्त कर दी गई थीं, उनकी अपील और रिव्यू आवेदनों पर दिल्ली परिवहन निगम ने समुचित विचार करने के बाद उपकार करने की दृष्टि से निगम में सेवा करने का एक और अवसर दिया । उन्हें दैनिक वेतन दरों पर रख कर नये सिरे से नौकरी दी गई ।

"भारत द्वारा निर्मित जहाजों का निर्यात"

6329. **श्री जगदीश टाईटलर :**

श्री चिरन्जीलाल शर्मा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दुस्तान शिपयार्डस से विदेशों से आर्डर देने हेतु पूछताछ शुरू कर दी है भारत द्वारा निर्मित जहाजों के निर्यात जहाजों के निर्यात की संभावना पर कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या सरकार का दोनों जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग के कार्य को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दुस्तान शिपयार्ड विदेशी फर्मों से मिलने वाले आर्डरों को निभाने की स्थिति में होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चालू विकास कार्यक्रम को 1984-85 तक पूरा होने पर हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० की जहाज निर्माण क्षमता दुगुनी हो जायेगी और 45,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक की बड़े पोतों के

निर्माण की सुविधाएं हो जाएंगी । उस समय हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० निश्चय की विदेशी फर्मों के आर्डरों को हैंडल करने की स्थिति में होगा । लेकिन शर्त यह होगी कि यार्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों, विवरण अनुसूचियों और अन्य शर्तों का प्रस्ताव करेगा ।

छोटा उदयपुर-प्रताप नगर के सेक्शन में सामान की बुकिंग

6330. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी रेलवे के बड़ौदा डिवीजन में चार स्टेशनों को छोड़कर छोटा उदयपुर-प्रताप नगर और छुचापुरा-तंकुला एन० जी० सेक्शनों के रेलवे स्टेशनों पर बिना पूर्व सूचना के सामान की बुकिंग बन्द कर दी गयी थी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एन० जी० लाइन पर सामान की बुकिंग रोकने से पश्चिमी रेलवे द्वारा वहां एन० जी० लाइन को बी० जी० लाइन में बदलने के लिए चल रहे यातायात सर्वेक्षण का उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि इससे स्थानीय लोगों में केवल असन्तोष ही नहीं हुआ है बल्कि वाणिज्य और व्यापार में काफी वित्तीय कठिनाई भी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छोटा उदयपुर-प्रतापनगर खंड पर चार और छूंछापुरा-टनखाला खंड के दो स्टेशनों को छोड़कर इन खंडों के स्टेशनों को, समुचित अग्रिम अधिसूचना के पश्चात, माल यातायात की बुकिंग के लिए बन्द कर दिया गमा था ।

(ख) छोटी लाइन के स्टेशनों पर माल की बुकिंग बन्द करने से छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) और (घ) कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, गुजरात राज्य सरकार की सिफारिश पर, छोटा उदयपुर-प्रतापनगर खंड और छूंछापुरा-टनखाला खंड के क्रमशः पावी और टनखाला स्टेशनों को माल यातायात के लिए खुला रखा गया है ।

माल यातायात की बुकिंग के लिए बन्द किए गए स्टेशनों से उन्हें बन्द किए जाने से पूर्व गत छः महीने की अवधि के दौरान प्राप्त माल का कोई लदान नहीं हुआ था ।

छपरा जंक्शन में जेनरेटर के बावजूद अंधेरा

6331. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छपरा जंक्शन में उच्च शक्तिशाली जेनरेटर होने के बावजूद वहां इसके धुएं के कारण हमेशा अंधेरा छाया रहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई में कटौती करने अथवा बिजली की सप्लाई में व्यवधान पड़ने के दौरान इस स्टेशन पर गाड़ियों के पहुँचने के 45 मिनट पहले से तथा उनके छूटने के बाद 30 मिनट तक दो डीजल जनित्र सेटों द्वारा बिजली की व्यवस्था की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रकाश और ध्वनि प्रणाली का विकास

6332. **श्री मुकुंद मंडल** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल में नई विकसित प्रकाश और ध्वनि प्रणाली चालू करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विक्टोरिया मेमोरियल हाल में प्रकाश और ध्वनि पद्धति की स्थापना करने के लिए एक अलग इमारत की आवश्यकता होगी, जो विक्टोरिया मेमोरियल हाल के वर्तमान परिवेश के सामान्य सौन्दर्यपूर्ण बन्दोबस्त के अनुरूप नहीं होगा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

6333. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान, वर्ष-वार अलग-अलग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को कुल कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के बारे में किसी संसद सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्व-

विद्यालय को 1980-81 और 1981-82 के दौरान निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए थे :

	योजनागत	योजनेत्तर
	(लाख रुपये)	
1980-81	61.86	318.17
1981-82 (24.2.82 तक)	93.16	374.10

(ख) और (ग) राष्ट्रपति, को सम्बोधित अपने पत्रों में, जो विश्वविद्यालय के विजिटर हैं, कुछ संसद सदस्यों ने यह उल्लेख किया था कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए संस्वीकृत अनुदानों का दुरुपयोग किया गया है। इन टिप्पणियों को विश्वविद्यालय के ध्यान में ला दिया गया है विश्वविद्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि निर्माण-सामग्री की हानि आदि जैसे कुछ विशिष्ट मामले, संबंधित संविदाओं के अन्तर्गत मध्यस्थता अधिकरण को सौंप दिए गए हैं।

वर्ष 1982-83 के दौरान पत्तनों का आधुनिकीकरण

6334. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन पत्तनों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1982-83 में पत्तन आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में किन कामों को हाथ में लेने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) बड़े पत्तनों के विकास स्कीमों और 1982-83 वर्ष के दौरान न्हावा शेवा में बड़े पत्तन की स्थापना के लिए 119.31 करोड़ रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया गया है जो इस प्रकार है :

	(रुपए करोड़ में)
बम्बई	23.55
कलकत्ता	13.26
कोचीन	13.28
कांडला	13.41
मद्रास	17 59
मार्मुगाव	04.19
न्यू मंगलौर	04.37
परादीप	09.54
तूतीकोरिन	07.37
विशाखापत्तनम	10.75
न्हावाशेवा	2.00
कुल	119.31

(ख) और (ग) पहले ही से स्वीकृत निम्नलिखित मुख्य विकास स्कीमों पर 1982-83 के दौरान खर्च के लिए उपरोक्त प्रावधान किया गया है :

(1) कांडला, मद्रास, मामुगाव, न्यू मंगलोर, पारादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम पोर्टों में जनरल कारागो बर्थों के निर्माण ।

(2) कांडला और कोचीन पोर्टों में आयल जैट्टियों के निर्माण ।

(3) कोचीन और परादीप पोर्ट में फर्टिलाइजर बर्थ ।

(4) मद्रास में एक कंटेनर टर्मिनल की स्थापना ।

(5) बम्बई और मद्रास पोर्टों में कंटेनर के हैंडलिंग के लिए उपादानों की खरीद ।

दुनिया के विश्वविद्यालयों में हिन्दी शिक्षा

6335. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और किन कक्षाओं में हिन्दी पढ़ाई जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि इसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं की एक भाषा बनाया जा सके ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) विदेशों के उन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है जिनमें विभिन्न स्तरों पर हिन्दी पढ़ाई जाती है ।

(ग) विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की हमारी एक योजना है । इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं कि विदेशों में स्थानीय रूप से हिन्दी के लेखन को प्रोत्साहित करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी राष्ट्रिकों के निमित्त शिक्षण, प्रशिक्षण और पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है । कुछ लोगों को हिन्दी के अध्ययन के लिए और हिन्दी अध्यापन की विधियों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृत्ति भी की जाती है । इस योजना का लक्ष्य सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाकर हिन्दी की विश्वव्यापी स्वीकृति के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना भी है । इसके अतिरिक्त हम विदेशों में स्थित वहां के स्थानीय हिन्दी संगठनों को हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों, हिन्दी टाइपराइटरों और अध्यापन की सहायक सामग्री आदि से भी सहायता दे रहे हैं ताकि हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उनके काम में मदद मिले । हमारे प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में कुछ वक्तव्य हिन्दी में दिए हैं और इससे विदेशों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रोत्साहन मिला है ।

विवरण

उन विदेशी विश्वविद्यालयों की सूची जहां हिन्दी पढ़ाई जाती है

देश	विश्वविद्यालय का नाम	स्तर
आस्ट्रेलिया	1. आस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कैन्बरा	डाक्ट्रेट
	2. मैलबोर्न विश्वविद्यालय, मैलबोर्न	डाक्ट्रेट
आस्ट्रिया	1. वियना विश्वविद्यालय, वियना	2 वर्ष के लिए एडवान्स कोर्स
बेल्जियम	1. घेंट विश्वविद्यालय	एलीमैन्ट्री
	2. ल्यूवन विश्वविद्यालय	एलीमैन्ट्री
	3. लेगे विश्वविद्यालय	ऐलीमैन्ट्री
बल्गारिया	1. सोफिया विश्वविद्यालय, सोफिया	पोस्ट स्कूल डिप्लोमा
कनाडा	1. ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय, वैनकुवर	एडवान्स स्तर
चीन	1. पीकिंग विश्वविद्यालय पीकिंग	ऐलीमैन्ट्री
चेकोस्लोवाकिया	1. चार्ल्स विश्वविद्यालय, प्राग	पोस्ट ग्रेजुएट
क्यूबा	1. हवाना विश्वविद्यालय, हवाना	डिग्री कोर्स
डेनमार्क	1. कोबेनहार्न कोके विश्वविद्यालय, डेनमार्क	ग्रेजुएट
जर्मन संघीय गणराज्य	1. सेमीनार फोर इंडिशे फिलालाजी फ्रे विश्वविद्यालय बर्लिन	हिन्दी अध्यापन की सुविधा है।
	2. इंडालाजिस्केज सेमीनार डेर रेनिस्केज फ्रेंरिज विल्हम्स विश्वविद्यालय, बोन	
	3. इंडोजर्मनिश्चेज सेमीनार डेर जोन बोल्फगेंग गोटे विश्वविद्यालय, फ्रैंकफर्ट	
	4. ओरिएन्टचिस्चेज सेमीनार विश्वविद्यालय,फ्रीवर्ग	
	5. इंडोलाजिस्वेज सेमीनार डेर विश्वविद्यालय, गोटिगन	
	6. सेमीनार फोर कुलुटर एन्ड जेश्चिजेटइंडेन्स विश्वविद्यालय, हैम्बर्ग	
	7. इंर्स्टीट्यूट फोर इडोलाजी डेर विश्वविद्यालय, कोइलिन	
	8. सेमीनार फोर इंडोलाजी डेर विश्वविद्यालय, कील	
	9. सेमीनार फोर इंडोलाजी डेर विश्वविद्यालय, म्यून्स	
	10. इंडिश ओस्टेसिटिश्चेज सेमीनार डेर फिलिप्स विश्वविद्यालय, मारवर्ग	
	11. सेमीनार फोर इंडोलाजी उंड इरानिस्टिक डेर विश्वविद्यालय, म्यूनचेन	
	12. सुडासीन इंस्टीट्यूट डेर विश्वविद्यालय, ब्रीडलवर्ग	
	13. सेमीनार फोरे इंडोलोजी एण्ड वर्जलीथेन्ड रीलिजनरिवसेतशेफ्ट डेर विश्वविद्यालय, ट्यूबेनगेन	

फ्रांस	1. सारबाने विश्वविद्यालय, पेरिस	डाक्ट्रेट
जर्मन जनवादी गणराज्य	1. हमबोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन	एलीमैन्ट्री
गुयाना	1. जार्जटाऊन विश्वविद्यालय, जार्जटाऊन	बी० ए० में एक गौण विषय
हंगरी	1. ओटोबोस लोवेंड विज्ञान विश्वविद्यालय, बूडापेस्ट	प्राथमिक कोर्स
इटली	1. रोम विश्वविद्यालय, रोम	ग्रेजुएट
	2. नेपिल्स विश्वविद्यालय, नेपिल्स	ग्रेजुएट
	3. वेनिस विश्वविद्यालय, वेनिस	ग्रेजुएट
जापान	1. विदेशी अध्ययन का टोकियो विश्वविद्यालय, टोकियो	एम० ए०
	2. विदेशी अध्ययन का ओसाका विश्वविद्यालय, ओसाका	एम० ए०
	3. टोकई विश्वविद्यालय, कनागवा प्रीफैक्चर	बी० ए०
	4. टोकूशोकू विश्वविद्यालय, टोकियो	इंटरमीडिएट
	5. एफ्रो-एशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, टोकियो	इंटरमीडिएट
	6. टोकियो विश्वविद्यालय, टोकियो	प्रारंभिक पाठ्य
	7. क्योटो विश्वविद्यालय, क्योटो	प्रारंभिक पाठ्य
	8. ओटानी बुद्दिस्ट विश्वविद्यालय, क्योटो	प्रारंभिक पाठ्य
	9. ओटेमो विश्वविद्यालय, ओसाका	प्रारंभिक पाठ्य
	10. चुओ गकून विश्वविद्यायय	प्रारंभिक पाठ्य
मैक्सिको	1. एल० कोलेजिओ डी० मैक्सिको विश्वविद्यालय	एम० ए०
नेपाल	1. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू	डाक्ट्रेट
नीदरलैंड	1. ली डेन विश्वविद्यालय, ली डेन	डाक्ट्रेट
	2. उत्रेश्ट विश्वविद्यालय, उत्रेश्ट	एलीमैन्ट्री
नार्वे	1. ओस्लो विश्वविद्यालय, ओस्लो	ग्रेजुएट

पोलैंड	1. वार्सा विश्वविद्यालय, वार्सा	पोस्ट ग्रेजुएट
	2. जगीलोंनियन विश्वविद्यालय, क्रैको	पोस्ट ग्रेजुएट
कोरिया गणराज्य	1. हानकूक विश्वविद्यालय, सीओल	एम० ए०
रूमानिया	1. बुखारेस्ट विश्वविद्यालय, बुखारेस्ट	ग्रेजुएट
श्रीलंका	1. श्रीलंका विश्वविद्यालय, विद्यालंकार	ग्रेजुएट
स्वीडन	1. स्टाकहोन विश्वविद्यालय, स्टाकहोम	फिलासफी
	2. उप्पसला विश्वविद्यालय, उप्पसला	ऐलीमैंट्री
स्विटजरलैंड	1. लवसाने विश्वविद्यालय, लवसाने	ऐलीमैंट्री
	2. न्यूशेतेल विश्वविद्यालय, न्यूशेतेल	ऐलीमैंटी
थाईलैंड	1. च्यांगमई विश्वविद्यालय, च्यांगमई	ग्रेजुएट
यूनाईटेड किंगडम	1. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज	पी० एच० डी०
	2. यार्क विश्वविद्यालय, यार्क	एम० ए०
	3. लन्दन विश्वविद्यालय, लन्दन	एम० ए०
संयुक्त राज्य अमरीका	1. कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय 2. बरकेले, कैलीफोर्निया 2. शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो 3. इंलिनोइस विश्वविद्यालय, अरबना 4. मिचिगन विश्वविद्यालय, अन आरबन 5. मिसोरी विश्वविद्यालय, कोलम्बी 6. मिनेसोटा विश्वविद्यालय, मिनीपोलिस 7. राचेस्टर विश्वविद्यालय, राचेस्टर 8. पेन्सिलवानिया विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया 9. टेक्साज विश्वविद्यालय, आस्टिन 10. वर्जीनिया विश्वविद्यालय, कार्लोटसविल्ले 11. वाशिंगटन विश्वविद्यालय, सेटले 12. विसकानसिन विश्वविद्यालय, मेडिसन 13. कैलोफोर्निया स्टेट कालेज, हावर्ड 14. अमेरिकन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी०सी० 15. ड्यूक विश्वविद्यालय, डरहम 16. सिराक्यूज विश्वविद्यालल, सिराक्यूज 17. क्लेमोरेंट ग्रेजुएट स्कूल, क्लेमोरेंट 18. डेविडसन कालेज, डेविडसन 19. कैन्सस स्टेट विश्वविद्यालय, मनहरन 20. मिचिगन स्टेट विश्वविद्यालय, ईस्ट लानसिंग 21. ओकलैंड विश्वविद्यालय, राचेस्टर 22. कारनेल विश्वविद्यालय, इथेंका 23. कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क	हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर का अध्ययन

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	1. इंस्टीट्यूट आफ ओरिएन्टल स्टडीज, मास्को	पी०एच०डी०
	2. इंस्टीट्यूट आफ एशियन एन्ड अफ्रीकन स्टडीज, मास्को	डिप्लोमा और पी०एच०डी०
	3. इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, मास्को	,,
	4. लेनिनग्राद राज्य विश्वविद्यालय, लेनिनग्राद	,,
	5. ताशकंत राज्य विश्वविद्यालय, ताशकंत	डिप्लोमा
	6. इंस्टीट्यूट आफ ओरिएन्टल स्टडीज, लेनिनग्राद (डिप्लोमा भारत में एम०ए० के बराबर है)	पी०एच०डी०
यूगोस्लाविया	1. जेगरेब विश्वविद्यालय, जेगरेब	एलीमैंट्री

उपर्युक्त स्थानों के अलावा निम्नलिखित देशों में विभिन्न संस्थानों में भिन्न-भिन्न स्तर तक हिन्दी पढ़ाई जा रही है :

1. बर्मा
2. फीजी
3. कीनिया
4. तन्जानिया
5. मारीशस
6. सूरीनाम
7. त्रिनिदाद
8. अफगानिस्तान
9. कुवैत
10. सऊदी अरब
11. ओमान
12. इंडोनेशिया
13. हांगकांग
14. बहरीन

कोरापुट-रायगढ़ लाईन

6336. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरापुट-रायगढ़ लाईन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाना है । प्रथम चरण में, कोरापुट से मट्टालापुट्टू (23

कि० मी०) तक कार्य शुरू किया गया है । अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

सर्कस सिनारारिया मारिटिया औषधियों का आयात और कानूनों का उल्लंघन

6337. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आयातित सर्कस सिनारारिया मारिटिया औषधियों के आयात से होमियोपैथिक दवाईयों को लेबल करने और पैकिंग करने के उपबन्धों का कठोरतम पालन नहीं होता है जैसे कि औषधि तथा सौन्दर्य पदार्थों सम्बन्धी नियमों में उल्लिखित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि औषधि अधिकारी पत्तनों में होमियोपैथी दवाइयों के आयात के सम्बन्ध में कानून के महत्वपूर्ण उपबन्धों का उल्लंघन करके इन उत्पादों की बड़ी मात्रा में निकासी कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

स्वायत्तशासी स्कूलों के लिए प्रस्ताव

6338. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में 'स्वायत्तशासी स्कूलों' का प्रस्ताव किस अवस्था में है; और

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ सम्बद्ध स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए योजना तैयार की है, ताकि इनको पाठ्यचर्या आयोजना, शिक्षण प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन इत्यादि जैसे शैक्षिक निवेशों के सम्बन्ध में अपने विकल्प का प्रयोग करने में आवश्यक स्वतन्त्रता मिल सके । यह योजना बोर्ड के साथ सम्बद्ध स्कूलों को परिचालित कर दी गई है ।

उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को परिवार नियोजन के लिए सहायता

6339. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी राज्यों के पांच स्वास्थ्य मन्त्रियों ने केन्द्र से यह वायदा किया था कि वे चालू वर्ष में परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर देंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मन्त्रियों को सूचित किया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा सभी सहायता और सुविधायें प्रदान की जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों की भी बैठक बुलाई थी और उन्हें अपने राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी राज्यों को क्या सहायता देने का आश्वासन दिया है और इन राज्यों को कब तक किस सीमा तक सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राज्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य निष्पादन के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूरी सहायता मिले।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) वही जो ऊपर (ख) में है।

आयातित दवाओं की जांच के लिए मद्रास अथवा बम्बई में दवाओं की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना

6240. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सैन्ट्रल ड्रग लेबोरेटोरी, कलकत्ता में काम का बहुत अधिक दबाव है; और

(ख) क्या सरकार आयातित दवाओं की जाँच के लिए मद्रास या बम्बई में एक और ड्रग लेबोरेटोरी स्थापित करने पर विचार करेगी क्योंकि दवाओं का निर्माण करने वाले अधिकांश एकक बम्बई या मद्रास में स्थित हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत आयातित औषधियों का परीक्षण करने के लिए औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता ही एक मात्र सांविधिक प्रयोगशाला है। पत्तनों पर केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा आयातित खेपों के नमूने लिये जाते हैं और उन्हें परीक्षण के लिए केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में भेज दिया जाता है। पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान औषधियों के आयात में काफी वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप केन्द्रीय औषध

प्रयोगशाला, कलकत्ता का कार्य बढ़ रहा है। वैसे, हाल ही में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, को उसी अहाते के एक नये सात मंजिले भवन में ले जाया गया है जिसमें काफी स्थान हैं। इस प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त स्टाफ की भी मंजूरी दे दी गई है। इस प्रयोगशाला के लिए निर्बाध गति से बिजली देने की व्यवस्था कर दी गई है। पहले बिजली की कटौती से काम का हर्ज होता था। वर्तमान व्यवस्था से यह प्रयोगशाला परीक्षण का कार्य लगातार कर सकेगी, आजकल उन आयातकों को किसी स्वीकृत प्रयोगशाला से अपने नमूनों का परीक्षण कराने की अनुमति दी हुई है जहां यह महसूस किया जाता है कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला में किसी विशेष औषधि के नमूने के परीक्षण में विलम्ब होने की सम्भावना है।

बड़ी मात्रा में औषधियों का उत्पादन होने और देश में सरकारी क्षेत्र का विस्तार होने से यह आशा की जाती है कि 2 से 3 वर्षों के अन्दर-अन्दर औषधियों के आयात में काफी कमी हो जायेगी जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में आयातित औषधियों के नमूनों की संख्या में भी कमी हो जाएगी।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में और औषधि परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टिटलागढ़/सम्बलपुर से पुरी/भुवनेश्वर तक एक गाड़ी चलाना आरम्भ करना

6341. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी उड़ीसा के लोगों के लिए तटवर्ती जिलों में आने जाने के लिए कोई रेल-सम्पर्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पश्चिमी उड़ीसा के लोग तथा उड़ीसा सरकार केन्द्र सरकार से टिटलागढ़/सम्बलपुर से पुरी/भुवनेश्वर तक एक नई रेलगाड़ी चलाना आरम्भ करने का अनुरोध कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के परिणाम क्या निकले और उक्त प्रस्ताव को अनुमानतः कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) टिटलागढ़-विजयनगरम्-भुवनेश्वर/पुरी का यातायात मूल्यांकन किया गया है। विजयनगरम् होकर रायपुर और कटक के बीच चलने वाला वर्तमान स्लिप कोच, जिसे यात्रियों द्वारा सम्बलपुर/टिटलागढ़ और भुवनेश्वर/पुरी के बीच उपलब्ध किया जा सकता है, का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए, इन स्थानों के बीच अन्य गाड़ी चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, टर्मिनल सुविधाओं तथा कोचिंग स्टाक की कमी के कारण, फिलहाल नयी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु उड़ीसा द्वारा मांगा गया अतिरिक्त नियतन

6342. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु मांगे गए अतिरिक्त केन्द्रीय नियतन के न मिलने के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारी आघात पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से चालू वित्त वर्ष के लिए शेष 113 लाख रुपये की राशि मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की है और राज्य सरकार को शेष राशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो एक केन्द्रीय प्रयोजित प्लान योजना है, के कर्यान्वियन के लिए तिमाही आधार पर सहायता दी जाती है । 520.06 लाख रुपये के सहायता अनुदान की तीन किस्तें पहले ही दी जा चुकी हैं और पैटर्न के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय 732.36 लाख रुपये की बकाया सहायता चौथी किस्त में दे दी गई है ।

राष्ट्रीय शिशु-चिकित्सा फाउंडेशन के लिए अनुदान सहायता हेतु उड़ीसा सरकार का अनुरोध

6343. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तार संख्या 11404/एच, दिनांक 29 मार्च, 1981 द्वारा, केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय शिशु-चिकित्सा फाउंडेशन को एक श्रेणी-तीन का नगरीय केन्द्र खोलने हेतु अनुदान सहायता जारी करे; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान सहायता जारी करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है और वह किस तारीख तक प्राप्त हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का 29 मार्च, 1981 का पत्र इस मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ । वैसे, केन्द्र सरकार शहरी केन्द्र खोलने की मंजूरी केवल राज्य सरकार को ही

देती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि किसी अवधि विशेष के दौरान अतिरिक्त यूनिटों को खोलने की मंजूरी देते समय वे अपने राज्य में कार्यरत किसी स्वैच्छिक संगठन के अनुरोध को ध्यान में रखें।

कुष्ठ, क्षय तथा अंधता रोगों के नियंत्रण के लिए अस्पताल तथा संस्थान खोलना

6344. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुष्ठ रोग, क्षय रोग तथा अंधता के नियंत्रण हेतु नये अस्पताल तथा संस्थान खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहयोग मांगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) कुष्ठ रोग, क्षय रोग और दृष्टिहीनता के बारे में सूचना इस प्रकार है :

कुष्ठ रोग : छठी योजना अवधि के दौरान 50 अस्थायी भर्ती बार्ड, 6 क्षेत्रीय कुष्ठ, शिक्षण तथा रेफरल संस्थान, जिनमें 75-75 पलंग वाला अस्पताल होगा, 15 कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें, 200 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र 50 जिला कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें और कुछ अन्य सहायक यूनिटों सहित 15 पुनर्वास संवर्धन यूनिटें खोलने का प्रस्ताव है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन से डेप्सोन गोलियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने, कुष्ठ रोग में प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान करने, कुष्ठ रोग के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाओं के आयोजन के लिए और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियत्रण कार्यक्रम के लिए वाहनों, शिक्षण साधनों और सूक्ष्मदर्शी यन्त्रों के लिए सहयोग मांगा गया है। इस कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो सहायता मिली है वर्ष 1981 के लिए उसकी रकम 3,43,301 डालर है और 1982 के लिए यह रकम 3,65,200 डालर है।

क्षय रोग : छठी योजना अवधि में पलंगों सहित और अधिक संख्या में जिला क्षय रोग केन्द्र/क्षय रोग अस्पताल खोलने सम्बन्धी योजना राज्य प्लान क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल की गई है। केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन राज्यों को सामग्री और उपकरण तथा क्षय रोगी औषधियां सप्लाई की जा रही हैं।

इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

दृष्टिहीनता : नये अस्पताल/संस्थाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु क्षेत्र परिचर्या की व्यापक सेवायें सुलभ करने के लिए वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाने का विचार है।

इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

त्रिवेन्द्रम डिवीजन के अधीन नये स्टेशन

6345. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन के अधीन कन्नानकुझी स्थान पर एक नया स्टेशन खोलने के अनुरोध करते हुए कोई सार्वजनिक याचिका प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त याचिका का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अभी हाल ही में श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार, संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ उन्होंने कान्ननकुजी में एक नया रेलवे स्टेशन खोलने के संबंध में दिनांक 18-1-82 की एक याचिका संलग्न की थी। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

गलगंड रोग पर नियंत्रण करना

6346. **श्री चतुर्भुज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गलगण्ड रोग के नियंत्रण के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त रोग को रोकने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री ने गलगंड रोग से पीड़ित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम को अपने राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए सितम्बर, 1981 में अनुरोध किया था। उन्हें निम्नलिखित विशिष्ट उपाय बरतने का सुझाव दिया गया था :

1. वे अपने राज्यों में खोले जाने वाले आयोडीकरण प्लांटों के लिए जमीन और भवनों की प्रर्याप्त व्यवस्था करें तथा इन प्लांटों को चलाने के लिए उबल शिफ्ट के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था करें।

2. गलगंड रोग से पीड़ित क्षेत्रों में सामान्य नमक की बिक्री/दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करें और सम्बन्धित जिला अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करें।

3. प्रत्येक स्थानिकमारी ग्रसित राज्य में गलगंड सेल की स्थापना राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों का आयोडीकृत नमक बांटने के लिए 12 आयोडीकरण प्लांट पहले ही चलाए जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थानिकमारी वाले जोनों में 15 नए प्लांट खोले जाने हैं, जिनमें से 2 प्लांट 1980-81 में पहले ही गोहाटी म खोले जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ तथा सक्रिय बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव के स्तर पर सम्बन्धिम राज्यों, उद्योग और रेल मंत्रालयों, हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करके उनमें इन उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

मिराज सांगली लाईन

6347: **श्री चतुर्भुज** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 7.77 किलोमीटर लम्बी मिराज-सांगली (महाराष्ट्र) बड़ी लाईन को पुन: चाल करने की योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त परियोजना के प्राक्कलनों की जांच कर ली गई है तथा उन्हें मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि योजना आयोग ने इसे स्वीकृति नहीं दी है तो उक्त स्वीकृति प्राप्त करने हेतु रेल अधिकारियों ने इन तीन महीनों के दौरान क्या विशेष प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) अभी तक योजना आयोग से पत्र व्यवहार नहीं किया गया है। चूंकि इस परियोजना की लागत में काफी वृद्धि हो गयी है, इसलिए इसका वित्तीय दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक समझा गया था। दक्षिण मध्य रेलवे से कहा गया है कि वे इस परियोजना का वित्तीय दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन करें। पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यह विनिश्चय किया जायेगा कि इस परियोजना की स्वीकृति के लिए योजना आयोग को लिखा जाये अथवा अनुमान को रेल मंत्रालय में ही स्वीकृति दे दी जाय।

रेलवे में सहकारी श्रमिकों को खपाना

6348. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि धनबाद डिविजन की रेलवे सहकारी समितियों के किसी भी श्रमिक को, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन० जी०) III/77/आर० आर० आई०/5, दिनांक 26 अगस्त, 1977 के अनुसार, अभी तक रेलवे में नहीं खपाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं और वर्ष 1979 से 1981 तक की अवधि में कितने प्रतिस्थापन/श्रेणी-चार के कर्मचारी धनबाद डिविजन में नियुक्त किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) बोर्ड के 26 अगस्त, 1977 के आदेशों की शर्तों के अनुसार पात्र नैमित्तक श्रमिकों और एवजियों के बारे में विचार कर लिए जाने के बाद ही सहकारी समिति जैसे अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों के कर्मचारियों की रेल सेवाओं में नियमित रूप से समाहित करने के लिए विचार किया जाता है। उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में पात्र नैमित्तिक श्रमिकों और एवजियों की संख्या बहुत अधिक है और धनबाद मंडल की सहकारी समितियों के कर्मचारियों को समाहित करना संभव नही हुआ है।

1979, 1980 और 1981 के वर्षों के दौरान धनबाद मण्डल में नियोजित चतुर्थ श्रेणी के एवजियों की वर्ष वार संख्या क्रमश: 568, 284 और 437 है।

प्राइमरी स्कूल

6349. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक संघ क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 1981 को ऐसे प्राइमरी स्कूल कितने हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है और उनमें से ऐसे कितने हैं जिनमें प्रत्येक में केवल एक अध्यापक है; और

(ख) सरकार ने चालू वित्त वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्राइमरी स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 31-12-1981 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है। 30-9-1978 (चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण) तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) प्राथमिक शिक्षा की कोटि सुधारने के लिए सुझाए गए अथवा प्रारंभ किए गए मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) एकल अध्यापक स्कूलों को दो अध्यापक वाले स्कूलों में बदलना।

(ii) प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार।

(iii) शैक्षिक अर्हताओं के बेहतर स्तरों के अनुप्रयोग तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक दक्षता में सुधार।

(iv) पाठ्यचर्या को आवश्यकताओं, जीवन परिस्थितियों तथा विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भोगोलिक स्थितियों में बच्चों के पर्यावरण के अनुरूप बनाकर उसे विकेन्द्रीकृत करके शिक्षा की कोटि में सुधार।

(v) प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में उपस्थिति पर नजर रखना।

(vi) पर्यवेक्षण सम्बन्धी तंत्र को सुदृढ़ बनाना और खण्ड स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण।

विवरण

नियुक्त शिक्षकों के अनुसार संघ शासित क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल
(30.9.1978 की स्थिति)

संघीय क्षेत्र	बगैर अध्यापक वाले	एक अध्यापक वाले
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	37
अरुणाचल प्रदेश	—	528
चण्डीगढ़	—	—
दादर और नागर हवेली	2	111
दिल्ली	—	4
गोआ दमन और दीव	—	173
लक्षद्वीप	—	1
मिजोरम	—	74
पाण्डिचेरी	2	92

नई दिल्ली में ईस्टर्न/वेस्टर्न कोर्ट से मन्दिर मार्ग तक एक बस सेवा आरंभ करना

6350. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एन० ई० होरो :

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दफ्तरों में काम करने वालों तथा अन्य लोगों के लिए कार्यालयों के बन्द होने के समय के बाद ईस्टर्न/वेस्टर्न कोर्ट से विभिन्न दिशाओं में कुछ बसें चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के लिए एक भी बस नहीं जाती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मार्ग पर भी एक बस चलाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) जी, हां। कार्यालय समय के बाद ईस्टर्न/वेस्टर्न कोर्ट से नगर के विभिन्न स्थानों को नीचे लिखी विशेष बसें चलाई जाती हैं :

समय	रूट नं०	गतंव्य स्थान
1640	602	प्रिया सिनेमा, रामाकृष्ण पुरम ।
1945	854	जनकपुरी बरास्ता मन्दिर मार्ग ।
1710	440	कालकाजी ।
1720	602	प्रिया सिनेमा, रामाकृष्ण पुरम ।
1730	505	महरौली ।
1730	854	जनकपुरी बरास्ता मन्दिर मार्ग ।
1745	615	मुनीरका ।
1810	602	प्रिया सिनेमा ।
1820	854	तिलक नगर बरास्ता मन्दिर मार्ग ।
2010	602	प्रिया सिनेमा ।
2010	854	जनकपुरी बरास्ता मन्दिर मार्ग ।

रूट नं० 854 की बसें चार फेरे मन्दिर मार्ग से होते हुए लगाती हैं ।

विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग

6351. **श्री केयूर भूषण** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग सप्लाई करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकारी रेड क्रास सोसाइटी द्वारा प्राधिकृत संस्थान ने इस बारे में कोई प्रस्ताव पेश किये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपकरण प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विकलांग व्यक्तियों को 25 रुपए से 1,500 रुपए तक के मूल्य के सहायक यन्त्र मुफ्त प्रदान किए जाते हैं जिनकी मासिक आय 750 रुपए अथवा उससे कम है तथा जिन विकलांग व्यक्तियों की मासिक आय 750 रुपए से अधिक और 1500 रुपए से कम है उन्हें सहायक यन्त्र आधे मूल्य पर दिए जाते हैं ।

(ग) और (घ) इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी की मध्य प्रदेश शाखा, भोपाल तथा मध्य-प्रदेश वेल्फेयर एसोसिएशन फार दि ब्लाइन्ड इन्दौर से इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए

राज्य सरकार के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी की मध्य प्रदेश शाखा को 2 लाख रुपए के तथा मध्य प्रदेश वेल्फेयर एसोसिएशन फार दि ब्लाइन्ड, इन्दौर को 1 लाख रुपए के सहायक अनुदान मंजूर किए गए हैं।

दिल्ली में महिला कालेज

6352. **श्री भीकूराम जैन** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में महिला कालेजों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे महिला कालेजों के नाम क्या हैं जो पिछले 15 वर्षों से स्कूल भवनों में चल रहे हैं;

(ग) क्या इन कालेजों को भूमि उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इन कालेजों को कब तक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली में 19 महिला कालेज हैं। ये हैं :

1. भारती महिला कालेज
2. दौलतराम कालेज
3. गार्गी कालेज
4. इन्द्रप्रस्थ महिला कालेज
5. जेसस और मेरी कालेज
6. जानकी देवी महाविद्यालय
7. कालिन्दी कालेज
8. कमला नेहरू कालेज
9. लेडी इर्विन कालेज
10. लक्ष्मी बाई कालेज
11. लेडी श्रीराम महिला कालेज
12. माता सुन्दरी कालेज
13. मिरांडा हाउस
14. मैत्रेयी कालेज

15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालेज

16. विवेकानन्द महिला कालेज

17. गृह-अर्थशास्त्र संस्थान

18. राजकुमारी अमृत कौर नर्सिग कालेज

19. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित महिला कालेज अस्थायी आवासों में चल रहे है :

1. कालिन्दी कालेज

2. माता सुन्दरी कालेज

3. मैत्रेयी कालेज

(ग) और (घ) कालिन्दी कालेज को छोड़कर उपर्युक्त सभी कालेजों को भूमि आवंटित कर दी गई है। कालिन्दी कालेज को, भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में डाक्टरों के स्थानान्तरण तथा पदोन्नतियां

6353. **श्री भीकूराम जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कितने डाक्टर हैं;

(ख) ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त योजना में आने से लेकर अब तक दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया गया है; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है जिनकी पदोन्नति राजधानी में रहते हुए ही हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेलों का लोहे के डिब्बों में आयात

6354. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा खाने के उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य तेलों का भारत में आतात लोहे के डिब्बों में किया जाता है जो कि तेल के आक्सीकरण के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) क्या इसके बावजूद भी सीमा शुल्क अधिकारी मानव उपयोग के लिए अपेक्षित खाद्य तेलों के लिए निर्धारित आयात संबंधी नियमों का बार-बार उल्लंघन होने दे रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों अर्थात 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान मानव उपयोग हेतु आयातित खाद्य तेल के कितने लोहे के डिब्बे अस्वीकृत कर दिए गए, उनमें तेल की कितनी मात्रा थी और उनकी कीमत कितनी थी;

(घ) उक्त अस्वीकृत आयातित तेल को यदि मानव उपयोग में नहीं लाया गया है तो फिर कैसे उसे निपटाया गया; और

(ङ) क्या उनका विभाग सीमा शुल्क विभाग पर इस बात के लिए जोर देगा कि वह नियमों का पालन करे और मानव उपयोग के खाद्य तेलों का आयात केवल स्टेनलैस स्टील के डिब्बों में ही करने की अनुमति दे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी आएगी।

विश्वविद्यालय अध्यापकों के चयन के बारे में बिहार राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना

6355. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लिखित प्रतिस्पर्धा परीक्षा के आधार पर विश्वविद्यालय अध्यापकों के चयन के उद्देश्य में बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश के बारे में रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने इसकी अपनी मन्जूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) बिहार में राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की पद्धति की राज्य विधान मण्डल के अधिनियमों में व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत ये विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं। इन अधिनियमों के वर्तमान प्रावधानों में यदि कोई संशोधन करना हो तो वह राज्य सरकार की वैधानिक क्षमता में आता है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती की पद्धति में अध्यादेश के जरिए किए गए संशोधनों के स्पष्ट स्वरूप के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के शारीरिक शिक्षा विंग में आरोपों की जांच

6356. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **शिक्षा मन्त्री** शारीरिक शिक्षा विंग दिल्ली में वित्तीय गड़बड़ के बारे में 3 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शारीरिक शिक्षा विंग में वित्तीय गड़बड़ से सम्बन्धित आरोपों के बारे में सरकार द्वारा मुद्रित जांच का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष रहे और उक्त गड़बड़ के लिये कौन-कौन लोग जिम्मेदार पाए गए तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि जांच का काम पूरा नहीं हुआ है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच, संगत रिकार्डों के अभाव में, जो दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के पास है, रुक गई है ।

नॉन-मैट्रिक सेल्समैन

6357. **श्री वसुदेव आचार्य** : **क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड के 7 जून, 1978 के पत्र संख्या ई (एन) 78-सी एन आई-8 के अनुरक्षण में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की गैस सांविधिक रेल कर्मचारी कैन्टीनों में नॉन-मैट्रिक सेलमैनों, सुपरवाइजरों क्लर्कों को ए वर्ग के शहरों/वेतन तथा अन्य परिलब्धियों की बकाया राशि पाने का लाभ क्यों नहीं दिया गया है जबकि यह लोग दिल्ली में रेलवे बोर्ड कार्यालय तथा बडौदा हाउस स्थित गैर सांविधिक कैन्टीनों के कर्मचारियों को दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

फरवरी, 77 में जारी किए गए रेलवे बोर्ड के आदेशों, जिनमें 'क' श्रेणी के शहरों में मैट्रीकुलेट कर्मचारियों पर लागू संशोधित न्यूनतम मंजूरी लिपिकीय/पर्यवेक्षी कोटियों के लिए निर्धारित को भेजी थी, को कार्यान्वित करते समय रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न रेलों पर इन कोटियों में कार्यरत कुछ गैर-मैट्रिकुलेट कर्मचारियों पर संबधित प्रशासनों द्वारा मैट्रिकुलेट कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम मंजूरी अनन्तिम रूप से अथवा रेलवे बोर्ड के 7-6-78 के आदेशों की गलत व्याख्या के कारण लागू करने की अनुमति दे दी गयी थी । चूंकि ये सभी गैर-मैट्रिकुलेट कर्मचारी परिलब्धियों के भेदभाव के बिना अर्हता के आधार पर संशोधित वेतनमान के क्षेत्र केवल 1-10-79 से हो गये हैं, इसलिए 1-4-76 से 30-9-79 तक विभिन्न अवधियों के लिए किये गये अधिक भुगतानों

को नियमित करने का प्रश्न विचाराधीन है । उपर्युक्त को देखते हुए उन गैर-मैट्रिकुलेट कर्मचारियों को, जिन्हें 'क' श्रेणी के अन्य शहरों में के वेतनमान नहीं किए गए थे, यह लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के खाद्य-मिलावट निरोधक विभाग द्वारा लिए गए मिठाइयों के सैम्पल

6358. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के खाद्य पदार्थों में मिलावट, रोकने वाले विभाग द्वारा विगत दिवाली के त्यौहार के समय लिए गए मिठाइयों के कतिपय सैम्पलों मे चांदी के वर्कों की बजाए विषैले एल्यूमिनियम के वर्क लगे पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो एल्यूमिनियम/चांदी के वर्क सप्लायरों के विरुद्ध 15 फरवरी, 1982 तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) ऐसे पांच मामलों में मुकदमे चलाये गये हैं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेलगाड़ियों में आरक्षण

6359. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में दलालों द्वारा फालतू पैसे लेकर रेलगाड़ियों में आरक्षण कराये जाने के बारे में "मन्डे डायरी स्पोरवे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आरक्षण के मामले में सभी खामियों को पूरा करने का सुनिश्चित करने हेतु जो कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) शायिकाओं और सीटों के आरक्षण के मामलों में ग्रस्त समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए रेलों के वाणिज्यिक एवं सतर्कता संगठनों द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से एवं स्वतन्त्र रूप से निवारक तथा अचानक जांच नियमित रूप से की

जाती है। यात्री आरक्षण के सम्बन्ध में कदाचारों की विशिष्ट घटनाओं तथा अन्य अनियमितताओं की शिकायतों की शीघ्र जांच की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

अनधिकृत एजेण्टों द्वारा आरक्षित स्थान की खरीद करने और उसे हस्तान्तरित कर देने को संज्ञेय अपराध मानने और 1000 रु० तक जुर्माना तथा 3 वर्ष तक के कारावास के दण्ड योग्य बनाने के लिए भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में संशोधन हेतु राज्य सभा में एक बिल पास हो चुका है।

प्रधान मन्त्री द्वारा यू० के० तथा सऊदी अरब का दौरा

6360. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री मार्च/अप्रैल में ब्रिटेन तथा सऊदी अरब के दौरे पर जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दौरों का मुख्य प्रयोजन क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री ने 21 से 26 मार्च, 1982 तक यू० के० की यात्रा की। यू० के० में भारत महोत्सव से सम्बन्धित समारोहों में भाग लेने के अतिरिक्त उनकी यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचार करना था।

अप्रैल के उत्तरार्द्ध में प्रधान मन्त्री सऊदी अरब की सद्भावना यात्रा पर जाने वाली हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

तुलसी नगर, दिल्ली में प्राथमिक विद्यालय में कर्मचारियों/अध्यापकों को वेतन का भुगतान न किया जाना

6361. **श्री हीरालाल आर० परमार** :

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :

क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुलसी नगर, दिल्ली-35 में प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारियों/अध्यापकों को जनवरी, 1982 माह के वेतन का भुगतान 1 मार्च, 1982 तक नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जैसी कि दिल्ली नगर निगम से रिपोर्ट मिली है, स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा वेतन बिल देर से प्रस्तुत करने के कारण, प्राथमिक विद्यालय, तुलसी नगर, दिल्ली के स्टाफ/अध्यापकों को जनवरी, 1982 माह का वेतन 2-3-1982 को अदा किया गया था। सामान्यतः पहले सप्ताह तक वेतन का भुगतान कर दिया जाता है ।

मद्य-निषेध लागू किया जाना

6362. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान में राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार मद्यनिषेध को लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या राज्यों की उत्तरी जोनल परिषद ने जिसकी बैठक फरवरी, 1982 में गृह मन्त्री की अध्यक्षता में हुई थी उस पर चर्चा की थी; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्यनिषेध नीति को कार्यान्वित करना राज्य विषय है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने मद्यनिषेध को लागू करने के लिए राज्यों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं । इसने 1977-78 के वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के आधार पर आबकारी राजस्व में हानि के 50 प्रतिशत तक की राज्यों को क्षतिपूर्ति करने का वचन भी दिया है । केन्द्रीय सरकार जन प्रचार माध्यमों द्वारा शराब पीने की बुराइयों के बारे में लोगों को शिक्षित करके तथा शैक्षिक प्रचार के लिए अनुदान देकर स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करके मद्यनिषेध के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है ।

(ग) जी, नहीं । उत्तरी जोनल परिषद की फरवरी, 1982 में हुई बैठक में सीमावर्ती राज्यों में अवैध शराब लाने ले जाने तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए आबकारी नीति पर विचार किया गया था ।

परिवार नियोजन के लिए प्रचार माध्यम

6363. **डा० कृपासिन्धु भोई** ; क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे परिवार के आदर्शों का प्रचार करने के लिए प्रचार माध्यमों में संशोधन के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) गत दो जनगणनाओं के अनुसार जन्म दर में कमी लाने के लिए दो योजनाओं के दौरान कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) छोटे परिवार के सिद्धांत का बेहतर प्रचार करने के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में सभी प्रचार माध्यमों और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुँचाने के प्रयासों का अधिक से अधिक तथा और तेजी से उपयोग किया जायेगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, इसलिए प्रचार नीति में छोटे परिवार के सिद्धांत से सम्बन्धित जानकारी देने पर अधिक जोर दिया जाता है जिसमें परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों की जानकारी देने के साथ-साथ सुनियोजित पेरेंटहुड की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है।

(ख) 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर अनुमान है कि 1961-71 में प्रति 100 जन्मदर 41.2 थी। 1981 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का आयु और लिंगवार ब्यौरा न मिलने के कारण 1971-81 के लिए ऐसा अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

रक्त आधान के क्षेत्र में रूसी सहयोग

6364. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्त आधान सेवाओं को विकसित देशों के बराबर आधुनिक और प्रभारी बनाने के लिए रूसी सहयोग का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) चार भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल सितम्बर, 1981 में सोवियत रूस गया था। उनकी रिपोर्ट में सोवियत रूस में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख था :

(1) रक्ताधान सेवाएं;

(2) प्लास्टिक के थैलों के लिए बायोमेटीरियल्स; और

(3) प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान और प्रतिरक्षा आनुवंशिकी।

(ग) सोवियत संघ के रुधिर विज्ञानियों के यहां आने के पश्चात ही सहयोगात्मक कार्यक्रम का अन्तिम रूप दिया जा सकता है। अभी तक उनके आने की तारीख निश्चित नहीं हुई है।

कोढ़ से रोग मुक्त किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम

6365. **डा० कृपासिंधु भोई :**

श्री पी० राजगोपाल नायडू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोढ़ की रोकथाम के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संस्थाओं द्वारा क्या सहायता उपलब्ध की गई है;

(ख) कोढ़ से रोग युक्त किए गए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस रोग के उचित इलाज के लिए तथा कोढ़ ग्रस्त रोगियों ने परिवार नियोजन के उपायों के लागू किये जाने के लिए जिससे कि इस रोग की और वृद्धि को रोका जा सके क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, स्वीडिश विकास एजेन्सी तथा अनेक अन्तराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों द्वार सहायता प्रदान की जाती है जिसका ब्योरा विवरण में दिया गया है ।

(ख) कुष्ठ रोगियों के मेडिकल/सर्जिकल पुनर्वास का कार्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 15 कुष्ठ रोग पुनर्वास संवर्धन यूनिटों को खोलना भी शामिल है । कुष्ठ रोगियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है और वे "विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजन" चला रहे हैं जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है जिससे कि वे शिक्षा, प्रशि. ण और पुनर्वास संबंधी सेवाओं को बढ़ा सकें । यह योजना उन स्वैच्छिक संगठनों के लिए भी लागू की जा रही है जो कुष्ठ के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम से अन्तर्गत इस रोग के उपचार के लिए कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें, सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र तथा विशिष्ट कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों का जाल सा बिछा दिया गया है ।

कुष्ठ रोगी अन्य लोगों की भांति परिवार नियोजन की सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं ।

विवरण

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन

	1981	1982 (अनन्तिम)
1. अल्पावधि परामर्शदाता (2 प्रतिवर्ष)	25000 डालर	25000 डालर
2. शिक्षावृत्ति	42300 डालर	20550 डालर
3. शिक्षा संबंधी सामूहिक कार्यकलाप	26000 डालर	26000 डालर
4. सामग्री और उपकरण :		
डी० डी० एस० (100 कि० ग्राम)	1,22000 डालर	1,25,000 डालर
उपकरण	1,00,000 डालर	1,21,750 डालर
(सूक्ष्मदर्शी और उपकरण)		
5. सब्सिडि	28000 डालर	21900 डालर
योग	3,45,301 डालर	3,65,200 डालर

2. सीडा

बहु-औषधि विधान के अनुसार गहन क्षेत्रीय परीक्षण करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के वास्ते सीडा करार के अधीन सहायता दी गई है। इस करार के अन्तर्गत कुल सहायता 3 करोड 60 लाख रुपए की है और इसमें औषधियों/टेप की सप्लाई तथा बहु-औषधि विधान वाले जिलों पर होने वाला आपरेशनल खर्च भी है।

(1980-82)

1. औषधि सप्लाई : (1) रिफम्पिसिन—25 लाख कैप्सूल 32.37 लाख रुपए (150 मि० ग्राम)

(2) लेम्परीन 29 लाख कैप्सूल 20.65 लाख रुपए

2. जिंक टेप—कुष्ठ रोगियों में ट्राफिक अल्सर के उपचार के लिए मिले 4200 बण्डल।

3. प्राप्त हुई/जून, 1982 तक प्राप्त होने वाली औषधियों की सप्लाई

1. लम्परीन (100 मि० ग्रा०)	12.60 लाख
2. रिफम्पिसिन (150 मि० ग्रा०)	17.92 लाख
3. प्रोथिओनामाइड (25 मि० ग्रा०)	22.00 लाख

(1982-83)

4. सीडा से प्रत्याशित सप्लाई

(क) लेम्परीन कैप्सूल (100 कि० ग्राम)	133.1 लाख
(ख) रिफम्पिसिन कैप्सूल (150 मि० ग्राम)	95.3 लाख
(ग) प्रोथिओनामाइड कैप्सूल (250 मि० ग्राम)	44.4 लाख

3. यूनिसेफ

डेपसोन औषधि सप्लाई के रूप में सहायता प्रदान की गई है।

(क) औषधि सप्लाई—डेप्सोन (100 मि० ग्राम) 5 टन 13.14 लाख रुपए की दर से (1980-81) 4, टन 1092 लाख रुपए की दर से (1981-82)

यूनिसेफ द्वारा प्रति वर्ष 10 शिक्षण सेट, 10 डीजल जीपें, 5 डीजल मिनी बसें, 100 मोबीकेस, 10 स्लाइड प्रोजेक्टर और स्लाइडों के 10 सेट के साथ-साथ कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए तीन वर्ष तक प्रति वर्ष 5 मी० टन डेप्सोन प्रदान की जाएगी।

4. अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्थाएं

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन कुष्ठ नियन्त्रण के क्षेत्र में बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं जिनमें लेप्रासी मिशन डेमियन फाउण्डेशन, जर्मन लेप्रासी रिलीफ आर्गेनाइजेशन और स्बिस-इमाउस

भी शामिल है, जो विदेशी धन अनेक कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र/अस्पताल/गृह चलता है तथा अनेक स्वदेशी स्वैच्छिक निकायों को सहायता भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के साथ इनके कार्यकलापों को समन्वित किया जा रहा है।

दिल्ली में वाहनों द्वारा कर का भुगतान

6366. **श्री शिवशरण वर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह जानने के लिए किसी गाड़ी ने मार्ग कर का भुगतान कर दिया है, निरीक्षण की क्या प्रणाली हैं;

(ख) दिल्ली में कितनी गाड़ियां विदेशी नम्बरों वाली हैं और क्या वे मार्ग कर का भुगतान कर रही हैं; और

(ग) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत पूंजीकृत गाड़ियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और उनसे मार्ग कर की अनुमानित कितनी राशि प्राप्त होनी चाहिये और वास्तव में उनसे कितनी राशि वसूल की गई है और यह राशि वास्तविक रूप से वसूल की जाने वाली राशि से कितनी कम है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली में, आवेदन पत्र के साथ सड़क-कर काउंटर पर लेने के बाद प्राप्ति रसीद की दो प्रतियां दी जाती हैं। एक प्रति (मूल प्रति) पंजीकृत मालिक को दी जाती है और दूसरी प्रति परिवहन निदेशालय के अदायगी अनुभाग को उनके लेजर में दर्ज करने के लिए भेज दी जाती है। लेजर की जांच से कर नहीं देने वालों का पता लगाया जाता है।

(ख) 6.3.82 को परिवहन निदेशालय, दिल्ली के पास कुल 1843 गाड़ियां राजनानिक कोड गाड़ियों के रूप में पंजीकृत हैं। सभी राजनयिक कोड गाड़ियां सड़क कर के भुगतान से मुक्त हैं।

(ग) परिवहन निदेशालय, दिल्ली के अनुसार 31.1.1982 को गाड़ियों के ब्रेक-अप इस प्रकार हैं :

(i) कार/जीप/स्टेशन वैगन/स्कूटर	126827
(ii) मोटर साइकिल/मोपेड्स	377937
(iii) ओटोरिक्शा	21469
(iv) टैक्सी	6769
(v) बस	8787
(vi) माल गाड़ी	39104
कुल	580893

वर्ष 1981-82 में सड़क कर से 6.55 लाख रुपये की अनुमानित राशि प्राप्त होने की संभावना है। 28.2.82 तक 6,40,53,639 रुपये वसूल किये जा चुके है और शेष के मार्च 1982 तक वसूल किये जाने की संभावना है।

दिल्ली में मिनी बसों का चलना

6367. **श्री शिवशरण वर्मा :**

श्री हरीश कुमार गंगवार :

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 12 फरवरी, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस के पृष्ठ 3 पर "कैपीटल ब्रीफ" शीर्षक के अन्तर्गत दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन और मालवीय नगर एक्सटेंशन के बीच चलने वाली मिनी बस के बारे में प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दिल्ली में स्टेज कैरियर के रूप में मिनी बसों के प्रचालन को समाप्त करने में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता की शर्तों के अनुसार, दिल्ली परिवहन निगम ने बस मालिक पर जुर्माना किया है।

(ग) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने स्टेज कैरिज परमिटों के अधीन चलने वाले मिनी बसों को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

टिकट जारी करना सुनिश्चित करने के लिए डी०टी० सी० की बसों में आकस्मिक जांच

6368. **श्री शिवचरण वर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० टी० सी० की बसों के चलने के पहले प्वाइंट पर यात्रियों को उनकी सीटों पर कन्डक्टरों द्वारा टिकट दिये जाने की जांच करने के लिए 1981 में कितने आकस्मिक निरीक्षण किए गए; और

(ख) धौला कुआं रिंग रोड, नई दिल्ली में विद्यमान कठिन स्थिति का मुकाबला करने और उसकी रोकथाम करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) यद्यपि आकस्मिक चेक की कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी चेकिंग स्टाफ यह सुनिश्चित करने के लिए

नियमित चेकिंग करते हैं कि टर्मिनल स्थान पर बसों की प्री-बुकिंग, एडवांस बुकिंग स्टाफ अथवा बस कंडक्टर द्वारा की जाती है।

(ख) धौला कुंआ से सेवाओं का विनियमन, टाईम कीपर अच्छी तरह करता है। धौला कुंआ पर टाइम कीपर बूथ में टेलीफोन की सुविधा मौजूद है। बसों की कमी के बारे में अथवा कोई समस्या खड़ी हो जाने पर टाइम-कीपर को केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से मदद मांगने, और उच्च यातायात अधिकारियों से सम्पर्क करने की हिदायत दी गई है। इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक अतिरिक्त इन्सपेक्टर की नियुक्ति की गई है।

भारत-ग्रीक सहयोग

6369. **श्री भोकूराम जैन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ग्रीक के विदेश मन्त्री की हाल की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के विशिष्ट सुझाव दिए गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में ग्रीक का एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल शीघ्र ही भारत का दौरा करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) यूनान के विदेश मंत्री की भारत-यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि भारत-यूनान सहयोग के क्षेत्रों में वृद्धि करने के बारे में विचार-विमर्श के लिए निकट भविष्य में एक यूनानी प्रतिनिधि-मंडल को भारत की यात्रा करनी चाहिए।

कलकत्ता सरकुलर रेलवे

6370. **श्री रेणुपद दास :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के चारों ओर सरकुलर रेलवे की सम्भाव्यता की जांच करने के उद्देश्य से सरकार ने कभी किसी प्रकार के सर्वेक्षण का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। लेकिन, पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता तथा इसके आसपास 5 रेल परियोजनाओं के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन करने का कार्य रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज लिमिटेड से कराने के लिए पहल की है। सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।

विदेश मन्त्रालय में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

6371. **श्री भीखा भाई** : क्या **विदेश मन्त्रालय** में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ii, iii और iv श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या के बारे में 4 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1959 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में ii, iii और iv श्रेणी की सेवाओं में भारत में तथा विदेशों में कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में सूचना दी गई है ।

विवरण

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
वर्ग (ख) (श्रेणी-ii)	1622	125	7.7%	12	0.75%
वर्ग (ग) (श्रेणी-iii)	868	91	10.5%	40	4.6%
वर्ग (घ) (श्रेणी-iv)	झाड़ूकशों को छोड़कर 470	75	16.0%	3	0.6%
(वर्ग (घ) (झाड़ूकश) (श्रेणी-iv)	20	20	100%	कोई नहीं	कोई नहीं

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्य

6372. **श्री जैनुल बशर** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उन संकाय सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(ख) इस प्रकार के संकाय सदस्यों का ब्यौरा क्या है, वे किस पद पर हैं, उनकी नियुक्ति किस तारीख को की गई और उनका अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों का पूर्व अनुभव क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पद पदोन्नति द्वारा नहीं भरे जाते हैं इसलिए इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय की संविधियों में अध्यापकों के लिए पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में वाराही देवी का मन्दिर

6373. **श्री हरीश रावत** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ जिले में देविधुरा में वाराही देवी का मन्दिर ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का एक धार्मिक केन्द्र है; और

(ख) यदि हां, तो इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) यह मन्दिर केन्द्र संरक्षित संस्मारक नहीं है, अतः इसकी ऐतिहासिक विशिष्टताओं के परिरक्षण का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर नहीं है।

पिथौरागढ़ में आउट एजेंसी

6374. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और बागेश्वर नगरों के स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए वहां पर रेलवे आउट एजेंसी तथा रेल-सह-सड़क आरक्षण सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन नगरों के लोगों को वे सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) चूंकि वर्तमान ठेकेदार ने काम आरम्भ करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है, इसलिए पिथौरागढ़ आउट एजेन्सी पर यात्री बुकिंग सुविधा की व्यवस्था करना रेलवे के लिए संभव नहीं हो पाया है।

7 अप और 8 डाउन लखनऊ-काठगोदाम-नैनीताल एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

6375. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान 7 अप और 8 डाउन लखनऊ-काठगोदाम-नैनीताल ऐक्सप्रेस कितने बार अपने गन्तव्य स्थानों पर विलम्ब से पहुंची;

(ख) यह गाड़ी अधिकतम कितने विलम्ब से पहुँची; और

(ग) इस प्रकार से विलम्ब से चलने का क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सितम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान, 7 अप और 8 डाउन नैनीताल एक्सप्रेस गाड़ियां अपने गन्तव्य स्टेशनों पर क्रमशः 82 और 98 बार देर से पहुंचीं ।

(ख) छः महीनों के दौरान, मध्यवर्ती खंड में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने और भारी तूफान की वजह से सारा यातायात अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण, 7 अप अधिक से अधिक 11 घन्टे देर से पहुंची और 8 डाउन नैनीताल एक्सप्रेस 12 घन्टे 20 मिनट देर से पहुंची ।

(ग) खतरे की जंजीर खींचना, होज पाइप अलग कर दिया जाना, घटिया किस्म का कोयला और भाप रेल इंजनों का खराब हो जाना इन गाड़ियों के विलम्ब से चलने के मुख्य कारण रहे हैं । सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और खतरे की जंजीर खींचने तथा होज पाइप अलग करने की बुराई की रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ।

मध्य प्रदेश की अनाथ बच्चों की देख-रेख और संरक्षण के लिए केन्द्रीय नियतन

6377. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के लिए "अनाथ बच्चों की देख-रेख और संरक्षण" योजना के अन्तर्गत 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान सहायता का कितना केन्द्रीय नियतन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना के चलने का स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए किन पद्धतियों पर विचार किया जा रहा है कि ये योजनायें राज्य को दिए गए केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार लागू की जायें ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंत बच्चों के लिए सेवाओं की योजना हेतु मध्य प्रदेश सर-

कार को वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान क्रमशः 47,972 रुपए, 90,418 रुपए और 1,94,368 रुपए की धनराशियां दी गई थीं।

(ख) मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए इन्दौर स्कूल आफ सोशल वर्क, इन्दौर को एक मूल्यांकन अध्ययन स्वीकृत किया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले संगठनों को राज्य सरकार के साथ एक अनुबन्ध करना होता है कि वे अनुदान की शर्तों को पूरा करेंगे। इस योजना का पर्यवेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में उपकरण और मशीनें

6378. **श्री नारायण चौबे** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर सभी ऐसे संस्थानों में सबसे पुराना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बहुत से उपकरण और मशीनें बहुत पुरानी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ने सरकार के समक्ष अपने मामले को लेकर अभ्यावेदन किया है और पुराने सामान, जो इस समय का प्रयोजन हल नहीं करता, को बदलने के लिए धनराशि की मांग की है; और

(घ) देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है और इसके संस्थान-वार आंकड़े क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ मशीनें तथा उपस्कर बहुत पुराने हैं।

(ग) संस्थान ने अपनी प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव भेजा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भा० प्रौ० संस्थानों को स्वीकृत अनुदान इस प्रकार हैं :

भा० प्रौ० सं०	1979-80	1980-81	1981-82
			(रु० लाखों में)
1	2	3	4
खड़गपुर (योजनागत)	133.00	133.00	200.00
(योजनेतर)	383.76	434.28	483.70
दिल्ली (योजनागत)	119.00	134.00	150.00

1	2	3	4
(योजनेतर)	365.21	408.03	474.88
बम्बई (योजनागत)	153.00	172.50	190.00
(योजनेतर)	390.50	442.33	511.82
मद्रास (योजनागत)	132.00	147.12	165.00
(योजनेतर)	344.91	386.66	442.85
कानपुर (योजनागत)	108.00	140.00	130.00
(योजनेतर)	433.91	456.84	514.04

नेहरू युवक केन्द्र, जालोर

6379. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के जालोर जिले में 1971 में नेहरू युवक केन्द्र खोलने की मंजूरी दे दी थी;

(ख) क्या जालोर का नेहरू युवक केन्द्र बाड़मेर को ले जाया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास जालोर में पुन: नेहरू युवक केन्द्र खोलने का एक प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य में जिला जालोर के लिये जनवरी 1973 में स्वीकृत किया गया। नेहरू युवक केन्द्र, राज्य सरकार की सिफारिश पर फरवरी, 1973 में बाड़मेर में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) राजस्थान की राज्य सरकार की सिफारिश पर मार्च, 1982 में जालोर के लिये एक नेहरू युवक केन्द्र स्वीकृत किया गया है। उक्त केन्द्र के युवक समन्वयक के पद के चयन को नियमानुसार अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद यह केन्द्र परिचालित हो जाएगा।

दिल्ली के अस्पतालों में बिगड़ती हुई स्थिति

6380. **श्री रामविलास पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग तथा अन्य अस्पतालों की स्थिति और कार्यकरण दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों में रोगियों के उचित इलाज तथा इन अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं। वैसे, ये संस्थाएं कुशलतापूर्वक कार्य करें इसके बारे में सरकार पूर्णतया सजग है और सीमित संसाधनों के अन्दर-अन्दर नए भवनों का निर्माण कर, अनिवार्य सेवाओं के लिए स्थान बढ़ाकर, नए वार्ड खोलकर, सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाओं को सुदृढ़ कर, अतिरिक्त आपरेशन थिएटर स्थापित कर दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे है। रोगियों की अधिक भीड़ के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में 500-500 पलंग वाले दो और 100-100 पलंग वाले तीन अस्पताल बनाने का विचार है।

'अलेज्ड इल्लीगल रिमूवल आफ बैड पेशेन्ट्स आईज" शीर्षक समाचार

6381. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री "अलेज्ड इल्लीगल रिमूवल आफ डैड पेशेन्ट्स आईज" (मृत रोगी की आंखों के गैर-कानूनी रूप से निकाले जाने का आरोप) शीर्षक समाचार के बारे में दिनांक 25 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में पुलिस के निष्कर्ष क्या हैं, दोषी लोगों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उस लाभार्थी का नाम क्या है, जिसे मृतक की आंखों की पुतली मिली हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पुलिस अभी मामले की छान-बीन कर रही है और इस अवस्था में किसी नतीजे पर पहुँचना संभव नहीं है।

सुरक्षा विभाग (रेलवे सुरक्षा बल) में पदों का दर्जा बढ़ाना

6382. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल विभाग के कर्मचारियों सहित रेलवे की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के सभी पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है/पुनर्गठित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य में सुरक्षा विभाग (रेलवे सुरक्षा बल) के सभी कार्मिकों को छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह विसंगति कब तक दूर कर दी जायेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल उन्हीं संवर्गों की पुनर्संरचना की गयी है जहां पर पदोन्नति की समुचित सरणियों की व्यवस्था करने तथा काम की अपेक्षाओं की दृष्टि से औचित्य समझा गया है।

(ख) और (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों के लिये उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस

6393. **श्री रामविलास पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों के वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, इन कर्मचारियों को रेलवे के कर्मचारी समझा जाता है;

(ख) क्या रेलवे के कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस मंजूर किया गया है जबकि रेलवे सुरक्षा बल कार्मिकों को यह बोनस नहीं दिया गया है और इसके बदले 50 रुपये की राशन सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह राशन सहायता केन्द्रीय बलों के समान है और जब से रेल कर्मचारियों को उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस दिया जाता है तभी से दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत, बल के महानिरीक्षक और प्रत्येक अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अध्याय II-क को छोड़कर उसके अर्थ के अन्तर्गत सभी प्रयोजनों के लिये रेल कर्मचारी समझे जायेंगे और उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रेल कर्मचारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार होंगे। वेतन आयोग द्वारा उनके वेतनमान अलग से निर्धारित किये गये हैं। वे अन्य रेल कर्मचारियों को यथा सर्व कार्य रेल सुविधाओं, जैसे निःशुल्क पास, पी० टी० ओ०, के भी हकदार हैं।

(ख) रेल कर्मचारियों को स्वीकृत उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को स्वीकार्य नहीं है। राशन के लिए 50 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता बोनस के बदले स्वीकृत नहीं की जाती है।

(ग) यह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए लागू दरों के बराबर है लेकिन जिस तारीख को अन्य रेल कर्मचारी बोनस के पात्र हुए थे उसके बाद की तारीख से इसका भुगतान किया गया है।

(घ) सरकार की यह नीति नहीं है कि बलों के वर्दीधारी कार्मिकों को बोनस का भुगतान किया जाये।

हावड़ा-चम्पाडांगा यात्री समिति की ओर से ज्ञापन

6384. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हावड़ा-आम्ता चम्पाडांगा यात्री समिति से कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने उस ज्ञापन की जांच कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) उसमें काम पूरा करने के लिये क्या समय निश्चित किया गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) जहां तक हवड़ा-आम्ता/चम्पाडांगा लाइन का सबन्ध है, पहले चरण में संतरागाछी से बड़गछिया तक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 198 -83 के बजट में नयी लाइनों के निर्माण के लिए संसाधनों की भारी तंगी के कारण इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किये गये प्रयास को धक्का पहुंचा है। इस परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। पहला चरण पूरा हो जाने के बाद ही, परियोजना का शेष काम आरम्भ किया जा सकता है।

जहां तक हवड़ा-शियाखला नयी रेल लाइन परियोजना का सम्बन्ध है, हवड़ा-आम्ता/चम्पाडांगा परियोजना के पूरा हो जाने पर इसे प्रारम्भ किया जायेगा।

कंजूर मार्ग स्टेशन

6385. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के मध्य रेलवे के उपनगरीय स्टेशन, कंजूर मार्ग पर केवल एक ही द्वीप प्लेटफार्म है जो प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 से मिलकर बना है;

(ख) क्या कंजूर मार्ग की सवारियों को उस समय भारी तकलीफ होती है जब अलग मार्ग से जाने वाली गाड़ियां लाइन संख्या 3 और 4 पर से जाती हैं और कंजूर मार्ग पर प्लेटफार्म न होने के कारण वहां रुकती नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि रेलवे यह असुविधा दूर करने के लिये प्लेटफार्म संख्या 3 और 4 नहीं बना रहा है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, बहुत कम अवसरों पर।

(ग) इस स्टेशन पर केवल धीमी चलने वाली स्थानीय गाड़ियों आती-जाती हैं। तेज लाइनों पर चलने वाली स्थायीय गाड़ियां यहां नहीं ठहरती हैं। कभी-कभी धीमी लाइन पर चलने वाली उपनगरीय गाड़ियों के अस्त-व्यस्त हो जाने से इन गाड़ियों को तेज लाइन नं० 3 और 4 पर चलाया जाता है, जहां प्लेटफार्मों की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति कभी-कभी और केवल आगत स्थिति में ही होती है। अतएव, लाइन नं० 3 और 4 के लिए अतिरिक्त उपनगरीय प्लेटफार्म की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता।

मुलुंड और मांडुप के बीच स्टेशन

6386. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में नाहुर और मुलुंड के पड़ोसी क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि मध्य रेलवे में मुलुंड और मांडुप के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र के निवासियों को यह सुविधा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बम्बई उपनगरीय खंड पर मांडुप और मुलुण्ड स्टेशनों के बीच एक नया स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है किन्तु इसे न तो वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण पाया गया है और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य ।

मस्जिद स्टेशन पर पुल बहिर्गमन द्वार

6387. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में मध्य रेलवे में मस्जिद स्टेशन पर वर्तमान पुल बहिर्गमन द्वार सुविधा पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर समुचित पुलों और बहिर्गमन द्वारों की व्यवस्था करने के लिये बहुत से एसोसियेशनों और व्यक्तियों से ज्ञापन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) दक्षिण पूर्व ऊपरी बुकिंग प्रांगण और भंडारी पुल के बीच वर्तमान बुकिंग कार्यालय और पंक्ति लगाने की व्यवस्था में हेर-फेर करके रास्ते को चौड़ा करने का काम 10.15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1982-83 के बजट में पहले ही शामिल कर लिया गया है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ न देना

6388. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना, जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू है, का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या उनके वेतनमान और सेवा शर्तें ठीक वैसी ही हैं जैसी सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की हैं;

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों ने मांग की है कि उन पर यह योजना लागू करने पर विचार किया जाये;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनका अनुरोध मान लिया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी भी इस योजना के हकदार होंगे; और

(ज) उनके मन्त्रालय के किन अन्य विभागों को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना में सांविधिक तथा स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, शामिल नहीं हैं ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमत्य वेतनमान, भत्ते और कुछ लाभ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों के लिए भी स्वीकृत कर दिए गए हैं । तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों की सेवा की सभी शर्तें वही नहीं हैं जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) और (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना में शामिल होने के हकदार नहीं हैं ।

(ज) सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है । परन्तु सांविधिक निकायों तथा स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डीन की शैक्षित अर्हता

6389. **श्री रशीद मसूद :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल आफ कम्प्यूटर और सिस्टम्स लाइसेंस के डीन की शैक्षिक अर्हता क्या है; और

(ख) नियुक्ति के समय उन्हें कितने वर्ष का कम्प्यूटर का अनुभव प्राप्त था ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) स्कूल के वरिष्ठ प्रोफेसर बारी-बारी से स्कूल के डीन के पद पर कार्यकरते हैं। संगणक और प्रणाली विज्ञान स्कूल के वर्तमान डीन एक गणितिज्ञ हैं। वह एम० एस० सी० और पी० एच० डी० डिग्रीधारी हैं और बीजगणित में उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है। उनकी संगणक की विशेष रूप से संगणक विज्ञान के सैद्धान्तिक पहलुओं की पर्याप्त जानकारी है।

एशियाई खेलों के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा विदेशों की नि:शुल्क यात्रा

6390. **श्री रशीद मसूद :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **शिक्षा मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों से सम्बद्ध अनिवार्य आदेश पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों ही सरकारी/गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा अब तक विदेशों की कितनी नि:शुल्क यात्राएं की गईं;

(ख) इन व्यक्तियों द्वारा किन देशों की यात्रा की गई और ये यात्रायें किस प्रयोजन से की गईं;

(ग) सरकार ने इन यात्राओं पर अब तक कुल कितना व्यय किया है; और

(घ) इन यात्राओं में यदि किसी गैर-तकनीकी सरकारी/गैर-सरकारी व्यक्ति को शामिल किया गया हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (घ) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति से प्राप्त सूचना पर आधारित वांछित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) नौवें एशियाई खेल, 1982 के सिलसिले में अनिवार्य आदेश पर 87 यात्रायें की गई हैं।

(ख) जिन देशों की यात्रा की गई उनके नाम निम्नलिखित हैं :

1. आस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. फ्रांस

4. हांगकांग

5. इटली

6. जापान

7. कुवैत

8. मलेशिया

9. मेक्सिको

10. नार्वे

11. सिंगापुर

12. स्विटजरलैंड

13. थाइलैंड

14. संयुक्त अरब अमीरात

15. यू० के०

16. यू० एस० ए०

17. यू० एस० एस० आर०

18. पश्चिम जर्मनी

19. यूगोस्लाविया

इन यात्राओं के प्रयोजन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 30-11-1981 तक 97,152.65 रुपये की राशि खर्च की गई थी। उस तारीख के बाद की गई यात्राओं के सम्बन्ध में समायोजन बिल अभी विशेष आयोजन समिति से प्रतीक्षित हैं।

(घ) एशियाई खेलों के सिलसिले में अनिवार्य आदेश पर विशेष आयोजन समिति से विदेश गए सभी व्यक्ति या तो तकनीकी खेल अधिकारी थे अथवा नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के अधिकारी थे अथवा विशेष आयोजन समिति से सम्बद्ध थे।

विवरण

(1) प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनात्मक पहलुओं का अध्ययन करना।

(2) एशियाई खेलों के आयोजन से सम्बन्धित तकनीकी नियम पुस्तकों का अनुमोदन प्राप्त करने और तकनीकी मामलों पर चर्चा करने हेतु जी० ए० आई० एस० एफ० (जनरल एसोसिएशन आफ इन्टरनेशनल स्पोर्टस फेडरेशन) की महासभा में भाग लेना।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तकनीकी अध्ययन अद्यतन बनाने या विभिन्न महासंघों के तकनीकी अधिकारियों, रेफ्रियों, निर्णायकों, अम्पायरों की तकनीकी श्रेणी उन्नत करना।

(4) एशियाई एथलीटिक प्रतियोगिताओं में विशेषज्ञता प्राप्त करने और नौवें एशियाई खेल 1982 में शामिल खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघों से चर्चा करना।

(5) तकनीकी उपकरणों की जांच करने और ऐसे उपकरण की सप्लाई के लिए बातचीत करने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए तकनीकी अनुभव प्राप्त करना।

(6) एशियाई फुटबाल महासंघ की बैठक/अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति की बैठक/आस्ट्रेलियाई हाकी प्रतियोगिता में भाग लेना।

(7) पी० ए० टी० ए० (पेसिफिक एरिया ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसिएशन) सम्मेलन में भाग लेना।

(8) एशियाड खेल स्थलों में विज्ञापनों के लिए स्थान की बिक्री के सम्बन्ध में करार पर हस्ताक्षर करना।

(9) एशियाई खेलों के लिए संगणक द्वारा कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के लिए धनराशि

6391. **श्री कैयूर भूषण** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 23(1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या मानदंड है;

(ग) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1981-82 के लिए धनराशि मंजूर की है और यदि हां, तो कितनी;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को धनराशि दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इसे यह राशि कब तक दे दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग की पूर्व स्वीकृति से राज्य सरकार अपने निगम में जितनी पूंजी लगाता है उसका 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को वहन करना होता है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने 1981-82 के दौरान इस निगम में राज्य सरकार की 5 करोड़ रु० की पूंजी लगाये जाने की स्वीकृति दी थी। 1981-82 में केन्द्रीय सरकार की देयता

250 लाख रु० ही दी गई। इसके अलावा, 31-3-81 के अनुसार इस निगम को बकाया के रूप में 105 लाख रु० देय थे जिससे, कुल देयता 355 लाख रु० हो जाती है। इसमें से, 1981-82 में 150.70 लाख रु० पहले ही दे दिये गये हैं, बाकी 204.30 लाख रु० रह गये जो भविष्य में चुकाये जाने के लिए हैं। धन की कमी के कारण 1981-82 में केन्द्रीय सरकार की देयता पूरी तरह से चुका पाना सम्भव नहीं हैं।

रोलर वियरिंग युक्त वैगन, कोच और इन्जन

6392. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोलर-वियरिंग युक्त तथा रोलर-वियरिंग रहित वैगनों, कोचों तथा इन्जनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या रोलर-वियरिंग से गति तेज होती है और वे मरम्मत के बिना काफी लम्बे समय तक काम करते हैं;

(ग) क्या गाड़ियों के सुरक्षित रूप से चलने तथा उनकी दक्षता के लिए रोलर वियरिंग और तांबे/सफेद धातु में वियरिंग को अलग-अलग किया जाना अपेक्षित है;

(घ) क्या रोलर-वियरिंग बोगी वैगनों को लम्बी दूरी के लिए उपयोग में लाये जाने और 4-व्हीलर वैगनों को कम दूरी के लिए साधारण वियरिंग के साथ उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति तथा भावी कार्यक्रम क्या है; और

(च) क्या पृथक-पृथक दक्षतापूर्ण संचालन के लिए रोलर, वियरिंग वैगनों से तांबे के वियरिंग वाले वैगनों में माल के ले जाने तथा तांबे के वियरिंग वाले वैगनों से रोलर वियरिंग वाले वैगनों में माल ले जाने पर विचार किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-3-198. को रोलर वेयरिंग और प्लेन वेयरिंग युक्त माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और इन्जनों की संख्या नीचे दी गयी है :

		रोलर वेयरिंग युक्त	प्लेन वेयरिंग युक्त
माल डिब्बे			
(वाहन यूनिट)	व० ला०	1,11,370	1,91,695
	मी० ला०	—	86,819
सवारी डिब्बे			
	व० ला०	13,768	6,894
	मी० ला०	2,978	9,349
रेल इन्जन			
डीजल	व० ला०	1,830	36
	मी० ला०	.460	10
बिजली			
	व० ला०	449	567
	मी० ला०	20	—

जहां तक भाप रेल इन्जनों का सम्बन्ध है, टेंडर के धुरों में रोलर वेयरिंग लगे रहते हैं और इन्जन के धुरों में प्लेन वेयरिंग लगे होते हैं। 31-?-1981 को भाप रेल इन्जनों (व० ला० और मी० ला०) की कुल संख्या 7469 थी।

(ख) निर्बाध सेवा में सुधार लाने, मरम्मत किये बिना स्टाक लम्बी अवधि तक चलाने और हाट बाक्सों की घटनाएं कम करने के लिए रोलर बेयरिंगो की व्यवस्था की जाती है। इनसे अधिक रफ्तार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है, बशर्ते कि तेज रफ्तार से इन्हें चलाने के लिए अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाये।

(ग) रोलर वेयरिंग, सेंटर बफर कप्लर आदि युक्त माल डिब्बे लम्बी दूरी तक अधिक आय-भार वाले माल की ढुलाई करने में सक्षम होते हैं। कुशल चालन के लिए, ऐसे माल डिब्बा स्टाक को यथा सम्भव अधिक से अधिक मात्रा में साधारण माल डिब्बों से अलग कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) अलग किये गये रोलर वेयरिंग स्टाक को विशेष रेकों के रूप में बनाया गया है और ये सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, इस्पात आदि थोक पण्यों की ढुलाई करने के लिए प्रयुक्त किये जा रहे हैं। नीति के रूप में, यह विनिश्चय किया गया है कि रोलर वेयरिंग स्टाक और प्लेन वेयरिंग स्टाक को यथा सम्भव अधिक से अधिक अलग-अलग गाड़ियों में चलाया जाये।

(च) जी नहीं।

पुराने होने के कारण भाप के इन्जनों को कबाड़ न माना जाना

6393. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मार्गों के विद्युतीकरण के विस्तार के अनुपात में बिजली के इन्जनों का उत्पादन नहीं हो रहा है और डीजल इन्जनों का निर्माण भाप के इंजनों को समान रूप से कबाड़ न माने जाने के कारण इसके अनुरूप नहीं है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत तथा डीजल के बहुत से इन्जन या तो यार्डों और लाको शेडों में बेकार पड़े हैं या बहुत ही कम काम में लाए जा रहे हैं कोयले की खपत जिसे कम किया जाना अन्य प्रयोग में लाया जा सकता था वह भी नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि भाप के इन्जनों को कबाड़ मानने के लिए एक नियम समय का है कि जितने समय के लिए उनके चलने का समय रहता है तब तक उन्हें चलना होगा; और

(ग) क्या समूची मितव्ययिता लाने के लिए इस नियम में संशोधन करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिजली और डीजल दोनों रेल इंजनों के उत्पादन की योजना प्रत्याशित आवश्यकताओं के अनुरूप बनायी गयी है। इन आवश्यकताओं का हिसाब लगाते समय गतायु और नाकारा भाप रेल इंजनों को समाप्त करने और विद्युतीकरण के संभावित विस्तार का लेखा-जोखा भी ध्यान में रखा जाता है

भाप रेल इंजनों को समाप्त करने के कार्य को तेज कर दिया गया है और कोयले की खपत कम कर दी गयी है। कोई डीजल या बिजली का इंजन फालतू नहीं है।

(ख) भाप रेल इंजनों की आयु एवं हालत के आधार पर समाप्त किया जाता है। कम प्रयुक्त किए गए भाप इंजनों को तभी समाप्त किया जाता है जब इसकी आवश्यकता पड़ती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लहेरिया सराय में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए टेंडर

6394. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 4 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 186 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच टेंडर को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) इस टेंडर का कुल मूल्य कितना है और इसे पूरा करने की समय-सूची सहित लहेरिया-सराय में शुरू किए जाने वाले विविध कार्य की विशिष्टता क्या है;

(ग) इस रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को पूरा करने की समय सूची का ब्योरा क्या है; और

(घ) सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन के निर्माण का तैयार किया गया अब तक का प्राक्कलन क्या है और अद्यतन प्राक्कलन क्या है और क्या भूमि का अधिग्रहण और मिट्टी का काम पूरा हो गया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) समस्तीपुर में अस्थायी कार्यालय और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करने तथा लहेरिया सराय में विविध कार्यों से संबंधित दो निविदाएं खोली गयी थीं लेकिन धन की कमी के कारण निविदाएं रद्द कर दी गयी हैं।

(ग) कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) इस कार्य की मूल अनुमानित लागत 4.75 करोड़ रुपये थी जिसके आधार पर इसे प्रारम्भ में बजट में अनुमोदित किया गया था। लेकिन, वर्तमान दरों के अनुसार, इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए से कम लागत नहीं आएगी। भूमि का अधिग्रहण और मिट्टी का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों तथा प्रिंसिपलों को पुन: रोजगार दिया जाना

6395. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अथवा उनके सम्बद्ध अंगीभूत कालेजों में प्रिंसिपलों सहित शिक्षा विद कर्मचारियों को, विशेषकर इन कालेजों की प्रबन्ध समितियों/शासी

निकायों में नामजद किए जाने के विशेष सन्दर्भ में पुनः रोजगार देने/सेवा अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में किसी कालेज की शासी निकायों/प्रबन्ध समितियों के बीच विवादों, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में उठे विवादों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में तनाव तथा गत्वारोध को दूर करने के लिए, विशेषकर इस कारण से कि इन विवादों के फलस्वरूप कालेजों में हिंसा भड़कती है और इससे विश्वविद्यालय परिसरों की शांति भंग होती है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करते समय सरकार ने यह सुझाव दिया था कि शिक्षकों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने पर किसी शिक्षक की सेवा अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए । इस समय किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 60 वर्ष की आयु के बाद शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । फिर भी, सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय किसी शिक्षक को सेवा निवृत्ति के बाद पुनः रोजगार दे सकता है, यदि इस प्रकार का पुनः रोजगार देना विश्वविद्यालय के शिक्षण और अनुसंधान कार्य के हित में हो। तदनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सम्बद्ध संविधि में समुचित प्रावधान किए जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हाल ही के एक मामले में, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज के शासी निकाय ने एक सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य को पुनः रोजगार न देने का निर्णय लिया था । विश्वविद्यालय ने सम्बद्ध नियम में संशोधन करके यह प्रावधान बनाया था कि शासी निकाय यह निर्णय करने से पहले कुलपति की स्वीकृति प्राप्त करे कि सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य को पुनः रोजगार दिया जाना चाहिए अथवा नहीं । फिर भी, दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिटर द्वारा अध्यादेश में इस संशोधन की अनुमति नहीं दी गयी थी। तदनुसार ऐसे मामलों में, जहां शासी निकाय सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य अथवा शिक्षक को पुनः रोजगार देने का निर्णय करते हैं, कालेज को केवल कुलपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। एक अन्य मामले में, कालेज के शासी निकाय ने कुलपति की स्वीकृति से एक सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य को पुनः रोजगार देने का निर्णय लिया था। फिर भी, शासी निकाय ने अपनी बाद की बैठक में पहले वाले निर्णय की पुष्टि नहीं की । इसके परिणामस्वरूप गतिरोध आ गया । इस समय यह मामला निर्णयाधीन है । सम्बन्धित कालेज सामान्य रूप से कार्य कर रहा है क्योंकि कोर्ट ने एक अन्तरिम आदेश द्वारा कालेज के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया था ।

खेलकूद परिषद

6396. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक राज्य में खेलकूद परिषदों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने खेलों और खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की मौजूदा जानकारी के अनुसार 17 राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिषदों का गठन किया जा चुका है। शेष राज्यों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। 1980 में प्रकाशित "अखिल भारतीय खेल परिषद, राज्य खेल परिषदों को अनुदान" नामक प्रकाशन के भाग II में इस मंत्रालय द्वारा राज्य खेल परिषदों की एक सूची का संकलन किया गया था। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी गई थीं। फिर भी, अद्यतन सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है।

(ग) चूंकि खेल राज्य का विषय है, अत: इस मंत्रालय ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किए है। फिर भी, राज्य सरकारों को 1975 में खेलों और शारीरिक सौष्ठव के सम्बन्ध में नीतियों और कार्यक्रमों सम्बन्धी कुछ मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की गई थीं। मार्गदर्शी रूपरेखाओं की प्रति राष्ट्रीय खेल नीति प्रारूप, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई हैं, के अनुबन्ध-II में उपलब्ध है।

आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कांफीडरेशन का सम्मेलन

6397. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कांफीडरेशन का चौथा वार्षिक सम्मेलन 20 से 22 फरवरी, 1982 तक धनबाद में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प उन्हें भेजे गये थे;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आल इंडिया रेलवे एम्प्लाइज कांफीडरेशन, जो एक अमान्यता प्राप्त संगठन है, द्वारा भेजी गयी सूचना से पता चलता है कि उन्होंने सन्दर्भित तारीखों को तथा स्थान पर वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया था।

(ख) और (ग) इस संगठन द्वारा इस सम्मेलन में पारित संकल्पों की प्रति प्राप्त हो गयी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्फ्रीडरेशन को मान्यता प्रदान करने तथा उन्हें बातचीत करने का अधिकार देने जैसी उनकी मुख्य "मांगों" का उल्लेख है। इसके अलावा रेल दुर्घटनाओं, समय-पालन में हानि, रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों, रेल यात्री किराये और भाड़े आदि जैसे मसलों के सम्बन्ध में उनके विचार व्यक्त किये हैं।

(घ) सरकार ने आल इंडिया रेलवे फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन नामक दो अखिल रेलवे फेडरेशन को पहले ही मान्यता दे रखी है तथा उनसे सम्बद्ध यूनियनों को क्षेत्रीय रेलों पर मान्यता प्राप्त है। सरकार की नीति है कि रेलों पर ट्रेड यूनियन संगठनों की संख्या न बढ़ायी जाए।

रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर पहले से ही एक तीन स्तरीय स्थायी वार्तातंत्र कार्यरत है जहां पर बैठकों के आवास से रेल कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श किया जाता है और वित्तीय तथा अन्य तंगियों के भीतर उनका समाधान निकाला जाता है।

राजेन्द्र नेत्र अस्पताल, दिल्ली में आंखों का एक्स-रे

6398. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजेन्द्र नेत्र अस्पताल, दिल्ली में एक ऐसी मशीन है जो, अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस अस्पताल में आंखों का एक्स-रे सप्ताह में केवल दो बार, अर्थात् बुधवार और शुक्रवार को किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक सप्ताह में एक दिन ही केवल आठ रोगियों की आंखों का एक्स-रे किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस अस्पताल में एक्स-रे की अधिक सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं। सप्ताह के सारे दिनों में एक्स-रे किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

नसबन्दी की गई महिलाओं में घातक "एक्टोपिक" गर्भावस्था रोकने के लिए कार्यवाही

6399. **श्री तारिक अनवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नसबन्दी के बाद भी महिलायें गर्भवती हुई हैं;

(ख) नसबन्दी की गई महिलाओं में घातक "एक्टोपिक" गर्भावस्था रोकने के लिए उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई डाक्टरी सलाह दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) संभव है कि अपसामान्यताओं के कारण कुछ महिलायें नसबन्दी आपरेशन कराने के बाद भी गर्भवती हो जाएं। इनमें से कुछेक गर्भावस्थायें एक्टोपिक हो सकती है। अस्पतालों में आरम्भ में ही उनका पता लगाने तथा उचित इलाज करने से घातक एक्टोपिक गर्भावस्थायें कम हो जाती हैं।

आगामी ग्रीष्म ऋतु में मच्छरों के खतरे को समाप्त करने के लिए कार्यवाही

6400. **श्री तारिक अनवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मच्छरों का खतरा इस वर्ष शीतकाल के दौरान भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही कर रही है जिससे कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में मच्छरों के खतरे में वृद्धि न हो;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सर्दी के मौसम में भी बहुत से इलाकों में मच्छरों का आतंक रहता है। यद्यपि देश में मच्छर आतंक नियत्रण नाम का कोई कार्यक्रम नहीं है तथापि मच्छरों से होने वाले रोगों के नियंत्रण हेतु कदम उठाए जाते हैं। मच्छरों से हुए मलेरिया रोग के संचरण को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इन उपायों में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव तथा शहरी क्षेत्रों में जहां प्रतिवर्ष प्रति हजार दो या अधिक रोगी होते हैं, लावानाशी दवाओं का छिड़काव शामिल है।

आर० के० पुरम में बस शैड बनाना

6401. **श्री तारिक अनवर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने आर० के० पुरम, रिंग रोड में बहुमंजिले फ्लैटों के बस स्टाप पर एक बस शैड बनाने का निर्णय किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने रेजिडेंट्स वेल्फेयर एसोसियेशन को सूचित किया था कि वहां पर एक शैड शीघ्र ही बना दिया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि बजट प्रावधान के एक वर्ष के बाद भी यह शैड नहीं बनाया गया है; और

(घ) इस शैड का निर्माण न करने के विशेष कारण क्या हैं और इसका निर्माण कब तक किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) रामकृष्ण पुरम में रिंग रोड पर मल्टी स्टोरिड फलैटों की दूसरी ओर सड़क के दोनों तरफ एक-एक दो बस शेल्टरों के निर्माण के लिए सितम्बर, 1981 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अक्टूबर, 1981 में निवासियों को दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया कि उनकी मांग समयानुसार उचित कारंवाई के लिए नोट कर ली गयी है।

वर्ष 1981-82 के बजट प्रावधान में शेल्टरों के निर्माण के लिए स्थानों का चुनाव पहले ही कर लिया गया है, जिसमें रामकृष्ण पुरम में रिंग रोड पर मल्टी स्टोरिड फलैटों की दूसरी ओर का स्थान भी शेल्टर निर्माण के लिए शामिल है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का दर्जा बढ़ाना

6402. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सी० जी० एच० एस० कर्मचारी संघ की दिल्ली शाखा के प्रतिनिधियों ने 8 अप्रैल, 1981 को सी० जी० एच० एस० के निदेशक के साथ बातचीत की थी; और क्या इसमें सी० जी० एच० एस० का दर्जा बढ़ाकर इसे महानिदेशालय का दर्जा देने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1981 से इस बारे में मंत्रालय के साथ अब तक हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और सी० जी० एच० एस० को एक पृथक महानिदेशालय कब तक बना दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्बद्ध कार्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुणे-बम्बई लाइन में मानकी-हिल में फिश-प्लेटों का हटाना

6403. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे-बम्बई लाइन में खंडाला रेलवे स्टेशन के निकट मानकी-हिल में रेल लाइन से हाल ही में बहुत सी फिश प्लेटें हटा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच-पड़ताल दल का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध मे भारतीय रेल अधिनियम की धारा 379/ 26 के अन्तर्गत खोपोली/लोनावला पुलिस स्टेशनों मे चार मामले दर्ज किये गये हैं। पुलिस द्वारा अभी तक एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक विशेष दस्ते द्वारा इस मामले की तत्परता से छानबीन की जा रही है।

(घ) इस खंड पर यात्रियों की संरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(I) रेलवे के गैंगमैनों और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रभावित खंड पर रेलपथ की गश्त का काम तेज कर दिया गया है।

(II) ऐसे अपराधों के लिए उत्तरदायी बदमाशों को पकड़ने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाये रखा जा रहा है।

(III) रेलपथ सम्बन्धी अपराधों की पूर्णत: छानबीन करने और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष दस्ता तैनात किया गया है।

कोयले की कमी

6404. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान रेलवे विभाग अपने स्वयं के लोकोशेडों को कोयले की पूरी सप्लाई नहीं कर सका है और लगभग 6 0 सवारी गाड़ियों को रद्द करना पड़ा था, और कोयले की निरन्तर कमी के कारण राष्ट्रीय ग्रिड में रेलवे का एकमात्र बिजली घर अपनी निर्धारित क्षमता को केवल 50 प्रतिशत ही उत्पादन कर सका;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों के लिए बुक किया गया 30,000 टन कोयला पश्चिम और मध्य रेलवे द्वारा अपने लोकोशेडों को चलाये रखने के लिए अनधिकृत रूप से उतार लिया गया था; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं की परिवहन जरूरतें रेलवे विभाग द्वारा कहां तक पूरी की गई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ समय से रेलों और उद्योगों की मिश्रित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में भाप कोयले की उपलब्धता काफी नहीं रही है । अत:, महत्वपूर्ण उद्योगों को भाप कोयला उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, रेलें समय-समय पर अपनी आवश्यकताओं की स्वेच्छा से कटौती करती हैं और अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय और कम महत्वपूर्ण गाड़ियों को अनवार्यत: रद्द करती हैं । 1981 के दौरान किसी एक दिन जो सवारी गाड़ियां रदद कर दी गयी थीं उनकी अधिकतम संख्या जून में 352 जोड़ी गाड़ियां थी । लेकिन यह संख्या दिसम्बर, 81 जनवरी, फरवरी और मार्च, 82 में क्रमश: 117.5, 94.5, 81.0 और 77.5 जोड़ी गाड़ियाँ थीं । ठाकुर्ली बिजली घर, कल्याण में बिजली का उत्पादन कम हुआ जो अंशत: गतायु बायलरों, जिन्हें अब पुन: स्थापित किया जा रहा है, और अंशत: 1981-82 की पहली अवधि के दौरान कोयले की कमी के कारण था ।

(ख) जी हां । ऐसी यात्री गाड़ियों को चलाये रखने के लिए किया गया था । रेलों द्वारा कोयले की प्रतिपूर्ति की जा रही है ।

(ग) रेलों द्वारा लगभग सभी अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई अब निर्धारित लक्ष्यों और पिछले वर्ष के लक्ष्य से अधिक की गयी है । चालू वर्ष के दौरान माल यातायात का समग्र संचलन निर्धारित लक्ष्य से ही अधिक नहीं है बल्कि यह भारतीय रेलों के इतिहास में सर्वाधिक है ।

किसी भी कीमत पर रेल की रफ्तार

6405. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे बोर्ड को शिकायत की है कि उनके प्रतिवेदनों की उपेक्षा की जा रही है; और

(ख) क्या किसी भी कीमत पर रेल की रफ्तार बनाये रखने के सिद्धान्त की सुरक्षा आयुक्तों द्वारा आलोचना की गई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय कलकत्ता से 18.2.82 के स्टेंसमैन में 'गाड़ियों में तथाकथित अपर्याप्त ब्रेक शक्ति' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से है, जिसमें माल गाड़ियों में पर्याप्त ब्रेक शक्ति न होने जैसे आरोप लगाये गये थे । इस सम्बन्ध में 25-3-82 के अतारांकित प्रश्न सं० 5296 के उत्तर में सूचना संसद को पहले ही दे दी गयी है ।

चार्टर्ड बसों के रूप में चलने वाले ठेके के वाहन

6406. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार की यात्री बसों के लिये विशेष परमिट जारी किये जाते हैं और क्या उनको ठेके के वाहनों अथवा चार्टर्ड बसों के रूप में चलने की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) क्या चार्टर्ड बसों को यात्रियों की सूची, उनके पते और पार्टी के नेता का नाम और पता प्रस्तुत करना पड़ता है और बस को किराये पर लेने पर हर बार परमिट लेना पड़ता है; और

(ग) बसों के अवैध रूप से चलना रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63(6) के तहत विशेष परमिट सार्वजनिक गाड़ियों को जारी किए जाते हैं जिनमें मोटर कैब, कांट्रेक्ट करेज और स्टेज करेज भी शामिल है । ठेके के अन्तर्गत रिवार्ड या भाड़े पर यात्री या यात्रियों को ले जाने के लिए गाड़ी के प्रयोग के लिए विशेष परमिट दिए जाते हैं । इन गाड़ियों को उन रूटों पर जो ठेके में शामिल नहीं किए गए होते यात्रियों को लेना या उतारना नहीं होता । मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत चार्टर्ड नाम से कोई बसें नहीं है । चार्टर्ड बसों के रूप में चलाई जाने वाली कांट्रेक्ट करेज बसों को जो इसका सामान्य नाम है, विशेष परमिट देने के लिए जैसा कि ऊपर कहा गया है, सार्वजनिक गाड़ियां ही मानी जाती हैं

(ख) राज्य सरकारों द्वारा अपने नियम बनाने की शक्तियों के अधीन बनाए गए मोटर गाड़ी नियमों में इस प्रकार की शर्तें रखी जाती हैं । यह देखा गया है कि विशेष परमिट के लिए आवेदन करते समय यात्रियों की सूचि प्रेषित करना एक महत्वपूर्ण शर्त होती है ।

(ग) नियमों का उल्लंघन करते हुए बसों के चलने पर अभियोग चलाया जा सकता है ।

आर० के० पुरम सेक्टर 1 के बस "बेज" का निर्माण

6407. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री आर० के० पुरम, सेक्टर 1 में बस "बेज" के निर्माण के बारे में 20 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आर० के० पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बस "बेज" निर्मित कराये जाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं और इनकी अभी तक व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : दिल्ली प्रशासन की ट्रैफिक एण्ड ट्रांसपोर्टेशन समन्वय समिति द्वारा 2-12-1981 को गठित एक उपसमिति ने दिल्ली में परिवहन निगम के समस्त परिचालन क्षेत्र में टर्मीनलों, उपटर्मीनलों और बसबेज के विकास के प्रश्न पर विचार करना है और वह समिति विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करेगी और बस-बेज आदि के विकास के ठीक स्थानों का पता लगाएगी ।

आबादी की समस्या के बारे में विधायकों का भाग लेना

6408. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आबादी बढ़ाना रोकने का कार्य विधायकों और सांसद को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनसंख्या की समस्या के बारे में विधायकों के सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये कोई निश्चित रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ग) इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मण्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमारी बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) छोटे परिवार के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने तथा अपनाने के लिये सभी स्तरों पर लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायतों, ब्लाक सोसाइटियों, जिला परिषदों, नागरिक निकायों, राज्य विधान मण्डलों और संसद सदस्यों का इस कार्यक्रम में सहयोग लिया जायेगा और उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

(ग) बहु-प्रचार साधनों तथा व्यक्तियों के परस्पर सम्पर्क को नीतियों का प्रभावकारी और विवेकपूर्ण उपयोग कर छोटे परिवार के सिद्धान्त के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और जानकारी देने के लिए तेजी से प्रयास किये जायेंगे। सभी स्तरों पर निकट मानीटरिंग और अनुवर्ती सेवायें सुनिश्चित की जायेंगी। राज्य सरकारों के परामर्श से क्षेत्रीय स्तरों पर प्रशासनिक तन्त्र को तेज करने और प्रेरणा सम्बन्धी कार्यों में सुधार लाने तथा स्टाफ को जिम्मेदार बनाने के लिये कदम उठाये जायेंगे। इस कार्यक्रम की उच्च स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जायेगी जिससे कि इस कार्यक्रम की कमियों का पता लगाया जा सके और तेजी से उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। "ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना" जिसे अब पूर्णतया केन्द्र के धन से चलाई जाने वाली योजना बना दिया गया है, अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार का परिवार नियोजन की जानकारी और सूचना देने और लोगों के घरों के नजदीक नान-क्लीनीकल उपायों की सामग्री उपलब्ध करने के लिये स्वास्थ्य गाइड (जो मुख्यत: महिला होगी) जिम्मेदार होंगे। कार्य-निष्पादन में पिछड़े राज्यों के लिये क्षेत्र विशेष विनिर्दिष्ट करने सम्बन्धी नीति अपनाई जायेगी।

समवर्ती शक्तियां

6409. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा से सम्बद्ध किन्हीं क्षेत्रों के बारे में जो विशेष रूप से व्यवसायिक संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रति व्यक्ति फीस लेने की बुराई को दूर करने, मानकों की एकरूपता तथा पर्याप्त आधार ढांचे से सज्जित विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने से संबन्धित है तथा जिसके लिए एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपेक्षित है, समवर्ती शक्तियों का प्रयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां; तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उन संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आईं और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावों के ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केपिटेशन फीस लेने वाले इन्जीनियरी कालेजों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) व्यवसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए केपिटेशन फीस लेने की इस बुरी प्रथा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति केन्द्रीय सरकार जागरूक है। केन्द्रीय सरकार ने प्रवेश के लिए केपिटेशन फीस लेने की प्रथा को हतोत्साहित करने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को सलाह दी है। अधिकांश राज्यों ने जहां ऐसी संस्थाएं विद्यमान नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के विचारों से पूर्णत: सहमति प्रकट की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने विभिन्न विभागों को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे नीतियां तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखें। कर्नाटक राज्य सरकार ने उत्तर दिया है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं । इस बुरी प्रथा को रोकने के लिए बिहार सरकार ने 'बिहार राज्य इन्जीनियरी तथा फार्मेसी शिक्षा संस्था (विनियमन तथा नियंत्रण) अध्यादेश, 1981' जारी कर दिया है ।

विवरण

देश में केपिटेशन फीस एकत्र करने वाले इन्जीनियरी कालेजों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. सिद्धार्थ इंजीनियरी कालेज विजयवाड़ा
2. एन० बी० के० आर० प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान वकाडु, जि० नेल्लोर
3. चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
4. एस० आर० आर० इंजीनियरी कालेज, भीमावरम
5. इंजीनियरी कालेज, श्री रामनगर, गारीविडि
6. के० एस० आर० मेमोरियल इंजीनियरी कालेज, गुडाप्पा
7. मुफाखान जाह इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, हैदराबाद।
8. इंजीनियरी कालेज, मछलीपटनम

9. ककातिया प्रौद्योगिकी संस्थान
10. केनारी लक्ष्मीबाई इंजीनियरी कालेज, ताडेपल्ली (विजयवाड़ा)
11. गांधी प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध-संस्थान, विशाखापत्तनम
12. इंजीनियरी कालेज, रंगा रेड्डी जिला, प्रबंध; बसावी एज्युकेशनल सोसायटी, हैदराबाद
13. इंजीनियरी कालेज, रंगा रेड्डी जिला, प्रबंध; मेतरूस्टी एज्युकेशनल ट्रस्ट, हैदराबाद ।

बिहार

1. जगन्नाथ मिश्र प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा ।
2. मगध इंजीनियरी कालेज, गया
3. इण्डियन इंजीनियरी कालेज, मोतिहारी ।
4. वैशाली प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर
5. पटना प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना ।
6. सर सैयद प्रौद्योगिकी संस्थान, बेहड़ा, दरभंगा
7. जवाहरलाल प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा ।
8. छोटानागपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, दरभंगा
9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पाटलीपुत्र, पटना ।
10. संजय गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, डालमिया नगर, रोहतास ।

कर्नाटक

1. एम० एस० रमेय्या प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
2. आर० बी० इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।
3. श्री सिद्धागंग प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर ।
4. मनिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, मनिपाल ।
5. दयानन्द सागर इंजीनियरी कालेज, बंगलौर ।
6. बंगलौर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
7. इस्लामिया प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।
8. श्री सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर ।

9. बापूजी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, बंगलौर ।

10. एच० के० ई० इंजीनियरी कालेज, रायचूर ।

11. बंजुनाथेश्वर इंजीनियरी कालेज, धारवाड़ ।

12. के० एल० ई० इंजीनियरी कालेज, बेलगांव ।

13. के० एल० एस० इंजीनियरी कालेज, बेलगांव ।

14. घेवासिया इंजीनियरी कालेज, रामनगरम ।

15. डा० अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।

16. एन० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, शिमोगा ।

17. ए० डी० आई० चुंचानगरी प्रौद्योगिकी संस्थान, चिकमगलूर ।

18. एस० जे० एम० इंजीनियरी कालेज, चित्रदुर्ग ।

19. विजयनगर इंजीनियरी कालेज, बेलारी ।

20. अंजुमन इंजीनियरी कालेज, भटकल ।

21. के० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, गुलबर्ग ।

22. गुरुनानक देव इंजीनियरी कालेज, बीदार ।

23. बी० एल० डी० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, बीजापुर ।

24. आर० डी० सी० इंजीनियरी कालेज, जुलिकेटी ।

25. एस० टी० डी० इ० इंजीनियरी कालेज, रन्स बेन्नुर ।

सहायता प्राप्त इंजीनियरी कालेज जो दाखिले के 20% पर केपिटेशन फीस लेते हैं ।

26. बी० एम० एस० इंजीनियरी कालेज, बंगलौर
27. एन० आई० ई० इंजीनियरी कालेज, मैसूर ।
28. श्री एस० जे० इंजीनियरी कालेज, मैसूर ।
29. पी० ई० एस० इंजीनियरी कालेज, माण्डया ।
30. मलनाड इंजीनियरी कालेज, हसन ।
31. बी० वी० बी० इंजीनियरी कालेज, हुबली ।
32. बसावेश्वर इंजीनियरी कालेज, बंगलकोट ।
33. इंजीनियरी कालेज, गुलबर्ग ।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

6410. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पढ़ाने, शोध और सामुदायिक विकास कार्य को समान महत्व देने और समुदाय में छात्रों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विस्तृत ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बच्चों को उत्पादक कार्य में अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूल स्तर पर सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या के एक अभिन्न अंग के रूप में सिफारिश की गई है। शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायीकरण की भी सिफारिश की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन के लिए योजना तैयार की है ताकि प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को ग्रामीण पर्यावरण और समुदाय की विकासात्मक आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बनाया जा सके और शिक्षा को कार्य/क्षेत्र/व्यावहारिक अनुभव तथा उत्पादकता के साथ जोड़ा जा सके। विश्वविद्यालयों/कालेजों को उपयुक्त मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचलित की गई थीं और योजना में उनके भाग लेने के लिए उनसे प्रस्ताव मांगे गये।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों के अनुसरण में इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं में अनुसंधान और विस्तार कार्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक ठोस उपाय किये गये हैं। पर्यावरणों के साथ पारस्परिक कार्रवाई करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्निकों के रूप में 35 पालिटेक्निकों को चुनकर निर्धारित किया गया है। ये पालिटेक्निक, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता मिलती है, वैज्ञानिक पद्धति पर ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यकलाप शुरू किये हैं।

सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी संस्थाओं और समाज के बीच पारस्परिक कार्रवाई से सम्बन्धित एक अन्य योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना में (क) प्रौद्योगिकी के विकास, मूल्यांकन तथा उसको अपनाने, (ख) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सहायता, और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से बल देते हुए औद्योगिक परामर्श सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। ये केन्द्र चुनिन्दा इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्थापित किये जाने हैं।

"प्रोपोजल फार थर्ड वर्ल्ड सेक्रीटेरिएट" शीर्षक समाचार

6411. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1982 के अंग्रेजी दैनिक "नेशनल हेराल्ड, में "प्रोपोजल फार थर्ड वर्ल्ड सेक्रीटेरिएट (तीसरे विश्व सचिवालय का प्रस्ताव") शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें "दक्षिण देशों के सहयोग की समृद्ध क्षमता" का लाभ उठाने के लिए एक तीसरे विश्व सचिवालय अथवा समर्थन पद्धति का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) इन्डिया इन्टरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित एक गोल मेज विचार-विमर्श के दौरान राष्ट्रमण्डल महासचिव ने तृतीय विश्व सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इस वर्ष फरवरी में आयोजित नई दिल्ली विचार-विमर्श के दौरान दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सहमत कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने और उस पर कार्रवाई शुरू करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे। आशा है कि 77 देशों के ग्रुप द्वारा इन पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा ताकि इस दिशा में सम्भावित कार्रवाई की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं की संख्या

6412. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यवार और वर्षवार, मोटर वाहनों वर्ग का उल्लेख करने के साथ कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी हानि हुई और कितनी मोटर गाड़ियां पूरी तरह क्षति-ग्रस्त हुईं;

(ग) उपरोक्त वर्षों में अलग अलग और राज्यवार कुल कितने व्यक्ति मरे; और

(घ) उपरोक्त वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार बीमा के दावे की राशि और अन्य एकमुश्त राशि क्या है, कुल कितनी मुआवजे की राशि और बीमे के दावे की राशि अदा की गई; और

(ङ) उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में मुआवजे के लिए कितने दावे किये गये और निपटाये गए और ऐसे कितने मामले अभी तक लम्बित हैं और यह कब से लम्बित हैं और किस-किस राज्य में ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) : राज्य सरकारों/संघीय प्रशासनों से सूचना मंगवाई जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वर्ष 1981 के दौरान कलकत्ता में माल की ढुलाई का कार्य और यातायात

6413. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष कलकत्ता में माल की ढुलाई कंटेनर यातायात और जहाजों के आगमन में वृद्धि हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1981 के दौरान निवारक रोकने के समय को कम किया गया था और जनदिवसों की हानि में भी कमी हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1980-81 में कलकत्ता पत्तन पर हुए यातायात कंटेनर यातायात आने वाले जहाजों, घाट-पूर्व जहाजों का रुकना, समय और श्रम दिनों की हानि सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

	1980	1981
1. यातायात की मात्रा (टनों में)	93,57,000	97,58,000 (अनन्तिम)
2. कन्टेनर यातायात (टी० ई० यू० एस० में)	13,085	23,063 (")
3. आने वाले जहाज (संख्या)	1,021	1,104
4. घाट मिलने से पूर्व जहाज रुके रहने से जहाज दिनों की हानि	2,566	2,115
5. श्रम दिनों की हानि (श्रम दिन)	29,827	14,951

हावड़ा और मिदनापुर के बीच स्थानीय रेलगाड़ी सेवा का शुरू किया जाना

6414. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और मिदनापुर के बीच स्थानीय रेलगाड़ी सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खड़गपुर और मिदनापुर के बीच 5 जोड़ी स्थानीय गाड़ियां चल रही हैं जो खड़गपुर-हावड़ा खण्ड पर बिजली गाड़ियों के साथ सुविधाजनक मेल की व्यवस्था करती हैं।

आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण मिदनापुर और हावड़ा के बीच सीधी लोकल गाड़ी चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

क्षय रोग उपचार केन्द्र

6415. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग उपचार केन्द्रों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) उनमें से कितने केन्द्र क्षय रोग का पता लगाने के लिए "एक्सरे" और प्रयोगशाला के उपकरणों से पूर्ण रूप से सज्जित हैं;

(ग) क्या वर्ष 1980-81 और 1981-82 में उड़ीसा के क्षयरोग उपचार केन्द्रों द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में इन क्षय रोग उपचार केन्द्रों द्वारा उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कितने क्षय रोगियों का पता लगाया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में चल रहे उन जिला क्षयरोग केन्द्रों की संख्या विवरण-I में दी गई है जिनमें ओडेल्का कैमरों वाले एक्सरे यूनिटों और प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था की गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) उड़ीसा के जिला क्षयरोग केन्द्रों ने राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बंगलौर को जो सूचना भेजी है उस के अनुसार 1980-81 और 1981-82 (दिसम्बर, 1981 तक) में प्रत्येक क्षयरोग केन्द्र में निदान किए गए क्षयरोग रोगियों की संख्या विवरण-II में अंकित की गई है ।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में क्षयरोग केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	असम	10
3.	बिहार	25
4.	गुजरात	19
5.	हरियाणा	9
6.	हिमाचल प्रदेश	8
7.	जम्मू व कश्मीर	9

1 2	2
8. कर्नाटक	19
9. केरल	19
10. मध्य प्रदेश	45
11. महाराष्ट्र	26
12. मणिपुर	2
13. मेघालय	2
14. नागालैंड	1
15. उड़ीसा	13
16. पंजाब	10
17. राजस्थान	26
18. सिक्किम	1
19. तमिलनाडु	15
20. त्रिपुरा	2
21. उत्तर प्रदेश	56
22. पश्चिम बंगाल	16
संघ शासित क्षेत्र	
23. अरुणाचल प्रदेश	1
24. गोवा, दमन व द्वीप	1
25. मिजोरम	1
26. पांडेचेरी	1
27. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
28. चंडीगढ़	1
29. दादर व नगर हवेली	—
30. दिल्ली	1
31. लक्षद्वीप	—
कुल :	353

विवरण-II

क्रम सं०	जिले का नाम	अप्रैल 80 से मार्च 1981 तक			अप्रैल 81 से दिसम्बर 1981 तक		
		फुफ्फुसी रोगी	फुफ्फुसी बाह्य रोगी	कुल रोगी	फुफ्फुस रोगी	फुफ्फुस बाह्य रोगी	कुल रोगी
1.	बालासोर	646	158	804	454	89	543
2.	बोलानगीर	607	97	704	402	99	501
3.	कटक	2216	369	2585	1889	286	2175
4.	धनकनाल	512	47	559	428	67	495
5.	गंजम	1169	273	1442	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		
6.	कालाहांडी	1069	160	1229	843	179	1022
7.	क्योंझार	588	94	682	511	58	569
8.	कोरापुर	406	86	492	74	29	103
9.	मयूरभंज	1507	177	1684	1139	175	1314
10.	फुलबनी	520	105	625	268	67	335
11.	पुरी	960	159	1119	588	123	711
12.	सम्बलपुर	954	112	1066	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई		
13.	सुन्दरगढ़	948	194	1142	784	120	904
	कुल	12102	2031	14133	7380	1292	8672

स्रोत : जिला क्षय रोग केन्द्रों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टें।

ग्राम स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवंटित धनराशि

6416. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम स्वास्थ्य रक्षा पर बल देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) उस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम शुरू करने का विचार किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) छठी योजना, 980-85 में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।

(ख) से (घ) विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वास्थ्य गाइड योजना	बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना	अतिरिक्त उपकेन्द्रों की स्थापना	दाइयों का प्रशिक्षण
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	225.02	38.70	—	35.30
2.	असम	72.75	10.63	7.70	4.33
3.	बिहार	51.48	47.63	13.80	53.00
4.	गुजरात	146.83	23.83	27.42	12.00
5.	हरियाणा	53.55	8.89	—	6.00
6.	हिमाचल प्रदेश	43.64	7.20	2.41	3.33
7.	जम्मू व कश्मीर	14.80	4.40	1.44	5.00
8.	कर्नाटक	24.57	23.72	9.62	18.48
9.	केरल	7.00	14.15	8.42	—
10.	मध्य प्रदेश	189.24	60.46	14.91	35.31

1	2	3	4	5	6
11.	महाराष्ट्र	259.26	22.00	7.22	18.65
12.	मणिपुर	13.46	2.06	1.44	1.67
13.	मेघालय	7.94	2.11	0 87	0.34
14.	नागालैण्ड	3.51	2.73	2.41	—
15.	उड़ीसा	120.66	12.05	14.43	16.65
16.	पंजाब	—	10.50	23.47	13.32
17.	राजस्थान	—	25.88	10.73	16.65
18.	सिक्किम	2.34	1.13	—	0.15
19.	तमिलनाडु	6.70	64.42	24.05	17.65
20.	त्रिपुरा	79.44	4.72	2.41	0.17
21.	उत्तर प्रदेश	445.71	51.74	69.50	70.40
22.	पश्चिम बंगाल	203.56	12.92	57.75	11.11
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	25.95	—	—
24.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.41	0.59	—	—
25.	चंडीगढ़	1.17	0.16	—	—
26.	दादरा व नगर हवेली	2.34	0.38	—	0.05
27.	दिल्ली	—	1.81	—	—
28.	गोवा दमन व दीव	13.09	1.40	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	2.20	—	—
30.	मिजोरम	12.87	13.51	—	0.40

1	2	3	4	5	6
31.	पांडेचेरी	5.85	1.01	—	0.94
	ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र				
	नजफगढ़	3.51	—	—	—
	केन्द्रीय क्षेत्र	1.60	—	—	—
	कुल योग	1950.30	498.93	300.00	330.00*

नोट : 1. *इसके अतिरिक्त 120 लाख रुपए दाई किट के रूप में थे जो कि वास्तविक सप्लाई के आधार पर समायोजित किए जाएंगे।

2. स्वास्थ्य गाइड योजना (कालम 3) के अन्तर्गत सहायता 1-12-1981 तक 50 : 50 तथा उसके बाद शत-प्रतिशत आधार पर दी गई।

3. कालम 5 और 6 की मदों के लिए शत प्रतिशत तथा कालम 4 की मद के लिए पचास प्रतिशत सहायता।

4. 1982-83 के आवंटन निश्चित किए जा रहे हैं।

2. छठी योजना के अन्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य कार्यक्रम और 1981-82 तक का कार्य निष्पादन

क्रम संख्या	कार्यक्रम	कार्यक्रम के आरम्भ से अब तक उपलब्धि
1.	स्वास्थ्य गाइडों की प्रशिक्षण (1-12-1981 से शत प्रतिशत तथा इससे पहले 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त)	1.83 लाख से अधिक
2.	दाई प्रशिक्षण (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)	3.60 लाख से अधिक
3.	उप केन्द्रों की स्थापना (अतिरिक्त छठी योजना के दौरान खोले जाने है। 1-4-81 से शत प्रतिशत सहायता तथा इससे पहले राज्य प्लान योजना)	लगभग 0.60 लाख
4.	बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण (पचास प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)	1.61 लाख से अधिक
5.	सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (शत प्रतिशत राज्य क्षेत्र)	1635
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (शत प्रतिशत राज्य क्षेत्र)	5600 से अधिक
7.	दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना (इन्हें अब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाएगा)	437

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग लाइन

6417. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए ब्रिटिश-काल के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन न बिछाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं पाया गया था।

परियोजना आयाकट क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए राज्यों का अनुदान

6418. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को परियोजना आयाकट क्षेत्रों से सड़कों के विकास के लिए अनुदान दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश को कितना अनुदान दिया गया है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं। क्योंकि छठी (1980-85) योजना में ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

अमेरिका के दूतों के एक दल के साथ विदेश मन्त्री की बैठक

6419. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे 5 मार्च, 1982 को अमेरिका के दूतों के एक दल को मिले थे और उन्हें भारत के पड़ोसी देश विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों के बारे में बताया था; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श से क्या परिणाम निकले।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) विदेश मन्त्री 6 मार्च, 1982 को अमरीकी दूतों के एक दल से मिले थे। जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था, उनमें अपने पड़ोसियों और विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध भी शामिल हैं। विदेश मन्त्री ने भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों में और सुधार लाने के लिए हाल में किये गये उपायों के बारे में अमरीकी दूतों को बताया और अमरीकी दूतों ने इस सम्बन्ध में हमारी नीतियों पर गौर किया।

शिशु सदनों (क्रेचिज) की संख्या में वृद्धि

6420. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में देश में शिशु सदनों (क्रेचिज) की संख्या में वृद्धि की जाएगी; और

(ख) क्या शिशु सदनों में सम्पूरक भोजन देने सम्बन्धी अनुदान की राशि को बढ़ाया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

कलकत्ता मेट्रो परियोजना

6421. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 200 करोड़ की लागत की कलकत्ता की मेट्रो रेल परियोजना जो मार्च, 1987 तक चालू होनी है, की लागत बढ़ जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की लागत का इस बीच पुनः अनुमान लगा लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 1980-81 की कीमतों के आधार पर मेट्रो रेलवे, कलकत्ता, पर 560 करोड रुपये खर्च आने का अनुमान है। समय व्यतीत होने के साथ-साथ, इसमें और वृद्धि होने की सम्भावना है ।

भुसंडपुर स्टेशन पर पैदल यात्रियों हेतु उपरिपुल

6422. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में खुर्दा रोड डिवीजन के अन्तर्गत भुसंडपुर स्टेशन पर चारों प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए पैदल यात्रियों हेतु उपरि-पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह कार्य 1982-83 के बजट में शामिल कर लिया गया है। निर्माण का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ख) इसके समापन की तारीख के बारे में कुछ कह पाना अभी कठिन है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकलांगों को रोजगार/स्वयं रोजगार

6423. श्री माधवराव सिंधिया : क्या समाज कल्याण मंत्री देश में विकलांग लोगों की संख्या तथा उन्हें उपलब्ध कराए गए सरकारी रोजगार के बारे में 4 मार्च 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कितने विकलांग लोग स्वरोजगार सहित उपयुक्त रोजगार में लगे हुए हैं और उनमें से कितने लोग दूसरों पर आश्रित पाये गये हैं; और

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 के दौरान शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनमें से कितने लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जनगणना में यह जानकारी नहीं दी गई है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान जिन विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार/अपने रोजगार की व्यवस्था की गई, उनकी संख्या के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जनवरी-जून, 1981 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों ने 4455 विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र में, जिनमें, (1) केन्द्रीय सरकार, (2) केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन, (3) राज्य सरकारें, (4) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा अर्द्ध-सरकारी और स्थानीय निकाय शामिल हैं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिलाया। इसी प्रकार विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान 3,231 विकलांग व्यक्तियों को कार्यों/प्रशिक्षण/अपने रोजगार में पुनर्वासित किया गया।

विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सार्वजनिक टेलीफोन बूथ देने की एक योजना वर्ष 1981 में शुरू की गई थी। 31 दिसम्बर, 1981 तक विकलांग व्यक्तियों को 978 सार्वजनिक बूथ नियत की गई जबकि 1981-82 के लिए 887 बूथ नियत करने का लक्ष्य था।

आरक्षण सेल में अनुसूचित जनजाति का संयुक्त निदेशक

6424. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय के आरक्षण सैल में संयुक्त निदेशक के दो पदों में से एक पद अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारी के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या उक्त पद पर आजकल एक ऐसा अधिकारी नियुक्त है जो अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से सम्बन्धित नहीं है;

(ग) क्या संयुक्त निदेशक के ओहदे का एक अधिकारी जो अनुसूचित जनजाति समुदाय से सम्बन्धित है रेलवे बोर्ड सचिवालय में उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो पद को तदनुसार न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इस पद पर अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी तैनात किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में लेक्चरारों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां

(425. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अन्य केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालयों में लेक्चरारों और रीडर की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का गठन करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) इन चयन समितियों की मिली शक्तियों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कभी-कभी वे चयन समितियां नियुक्ति के मामलों में निर्धारित मानदण्डों से हट कर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की सम्बन्धित संविधियों शिक्षण पदों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए चयन समितियों की संरचना निर्धारित करती है। इन संविधियों के अनुसार प्रत्येक चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में कुलपति, विजिटर द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति तथा इसके अतिरिक्त पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए संविधियों में कुछ विशेष रूप से उल्लिखित सदस्य होंगे। रीडर तथा प्राध्यापक के पद के लिए, संविधियों में विशेष रूप से उल्लिखित सदस्यों में संकाय से सम्बद्ध अध्यक्ष, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय से बाहर के कम से कम दो व्यक्ति होते हैं जो कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सम्बद्ध विषय में विशेषज्ञ होते हैं।

(ख) संविधियों के अनुसार चयन समितियों को कार्यकारी परिषद से शिक्षण पदों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करनी होती है।

(ग) तथा (घ) विभिन्न पदों के विज्ञापनों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की अपेक्षित योग्यताओं का उल्लेख होता है। सम्बद्ध चयन समितियों का कार्य है कि उन उम्मीदवारों की

सिफारिश करे जो निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा जिन्हें समितियां योग्य समझती हैं। उम्मीदवार के अन्तिम रूप से चुनने में महत्वपूर्ण मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त यदि कार्यकारी परिषद चयन समिति द्वारा की गई किसी सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ होती है, तो वह उस मामले को आदेशों के लिए विजिटर को प्रस्तुत करती है।

शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा

6426. **श्री के० मालन्ना** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध कराई हैं अथवा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना के बारे में क्या ब्योरा है; और

(ग) क्या इस योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय उपबन्ध को मंजूरी दी गई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 10 वर्षीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में, जिसकी सिफारिश राज्य सरकारों को अपनाने के लिए की गई है, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया है। रूपरेखा में स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को स्कूल कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को, शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की प्रोन्नति के लिए जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में राज्यों से शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाने की संभावना पर विचार करने की भी सलाह दी गई है।

स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। शैक्षिक संस्थाओं में शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा को शुरू करने के लिए आवश्यक बजट सम्बन्धी व्यवस्था उन्हीं को करनी होगी। छात्रों तथा शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या तथा विस्तृत पाठ्य-विवरण और अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अ० प्र० प०) राज्यों को तकनीकी सहायता दे रही है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी तकनीकी सहायता राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज तथा राष्ट्रीय खेल संस्थान से भी उपलब्ध है।

एशियाई खेलों के लिए बसों की व्यवस्था

6427. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने आगामी एशियाई खेलों के दौरान होने वाली सम्भावित भीड़भाड़ के लिए बसों की व्यवस्था करने के बारे में अपना निर्णय घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन बसों के आयात करने का सरकार ने निर्णय लिया है, उनका ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से अपनी बसें उपलब्ध कराने के लिए मांगे गये सहयोग का ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) एशियाई खेलों के दौरान सम्भावित अतिरिक्त यातायात की समस्या को मद्देनजर रखते हुए और जनता को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसो के अलावा पड़ोसी राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों से अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त बसें मंगवाने की योजना है। इनका परिचालन दिल्ली परिवहन निगम के अधीन होगा। खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और इससे सम्बद्ध अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम से 200 लक्जरी बसें मंगायी जा रही हैं।

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा जहाजों की खरीद

6428. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि भारतीय जहाजरानी निगम ने विदेशी शिपयार्डों से 21 जहाज खरीदने के लिए बातचीत पूरी कर ली थी, लेकिन करार पर हस्ताक्षर करने के निर्णय को लम्बित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को जहाजों की खरीद के लिए आगे कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आधार क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने जहाज खरीदने के अपने कार्यक्रम (1981-83) के पहले चरण में देश और विदेश से 21 जहाज खरीदने का प्रस्ताव किया था। परन्तु, इन सभी जहाजों की बात अभी तय नहीं हुई है। पता चला है कि भारतीय नौवहन निगम, पुराने जहाजों/बिक्री के जहाजों की गिरती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए स्थिति का जायजा ले रहा है और उचित समय पर जहाज खरीदने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगा। सरकार ने देश के टनेज में वृद्धि करने की दृष्टि से प्राईवेट नौवहन कम्पनियों को जहाज खरीदने की अनुमति दे दी है।

मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किया गया प्रावधान

6429. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए चालू वर्ष के रेल बजट में किया गया वित्तीय प्रावधान गत वर्ष में इस मद के लिए आवंटित की गई धनराशि से कम कर दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कौन-कौन सी परियोजनाओं में कटौती की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आमान परिवर्तन परियोजनाओं का अलग से कोई बजट शीर्ष नहीं है। ये योजना शीर्ष, 'यातायात सुविधाएं' के अन्तर्गत आते हैं। योजना शीर्ष 'यातायात सुविधाए" के लिए और इस योजना शीर्ष

के अन्तर्गत आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 1981-82 और 1982-83 में की गई व्यवस्था नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपयों में)

	योजना शीर्ष 'यातायात सुविधाएं के लिए की गई व्यवस्था	आमान परिवर्तन के लिए की गई व्यवस्था	प्रतिशत
1981-82	146.95 रुपये	49.22 रुपये	(लगभग) 33%
1982-83	61.98 रुपये	30.00 रुपये	(लगभग) 48%

यातायात सुविधाओं के लिए 1982-83 में कम आवंटन, इस वर्ष धन के सीमित आवंटन के कारण हैं।

(ख) किसी परियोजना में कटौती नहीं की गई है, परन्तु विभिन्न परियोजनाओं की आपसी अग्रता के अनुसार धन विभिन्न परियोजनाओं को आवंटित किया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन

6430. **श्री ए० नीलालोहिथावसन नाड़ार** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन कब स्थापित हुई थी;

(ख) इसके मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) इसमें इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इन कर्मचारियों की कल्याण एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (भूतपूर्व अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड) 1925 में स्थापित हुआ था।

(ख) मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) एक अन्तरविश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना;

(2) विश्वविद्यालयों में संचार, समन्वय तथा पारस्परिक परामर्श को सुकर बनाना तथा सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना;

(3) ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना अथवा शुरू करना जिससे शिक्षा के स्तर, परीक्षा अनुसंधान, पाठ्यपुस्तकें, विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन, पुस्तकालय संगठन के सुधार में सहायता होगी तथा ऐसे अन्य कार्यक्रम आरम्भ करना जिनसे ज्ञान के विकास तथा प्रसार में योगदान हो;

(4) विश्वविद्यालयों की उनकी डिग्रियों, डिप्लोमाओं तथा परीक्षाओं को अन्य भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों से मान्यता दिलाने में उनकी सहायता करना ।

(5) उच्च शिक्षा में सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं भाषण तथा अनुसंधान शुरू करना, आयोजित करना तथा इन्हें सुकर बनाना;

(6) विश्वविद्यालयों के लिए जिस ढंग से भी अपेक्षित हो अथवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक सेवा एजेन्सी के रूप में कार्य करना ।

(ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस समय 52 कर्मचारी हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) इन अभ्यावेदनों में आरोप लगाया गया कि संघ के सचिव द्वारा कर्मचारियों को निलंबन, सेवा से हटाना, स्थायी न करना, वेतनों के भुगतान में विलम्ब, न्यायालय में उनके खिलाफ मामले इत्यादि दर्ज करके परेशान किया जा रहा था। भारतीय विश्वविद्यालय संघ देश में विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन हैं जो सरकार से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है । भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कर्मचारियो की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

साऊथ-साऊथ कान्फ्रेन्स पर खर्च की गई धनराशि

6431. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि साऊथ-साऊथ कान्फ्रेन्स नामक 43 देशों की 22-23 फरवरी, 1982 को हुई नई दिल्ली सलाहकार बैठक के आयोजन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : नई दिल्ली विचार-विमर्श सम्मेलन के आयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कुल 18,03105.00 रुपये का बजट अनुमोदित किया गया था । अभी तक इस सम्मेलन से सम्बन्धित सभी बिल प्राप्त नहीं हुए हैं । इसलिए इसके आयोजन पर होने वाले खर्च के बारे में सही-सही बताना इस समय सम्भव नहीं है । लेकिन यह बिल्कुल निश्चित है कि सम्मेलन पर किया गया कुल खर्च संस्वीकृत राशि के अन्दर ही रहेगा ।

इस्पात की नई पटरियों की चोरी

6432. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स न्यू फैवरीकेटर्स, त्रिची द्वारा की गई रेलवे की इस्पात की नई रेलवे की नई पटरियों की चोरी के बारे में जांच का काम जिसके लिए दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के

अतारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर में रेल मंत्रालय के राज्यमन्त्री ने आश्वासन दिया था, पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मैसर्स न्यू स्टी फैवरीकेटर्स यूनियन, मामापराई के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उन्हें विभिन्न अधिकारियों पर इस मामले में आगे कार्यवाही न करने के लिए श्री दोराई सेबस्टियन द्वारा डाले जा रहे प्रभाव की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां

(ख) मैसर्स न्यू स्टील फेवरीकेटिंग यूनियन, मणप्पारै, के 3 सांझीदारों सहित 7 दोषी व्यक्तियों के विरोध मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट, त्रिची, की अदालत मे एक शिकायत दायर की गयी है और मामला न्यायाधीन है ।

(ग) श्री दोराई सेबस्टियन द्वारा किसी भी प्राधिकारी पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया है और बिना किसी हस्तक्षेप या रुकावट के, कानून के अनुसार, मामले की छानबीन की गई और उसे पूरा किया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे में नैमित्तक श्रमिकों का पैनल बनाना

6433. **श्री एम० अरुणाचलम्** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मद्रास डिवीजन पर दिनांक 31 मार्च, 1981 के लिए एस एण्ड टी डिपार्टमेन्ट के नैमित्तिक श्रमिकों का अब तक पैनल नहीं बनाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सी. पी. ओ./एम. ए. एस. ने पैनल बनाने का काम अग्रिम रूप से पूरा करने के बारे में विचार किया है;

(ग) क्या सी. एस. टी. ई/एम. ए. एस. ने डी. आर. एम/एम. ए. एस को 31 मार्च, 1981 तक पैनल बनाने के काम को पूरा करने की सलाह दी है । क्योंकि वहां खलासियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा श्रमिकों में अशान्ति फैलने की स्थिति से बचने के लिए शीघ्र ही पैनल बनाने के काम को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जी हां ।

(घ) 31-12-1981 की विद्यमान रिक्तियों का हिसाब लगाकर पात्र नैमित्तिक श्रमिकों के पैनल को अन्तिम रूप दे दिया गया है, परन्तु विभिन्न विभागों में, विशेषकर भाप शेडों में

फालतू हो गये कुछ कर्मचारियों की पुनः तैनात करने के कारण, पैनल घोषित नहीं किया गया था।

दक्षिण रेलवे में समयोपरि भत्ता

6434. **श्री एम० अरुणाचल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण रेलवे में कार्मिक शाखा के लिपकीय कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है, जबकि ढुलाई, वाणिज्यिक और चिकित्सा शाखाओं आदि के लिपकीय कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है; और

(ख) क्या वे इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार, जहां तक सम्भव हो, प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकीय कर्मचारियों को किसी कार्य-दिवस को समयोपरि के आधार पर बुक नहीं किया जाता और जब कभी रविवार/छुट्टी वाले दिन वे काम करते हैं, तब उन्हें प्रतिपूरक अवकाश दिया जाता है। प्रशासनिक कार्यालयों में लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा किये गये अतिरिक्त काम के लिए मानदेय देकर उनकी प्रतिपूर्ति की जाती है। बहरहाल, वर्तमान मामले में वाणिज्यिक शाखा के कुछ लिपिकीय कर्मचारियों को मई 1981 में विशेष आदेशों के अधीन समयोपरि ड्यूटी पर बुक किया गया था, लेकिन वर्तमान आदेशों के अनुपालन में इस परिपाटी का अब परित्याग कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक गांव में औषधालय का खोला जाना

6435. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्येक गांव में एक-एक औषधालय खोलने की सलाह दी है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रोग निवारक और स्वास्थ्य संवर्द्धक पहलुओं पर अधिक बल दिया जा रहा है न कि केवल उपचारी सेवाओं पर। वैसे, औषधालय में आम तौर पर इलाज ही किया जाता है। इस-

लिए प्रत्येक गांव में औषधालय खोलने की बजाय हर गांव में एक-एक स्वास्थ्य गाइड और एक-एक प्रशिक्षित दाई तथा प्रति 5,000 ग्रामीण जनसंख्या (दूर दराज पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में 3000) के लिए एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्ता का विचार है । साथ ही सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों,, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, दर्जा बढाये गये प्राथमिक केन्द्रों तथा रेफरल अस्पतालों के जरिये भी ये सेवाएं उपलब्ध होंगी ।

स्वास्थ्य के लिए बजट की धनराशि में वृद्धि

6436. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जन स्वास्थ्य उपायों के लिए बजट का अत्याधिक व्यय आवंटन करने के कारण स्वास्थ्य के मर्यादित लक्ष्यों को भी प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाया है, जो उच्च मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि का कारण बन रहा है;

(ख) क्या स्वास्थ्य के लिए बजट की धनराशि में वृद्धि करने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं । इसके विपरीत विभिन्न कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप देश में लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से होती है :

वर्ष	अशोधित मृत्युदर	शिशु मृत्युदर	जन्म के समय जीवनकाल की प्रत्याशा
1941-51	27.4	161	32.1
1951-61	22.8	146	41.3
1961-71	19.0	129	45.6
1976	15.0	129	49.5 (1971-76)
1978	14.2	125	52.1 (1976-81)

(ख) और (ग) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए परिव्यय जो पहली पंचवर्षीय योजना में 90 करोड़ रुपये था उसे बढ़ाकर छठी पंचवर्षीय योजना में 1821.05 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिये आवंटन क्रमश: 316.80, 356.60 और 392.61 करोड़ रुपए हैं।

फालना स्टेशन का विस्तार

6437. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर फालना स्टेशन से होकर जाने वाली रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं और इस स्टेशन में रोज जाने वाले और इस स्टेशन तक आने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस रेलवे स्टेशन के विस्तार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का विस्तार किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फालना स्टेशन पर 3 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस तथा 2 जोड़ी फास्ट पैसिंजर गाड़ियां आती-जाती हैं। इस स्टेशन से गाड़ियों में चढ़ने वाले तथा वहां पर गाड़ियों से उतरने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या लगभग 1100 तथा 900 है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी और गोरखपुर के बीच रेल लाइन को बदलना

6438. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाराबंकी और गोरखपुर के बीच रेल लाइन को बदलने के लिए कुल कितनी मात्रा में गिट्टियों की आवश्यकता थी;

(ख) क्या इसका अपेक्षित समूची मात्रा पूर्वोत्तर रेलवे को सप्लाई कर दी गई थी;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे और अधिक गिट्टियों की मांग कर रहा है; और

(घ) उसकी आवश्यकता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुमानत: लगभग 1,.5,000 घन मीटर अपेक्षित था।

(ख) जी नहीं। खरीद की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) बाराबंकी और गोरखपुर के बीच खरीद की जाने वाली गिट्टी की शेष मात्रा 40,000 घन मीटर (लगभग) है।

उत्तर पूर्व रेलवे को दिए गए बड़ी लाइन के यात्री डिब्बे

6439. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व रेलवे की बड़ी लाइन के कितने यात्री डिब्बे दिए गए हैं; और

(ख) इस बारे में उत्तर पूर्व रेलवे की मांग क्या थी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1 79-80 से पहले पूर्वोत्तर रेलवे के पास बड़ी लाइन के 79 सवारी डिब्बे उपलब्ध थे। इनके अलावा पिछले 3 वर्षों के दौरान इस रेलवे को बड़ी लाइन के 174 सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे को इस समय बड़ी लाइन के 325 सवारी डिब्बों की आवश्यकता है। 1982-83 में निर्माण के पश्चात जब नये सवारी डिब्बे उपलब्ध होंगे तो रेलवे की बड़ी लाइन के और अधिक सवारी डिब्बे आवंटित किये जाएंगे।

हावड़ा-मिदनापुर-बांकुरा-अदरा मार्ग पर एक्सप्रेस ट्रेन

6440. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाउड़ा-मिदनापुर-बाँकुरा-अदरा रेलमार्ग पर एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) खड़गपुर और आद्रा के बीच 315/316 हावड़ा-आद्रा पैसेंजर गाड़ी सहित 5 जोड़ी गाड़ियां और खड़गपुर और मिदनापुर के बीच अन्य 5 जोड़ी स्थानीय गाड़ियां जो खड़गपुर-हावड़ा बिजली गाड़ियों के साथ उपयुक्त ढंग से मेल लेने की व्यवस्था करती हैं, उपलब्ध हैं। इस खण्ड पर होने वाले वर्तमान यातायात स्तर के लिए ये गाड़ियाँ पर्याप्त पायी गई हैं। बाँकुड़ा और हावड़ा के बीच तेज यात्रा की व्यवस्था करने हेतु 15-2-81 से 315/315/316 पैसेंजर गाड़ी की गति बढ़ा दी गयी है।

राजधानी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास

6441. **श्री सुभाष यादव :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री बी० डी० सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1982 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 6 मार्च, 1982 को धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप राजधानी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के प्रयास किए गए थे और उस पर एक बम भी फेंका गया था;

(ख) उसके परिणामस्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस बीच कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लेकिन, यह घटना 5-3-1982 को हुई थी।

(ख) 2,156 रुपये।

(ग) और (घ) राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन, धनबाद, में भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (ख), भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत 5-3-82 की अपराध सं० 23 दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा अभी तक 5 संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। राजकीय रेलवे पुलिस, स्थानीय आसूचना यूनिट और केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से मामले की तत्परता से छानबीन की जा रही है।

रेल कर्मचारियों के विरुद्ध छ: महीने से अधिक लम्बित पड़े भ्रष्टाचार के मामले

6442. **श्री सुभाष यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले छ: महीने से अधिक समय से लम्बित पड़े हुए हैं और इस प्रकार लम्बे समय तक उनको लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार एक निर्धारित अवधि के अन्दर जांच कार्य पूरा करने के लिए आदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31-12-81 को रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा दुराचरण के 908 मामले छ: महीने से अधिक समय से निपटाये जाने के लिए शेष पड़े थे। भ्रष्टाचार तथा दुराचरण के गम्भीर मामलों को अन्तिम रूप देना एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेजों का निरीक्षण करना, दोषी कर्मचारियों द्वारा आरोप-पत्र का उत्तर देना, जांच का काम करना जिसमें मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए गवाहों से पूछताछ करना भी शामिल है, जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करना शामिल है। कभी-कभी इस प्रकार के मामलों को अन्तिम रूप देने में दोषी कर्मचारी द्वारा आरोप-पत्र का उत्तर

देने में बिलम्ब करने तथा अन्य विलम्बकारी युक्तियां अपनाने, मामले को न्यायालय में ले जाने अथवा जल्दी से जांच करने के लिए गवाह उपलब्ध न होने के कारण विलम्ब हो जाता है। बहर-हाल, इस प्रकार के मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है।

(ख) इस आशय के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित सभी मामलों को आरोप-पत्र जारी किये जाने की तारीख से 202 दिन के भीतर अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए।

बम्बई पत्तन न्यास के सम्पदा विभाग के खिलाफ लगाए गए आरोप

6443. **श्री सुभाष यादव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा समिति ने अपने 139वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), के पैरा 7.86 (पांच) और (छः) और 7.87 में बम्बई पत्तन के सम्पदा विभाग के अक्षम कार्यकरण और दोषी पार्टियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में अक्षम रहने के बारे में बताया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और भारतीय प्रशासनिक स्टाक कालेज, हैदराबाद से केवल सम्पदा विभाग के बारे में अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) पत्तन द्वारा उठाई गई वित्तीय हानि और अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने और वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए न्यास अथवा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) लोक लेखा समिति (छठी लोक सभा) ने अपनी 139वीं रिपोर्ट के पैरा 7.86 (v) और (vi) और पैरा 7.87 में बम्बई पत्तन न्यास के सम्पदा विभाग के कार्यों में कुछ अनियमितताएं बताई हैं। समिति ने पैरा 7.88 में यह सिफारिश की थी कि बम्बई पत्तन न्यास उन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें जो विभिन्न अनियमितताओं और विलम्ब के लिए जिम्मेदार है जिसके वजह से पत्तन न्यास की आय में हानि हुई है। तदनुसार, अध्यक्ष ने आदेश दिए कि विभिन्न पार्टियों को भूमि देने सम्बन्धी सभी मामलों की ध्यानापूर्वक संवीक्षा की जाए। ऐसे मामलों की संख्या 3500 थी। 3500 मामलों में से जब 1608 मामलों की संवीक्षा 10-4-81 को पूरी हो गई, तो बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने, ऐसे मामलों की संवीक्षा से प्राप्त होने वाले परिणामों पर विचार किया। यह पता चला कि पत्तन की आय में हानि के लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है और बहुत सी गलतियां छोटी-छोटी हैं और नेमी किस्म की हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे मामलों की संवीक्षा करना बन्द कर दिया और लोकलेखा समिति को तदनुसार सूचित कर दिया गया। फिर भी बम्बई पत्तन न्यास ने पत्तन के स्टाफ और अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि ऐसे मामलों को भविष्य में ठीक ढंग से निपटा जाए।

लोक लेखा समिति के सिफारिशों के अनुसार 14-12-1979 को एक जांच समिति बनाई गई जिसमें बम्बई पत्तन न्यास, नौवहन और परिवहन मन्त्रालय और विधि मन्त्रालय के तीन अधिकारी थे। इस समिति का काम सम्पदा विभाग के कार्यों में विशेषकर लोकलेखा समिति के निष्कर्षों के आधार पर, सुधार लाने के लिए उपायों का सुझाव देना था। समिति ने यह भी सुझाव देना था कि अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना आवश्यक है या नहीं। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। बम्बई पत्तन न्यास ने हैदराबाद स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इण्डिया से अनुरोध भी किया था कि सम्पदा विभागों के कार्यों, उनकी स्थापना, प्रलेख, पट्टा दस्तावेजों और अन्य सम्बन्धित मामलों की विस्तृत जांच की जाए। कालेज की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और अन्य न्यासियों की समिति उस पर विचार कर रही है। अगली कार्रवाई, बम्बई पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा दो रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही की जाएगी।

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

6444. **श्री सुभाष यादव** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए अनुदान देने के प्रयोजनों हेतु सहकारी संस्थाओं को स्वैच्छिक संगठनों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है;

(ख) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम आन्दोलन में सहकारी संस्थाओं को शामिल करने के लिए नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए इण्डियन कोआपरेटिव मूवमेंट को कोई वित्तीय सहायता दिए जाने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याणम मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) (क) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान के वास्ते आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाली सहकारी सोसायटियों के प्रस्तावों पर विचार किया गया है और उन्हें अनुदान दिए गए हैं।

(ख) ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर में पहिया और धुरी बनाने का संयंत्र

6445. **श्री प्रतात भानु शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी और मूल परियोजना लागत में वृद्धि के कारण बंगलौर स्थित पहिये और धुरी का निर्माण करने वाला संयंत्र उत्पादन शुरू नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें उत्पादन कब से शुरू होगा और इसकी क्षमता कितनी होगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आशा है कि पहिया और धुरा संयंत्र, बेंगलुरु का पहिया यूनिट 1982-83 में और धुरा यूनिट 1983-84 में उत्पादन शुरू कर देगा । पहिया और धुरा संयंत्र की स्थापना करते समय प्रति वर्ष 70,000 पहियों और 2?,000 धुरों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे इसके चालू हो जाने के पश्चात उत्तरोत्तर विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा ।

नीलांचल एक्सप्रेस का बरास्ता मिदनापुर-बांकुरा-अदरा-गोमो मार्ग पर सप्ताह में दो बार चलना

6446. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलांचल एक्सप्रेस को, टाटा-चक्रधरपुर-गोमो मार्ग के बजाय मिदनापुर-बांकुरा अदरा-गोमो मार्ग से सप्ताह में एक या दो बार चलाकर बांकुरा और पुलिया के लोगों को राहत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) 175/176 पुरी-नयी दिल्ली के बीच सप्ताह में 3 बार चलने वाली नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी को अद्रा-बांकुड़ा-मिदनापुर के रास्ते चलाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वर्तमान उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से बोकारो, मुरी और टाटानगर के औद्योगिक नगरों के उपयोगकर्ताओं की ओर से इसका विरोध किया जायेगा ।

दिल्ली सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा में स्वैच्छिक विषय

6447. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सीनियर सेकेण्ड्री परीक्षा के 5 विषयों में से एक विषय स्वैच्छिक है;

(ख) यदि स्वैच्छिक विषय में अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो इसे एक मुख्य विषय मानते हुए 1980-81 में इन्हें कुल अंकों में शामिल किया जाता था परन्तु इस वर्ष से इन्हें कुल अंकों में शामिल किया जाता था परन्तु इस वर्ष से इन्हें कुल अंकों में शामिल नहीं किया जाएगा और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परीक्षार्थी को भाषा का प्रश्न पत्र अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होता है; और

(घ) यदि हां, तो मामले में परीक्षा का परिणाम क्या होगा यदि विद्यार्थी अनिवार्य विषय (भाषा) में अनुत्तीर्ण हो जाता है और स्वैच्छिक विषय में उत्तीर्ण हो जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए छात्रों को न्यूनतम पांच विषय लेने आवश्यक होते हैं, अर्थात भाषा, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और कोई अन्य तीन वैकल्पिक विषय। वह दो अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी ले सकता है जिनमें भाषा (ए) भी शामिल हैं।

(ख) एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों का हिसाब लगाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है। इस वर्ष से अतिरिक्त विषयों सहित, यदि कोई हो, प्रत्येक विषय के लिए अब अंक अवरोही क्रम से अंकों के विवरण में दिए जायेंगे जिसमें योग नहीं दिया जाएगा, ताकि उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिले के प्रयोजनार्थ अंकों की गणना में अधिकतम नम्यता उपलब्ध हो सके तथा छात्रों को भिन्न-भिन्न विषय-वर्ग चुनने में प्रोत्साहन मिल सके।

(ग) जी, हां।

(घ) यदि कोई छात्र केवल एक भाषा लेता है और उसमें अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तथापि, यदि वह एक और भाषा लेता है और उसमें उत्तीर्ण हो जाता है तथा तीन वैकल्पिक विषयों में पास हो जाता है तथा एस० यू० पी० डब्ल्यू० में अन्तिम ग्रेड ई० में रह जाता है तो उसे भी उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

पुस्तकालय सहायक

6448. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्षों को पुस्तकालय सहायक नहीं दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप छात्रों को पुस्तकें मिलने में कठिनाई का सामना करना होता है;

(ख) क्या पुस्तकालयों में पुस्तकालय सहायकों के अभाव में पुस्तकालयों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या ऐसे स्कूलों में जहां बड़ी संख्या में पुस्तकें तथा छात्र थे लगभग 8-10 वर्ष पूर्व पुस्तकालय लिपिकों के पद हुआ करते थे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, राजकीय स्कूलों में पुस्तकालय-लिपिक नियुक्त करने की प्रणाली को, कुछ पहले वाले अयोग्य कर्मचारियों को छोड़कर, समाप्त कर दिया गया है तथा स्कूलों में केवल उपयुक्त योग्य व्यक्तियों को ही पुस्तकाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है क्योंकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पद निर्धारण संबंधी अनुमोदित नियमों में योग्यता प्राप्त पुस्काध्यक्ष के अतिरिक्त सहायक पुस्तकाध्यक्ष/पुस्तकालय लिपिक की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन स्कूलों में पुस्तकाध्यक्षों की सहायता के लिए ऐसे पुस्तकालय सहायक/

पुस्तकालय लिपिक देने का प्रश्न नहीं उठता । इन स्कूलों के छात्रों को सामान्यत: पुस्तकाध्यक्षों से पुस्तकें जारी करवाने में कोई कठिनाई नहीं होती ।

सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परीक्षा लिया जाना

6449. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता प्राप्त स्कूलों के भवनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि की परीक्षा के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली राशि को किस शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है तथा इस प्रयोजन के लिए भवन के प्रयोग की अनुमति किस अधिकारी द्वारा दी जाती है;

(ख) दिल्ली में ऐसे स्कूलों के नाम क्या हैं, जिनके भवनों में परीक्षायें हुई हैं और उस कारण उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें अलग-अलग कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) इन स्कूलों की प्रबन्ध समितियों द्वारा यह राशि किस प्रकार व्यय की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्कूलों और कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा

6450. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां स्कूलों और कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को स्कूलों और कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए मार्गदर्शी निर्देश कब भेजे हैं;

(ग) यदि हां तो ऐसे मार्गदर्शी निर्देश कब भेजे गये;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को छठी योजना के अन्त तक सभी स्कूलों और कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने के लिए मार्गदर्शी नियम भेज दिए हैं; और

(ङ) सरकार का इस बारे में क्या कार्यक्रम है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) : स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना है । राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए समय-समय पर कई पत्र भेजे गए हैं । छठी योजना और शिक्षा के लिए 1981-82 की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं में अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण शामिल है ।

जून, 1981 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प किया गया कि "+2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के अभाव में नई पद्धति को अपनाने से शिक्षा में वांछित सुधार नहीं हो पायेगा। अतः सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र +2 स्तर पर तेजी से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।"

स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति के अन्तर्गत +2 स्तर पर अब तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली, गोआ, दमन और दीव तथा पांडिचेरी ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं।

प्रथम डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का व्यावसायिक शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है लेकिन आयोग ने पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिससे कि क्षेत्र में शिक्षा को रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ा जा सके। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं 1977-78 में परिचालित की गई थीं। ऐसे पाठ्यक्रम अब तक 31 कालेजों और एक विश्वविद्यालय में शुरू कर दिए गए हैं। छठी योजना अवधि के दौरान आयोग ने लगभग 500 कालेजों में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

"प्लस टू स्टेज" में व्यावसायिक अध्ययन

6451. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्लस टू स्टेज" में व्यावसायिक अध्ययन शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किया जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या तैयारी की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में परिकल्पना की गई है, स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को पहले ही सिफारिश की गई हैं। अभी तक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों तथा दिल्ली, गोवा, दमन और दीप एवं पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं। कई अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए विभिन्न प्रारम्भिक उपाय किये हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उनको, व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित करने, अध्यापकों के अनुस्थापन, पाठ्यचर्या तथा अन्य अनुदेशात्मक सामग्री इत्यादि तैयार करने में सहायता कर रही है।

विद्युतीकरण का लक्ष्य

6452. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना अवधि में रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य को कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पहले निर्धारित लक्ष्य कितना था और छठी योजना के लिए वर्तमान लक्ष्य क्या रखने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर की वास्तविक लम्बाई योजना संसाधनों पर निर्भर करेगी।

औषधि फार्मूलेशन्स को वापस लिया जाना

6453. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री विलास मुत्तेम्बार :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषधि नियंत्रक ने 17 औषधि फार्मूलेशन्स को वापस लेने और पुराने औषध निर्माताओं द्वारा बेची जा रही छः अन्य औषधियों के निर्माण को बन्द करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके उत्पादों के बारे में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन औषध परामर्शदात्री समिति जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, ने 20 नियम खुराक वाले योगों को वापिस ले लेने और 3 नियम खुराक वाले योगों पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) औषधि परामर्शदात्री समिति की उक्त सिफारिशों पर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने विचार किया जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह औषधि परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों से पूरी तरह सहमत नहीं हुई है और इसने यह सुझाव दिया है कि औषधि परामर्शदात्री समिति द्वारा नियम खुराक वाले कतिपय वर्गों को बाजार से हटा लेने/रखने सम्बन्धी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले

विशेषज्ञों से और परामर्श कर लिया जाए। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें सरकार को पहली मार्च, 1982 को मिली हैं और उन पर विचार किया रहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के न्यूरोलोजी और न्यूरो-सर्जरी क्लिनिक

6454. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में जिसमें न्यूरोलोजी और न्यूरो-सर्जरी क्लीनिक्स हैं, कोई भी अर्हताप्राप्त न्यूरोलोजिस्ट अथवा न्यूरो सर्जन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण विभाग का विकास करने और कमियों को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस अस्पताल में उपलब्ध आधुनिकतम उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग करने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) नहीं। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक यूरोलाजी सहित एम० आर० सी० पी० में अर्हता प्राप्त है और फिर किये गये रोगियो का इलाज करने में वे इस विभाग का मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, सफदरजंग अस्पताल का न्यूरो गर्जन सप्ताह में दो बार डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा भी करता है।

(ग) अर्हता प्राप्त तकनीकी स्टाफ द्वारा आधुनिकतम उपकरणों का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है।

व्यापार प्रशासन पोस्ट डिप्लोमा कोर्स

6455. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उत्पादकता परिषद, दिल्ली द्वारा प्रायोजित प्रबन्ध और उत्पादकता अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के व्यापार प्रशासन के पोस्ट डिप्लोमा कोर्स को, निदेशक तकनीकी शिक्षा, दिल्ली प्रशासन दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन/शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस कोर्स के मान्यता दिलाने के लिए संस्थान द्वारा बार-बार अनुरोध किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से दिल्ली प्रशासनों/शिक्षा मंत्रालय ने उपर्युक्त कोर्स को अभी तक मान्यता नहीं दी है;

(घ) क्या कोर्स करने के लिए जाने वाले छात्रों की बढ़ती हुई संख्या और दिल्ली विश्वविद्यालयों में अत्यन्त सीमित संख्या में उपलब्ध स्थानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस पाठ्यक्रम को तत्काल मान्यता देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके विशिष्ट कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रमती शीला कौल) : (क) जी, हां। दिल्ली उत्पादकता परिषद द्वारा प्रायोजित, प्रबन्ध तथा उत्पादकता अनुसंधान संस्थान, दिल्ली के व्यापार प्रशासन के दो वर्षीय (अंशकालिक) उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा वर्ष 1981-82 के लिए अस्थाई तौर पर सम्बद्धन प्रदान किया गया है।

(ख) से (ङ) दिल्ली उत्पादकता परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है और यह मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। तथापि संस्थान ने पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय से कोई अनुरोध नहीं किया है और इसलिए सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने अथवा न करने का प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई खेलों के लिए टैक्सी और ओटो रिक्शा

6456. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन टैक्सियों और ओटो रिक्शाओं की संख्या कितनी है जिनकी आगामी एशियाई खेलों के दौरान सेवाएं प्राप्त की जाएंगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि एशियाई खेलों के दौरान पहले ही से पंजीकृत टैक्सियों के अलावा 720 अतिरिक्त डी० एल० वाई० टैक्सियां चलायी जायेंगी। 28-2-1982 को पंजीकृत टैक्सियों और आटो रिक्शाएं इस प्रकार हैं :

(i) डी० एल० वाई० टैक्सी	1470
(ii) डी० एल० टी० टैक्सी	5958
(iii) आटो रिक्शा	22634

किसी स्थान से स्थान विशेष तक के लिए 16 सीटों वाली 78 माइक्रो मिनी बसों को चलाने के लिए टैक्सी के रूप में परमिट जारी किये गये हैं।

चयन ग्रेड

6457. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने रिक्त पदों को भरने और ए० एस० वी० जे० स्कूल तथा कार्मशियल सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल में चयन ग्रेड देने के लिए प्रबन्ध समितियों को आदेश जारी कर दिए थे;

(ख) क्या प्रबन्ध समितियों ने अब तक दिल्ली प्रशासन के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है; और

(ग) शिक्षा निदेशालय और दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) । (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, प्रबन्धकों का कहना है कि उनके पास ए० एस० वी० जे० सीनियर सेकेण्डरी स्कूल और कामर्शियल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के अध्यापकों की एक संयुक्त वरीयता सूची है । दिल्ली प्रशासन ने प्रबन्धकों से अपनी बात सिद्ध करने और पात्र अध्यापकों को शीघ्र ही प्रवरण ग्रेड प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

सेंट्रल काउंसिल फोर होम्योपैथिक रिसर्च में निदेशक/सहायक निदेशक

6458. **श्री तारिक अनवर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल काउंसिल फोर होम्योपैथिक रिसर्च में निदेशक तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यतायें और अनुभव क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायक अनुसन्धान अधिकारी के पदों पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सूचना विवरण-I में दी गई है ।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है ।

विवरण-I

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक बोर्ड/संकाय से कम से कम चार वर्ष की प्रथम श्रेणी या दूसरी श्रेणी (या समकक्ष) होम्योपैथी की डिग्री या डिप्लोमा ।

2. डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद होम्योपैथी पद्धति का 12 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव जिसमें से आठ वर्ष का अनुभव सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में जिम्मेदारी की हैसियत में अनुसंधान/शिक्षण का हो ।

अथवा

1. सांविधिक निकाय/विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० जो होम्योपैथी अर्हता सहित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद की दूसरी तथा तीसरी अनुसूची में शामिल हो ।

2. डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद होम्योपैथी पद्धति का 10 वर्ष का व्यवशायिक अनुभव जिसमें से सात वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुसंधान/शिक्षण का हो ।

वांछनीय :

(क) विज्ञान की कोई डिग्री ।

(ख) किसी जिम्मेदारी वाली स्थिति में प्रशासनिक अनुभव ।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी) के निदेशक के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव

अनिवार्य :

1. किसी मान्यता प्राप्त सांविधिक बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम 4 वर्ष की होम्योपैथी विषयक डिग्री/डिप्लोमा ।

2. डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 12 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव जिसमें से आठ वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/कालेज/विश्वविद्यालय में अनुसंधान/शिक्षण का हो ।

अथवा

1. किसी मान्यता प्राप्त सांविधिक संकाय/विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम की दूसरी तथा तीसरी सूची में शामिल कोई अर्हता ।

2. डिग्री/डिप्लोमा करने के बाद 10 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव जिसमें से सात वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/कालेज/विश्वविद्यालय में अनुसंधान/शिक्षण का हो ।

वांछनीय :

1. विज्ञान में कोई डिग्री ।

2. किसी जिम्मेदाराना स्थिति का प्रशासनिक अनुभव ।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में सहायक अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी) के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव :

अनिवार्य :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक बोर्ड से कम से कम चार वर्ष की होम्योपैथी विषयक डिग्री/डिप्लोमा ।

2. डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 3/5 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव जिसमें से दो वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/कालेज/विश्वविद्यालय में अनुसंधान/शिक्षण का हो।

अथवा

1. किसी मान्यता प्राप्त सांविधिक संकाय/विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम की दूसरी तथा तीसरी सूची में शामिल कोई अर्हता।

वांछनीय :

उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष स्तर पर विज्ञान पढ़ा हुआ हो।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में सहायक अनुसंधान अधिकारी (भेषज अभिज्ञान) के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव।

अनिवार्य :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वनस्पति विज्ञान/भेषज अभिज्ञान में एम० एस० सी०/एम० फार्मा० नामक प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री।

2. डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में भेषज-अभिज्ञान में 3 वर्ष का अनुसंधान/शिक्षण का अनुभव।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सुसंगत विषय में पी० एच० डी०।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में सहायक अनुसंधान अधिकारी (पैथालोजी) के पद लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव :

अनिवार्य :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में एम० बी० बी० एस० डिग्री।

वांछनीय :

अनुसंधान की रुचि।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव :

अनिवार्य :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की भेषजगुण विज्ञान विषयक एम० एस० सी० या बी० एस० सी० डिग्री।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की एम० बी० बी० एस० डिग्री।

विवरण-II

सं०	नाम	जन्म-तिथि	वर्तमान आयु	नियमित नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की विधि	अर्हता	अनुभव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डा० एस० के० घोष	7-2-31	50 वर्ष	11-10-1979	पदोन्नति	1. मैट्रिक 2. डी० एम० एस० (19) 3. परिवार नियोजन प्रशिक्षण	1-12-72 से 10-10-79 तक इस परिषद् के अधीन अनुसंधान सहायक
2.	डा० ए० के० बनर्जी	15-5-39	42 वर्ष	27-7-79	पदोन्नति	1. इण्टर 2. डी० एम० एस० 3. परिवार नियोजन प्रशिक्षण	17-8-72 से 20-6-79 तक इस परिषद् के अधीन अनुसंधान सहायक
3.	डा० जी० एस० एस० मूर्त्ति	30-5-50	31 वर्ष	18-10-79	सीधी भर्ती	1. पी० यू० सी० (फेल) 2. डी० एच० एस० एम०	1-8-74 से 31- -79 तक का शिक्षण का अनुभव
4.	डा० (श्रीमती) रीता बगई	27-7-50	31 वर्ष	27-7-79	पदोन्नति	1. उच्चतर माध्यमिक 2. डी० एच० एम० एस०	24-7-72 से 26-7-79 तक इस परिषद के अधीन अनुसंधान सहायक

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	डा० (श्रीमती) एस० एल० सहगल	11-5-52	29 वर्ष	4-10-79	सीधी भर्ती	1. उच्चतर माध्यमिक 2. प्री- डिकल 3. डी० एच० एम० एस०	20-8-74 से 3-10-79 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुसंधान सहायक
6.	डा० (श्रीमती) निर्मल सूरी	10-8-46	35 वर्ष	27-7-79	पदोन्नति	1. मैट्रिक 2. इण्टर 3. डी० एच० एम० एस०	28-10-72 से 26-7-79 तक इस परिषद् के अधीन अनुसंधान सहायक
7.	डा० के० सी० सरकार	3-1-43	38 वर्ष	14-9-79	पदोन्नति	1. डी० एस० एस०	5-8-72 से 13-9-79 तक इस परिषद् के अधीन अनुसंधान सहायक.
8.	डा० वाई० एस० चिल	11-4-48	33 वर्ष	27-3-79	पदोन्नति	1. इण्टर 2. डी० एच० एम० एस०	27-7-72 से 26-3-79 तक इस परिषद् के अधीन अनुसंधान सहायक
9.	डा० जी० सी० सहगल	15-11-48	33 वर्ष	13-8-79	सीधी भर्ती	1. उच्चर माध्यमिक 2. इण्टर 3. बी० एस० सी० 4. डी० एच० एम० एस०	अनुसुचित जाति का उम्मीद-वार, 1976 से 12 अगस्त, 79 तक प्राइवेट प्रैक्टिस

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	डा० वाई० के० शर्मा	8-5-47	34 वर्ष	1-9-79	पदोन्नति	1. डी० एच० एम० एस०	2-8-72 से 31-8-79 तक अनुसंधान सहायक
11.	डा० (कु०) के० के० ठाकुर	10-2-48	34 वर्ष	13-6-79	पदोन्नति	1. इण्टर (एस० सी०) 2. डी० एच० एम० एस०	24-7-72 से 12-6-79 तक अनुसंधान सहायक
12.	डा० वी० ए० बालाचन्द्रम सहायक अनुसंधान अधिकारी (भेषज गुण विज्ञान)	3-9-51	30½ वर्ष	2-8-79	सीधी भर्ती	1. डी० एच० एम० एस० 2. एस० एस० एल० सी० 3. डी० एच० एम०	1-4-74 से 1-8-79 तक अनुसंधान सहायक (एच०)
13.	डा० के० पी० सिंह सहायक अधिकारी (विकृति विज्ञान)	11-1-49	32 वर्ष	1-9-79	सीधी भर्ती	1. हाई स्कूल 2. इण्टर 3. बी० वी० एम० सी० एण्ड ए० एच० 4. एम० एस० सी०	1-12-74 से 31-8-79 तक अनुसंधान सहायक
14.	डा० आनन्द प्रकाश	1-1-54	27 वर्ष	31-7-79	सीधी भर्ती	1. हाई स्कूल 2. इण्टर 3. एम० बी० बी० एस०	2/79 से 30-7-79 तक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8
	सहायक अनुसंधान अधिकारी (भेषज अभिज्ञान)						
15.	श्रीमती जे० राज	14-2-48	31 वर्ष	10-7-79	सीधी भर्ती	1. एम० एस० सी० (वनस्पति विज्ञान)	1975 से 1979 तक एच० पी० सी० में अनुसंधान सहायक (वनस्पति विज्ञान)
1980							
1.	डा० हरि सिंह	25-11-49	30 वर्ष	7-3-80	सीधी भर्ती	1. उच्चर माध्यमिक 2. बी० एस० सी० (आनर्स) 3. डी० एच० एम० एस०	जुलाई, 1973 से 6 मार्च, 1980 तक एन० एच० एम० कालेज, नई दिल्ली में शिक्षण का अनुभव
1981							
	1981 में कोई नियुक्ति नहीं की गई।						

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल आफ लाईफ साईंसिस में एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर की गतिविधियां

6459. **श्री रशीद मसूद** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी सांसद की ओर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल आफ लाईफ साईंसिस के एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर की गतिविधियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो यह शिकायत किस किस्म की थी; और

(ग) उक्त प्रोफेसर के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही करनी शुरू की थी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विजिटर की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित पत्र में एक संसद सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ एक संकाय सदस्य के तथाकथित अनुचित व्यवहार के संबंध में शिकायत की है जब वह पश्चिम जर्मनी में थे । इसे विश्वविद्यालल के ध्यान में ला दिया गया था । विश्वविद्यालय ने पश्चिम जर्मनी में अधिकारिक स्रोतों से एक जांच की और यह सूचित किया गया था कि स्टाफ सदस्य के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके । तथापि संकाय सदस्य ने बिना पूर्व अनुमति के अनुसंधान का स्थान बदल दिया प्रतीत होता है । मामले की विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आगे जांच की जा रही है ।

प्राचीन मूर्तियों की चोरी

6460. **श्री रामप्यारे डेनिका :**

श्री एन० डेनिस :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में देश के विभिन्न मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों की चोरी के मामले आये हैं;

(ख) यदि हां, तो मंदिरों में मूर्तियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) शिक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सम्बन्ध केवल उन्हीं मंदिरों से है, जो राष्ट्रीय महत्व संस्मारकों के रूप में अधिसूचित किये जा चुके हैं । इन्हीं केन्द्रीय परिरक्षित मंदिरों से चोरी होने के कुछेक मामले थे । अहर्निश निगरानी हेतु संस्मारक परिचर तैनात किये गये हैं । कुछ संस्मारकों पर पुलिस गारदों की व्यवस्था की गई है ।

सेवा-निवृत्त अध्यापकों को पेंशन के लाभ

6461. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम के सेवा-निवृत्त अध्यापकों को पेन्शन का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से पहले दिल्ली नगर निगम के सेवा-निवृत अध्यापक यूनिएन के प्रेजीडेंट की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस बारे में किस तारीख को क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हमारे क्रिकेट दल का इंग्लैण्ड का दौरा न करने के बारे में निर्णय करना

6462. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जान लेने के बाद कि इंग्लैण्ड अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को टेस्ट मैचों में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका भेज रहा है हमारे क्रिकेट दल का छटा दौरा न करने के बारे में कोई निर्णय लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार की इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि इंग्लैण्ड ने टेस्ट मैच खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को दक्षिणी अफ्रीका भेजा है या भेज रहा है ।

तथापि, कुछ ब्रिटिश क्रिकेट खिलाड़ी दक्षिणी अफ्रीका में क्रिकेट मैच खेलने के लिए वहां गए हैं । सरकार ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया था कि वह टेस्ट और काउन्टी क्रिकेट बोर्ड लन्दन से इन खिलाड़ियों के प्रति उनके रवैये का पता लगाए । इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के यू० के० के दौरे के सम्बन्ध में निर्णय इन खिलाड़ियों के बारे में टेस्ट और काउन्टी क्रिकेट बोर्ड के निर्णय को ध्यान में रखकर किया जाएगा । 30 मार्च, 1982 को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से उत्तर प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

नसबन्दी सम्बन्धी निदेश को समाप्त करने की मांग करने वाले राज्य

6463. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने प्रत्येक शव परीक्षण केन्द्र में प्रति वर्ष प्रति शय्या न्यूनतम 45 नसबन्दी मामलों को कराने के निदेश को समाप्त करने की मांग की है उनके क्या नाम हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) किसी ने भी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका द्वारा खालिस्तान समर्थकों को वीसा दिया जाना

6464. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका जैसी विदेशी ताकतें खालिस्तान आन्दोलन को प्रोत्साहन दे रही है और उसने भारत की आपत्ति के बावजूद खालिस्तान के समर्थक डा० जगजीत सिंह चौहान को वीसा दिया है तथा पहले भी खालिस्तान के एक और समर्थक श्री गंगा सिंह ढिल्लो को भी जो अमरीका में इस अभियान को चल रहा था, वीसा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इससम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) से (ग) तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन के समर्थक डा० जगजीतसिंह चौहान के पासपोर्ट को भारतीय प्राधिकारियों द्वारा अमान्य घोषित कर दिये जाने के बावजूद संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने उन्हें अमरीका में प्रवेश करने की अनुमति दी । भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की उक्त कार्रवाई पर अपनी गहरी चिन्ता की जिससे इन आरोपों में कुछ सच्चाई प्रतीत होती है कि खालिस्तान आन्दोलन को विदेशी निकायों का समर्थन प्राप्त है । इस सम्बन्ध में हमने जो चिन्ता व्यक्त की थी उसके उत्तर में अमरीका के विदेश मन्त्री ने हमारे विदेश मन्त्री को सूचित किया है कि डा० चौहान को सिर्फ मानवीय आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी । उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि इस कार्रवाई को तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन का समर्थन न समझा जाए और संयुक्त राज्य अमरीका इस आन्दोलन का सख्त विरोध करता है । अमरीका के विदेश मंत्री ने डा० चौहान को यह निदेश देनेका वायदा किया कि वे अमरीका में अपने प्रवास के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे । बाद में हमें यह सूचित किया गया गया कि उन्हें यह निदेश दे दिया गया है ।

लेकिन तथाकथित खालिस्तान आन्दोलन के एक अन्य समर्थक श्री गंगासिंह ढिल्लो अमरीकी राष्ट्रिक हैं और उन्हें अमरीका में प्रवेश के लिए वीजा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों का निर्माण

6465. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले पोतों का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गहरे समुद्र से मछली पकड़न वाले कितने पोतों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है;

(ग) उन जहाज बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली पोतों का निर्माण कार्य हाथ में लिया है;

(घ) उनके मन्त्रालय ने गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली प्रत्येक पोत की अनुमानित कीमत कितनी आंकी है; और

(ङ) गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले पोतों को देश में कब तक बनाये जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हां । सरकार ने भारतीय पोतों के निर्माण उद्योग के विकास के लिए फरवरी 1980 में घोषणा की थी ।

(ख) भारत में बनने वाले पोतों की संख्या इसके मांग और भारतीय शिपयार्डों के विपणन प्रयास पर निर्भर करेगी ।

(ग) 23 शिपयार्डों की सूची का विवरण संलग्न है जिन्हें पोत का निर्माण करने के लिए पंजीकृत किया है :

(घ) और (ङ) प्रत्येक पोत का मूल्य और वितरण की अवधि इसके आकार प्रकार और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

विवरण

1. क्ले बैंक बोट कं० (प्रा०) लि० कलकत्ता ।
2. शालीमार वर्क्स लि० कलकत्ता ।
3. ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स और इंजिनियरिंग लि०, काकीनाडा ।
4. ए० सी० राय एण्ड कं०, कलकत्ता ।
5. हुगली डाकिंग एण्ड इंजिनियरिंग कं० लि०, कलकत्ता ।
6. पी० एस० एण्ड कं०, विशाखापत्तनम
7. भारतीय शिपयार्ड प्रा० लि०, बम्बई ।

8. ब्रुन्टन एण्ड कं० इंजिनियर्स लि०, कोचीन ।

9. वेस्ट कोस्ट लाइटरेज कं० प्रा० लि०, बम्बई ।

10. अलकोक एशडाउन एण्ड कं० लि०, गुजरात ।

11. एन० एन० शिपबिल्डर्स और इंजिनियर्स प्रा० लि०, बम्बई ।

12. गोवा शिपयार्ड लि०; गोवा ।

13. सामंत शिपयार्डस (प्रा०) लि०, गोवा ।

14. कोंकण वार्ज बिल्डर्स प्रा० लि०, बम्बई ।

15. मंगला इंजिनियरर्स प्रा० लि०, बम्बई ।

16. इंम्पीरीटेरोस गेरायस (प्रा०) लि०, गोवा ।

17. कर्नाटक इंजिनियर्स एण्ड मेरीन कं०, मंगलौर ।

18. वी. एम. सलगावोकर एण्ड ब्रदर्स प्रा० लि० गोवा ।

19. चोगले एण्ड कं० प्रा० लि०, गोवा ।

20. एस० के० ढ़ोंडी एण्ड कं० बम्बई ।

21. शिवम इंजिनियर्स, गोवा ।

22. अरुण मी क्राफ्ट, अलेपी ।

23. यूनिक इंटरप्राइजेज, कोचीन ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आल-इंडिया रेडियो के खिलाफ प्रिवलेज मोशन दिया है । 26 तारीख को सदन में दो-तीन घंटे डिसकसन हुआ, उसमें आप भी यहां बैठे थे । लेकिन साठे जी, आपके हिन्दी प्रभाग ने उस दिन के सम्बन्ध में एक लाइन भी नहीं दी । यहां पर एक स्पेशल डिसक्शन हुआ, लेकिन एक लाइन नहीं दी गई । कल मिनिस्टर ने हाउस में स्टेटमेंट दिया, एक लाइन कहीं नहीं दिया है । साठे साहब बैठे हुए हैं, मैं कोई दुर्भावनापूर्ण से नहीं कह रहा हूं । उसके साथ मैंने सारे कागज संलग्न किए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस प्रकार के नोटिस कई बार पहले भी दिये गये हैं । मैंने आपको अपना उत्तर भेज दिया हैं । अब रेडियो तथा समाचार पत्रों में समाचार देना एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय मैं नहीं बल्कि वे लोग करते

हैं जिनके पास इसका कार्यभार है। वे ऐसा उसी बात को देते हैं जिसे वे समाचार के महत्व को समझते हैं। मान लीजिये कि उनके ध्यान में कोई बात नहीं आयी जो आपके विचार में महत्वपूर्ण और उनके विचार से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। मेरे विचार में यह महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं नहीं समझता कि समाचार देना या न देना सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है। मूलत: यह सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है (व्यवधान)। इस मामले को नहीं उठाया जाना चाहिये, यह हास्यस्पद है। (व्यवधान) हर दिन, हर मामले की रिपोर्टिंग करना तथा न करना, शब्द कितने हों आदि किस नियम के अधीन विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आपने कोई गाईड लाइन्स दी हैं ?

श्री वसन्त साठे : गाइड लाइन्स हैं। (व्यवधान)। स्थायी गाइड लाइन्स हैं। (व्यवधान)। स्थायी गाईड लाइन्स हैं। (व्यवधान)। आप बतायें कि किस नियम के अन्तर्गत यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है और हमेशा हमेशा के लिये इस मामले पर निर्णय लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : गाईड लाइन्स क्या हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुन सकते ?

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : मन्त्री यहां हैं। कृपया हमें इस मामले पर चर्चा की अनुमति दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ? चर्चा के लिये कोई समय नहीं है, चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हर विषय पर गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मुझे हर बात पर विचार करना पड़ता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इन्होंने निर्णय दे दिया है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैंने आपके पास दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। आपके साथ कोई बात हुई है, तो मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मामला विचाराधीन हो सकता है, यह विशेषाधिकार का मामला नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री नीरेन घोष को अनुमति नहीं दी ।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : आपने मुझे बुलाया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया ।

श्री नीरेन घोष : मुझे खेद है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत धन्यवाद ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं । यह बहुत अधिक है ।

(**व्यवधान**)**

कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा ।

(**व्यवधान**)**

श्री नीरेन घोष : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

(**व्यवधान**)**

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : लोक सभा गढ़वाल का नुमाइन्दा नहीं है । मैंने इस सम्बन्ध में मोशन दिया है ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाइड ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : रोज एक बात को उठाने से खिचड़ी हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री घोष, मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को पढ़ लिया है । मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि आपको किसी अन्य नियम के अन्तर्गत इसे लाना पड़ेगा

श्री नीरेन घोष : कृपया मुझे इसका उल्लेख करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुभवी सांसद हैं । आपको इन बातों के महत्व को जानना चाहिये ।

श्री नीरेन घोष : मैं कहना चाहता हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव किसी अन्य नियम के अन्तर्गत दें ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा ।

श्री नीरेन घोष : मुझे पूरा करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरा क्यों करें । कृपया इसे उचित ढंग से करें । आप मुझे कोई अन्य प्रस्ताव दें । (**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि आकाशवाणी पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं यह सिद्ध करने के लिये हजारों उदाहरण दूंगा कि आकाशवाणी का उपयोग कैसे दलगत कार्यों के लिए किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह मामला यहां विचारार्थ नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यम (आंवला) : अध्यक्ष जी, यदि राज्य सरकार किसी उत्तरदायित्व को पूरा न करे तो केन्द्रीय सरकार पर उसकी जिम्मेदारी आती है। गढ़वाल के चुनाव के प्रश्न को लेकर**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यादव जी। अनुमति नहीं। कोई भी अनुमति नहीं। मैंने इन्हें अनुमति नहीं दी है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, कल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम का जन्म दिन है। आपने कृपा करके लोक सभा की बैठक···

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम मैंने कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र पाटिल।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

महापत्तन न्यास (न्यासियों की फीस और भत्तों का संदाय, के नियम 1981, विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण, कलकत्ता पत्तन न्यास तथा नवीन मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 134 में प्रकाशित हुए थे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3784/82]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3785/82]

दो नवीन मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3786/82]

राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम, बम्बई का वर्ष 1980-81 के कार्यकरण पर समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3787/82]

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज सरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक लेखे तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई, खड़गपुर के वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक लेखे

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, रूरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, रूरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1980-81 वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, रूरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3788/82]

(4) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3789/82]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3790/82]

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) (दो) और (4) (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3791/82]

(6) विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता के न्यासियों की कार्यकारिणी समिति के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन** और लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3792/82]

(7) सालार जंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन** और लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3793/82]

---

*भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण 25 मार्च, 1982 को सभा पटल पर रखा गया था।

**(1) विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता, के न्यासियों की कार्यकारिणी समिति और (2) सालार जंग संग्रहलाय, बोर्ड हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे 25 फरवरी, 1982 को सभा पटल पर रखे गए थे।

(8) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3794/82]

वर्ष 1982-83 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं वाणिज्य मंत्रालय के वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3795/82]

चित्तरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) चित्तरन्जन नेशनल कैंसर रिसर्च, सेंटर, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) चित्तरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च, सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3796/82]

उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड बहरामपुर गंजम का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के प्रतिवेदनों के सभा पटल पर निर्धारित अवधि के भीतर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जाफर शरीफ) : मैं श्री मल्लिकार्जुन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर गंजम के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उड़ीसा रोड़ ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर, गंजम, का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा वर्ष, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के प्रतिवेदनों को लेखा-वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3797/82]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 31 मार्च 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 मार्च 1982 को पारित किये गये केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, 27 मार्च 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात् वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1982

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 2, विधेयक, 1982

लोक लेखा समिति

75वां, 78वां, 82वां और 85वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) नव स्थापित उपक्रमों के सम्बन्ध में अनियमित रूप से राहत दिये जाने के बारे में 75वां प्रतिवेदन

(2) सैनिक फार्मों के बारे में 78वां प्रतिवेदन

(3) बदरपुर ताप-बिजली परियोजना — चरण-दो के बारे में 82वां प्रतिवेदन

(4) निगमकर, आयकर और धनकर के बारे में 85वां प्रतिवेदन।

———

अध्यक्ष महोदय : अब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

श्री मुकुंद मंडल (मथुरापुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह किस बारे में है ?

श्री मुकुंद मंडल : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये। यह यहां पर नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई बहस नहीं। इसकी इजाजत नहीं है। मेरे पास आइये। नहीं, नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। हां, मि० हरीश रावत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। कोई और प्रश्न नहीं। हम क्यों इसे उठायें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर देख सकते हैं। यदि कोई गलती पर है तो मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। आप मेरे पास आइये। हां, मि० हरीश रावत।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विभिन्न राज्यों में सीमेंट के कथित दोषपूर्ण वितरण से उत्पन्न स्थिति

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग, इस्पात और खान मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करके विभिन्न राज्यों में सीमेंट के कथित दोषपूर्ण वितरण से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

उद्योग, इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जैसा कि आदरणीय सदस्य जानते हैं, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सीमेंट की आवंटन सम्बन्धी प्रक्रिया के अन्तर्गत जो 28-2-1982 से पहले लागू थी, केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में उन्हें सीमेंट का इकट्ठा आवंटन किया जाता था। उन्हें किए गए इकट्ठे आवंटन में से वर्ष, 1979 की पहली तिमाही से, केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा सिंचाई मन्त्रालय द्वारा दिए गए अनुमानों के आधार पर सिंचाई और बिजली के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कुछ मात्रा पहले से आरक्षित कर दी जाती थी। इसके अलावा, वर्ष, 1981 की तीसरी तिमाही से ऐसे आवंटन का 10 प्रतिशत लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। शेष मात्रा राज्य/संघशासित प्रदेश की सरकारों को उनके पूर्ण विवेकानुसार अन्य श्रेणियों में उप-आवंटन के लिए उपलब्ध रहती थी। केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व केवल इकट्ठा आवंटन करने की अवस्था तक ही था। पहले से आरक्षित की गई सीमेंट की मात्रा में से केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र को इसमें से कोई सीमेंट देने की अनुमति नहीं दी गई थी। राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा इनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में अन्तरक्षेत्रीय प्राथमिकताएं भिन्न होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि इस मामले को राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों के निर्णय पर छोड़ देना ही यथार्थवादी हल है। राज्य/संघशासित प्रदेशों द्वारा इस बारे में निर्धारित प्रक्रियाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों को, यदि कोई हों, तो अपनाने का उत्तरदायित्व पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है।

2. जैसा कि ऊपर बताया गया है इकट्ठे आवंटनों के अतिरिक्त भी, बाढ़ साइक्लोन और सूखा राहत कार्य तथा अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, तदर्थ आधार पर आवंटन हेतु विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से अक्सर केन्द्र सरकार को अनुरोध प्राप्त होते रहते थे तथा सीमेंट की कुल उपलब्धता को देखते हुए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को तदर्थ आधार पर अतिरिक्त आवंटन कर दिये जाते थे।

3. सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण के संदर्भ में 28-2-1982 में सीमेंट वितरण की प्रणाली में सुधार किया गया है। अब राज्य सरकारों को इकट्ठा आवंटन केवल सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त होगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को दिये गये लेवी सीमेंट की मात्रा का उपयोग राज्य सरकार के विभागों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों/स्थानीय संगठनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा समाजोन्मुख योजनाओं जैसे ग्रामीण मकान निर्माण के लिए, गंदी बस्तियों के निवासियों, हरिजनों, आदिवासियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए मकान बनाने हेतु; ग्रामीण जल संभरण योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम की अन्य मदों के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाएगा। 80 वर्ग मीटर के प्लिन्थ (कुर्सी) क्षेत्र में रिहायशी मकान बनाने के लिए लेवी सीमेंट दी जायेगी तथा रिहायशी मकानों में मरम्मती कार्य के लिए भी थोड़े परिणाम में लेवी सीमेंट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, लघु औद्योगिक क्षेत्र में फैक्टरी की इमारतों का निर्माण करने के लिए लेवी सीमेंट का आवंटन किया जाएगा। किन्तु कच्चे माल के रूप में सीमेंट का उपयोग करने वाले उद्योगों को किसी प्रकार की लेवी सीमेंट नहीं दी जाएगी।

इसी प्रकार कारखानों से भिन्न इमारतों के निर्माण, रेस्टोरेंटों, होटलों, सिनेमा गृहों, बहुमंजिलीय अथवा वाणिज्यिक इमारतों तथा 80 वर्ग मीटर से अधिक कुर्सी क्षेत्र (प्लिन्थ एरिया) वाले आवासीय गृहों के लिए भी लेवी सीमेंट जारी नहीं की जाएगी। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के त्रैमासिक आवंटनों के अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आदि द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार सिंचाई और विद्युत क्षेत्र के लिए सम्बद्ध परियोजना प्राधिकरणों को सीधे ही सीमेंट का आवंटन किया जाएगा।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, जो कालिंग एटेंशन है, इसके विषय-वस्तु के बारे में मैं इससे पहले भी इस सदन में, दूसरे सदन में और कुछ अखबारों में बहुत कुछ आया है और विशेष-कर इस मामले को उन लोगों द्वारा बराबर उठाने की कोशिश की गई है, जो हमारे विरोधी दलों के लोग हैं या ऐसे अखबारों में यह बहुत-कुछ छाया रहा है, जिनको कांग्रेस कल्चर से चिढ़ है। इस बात से दुखी होकर मैंने कालिंग एटेंशन का नोटिस दिया था, जिसमें मैंने यह बात कही थी कि कुछ अखबारों द्वारा जो सीमेंट के तथाकथित घोटाले की बोगी रेज की जा रही है और जो बराबर हल्ला-गुल्ला मचाया जा रहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। वे अखबार इस प्रकार की झूठी बातों को शाया करके, इस प्रकार की गलत बातों को शाया करके इस देश के राजनीतिक वातावरण को जिस तरह से दूषित कर रहे हैं और राजनीतिज्ञों की जिस तरीके से चरित्र हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह उचित है। मैं इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था क्योंकि जब भी इस विषय पर विपक्ष के सम्मानित सदस्यों द्वारा यहां पर जोर दिया गया है, तो आपने जिस प्रकार से···

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बताना चाहता हूँ कि कल जब 'सभी राज्यों को सीमेंट की सप्लाई के आश्वासन' के बारे में प्रश्न का उत्तर इस सदन में दिया गया था, उस समय बहुत से पूरक प्रश्न पूछे गये थे। सीमेंट के वितरण के बारे में हमारे पास अनेकों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस भी हैं। मैंने आज की उसकी अनुमति दी है ताकि इस मामले में स्पस्टीकरण का एक अवसर मिल सके।

मन्त्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में एक विस्तृत विवरण पढ़ा है। जब उन सदस्यों को, जिनके नाम इस मद के सामने कार्य सूची में उल्लिखित हैं, सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछने के लिए बुलाया जायेगा, मैं उनके नोटिस में कुछ बातें ला देना चाहता हूं ताकि वे प्रश्न पूछते समय इसका ध्यान रखें।

प्रत्येक विधायक सभा में जैसा कि हमारी अपनी सभा में भी है, अपने-अपने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम होते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत ही लोक लेखा समिति और अन्य वित्तीय समितियां गठित की जाती हैं। ये समितियां उस सदन को, जिनके साथ वे जुड़ी होती हैं, अपने-अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं जो स्वभावत: अनिवार्य सिफारिशों के रूप में होते हैं। निदेश संख्या 102 हमारे सदन के मामले में सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सरकार को सम्बन्धित समितियों को की गई कार्रवाही रिपोर्ट भेजने पड़ते हैं जिनसे एक बार फिर से उस मामले की जांच करने का अवसर मिल जाता है और फिर वे समितियां अपनी की गई कार्यवाही प्रतिवेदन देती हैं। यह चीज

हमारे नियमों और राज्यों के विधान मण्डलों में निर्धारित की गई है कि वे मामले जो किसी समिति के विचाराधीन हों, संसद में नहीं उठाये जा सकते। इसलिए यही उचित है कि राज्य विधान मण्डल द्वारा गठित किसी विशेष लोक लेखा समिति की अथवा किसी दूसरी समिति की चाहे जो भी सिफारिश हो, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणी उसी समिति को जायेगी और उस मामले की जांच करना भी उसी समिति का कार्य होगा और वही समिति अपनी की गई कार्यवाही प्रतिवेदन भी देगी। यदि इसके बाद भी, उस प्रतिवेदन पर कुछ वाद-विवाद होता है तो यह वाद-विवाद उसी राज्य विधान मण्डल विशेष में ही उठाया जायेगा।

क्या मैं माननीय सदस्यों को भी याद दिला सकता हूं कि सीमेंट वितरण के कुछ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ऐसे न्याय-निर्णयाधीन मामलों पर प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने जो कुछ कहा है, क्या उसका अर्थ यह है कि कर्नाटक की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज है···

अध्यक्ष महोदय : जो आपके रूल्स में है, वही मैंने कहा है। बाहर से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपनी मदद के लिए स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या उस रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह ठीक है कि जो कुछ उसमें लिखा है, उस पर कार्यवाही तो कर्नाटक में होनी है।

अध्यक्ष महोदय : जो लिखा है, वाजपेयी जी मैंने वही कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कमेटी की रिपोर्ट एक पब्लिक डाकुमेंट है।

अध्यक्ष महोदय : इनको ये बता दीजिए, दिखा दीजिए। हम इसे आपको दिखायेंगे। जो कुछ भी नियम कहते हैं, मैं उनका पालन करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सीधा-सा सवाल पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि जो रूल में है मैंने वही आपको कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनमें नियमों की अवहेलना नहीं होती। विगत में यदि आप लोक सभा और राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही पढ़ें, तो प्राय: ही संसद, लोक सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का उद्धरण दिया जाता है···

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया है।

प्रो० मधु दण्डवते : राज्य विधान मण्डल में किसी मामले पर विचार-विमर्श या वाद-विवाद करते समय चाहे प्रतिवेदन के पाठ का शब्दश: उद्धरण नहीं भी दिया हो, उन्होंने कुछ अंश या कुछ सिफारिशों का उल्लेख किया है। जब वे उन प्रतिवेदनों को पढ़े बिना ही उनका उद्धरण

दे सकते हैं, तो उसी आधार पर, तो कोई भी बात इस सभा में उठाई जा सकती है। यह एक सरकारी दस्तावेज है, यह प्रकाशित हुआ है, समाचार पत्रों में छपा है। जो चीज समाचार पत्रों में छप चुकी है उसका उल्लेख करने से आप हमें कैसे रोक सकते हैं ? यदि आप लोक सभा की कार्यवाही देखें तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। उस पर और अधिक पाबंदियां मत लगाइये··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह बात हमारे सामने आयेगी हम उसी के अनुसार करेंगे।

श्री हरीश रावत : जो कुछ कहा गया और आज से पहले भी जो कुछ अखबारों में शाया हुआ है, शाया करने वाले और कहने वाले लोग निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं कि कोई अनियमितता नहीं हुई और किसी प्रकार की किसी गाईडलाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसको महज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा कहा जा रहा है। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि कर्नाटक के अन्दर, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं राज्यों को चर्चा का मुद्दा बनाने की कोशिश की गयी है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इससे यह साफ झलकता है कि विपक्ष की मंशा इन मांगों को उठा कर जो उन राज्यों के मुख्य मन्त्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। जी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : कर्नाटक के कांग्रेस (आई) के सदस्य यह कहते हैं कि केन्द्रीय निर्देशों की अवहेलना की गई है। उन्हें सदस्यों पर आक्षेप नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोक लेखा समिति में कांग्रेस (आई) के सदस्यों का बहुमत है।

अध्यक्ष महोदय : उस हाउस का वो जाने वे इसके बारे में स्वयं देख लेंगे।

देखिये मेरी बात सुनिये हरीश जी, जो जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, वह उस स्टेट लेजिस्लेचर के लिये जवाबदेह होता है। हम उनके कार्यचालन पर विचार नहीं कर सकते। आप दूसरी बातें पर आइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल करिए।

श्री हरीश रावत : मैंने तो केवल भूमिका के लिए कहा है। अतीत में भी भूमिका में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। आप कुछ तो अलाऊ करिए, ताकि मैं सच्ची बात कह सकूं।

कर्नाटक के मुख्य मन्त्री योग्य व्यक्ति हैं, कर्नाटक की जनता उनको चाहती है, तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाएगी तो सदन के सदस्य के रूप में मेरा फर्ज है कि जो कुछ मैं महसूस करता हूं वह कहूं।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में इसकी अनुमति नहीं है।

श्री हरीश रावत : जो कुछ मैं महसूस करता हूं वह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में इसकी अनुमति नहीं है। आप उस व्यक्ति के व्यवहार पर किस प्रकार चर्चा कर सकते हैं जो इस सदन में है ही नहीं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : वही मैं कह रहा हूं।

श्री हरीश रावत : कहा गया है कि वहां पर गाइड-लाइन्स का उल्लंघन हुआ है और यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा कहा गया है जो पहले सरकार में रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों द्वारा बराबर यह मामला उठाया जा रहा है कि राज्यों को दिए गए गाइड-लाइन्स का उल्लंघन हुआ है, वे व्यक्ति शासन में थे। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों के शासन काल 1977 से 1980 तक क्या कोई गाइड-लाइन्स राज्यों को सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में दिए गए थे। (व्यवधान) गाइड-लाइन्स द्वारा पहले त्रै-मासिक आवंटन करते हैं, उनके लिए प्राथमिकताओं के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं और प्राथमिकताओं के क्षेत्रों के निर्धारण के बाद किस प्रकार अपने राज्यों में अन्तर्राज्यीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करें, यह राज्य-सरकारों का काम है, केन्द्र सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकारों को देखना होता है कि किन व्यक्तियों को किन क्षेत्रों में ज्यादा सीमेंट देना है, किनको कम देना है, किस तरीके से करना है। इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कर्नाटक या आन्ध्र में आपने जो गाइड-लाइन्स दी हैं, उनका उल्लंघन हुआ है या केवल अन्तर्राज्यीय प्राथमिकताएं जो हैं, उनको अपने स्तर पर निर्धारित किया गया है और उनके अन्तर्गत वितरण किया गया है और उसको लेकर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भ्रम पैदा करने की चेष्टा की जा रही है। इस विषय में स्पष्ट करने की कृपा करें।

इसके अलावा मेरे मित्र इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं, उनका नम्बर मेरे बाद आने वाला है, वे इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं या आपसे कि पिछले 5 सालों के अन्दर···।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वह भूतपूर्व विदेश मन्त्री की हैसियत से उत्तर दे सकते हैं।

श्री हरीश रावत : मैं मन्त्री महोदय से पूछ लेता हूं, ताकि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। पिछले 4-5 वर्षों के अन्दर इस प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में जितने भी समाचार छपे हैं क्या उन सबकी जांच करना आपके लिए व्यावहारिक रूप से संभव होगा ? इस बीच कई राज्यों में सीमेंट वितरण को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, विशेषकर पश्चिम बंगाल के विषय में हमारे कांग्रेस के मित्रों द्वारा कहा जाता है कि वहां पर सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीमेंट का अलाटमेंट किया है और जिनको वास्तव में सीमेंट की आवश्यकता थी, उनको सीमेंट नहीं दिया गया है, गलत लोगों को सीमेंट के बारे में धांधलियों के आरोप लगाए गए हैं, जांच

करेंगे ? कर्नाटक का जहां तक सम्बन्ध है वहां पी० ए० सी० का एक रेजोल्यूशन था और जहां तक मेरी जानकारी है उस रेजोल्यूशन को वहां के हाउस ने डिसओन कर दिया है, वह उसको डिसओन कर चुका है हाउस ने स्पष्ट कहा है कि जो सीमेंट का एडहाक एलाटमेंट किया गया है वह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए नहीं किया गया है, वहां की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए वहां की राज्य सरकार ने, वहां के मुख्य मन्त्री ने, वहां के सिविल सप्लाई मिनिस्टर ने, आप से अनुरोध किया था कि उनको विशिष्ट मात्रा में सीमेंट का आवंटन किया जाए क्योंकि उनके राज्य में सीमेंट की कमी है। प्राथमिकता के क्षेत्र जैसे सिंचाई परियोजनाओं की बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए आपने आवंटित किया था या वहां की स्पेशल रिक्वायरमैंट्स को देखते हुए वहां के मुख्यमन्त्री के अनुरोध को देखते हुए आपने यह एडहाक एलाटमेंट किया था ? वहां का जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है···उसके सेक्शन 3 के अन्तर्गत वहां की राज्य सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह सीमेंट का वितरण करे। ऐसी अगर बात है तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या उस पर हम यहां चर्चा कर सकते हैं, उस पर यहां विचार करना क्या इस सदन के लिए ठीक होगा ? उस सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार का कोई जुरिसडिक्शन है ? कर्नाटक असेम्बली ने उस रेजोल्यूशन को डिसओन किया है। क्या उस विषय में किसी प्रकार से चर्चा करना या रेफ्रैंस पास करना, हमारे लिए उचित होगा ? यदि यह सदन उस पर विचार करता है तो क्या यह कर्नाटक असेम्बली के कंडक्ट पर विचार करना नहीं होगा ?

उसी प्रकार से आंध्र में कुछ गड़बड़ी की शिकायत की गई है। वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पर कुछ आरोप लगाए गए थे। जहां तक मेरी जानकारी है जब ये आरोप वहां बराबर लगाए जाते रहे और गड़बड़ी की शिकायत की जाती रही और यह चीज अखबारों में छपती रही और पहले पहल जब यह आरोप अखबारों में छपा था क्या उस समय वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बाहर विदेश के दौरे पर नहीं थे ? क्या यह सच है कि उनके द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया था जिसको चर्चा का विषय बनाया गया था ? आंध्र के मुख्य मन्त्री क्या इस वास्ते जांच के लिए तैयार नहीं हो गए कि विपक्ष द्वारा बार-बार जांच की मांग की जा रही थी और अपने मंत्री की पोजिशन को साफ करने के लिए, उनकी ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा यह कहा गया कि हम इनक्वायरी इंस्टीट्यूट कर देते हैं ? जब वह इनक्वायरी इंस्टीट्यूट करने का आदेश दे चुके हैं तो उस पर चर्चा करना क्या उचित होगा ? क्या केन्द्रीय सरकार उस विषय में कुछ कर सकती है ?

हमारे मित्र इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से इसको यहां पर उठाना भी चाहते हैं। वे इस मामले का राजनीतिक फायदा नहीं उठा पा रहे इसलिए उनको दर्द है। उनको दर्द होना स्वाभाविक भी है। मैं नया सदस्य हूं। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो मैं महसूस करता हूं उसको सदन के सामने रखता हूं। आपकी कम्पीटेंस के अन्दर या मन्त्री कम्पीटेंस के अन्दर है, इस पर मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं तो केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

सीमेंट का विषय जब यहां उठ चुका है तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। आप प्राथमिकतायें निर्धारित करते हैं। लेकिन राज्यों की अपनी आब्लीगेशंज भी हैं। राज्यों में जो शहरी

क्षेत्र हैं उनका दबाव अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों को वहां ज्यादा सीमेंट मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमेंट नहीं पहुंच पाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है। यही हाल पर्वतीय क्षेत्रों का है। इस कारण से वहां के लोगों को बड़ा असन्तोष रहता है। लोग बहुधा वहां सीमेंट की कमी की शिकायत करते हैं। इस बारे में क्या आप सीमेंट मैनुफैक्चर्ज एसोसिएशन से वार्ता करेंगे ? कि वह दूर दराज के क्षेत्रों तक सीमेंट प्राथमिकता के अनुसार पहुचाने की ड्यूटी को संभालें ? और क्या राज्य सरकारों से बात करेंगे कि वह सब जगह, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेल आउटलेट खोलें ? देश के कुछ राज्यों में सीमेंट के कारखाने नहीं हैं और कुछ में हैं, जिन राज्यों में नहीं हैं उन राज्यों को जब सीमेंट लेने के लिये जाना पड़ता है तो बहुधा ऐसे राज्यों को सीमेंट कारखाने तक ट्रेन सेवायें न होने के कारण जब वह अपना इंडेंट देते हैं तो ट्रेन नहीं मिल पातीं और इसकी वजह से उनके इंडेंट की अवधि समाप्त हो जाती है। इस वजह से बहुत सारे राज्य, जो कुछ आप उनको आवंटन भी करते हैं उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरे आपकी नीति है कि जितना सीमेंट उपयोग करेंगे उसके अनुसार आवंटन करते हैं। इस कारण से भी कई राज्य सफर कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा अतीत में की गई खपत के आधार पर आप सीमेंट का आवंटन करते हैं जिनके कारण उनको बहुत कम सीमेंट मिलता है। तो खपत के आधार पर जो सीमेंट आवंटन की नीति है क्या इस पर आप पुनर्विचार करने को तैयार हैं ? जनसंख्या के आधार पर सीमेंट वितरण हो ताकि जहां सीमेंट के कारखाने उनके उत्पादन के अनुसार सीमेंट पैदा नहीं करते हैं, या उनकी खपत की नीति के अनुसार पूरा सीमेंट नहीं मिलता है, उन राज्यों की सीमेंट की आवश्यकता की पूर्ति हो सके ? इस संदर्भ में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

1981 में सीमेंट का कितना उत्पादन था और इस वर्ष कितना है ? और इसको बढ़ाने के लिये जो घोष समिति की सिफारिशें हैं उन पर आपने कहां तक अमल किया है और क्या कार्यवाही की है, और क्या आपकी सरकार ने उनका स्वीकार किया है कि नहीं ? इस विषय में आपसे जानना चाहता हूं कि नई सीमेंट पौलिसी के अधीन आप क्या कार्यवाही करेंगे। साथ ही मिनी सीमेंट प्लांट लगाने का निश्चय किया है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि मिनी सीमेंट प्लांट इकोनामिकली वायेबिल नहीं हैं, इन पर लगायी गई पूंजी डूब जायेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके एक्सपर्ट्स की क्या रिपोर्ट है ? क्या इस प्रकार के मिनी सीमेंट प्लांट इकोनामिकली वायेबिल यूनिट होंगे ? और यदि होंगे तो उनको ऐसे राज्यों में लगायेंगे जहां कम सीमेंट प्लांट हैं ? ऐसे राज्यों को मिनी सीमेंट प्लांट लगाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये आप कौन सी नीति निर्धारित कर रहे हैं ?

कंट्रोल सीमेंट और फ्री सैल सीमेंट की कीमत में बहुत अन्तर है जिसके कारण उन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो कि सीमेंट पर ही आधारित हैं, काफी सफर करना पड़ता है। उनको फ्री सेल सीमेंट खरीदना पड़ता है जिससे उनके उत्पादन का मूल्य बहुत आता है। तो ऐसी स्माल स्केल सैक्टर की इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिये क्या आप फ्री सैल की जगह पर उनको भी लेवी सीमेंट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं।

इसी तरह अध्यक्ष जी, सीमेंट इंडस्ट्री बड़ी पुरानी हो गई है···

अध्यक्ष महोदय : यह तो विपक्ष के लिये रहने दीजिये।

श्री हरीश रावत : उनके फर्ज को मैं ही पूरा किये देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के मोडर्नाइजेशन के विषय में सरकार क्या नीति अपना रही है ? आपकी नई सीमेंट नीति का मैं स्वागत करता हूं और जब से मन्त्री जी ने कार्यभार सम्हाला है सीमेंट उत्पादन बढ़ा है जो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। जिस मजबूती के साथ आप इस उद्योग को पनपा रहे हैं उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जो पहला प्रश्न माननीय युवा सदस्य ने पूछा वह 1978 में क्या नीति थी सीमेंट वितरण की इस सन्दर्भ में पूछा। आधारभूत दृष्टिकोण से, बुनियादी दृष्टि से यह जो वर्तमान नीति है यह सितम्बर 1978 से ही मुख्यत: लागू हुई। हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से जो माडर्न स्कीम 25 सितम्बर, 1978 से लागू की गई, उसमें यह शब्द थे—

"1 अक्तूबर, 1978 से, प्रत्येक राज्य सरकार के लिये सीमेंट नियंत्रक द्वारा केवल एक बार ही सीमेंट का थोक आवंटन कर दिया जायेगा। सीमेंट नियंत्रक/क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक सहवर्ती समूहों (लिंकेजिज) का भी उल्लेख करेंगे अर्थात् प्रत्येक राज्य में उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारण में तथा क्षेत्रों से कारखानों के आवंटन, थोक आवंटन और उपर्युक्त निर्दिष्ट समूहों को देखते हुये राज्य सरकारों को आर० सी०/ओ० आर० सी० तथा सार्वजनिक बिक्री वर्गों के बीच सीमेंट वितरित करने का और व्यक्तिगत रूप से सीमेंट प्राधिकृत करने का अधिकार होगा।"

सिंगिल ब्लाक एलोकेशन की यह बुनियादी नीति, जिसके अन्तर्गत सीमेंट कंट्रोलरों को अधिकार दिये गये, यह 1978 में नियमित कर दी गई। उस समय यह भी प्राविधान कर दिया गया था कि जो इरिगेशन पावर सैक्टर है, उनके लिये प्रायर रिजर्वेशन प्रारम्भ से ही हो जायेगा और उसको बाद में दूसरे स्तर पर आवंटित नहीं किया जा सकेगा, दूसरे सैक्टरों में उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। यह गाइडलाइन दी गई थी। बाकी एलोकेशन को फ्री राज्य की अपनी प्रायटीज के आधार पर स्वतंत्रता दी गई।

जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि लघु उद्योगों के लिये 10 प्रतिशत की रिजर्वेशन की सीमा दी गई और उसमें किस तरह सीमेंट दिया जायेगा, यह राज्यों के लिये छोड़ दिया गया। यह नीति किसी एक दल की नहीं है, यह पहले से चली आ रही है, सर्वसम्मत है कि राज्य सरकारों को छूट रहनी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह दलदल वाली नीति है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जिस दलदल को हमने 1978 में ही ढूंढ लिया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तक 78 का गीत गा रहे थे, अब पलट गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : स्वागत है श्रीमन्, अगर कोई विद्वान सदस्य कोई बात कहे तो।

अध्यक्ष महोदय : आज विद्वानों का विद्वानों अंदर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं विद्वान नहीं, संसदीय पद्धति का विद्यार्थी हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सफेद बालों का कुछ तो ख्याल करो।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सफेद बालों की तुलना में तो शायद मुझ सेवक के सफेद बाल ज्यादा निकले।

प्रो० मधु दण्डवते : यह दृष्टि भ्रम है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक कर्नाटक और आन्ध्र का प्रश्न है कि क्या किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जैसा मैंने बताया कि हमारी गाइडलाइन यह है कि इरिगेशन पावर सैक्टर का जो रिजर्वेशन है, उस सीमेंट को दूसरे सैक्टर में डाइवर्ट नहीं किया जायेगा। 10 प्रतिशत स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किया जायेगा। यह हमारी मुख्य गाइडलाइन रही हैं। सलाह भी दी है कि जो कमजोर तबके हैं, उनके लिये सीमेंट का प्राविधान राज्य अपनी नीति से करेंगे।

जहां तक हमारी इन गाइडलाइन का सवाल है, हमारी जानकारी के अनुसार उनका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न इसकी शिकायत ही मेरे पास आई है और न ही, जिन कमेटियों का उद्धरण दिया जाता है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सेंट्रल गाइडलाइन का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है।

जहां तक प्रश्न है कि पिछले 5 सालों में जो सरकारें थीं, राज्य सरकारें थीं, उन सबकी सीमेंट के बारे में जांच कराओ, मैं अपने सम्मानित युवा सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस बारे में वह जोर न दें। क्योंकि 5 वर्ष की सहस्रों-हजारों शिकायतें हो सकती हैं और तमाम राज्यों में कई सरकारें बदली हैं, आई हैं और गई हैं। उन सबकी जांच करना सम्भव नहीं है। राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, वह जांच कर सकती थीं। सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर के मुताबिक जो राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त हैं, राज्य शासन उनके मुताबिक उन पर मुकदमें करते हैं, पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक सरकार करती रही है ऐसा मुझे विश्वास है, उसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें करती रही हैं। भविष्य में भी करेंगी।

हमें सूचना मिली है कि पी०ए०सी० की रिपोर्ट को कर्नाटक का हाउस डिसकस कर चुका है। मैंने भी कई समाचारपत्रों में पढ़ा है कि कर्नाटक को पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर वहां की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया। उस पर करीब 14 घंटे विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव में कहा कि पी०ए०सी० की रिपोर्ट के नतीजों व तथ्यों से वे सहमत नहीं है। मैंने अखबारों में यह पढ़ा है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में कोई जानकारी चाहेंगे, तो मेरे लिए वह मंगाना उचित नहीं है, आप उसको ज्यादा अच्छी तरह मंगा सकते हैं, क्योंकि आप श्रीमन् इसके अधिकारी हैं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि आन्ध्र प्रदेश के मंत्री बाहर गये हुए थे, मेरे दूसरे सदन में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य की जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। मैंने आन्ध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का वह वक्तव्य देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस समय की

यह चर्चा है वह उस समय विदेश-यात्रा पर बाहर गए हुए थे, जिस समय उस राज्य में कथित सीमेंट का एलोकेशन हुआ, उस समय वह बाहर थे। उनके लौटने के बाद उनके पास सूचना के लिये फाइल गई थी।

श्री हरीश रावत : मैंने एक प्रश्न और पूछा था कि क्या इस बीच आपने कर्नाटक को उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर कोई एड हाक एलाटमेंट किया है; अगर किया है, तो क्या उसके अन्तः राज्यीय वितरण के लिए कोई गाइडलाइन तो नहीं दी गई थी। क्या एसेंशल कामडिटीज एक्ट के सैक्शन के अनुसार यह राज्य का ही अधिकार है या नहीं कि वह अपने राज्य में उसका वितरण करे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं क्षमा चाहता हूं कि यह प्रश्न रह गया। जहां तक मेरी जानकारी है, राज्यों को उत्पादन के आधार पर यदा-कदा एड हाक एलाटमेंट होते रहे हैं। अगर हमारे पास सीमेंट उपलब्ध रहा है, उत्पादन बढ़ा है, तो कहीं आंधी आ जाए, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कभी कोई विशेष आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में सीमेंट का एड हाक एलाटमेंट किया जाता है, और कर्नाटक को भी किया गया। कर्नाटक को उसकी मांग के आधार पर दस हजार टन के लगभग एलाटमेंट किया गया और उन्हें अपने नियमों और अपनी पद्धति के अन्तर्गत उस दस हजार टन सीमेंट का वितरण करने का अधिकार था, जैसा कि हर राज्य का है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपने वह एलाटमेंट काहे के लिये किया था ? वह आपने एक स्पेसिफिक परपज के लिए किया था। यह आपके आर्डर में मौजूद है। आप बता दीजिये कि स्पेसिफिक परपज के लिये नहीं किया। वह गवर्नमेंट प्राजेक्ट्स के लिए किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य सवाल करें, मन्त्री महोदय उन्हीं का उत्तर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा। मैं तो सेवक हूँ सदन का, आपका।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : एक सेवक को दूसरे सेवक का प्रणाम।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं केवल सेवक मात्र हूं, आप अनन्य सेवक हैं।

अध्यक्ष महोदय : और मैं विशेष हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : डेफिसिट क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमने सीमेंट उत्पादक संघ, सीमेंट मैनुफैक्चरर्ज एसोसिएशन से तीन बार वार्तालाप किया है और उस संस्थान के अध्यक्ष श्री कृष्णस्वामी, ने सभी सीमेंट उत्पादकों की ओर यह आश्वस्त किया है, यह भरोसा दिलाया है कि वे सारे डेफिसिट एरियाज में—जम्मू-काश्मीर से लेकर नागालैंड और मिजोरम तक—कम से कम 1981 लैवल पर हम सीमेंट पहुंचाएंगे। मैं माननीय सदस्य के सिद्धान्ततः सहमत हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि फ्री सेल का सीमेंट अधिक से अधिक दूर-दूर क्षेत्रों में पहुचे। उसके लिए सीमेंट उत्पादकों को कहा गया है कि वे नये स्टाकिस्ट्स को नियुक्त

करें और बिक्री के लिए अपने आउटलेट खोलें, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में, और विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, फ्री सेल के लिए सीमेंट उपलब्ध हो। अपने युवा सदस्य के सुझाव को देखते हुए मैं फिर उनसे बातचीत करूंगा और हमारा सतत् प्रयास रहेगा कि यह दिशा बनी रहे और जो हमारा उद्देश्य है उसके क्रियान्वयन में हम सब सफल हों।

उन्होंने यह बात कही कि राज्यों में खपत के आधार पर सीमेंट एलाटमेंट के प्रश्न पर पुन-विचार होना चाहिए और जनसंख्या का आधार माना जाना चाहिए। खपत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और इसको बिल्कुल ही आधार न बनायें, यह सम्भव नहीं है। कुछ राज्यों में अधिक कारखाने व उद्योग हैं बड़े शहर हैं इसलिए वहां पर अधिक खपत हुई है। कुछ बन्दरगाहों के क्षेत्र रहे हैं इसलिए वहां बाहर से इम्पोर्टेड सीमेंट की ज्यादा खपत हुई है। अतः हम खपत को आधार तो मानेंगे ही लेकिन साथ-साथ जनसंख्या के आधार को भी हमने स्वीकार किया है इसीलिए लेवी सीमेंट को आवंटित करने की जो प्रक्रिया हमने निर्धारित की है उसमें खपत के आधार के साथ-साथ जनसंख्या का आधार, पिछड़ेपन का आधार—इसको भी हमने उसमें रखा है। मुझे आशा है इस सम्बन्ध में हमें इस माननीय सदन का आशीर्वाद प्राप्त होगा और एक व्यावहारिक नीति जो पिछड़ेपन और औद्योगिक प्रगतिशीलता के समन्वय के आधार पर बनाई गई है वह सफल होगी।

इसके साथ साथ कुल कितना उत्पादन होगा और उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी होगी—इसके आंकड़े माननीय सदस्य ने मांगे हैं। 1979-80 में 17.62 गिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ था। 1980-81 में 18.56 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। और यह वर्ष जो अभी कल ही समाप्त हुआ है, इस 1981-82 वर्ष में 21 मिलियन टन का अनुमानित उत्पादन है। इस प्रकार से उत्पादन बढ़ा है। अब इसे वर्ष की नयी नीति के परिणामस्वरूप हमें आशा है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़कर 56 मिलियन टन हो जायेगा। जो कारखाने पहले से चल रहे हैं उनमें 21 मिलियन टन से बढ़कर 22 मिलियन टन उत्पादन होगा। उनकी क्षमता बढ़ेगी। दूसरी ओर जो नये कारखाने लग रहे हैं उनमें हमें आशा है 4 मिलियन टन सीमेंट की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, 26 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन इस देश में होगा और 2 मिलियन टन सीमेंट इम्पोर्ट करने की छूट दी गई है—इस प्रकार से 1982-83 में लगभग 28 मिलियन टन सीमेंट वितरण के लिए प्राप्त हो सकेगी। हमें आशा है इस अधिक उत्पादन और उपलब्धि से सीमेंट के वितरण में आसानी होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर 23.45 मिलियन टन की नयी क्षमता लाने का प्रावधान है। 1982-83 में 5.64 मिलियन टन की नयी क्षमता का प्रावधान है, 1983-84 में 3.85 मिलियन टन, 1984-85 में 5.94 मिलियन टन की नयी क्षमता का प्रावधान है। इस तरह से आप देखेंगे कि नयी क्षमता बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है। छठी योजना शुरू होने से पहले देश में जहां 24 मिलियन टन की सीमेंट की इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी उसकी तुलना में केवल पांच साल में लगभग उसके बराबर, 23.45 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जा रही है। छठी योजना का यह एक मुख्य लक्ष्य है। हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे जोकि हमारी आवश्यकता के अनुरूप होगा।

मिनी सीमेंट प्लान्ट्स के सम्बन्ध में जो हमारी नीति है, उसको भी मैंने स्पष्ट किया है। जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, जो दुर्गम और बीहड़ क्षेत्र हैं, जहां पर चूने के छोटे-छोटे भण्डार हैं, जो बड़े कारखाने के लिये तो उपयुक्त नहीं है लेकिन मिनी सीमेंट प्लान्ट्स वहां पर लगाए जा सकते हैं। अत: ऐसे दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में 66,000 टन कैपेसिटी वाले मिनी सीमेंट्स प्लान्ट लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी तक मिनी सीमेंट प्लान्ट्स की जो उत्पादन क्षमता है वह 5.2 मिलियन टन है। आगे भी हमारी यह नीति जारी रहेगी और एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत हमने यह कह दिया है कि मिनी सीमेंट प्लान्ट्स पर कोई लेवी नहीं लगेगी, उनका उत्पादन फ्री सेल में जायेगा। मिनी सीमेंट प्लान्ट्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन पर कम एक्साइज ड्यूटी (100 रुपया प्रति टन) लगाई है। आगे भी इसमें कहा है—उनको और छूट देने पर समय-समय पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार सम्मानित सदस्य देखेंगे कि मिनी सीमेंट प्लान्ट्स को उचित अनुपात में प्रोत्साहित करने का प्रयास जारी है।

जहां तक यह सुझाव है कि छोटे उद्योगों के लिये फ्री-सेल के बजाय लेवी-सीमेंट की व्यवस्था की जाय। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि जहां तक छोटे औद्योगिक कारखाने बनाने का प्रश्न है, बिल्डिंग बनाने के लिये, भवन बनाने के लिये, उस सीमा तक तो लेवी की सीमेंट दी जायेगी, लेकिन अगर कोई बहुत छोटे कारखाने हैं जिन्हें कच्चे माल के बतौर सीमेंट चाहिए तो उनके लिए मैंने कल भी कहा है कि उनके लिए हम विचार कर सकते हैं। अगर उनके कच्चे माल के लिये सीमेंट की आवश्यकता हो तो उस पर विचार करने के बारे में हम सोच रहे हैं और इस सन्दर्भ में मैं सम्मानित सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं।

माडर्नाइजेशन (आधुनिकीकरण) बहुत आवश्यक है, इसीलिये यह डयूअल-पालिसी रखी गई हैं, क्योंकि सीमेंट उद्योग कहता था कि हमारे पास आधुनिकीकरण के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं तथा यदि हम इण्डस्ट्रीयल डवेलपमेंट बैंक आफ इण्डिया या अन्य वित्तीय संस्थाओं से रुपया लेना चाहें तो हमारे पास हमारे हिस्से का जितना पैसा होना चाहिये, उतना पैसा भी यदाकदा नहीं होता है। इसलिये फ्री-सेल की जो इजाजत मिली है वह इसलिये मिली है ताकि वे अपने को साधन जुटाकर माडर्नाइज कर सकें। इस सम्बन्ध में मैं विशेष लोगों की प्रतिनिधियों की बैठक भी बुला रहा हूं कि किस प्रकार के प्लान्ट्स हम बनवा सकते हैं, जहां आब्सोलीट टैकनालाजी है किस प्रकार उसको मार्डनाइज करेंगे, इसकी पूरी रूपरेखा सी० एम० ए० से बातचीत करके बना रहे हैं। इसीलिये रिसर्च पर भी ज्यादा रुपया लगा रहे हैं। रिसर्च के लिए विशेश व्यवस्था होगी और ऐसी कोशिश है कि उस पर ज्यादा पैसा लगाकर सीमेंट रिसर्च इंस्टीचूट के जरिये अधिक काम कर सकें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सदन में सीमेंट की चर्चा हो रही है। सीमेंट अभी तक जोड़ने का काम करता था, अब ऐसा लगता है कि सीमेंट ने तोड़ने का काम करने का फैसला कर लिया है। सीमेंट में मिट्टी की मिलावट की शिकायतें बहुत पहले आती थीं, अब ऐसा लगता है कि सीमेंट ने कुछ लोगों की प्रतिष्ठा को, कुछ लोगों के पदों को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है। एक राज्य के मुख्य मंत्री सीमेंट की बलि पर चढ़ गये। दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री सीमेंट के कारण रात में सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। तीसरे राज्य के कुछ मन्त्री सीमेंट के घपले में फंसे हुए हैं।

यह सीमेंट इतना विकराल रूप कैसे धारण कर गया, सदन को इस बारे में थोड़ा गहराई से विचार करना होगा । उद्योग मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसे पढ़कर मुझे गहरा धक्का लगा है । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है—"केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व केवल इकट्ठा आवंटन करने की व्यवस्था करने तक ही था ।" फिर आगे उन्होंने कहा है—"राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा इस बारे में निर्धारित प्रक्रियाओं और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को, यदि कोई हों तो, अपनाने का उत्तर-दायित्व पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है ।

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का उद्योग एक शैड्यूल इन्डस्ट्री के अन्तर्गत आता है। हमने सीमेंट को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है । सीमेंट के वितरण के लिए सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर हैं, जो कि केन्द्र का है । वितरण के बारे में हमने राज्यों को अधिकार डैलीगेट किए हैं । राज्यों ने वह अधिकार प्रादेशिक स्वात्तयता में से प्राप्त नहीं किए हैं । क्या यह केन्द्र का काम नहीं है कि अगर कोई अधिकार डैलीगेट किए जाते हैं और जिसको अधिकार डैलीगेट किए जाते हैं, वह किस तरह से अधिकारों का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है ? क्या यह केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है ? मगर कुछ भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए, उनके पापों पर पर्दा डालने के लिए उद्योग मन्त्री आज सदन में ऐसी बात कह रहे हैं, जो भविष्य में जाकर केन्द्र के लिए बड़ी कठिनाइयां पैदा करने वाली हैं ।

उन्होंने एक बात मानी है कि हमने गाइड-लाइन्स दी हैं । जो निर्देश निश्चित किए हैं, उनमें एक यह था कि सिंचाई योजनाओं के लिए जो सीमेंट आवंटित किया जाता है, उसका उपयोग सिंचाई के लिए होना चाहिए । क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि कर्नाटक का सारा विवाद इसी बात को लेकर शुरू हुआ कि सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सीमेंट की कमी पड़ गई । पब्लिक-एकाउन्ट्स-कमेटी ने उसकी जांच शुरू की और जांच में ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे आंखें खुल गईं । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्नाटक में जो सीमेंट केन्द्र की ओर से आवंटित किया गया था या राज्य को उसके अधिकार के अनुसार मिला था, उसका उपयोग सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए न करके और कामों में लगा दिया गया ? क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कर्नाटक की पब्लिक-एकाउन्ट्स-कमेटी की रिपोर्ट देखी है ? यदि देखी है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना भी ठीक नहीं है कि सारे मामले राज्यों पर छोड़ दिए हैं । लोकसभा के एक अन-स्टार्ड क्वैश्चन नं० 166, जिसका कि उत्तर डा० चरणजीत चानना ने दिया था, को उद्धृत करना चाहता हूँ । पता नहीं श्री तिवारी जी इस मामले में बेकार में फंस गए । इस सारे सीमेंट के घोटाले के मामले में अगर कोई मुख्य अभिनेता है, तो वह डा० चरणजीत चानना ही है ।

"राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमिति आधार पर अपनी सीमेंट की मांग नहीं भेजते हैं । राज्यों को सीमेंट का नियतन प्रति त्रैमासिक तौर पर सीमेंट की गत खपत तथा उसकी सम्पूर्ण प्राप्यता के आधार पर किया जाता है । यद्यपि संसद के बाहर तथा भीतर दोनों में बार-बार व्यक्त विचारों

को दृष्टि में रखते हुये सरकार ने अब सीमेंट के नियतन के बारे में जनसंख्या तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में, जल आपूर्ति योजनाओं तथा गन्दी बस्तियों के लिये आवासीय योजनाओं, हरिजनों, आदिवासियों तथा समाज के अधिक निर्धन वर्गों की आवश्यकताओं जैसी योजनाओं पर भी अधिक बल देने का निर्णय किया है।"

इसमें गरीब लोगों के मकानों के लिए सीमेंट दिया जाए, इसका उल्लेख है। बंगलौर में, हैदराबाद में, आकाश को चूमने वाले अपार्टमेंट बनाने वाले ठेकेदारों के लिए, जो कि स्वयं भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट राजनीतियों के साथ गठबन्धन रखते हैं, उनको सीमेंट देने का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि यह जवाब राज्यों पर लागू नहीं होगा ? अध्यक्ष महोदय, यह मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह राज्यों पर लागू नहीं होगा, यूनियन-टैरेटरीज पर लागू नहीं होगा, तो केन्द्र का नीति संबंधी फैसला कहां लागू होगा ? राज्यों को आपने निकाल दिया, केन्द्र प्रशासित क्षेत्र स्वतन्त्र है, चाहे जिस तरह से सीमेंट बांटें, भले ही सीमेंट की कमी हो, भले ही काला-बाजार में बिके, भले ही कुछ लोग सीमेंट को सोना बनाकर बेचना चाहते हों, केन्द्र ने सीमेंट दे दिया—बांटो। यहां उद्योग मंत्री जी यह कहना चाहते हैं। यह स्लम डुअलर्स की बात है, बल्क कन्ज्यूमर्स की बात नहीं है, मल्टी-एपार्टमेंट निर्माण करने वालों की बात नहीं है। क्या वे इससे इन्कार कर सकते हैं कि कर्नाटक में भी और आन्ध्र में भी बल्क कन्ज्यूमर्स को सीमेंट दिया गया ? कर्नाटक में 32 पार्टियां हैं और आन्ध्र में 143 लोग हैं। ये गरीब लोगों के लिए मकान बनाने वाले लोग नहीं हैं। मैं उनकी सूची सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। ये बड़े-बड़े भवन निर्माता हैं, जिन की नजरें आसमान पर लगी हैं मगर जिनका भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के साथ गठबन्धन है।

अध्यक्ष महोदय : वे ऊपर चढ़कर और ऊंचा चढ़ना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी, हां। वे जितने ऊंचे हैं, उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। वे और ऊंचा चढ़ना चाहते हैं और उनको ऊंचा चढ़ाने के लिए ये सीमेंट मुहय्या करा रहे हैं।

मैं एक तीसरी बात और कहना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं सीमेंट का वितरण करने के लिए। क्या इसका अर्थ यह है कि राज्यों के लिए सीमेंट के वितरण का कोई नियम नहीं होगा, कोई प्रक्रिया नहीं होगी ? क्या डिस्क्रिशन एसोलूट डिस्क्रिशन, अनफेटर्ड डिस्क्रिशन है ? देश में जंगल का राज्य तो नहीं है। हर राज्य ने कुछ नार्म्स तय किये हैं। मैं आन्ध्र के एक आदेश का उल्लेख करना चाहता हूं। यह आदेश जारी किया किया गया 16-9-1981 को। यह गवर्नर के नाम पर आदेश जारी किया है और यह वहां के गजट में प्रकाशित हुआ है। उस आदेश के अनुसार, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"आवासीय परिसरों, सिनेमा थियटरों, चावल मिल निर्माण आदि जैसे बड़ी मात्रा में उपभोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा गृहों के निर्माण के सभी अन्य प्रार्थना पत्रों पर जिला स्तर की समिति द्वारा विचार किया जायेगा और उपयुक्त मात्रा में सीमेंट का नियतन किया जाएगा।"

इस आदेश में यह कहा गया है कि अधिक मात्रा में सीमेंट देना होगा, तो डाइरेक्ट्रेट के स्तर पर एक कमेटी होगी। इसमें मंत्री कहां आता है, इसमें मुख्य मंत्री कहां आता है। कमेटी क

जो यह जिम्मेदारी सौंपी गई, तो यह आन्ध्र प्रदेश की सरकार के फैसले से हुआ लेकिन जब कुछ पार्टियों को अ ;गृहीत करना था, तो आन्ध्र सरकार ने अपनी पार्टी के नार्म ताक पर रख दिये। इस आदेश में आगे यह भी कहा गया है, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"कि उद्योगपतियों को छोड़कर बडी मात्रा में उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार द्वारा गठित जिला स्तर की समिति द्वारा निपटाया जाना चाहिए।"

मगर बाद में जो 143 बल्क कन्ज्यूमर्स को सीमेंट दिया गया, उसमें कौनसी कमेटी का फैसला था। मंत्री ने मनमानी कैसे की।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आप खुद हैदराबाद में जाकर यह बोले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं क्या बोला, ये मुझे बता रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आप गलत बोल रहे हैं, मुझे कहना पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं गलत बोल रहा हूं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी को बोलने की आज्ञा है, आपको नहीं। मैं मन्त्री जी को आज्ञा दूंगा, आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक के मामले में भी वहां के डाइरेक्टर ने और सैक्रेटरी आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामर्स ने क्या कहा, यह सदन के सामने उद्धृत करना चाहता हूं। मैं उस ईमानदार अफसर की तारीफ करना चाहता हूँ। मन्त्री तुले हुए थे केन्द्र द्वारा प्राप्त सीमेंट को, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए दिया गया था, बल्क कन्ज्यूमर्स को देने के लिए, मगर सैक्रेटरी आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामर्स ने अपना एक अलग नोट लगाया। काफी मेरे पास है और मैं उसमें से पढ़ना चाहता हूं। डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से मेरा मतलब था :

"इस सम्बन्ध में उद्योग तथा वाणिज्य निदेशक के दिनांक 15.7.1981 के विस्तृत टिप्पण का कृपया क्रमांक सी० एफ०...पर देखा जा सकता है...उद्योग निदेशक ने बताया है कि यद्यपि केन्द्रीय उद्योग राज्य मन्त्री द्वारा खाद्य तथा सिविल आपूर्ति के हमारे मंत्री को सम्बोधित दिनांक 2 जुलाई, 1981 के प्राप्त टैलेक्स सन्देश के अनुसार भारत सरकार द्वारा 10,000 टन का अतिरिक्त कोटा जारी किया गया है, यह नियतन सरकारी विभागों के लिये जिसे किस्तना/विजयवाड़ा से सड़क द्वारा तुरन्त उठाया जाता है।"

आज मन्त्री महोदय सदन में आकर कहते हैं कि हमने जो सीमेंट दिया था, उसका उपयोग करने के लिए कर्नाटक सरकार स्वतंत्र थी। वह सरकारी विभागों के लिए दिया गया था। वहां के अफसरों ने भी यही कहा है, अफसर का फिर आगे भी लिखा हुआ है :

10,000 टन के सीमेंट का विशेष रूप से सरकारी विभागों के लिये नियतन केवल सरकारी विभागों के लिये भी होना है और फ्लैट निर्माताओं के लिये कोई नियतन नहीं होता है। फ्लैट

निर्माताओं को 25,000 टन का आयातित सीमेंट का नियतन विशाखापटनम से किया जाता है जिसका हमें त्रैमासिक में नियतन किये जाने की आशा है।

डा० चानना ने क्या टेलेक्स भेजा ? मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूं, मन्त्री महोदय ने भी इसको देखा होगा :

श्री माणिक राव पाटिल, खाद्य तथा सिविल आपूर्ति मन्त्री, कर्नाटक सरकार, बंगलौर को : डा० चरणजीत चानना, केन्द्रीय उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली से : आपके किस्तना/विजयवाड़ा से कर्नाटक को सीमेंट के 10,000 टन के अतिरिक्त कोटे के सम्बन्ध में आपके टेलेक्स सन्देश के बारे में सरकारी विभागों के लिये तुरन्त सड़क द्वारा उठा लिया जाये।

क्या यह टेलेक्स स्पष्ट नहीं है ? क्या कर्नाटक सरकार ने इस सारे मामले में सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय, जब सीमेंट बाजार में मिलता नहीं था, जब सीमेंट की कीमतें बहुत ऊंची थीं तो किसी को सीमेंट दे देना उसको आर्थिक लाभ पहुँचाना है। यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है। आउट आफ टर्न अगर सीमेंट दिया जाएगा तो क्या नियमों की अवहेलना नहीं होगी ? क्या नागरिकों के बीच में भेद-भाव नहीं किया जाएगा ? क्या मन्त्री महोदय इन्कार कर सकते हैं कि कर्नाटक और आंध्र में आउट आफ टर्न सीमेंट दिया गया है ?

श्री मधु दण्डवते : महाराष्ट्र के बारे में ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महाराष्ट्र का मामला मैं नहीं ले रहा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसलिए कर्नाटक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने मांग की है कि इनकी स्वतन्त्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि क्या यह केवल सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, सत्ता के दुरुपयोग का मामला भी बड़ा गंभीर मामला है, मगर सीमेंट देने में कोई और कारण तो नहीं है। मन्त्री महोदय यह कर अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकते कि यह प्रदेश का मामला है। उस प्रदेश में आज आपके दल की सरकार है। यदि हमारे शासन में कोई गलतियां हुई हैं···

एक माननीय सदस्य : भयंकर हुई हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो जांच करो न—मैं तैयार हूं। **(व्यवधान)**

ऐसे मामले ज्यादा नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी से दो-तीन सवाल फिर से संक्षेप में दोहराकर पूछना चाहता हूं। मुझे उनकी स्थिति के साथ हमदर्दी है। मगर उन्हें सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने इस वक्तव्य में यह नहीं कहा कि सिंचाई के लिए सीमेंट के आवंटन को प्राथमिकता देने पर केन्द्र ने जोर दिया था—यह नहीं कहा था। यह उन्होंने बाद में कहा है। क्यों ? क्या उन्हें यह पता नहीं है कि कर्नाटक का सारा मामला इसलिए शुरू हुआ है कि सीमेंट सिंचाई योजनाओं के लिए न जाकर और जगह चला गया। क्या केन्द्र इस मामले की जांच नहीं करेगा। आंध्र में 10300 टन सीमेंट बल्क कंज्यूमर्स को दे दिया गया और देने की प्रक्रिया 4 दिन में पूरी की गई। सरकार इस रफ्तार से काम करती है, यह बात हमने आंध्र में देखी है।

श्री के० लक्कप्पा (टुमकुर) : सीमेंट का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या इसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका निर्णय नहीं करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पुराना आदेश रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नया निर्णय लिया गया। सीमेंट के वितरण की जिम्मेदारी एक ऐसे अफसर पर है जिसका दफ्तर मद्रास में है। हवाई जहाज से एक आदमी फाइल लेकर, सीमेंट वाली फाइल लेकर मद्रास गया और वहां से आदेश वापिस ले आया। चार दिन में फटाफट जिन्हें सीमेंट देना था, दे दिया गया। पूरी फुर्ती दिखाई गई। क्या बल्क कंज्यूमर्ज के लिए यह मानवीय संवेदना का उद्घाटन नहीं था? जो कुछ दिखाई देता है उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह साधारण मामला है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार इसकी जांच कराए और यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिये, स्वतन्त्र होनी चाहिये। क्या वह इसके लिए तैयार है? अगर जनता सरकार को भी इसमें आप शामिल करना चाहते हैं तो करें। लेकिन इस तरह का जवाब जिस तरह का जवाब आप दे रहे हैं, देकर आम संसद को सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं और न बाहर देश की जनता के मन में ही यह भावना पैदा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने की आपकी घोषणायें सचमुच में कोई महत्व रखती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सदन की सम्माननीय परिपाटी के अनुसार प्रारम्भ में ही निवेदन करूंगा कि मुझे भी बड़ा गहरा धक्का लगा है कि मैं सम्माननीय सदस्य को सन्तुष्ट नहीं कर सका। यह मेरी अल्पता है। और मैं क्या कह सकता हूं। माननीय सदस्य वाणी के धनी हैं। उनकी जो मुद्राएं हैं, संसदीय मुद्राएं, वे भी देखने लायक होती हैं···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुद्रा के दो मतलब होते हैं। मेरे पास कहां मुद्रा है? सारी मुद्रा तो उधर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुद्राओं में अटल नहीं हैं, श्रीमन।

उनकी जो बुनियादी भित्ति है मुझे ऐसा लगता है कि उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि सीमेंट जोड़ने वाला नहीं रह गया है, तोड़ने वाला हो गया है। वह सीमेंट ही नहीं है जो जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता है।

विशेषणजन्य जो उनकी भावनाएं हैं उनका मैं आदर करता हूं। मेरा उनसे एक और भी आग्रह है। उन जैसे वरिष्ठ नेता से जो एक सार्वजनिक दल का सर्वमान्य नेता है, मुझे यह आशा नहीं थी कि प्रतिष्ठाओं को मिट्टी में मिलाने के अभियान में कम से कम वह सहयोगी बनेंगे, सहायक बनेंगे। मुझ जैसे विनम्र सेवक की तुच्छ बुद्धि में आज के सार्वजनिक जीवन में अपने नेताओं की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का पारस्परिक अभियान प्रजातन्त्र के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक है। मैं उनसे यह आशा नहीं करता था कि ऐसे अभियान में वह आसानी से अपना सहयोग देंगे···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सत्य सामने हैं, तथ्य सामने है, मैं क्या करूं?

श्री नारायण दत्त तिवारी : तथ्यों को भी वह जानते हैं तोड़मरोड़ कर रखा जा सकता है। वह ऐसा नहीं करेंगे, इसकी मुझे आशा है। आज भी आशा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर वह नहीं रखेंगे, उसमें वह सहयोगी नहीं बनेंगे।

उनका कहना यह है कि जो डैलीगेटिड पावर है केन्द्र-सरकार की वह डैलीगेटिड पावर स्वायत्तता के अधिकार के अन्तर्गत नहीं है बल्कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या कनकरेट पावर के अन्तर्गत आती हैं। सीमेंट के बारे में जो आर्डर है वह केन्द्र का भी है और अलग से राज्य का भी है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत आदेश केन्द्र भी निकालता है और राज्य सरकारें भी निकालती हैं, उनका भी अधिकार है। यह केवल डैलीगेटिड पावर नहीं है बल्कि सांत्रित सावरेन पावर है जो संविधान के अनुसार किसी भी विधान-मंडल को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है। सावरेन-लैजिस्लेचर की सावरेन पावर है। उसके अन्तर्गत वे कानून बनाती हैं···

एक माननीय सदस्य : सावरेन ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सावरेनटी तो यहां है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सावरेन मत कहिये, आप मुश्किल में फंस जाएंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जो डैलीगेटिड पावर्ज हैं, उस मामले में राज्य भी कानून बना सकते हैं, आर्डर निकाल सकते हैं। आज भी उन्होंने आर्डर निकाले हुए हैं। इन डैलीगेटिड पावर्ज में कहा गया है कि जिलों में क्या ढांचा होगा ? हर जिले में क्या होगा, कौन सीमेंट अथोरिटी होगी, किस प्रकार लाइसेंसिंग होगी, किस प्रकार स्टाकिस्ट्स लाइसेंस किये जायेंगे, क्या कीमत होगी, क्या ट्रांसपोर्ट कौस्ट होगी, इसको विस्तार से राज्य सरकार ही तय करेगी। और इसीलिये 1978 में, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया कि वल्क एलोकेशन राज्यों को किया जाय। उन्होंने चानना साहब का अकारण नाम ले लिया, मैं तो उन्हें डिफेंड कर रहा हूं कि 1978 में जो उनकी सरकार ने सिद्धान्त निष्पादित किये थे वह ठीक थे, और उन्हीं को आज हमने माना है, और उन्होंने व्यावहारिक काम किया कि हर चीज यहां से निर्धारित नहीं कर सकते और उसमें हम सफल नहीं हो सकते। तो हमने कहा बल्क ऐलोकेशन करने का अधिकार यहां है और उसके अनुसार नियम बना दिये कि पावर, इर्रीगेशन सैक्टर ऐसा है जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इसका सीमेंट डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, और इसके लिए कह दिया कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी यह मानीटर करेंगी कि हेम प्रधा प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट लगेगा, काली नदी पावर प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट लगेगा। हर राज्य में जो उसके पावर या इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिये कितने सीमेंट की आवश्यकता है इसकी मानीटरिंग हम नहीं करेंगे, सीमेंट कंट्रोलर भी नहीं करेगा बल्कि टेक्नीकल लोग करेंगे जो सेन्ट्रल वाटर कमीशन और सी० ई० ए० में बैठे हुए हैं। उनके द्वारा नियंत्रित होगा किस प्रोजेक्ट के लिए कितना सीमेंट सिंचाई और बिजली के लिए दिया जाना चाहिए। जो स्वयं उनकी सरकार ने सर्वसंगत सिद्धान्त निरूपित किए और जिनको हमने अंगीकार किया उसके लिये हमें बधाई देने के बजाय निन्दा करे, मुझे आश्चर्य होता है।

कहा गया कि कर्नाटक की पी० ए० सी० की रिपोर्ट देखिये। मैं श्रीमन्, बड़े धर्म संकट में हूं। और उस धर्म के पारखी वह भी हैं। श्रीमन्, आज से 20-22 वर्ष पहले मैं भी अपने प्रान्त में

5 साल तक पी० ए० सी० का सदस्य रहा हूं और चेयरमैन भी रहा यह विनम्र सेवक। और मैं जानता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की क्या मर्यादायें हैं? नेता विरोधी दल उसका चेयरमैन होता है और यह अपेक्षा की जाती है···

अध्यक्ष महोदय : दूसरे पारखी भी चेयरमैन रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : फिर तो वह मुझसे सहमत होंगे ही तो वह भी स्वीकार करेंगे कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के उद्धरण यहां दूं और उसकी आलोचना करूं। मुझे शोभा नहीं देता कि उसकी रिपोर्ट की यहां पर आलोचना करूं, टिप्पणी करूं, प्रशंसा करने के योग्य भी नहीं हूं क्योंकि यह विषय केवल राज्य विधान मंडल से संबधित है। जैसी कि आपने रूलिंग दी है और उसके अन्तर्गत मेरे लिये बड़ा मुश्किल है कि मैं पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर टिप्पणी करूं और अब पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर 14 घंटे राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् में विवाद हो चुका है। जितने कोटेशन्स दिये हैं उससे बहुत अधिक 14 घंटे में कितने कोटेशन्स दिए गए है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का कोई कोटेशन नहीं दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी : डायरेक्टोरेट का कोटेशन दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डायरेक्टोरेट अलग चीज है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, डायरेक्टोरेट की कोटेशन भी यह अन्तरंग नोटिंग है। इसे अधूरा पढ़ना उचित नही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके अन्तरंग का हमको पता है।

अध्यक्ष महोदय : राजनीतिज्ञों की अन्तरात्मा कुछ एक जैसी ही चलती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : अन्तरंग के अन्तरतर तक आपकी अन्तर्दृष्टि तो पहुँच गई लेकिन आप अन्तर्यामी नहीं हैं।

तो जो नोट उन्होंने पढ़ा उसमें एक शब्द है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, उसको जरा हल्के से उन्होंने कहा, 'पौसिविलीटीज' पर जरा सी कुछ मध्यम आवाज हो गई, उनकी आवाज मंद हो गई। मुझे लग रहा था उनकी ओजस्वी वाणी क्यों मन्द हो गई। उसका अर्थ क्या है? अर्थ का अनर्थ तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अनर्थ में अर्थ निकल जाए, अनर्थ अर्थ हो जाए, अर्थ अनर्थ बन जाए तो क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : क्या सुर में बात की है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : ऐसी नोटिंग आन्तरिक नोटिंग पढ़ना उचित नहीं। या सभी नोटिंग पढ़ी जाए। फिर उनकी वाक धारा का क्या कहना है कि गगनचुम्बी अट्टालिकाएं आकाश को चुम्बन करने वाली बनायी जा रही हैं। आज श्रीमान्, किस देश में, किस नगर में गगनचुम्बी

अट्टालिकाएं नहीं हैं ? आज यह वास्तविकता है, ध्रुव सत्य है, हमारे समाज में, देश में भी कुछ नगरों में स्थिति ऐसी है । अब बम्बई जैसे नगर में अट्टालिकाएं न बनें, इसको भी कोई होता तो 77-78 में रोक देता अट्टालिकाओं का निर्माण करना ।

हम नहीं चाहते कि अट्टालिकाएं बनें, गरीबों की झोंपड़ी व कच्चे मकान पक्के बनने चाहिए, फिर भी अट्टालिकाएं बनती हैं, सारे संसार में बन रही हैं । स्थिति यह है कि भूमि कम है, आर्किटैक्टस ऊपर को बना रहे हैं । आकाशमुखी हो रहे हैं । वह कहते हैं कि स्पेस प्लानिंग करनी होगी, लैंड-यूज भूमि का सही इस्तेमाल करना होगा, इसलिए आकाश की तरफ जाना होगा । अब क्या किया जाए ?

श्री माधव राव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, अटल जी और मन्त्री जी के लिए हिन्दी से हिन्दी ट्रांस्लेशन करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय : गगन-चुम्बी बातें हो रही हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरा निवेदन यह है कि सीमेंट के मामले में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शब्द पर बहुत जोर दिया जा रहा है । इस विषय में मैंने देखा है जो कि वहां गवर्नमेंट की सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन व स्माल इण्डस्ट्रीस कारपोरेशन ने सीमेंट उठाया है । यह राज्य सरकार के अधिकार के अन्तर्गत है कि वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कितनी सीमेंट दे और कितनी दूसरों को दें या न दें ।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो कर्नाटक के सप्लाइज मन्त्री ने बयान दिया है, उसमें दो बातों पर सम्मानित विद्वान सदस्य की दृष्टि में दिलाना चाहता हूं, उन्हें दृष्टि-गत कराना चाहता हूं—

सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए अभिप्रेत सीमेंट का उपयोग उनमें न करके, उसे गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है ।

सदन में मन्त्री ने जो सार्वजनिक वक्तव्य दिया है, बिल्कुल कैटेगोरीकल डिनायल दिया है—

सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए अभिप्रेत सीमेंट का उपयोग उनमें न करके इसे गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया है । अब पब्लिक एकाउन्ट कमेटी सार्व-भौम कमेटी है, वह बातचीत कर सकती है, उन्हें बुला सकती है । स्वयं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी साक्ष्य के रूप में, साक्षी के रूप में विभागीय सैक्रेटरी को बुला सकती है । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन यहां बैठे हैं, वह जानते हैं कि राज्यों के सचिवों को वहां बुलाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आपकी वाग्धारा से सतीश जी प्रभावित हुए नहीं, कैसे चले गए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी: अगर वह केवल सतीश होते तो रुकते, पर वह चन्द्रमा भी हैं, नाम के आगे चन्द्र भी है ।

इसी वक्तव्य में आगे कहा गया है जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, इरिगेशन के बारे में कहा है, उसका उल्लेख है या नहीं। इस बारे में मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वहां जो संबंधित मन्त्री हैं, उन्होंने कहा है—

"लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से पता लग जायेगा कि समिति ने स्वयं उस सीमा तक विचार नहीं किया जिससे माला प्रभा, घाटा प्रभा, अपर कृष्णा हेमावती तथा हारानगी में विलम्ब हुआ अथवा कथित दूसरे कामों में लगाते तथा कथित अनियमितताओं के कारण लागत में वृद्धि हुई दूसरे सरकारी निर्माण कार्यों के विलम्ब के बारे में विस्तृत विवरण भी नहीं है। जिनका अस्पष्ट तथा सामान्य रूप से प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।"

मैं क्या करूं ? मैं तो रिपोर्ट की आलोचना नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता था लेकिन चूंकि उन्होंने उल्लेख किया सिंचाई की योजनाओं का, हमारे पास यह प्रश्न है, वह कहते हैं कि रिपोर्ट में कोई विचार नहीं किया गया, कोई अधिकार नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो आरोप है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आरोप है, इसका स्पष्टीकरण भी है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और सदन इसकी जांच कर सकता है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं होना चाहिए। हम यहां क्या कर सकते हैं ? आप हमारी सीमाओं को जानते हैं।

जहां तक आन्ध्र का प्रश्न है, आन्ध्र की डिस्ट्रिक्ट लैवल कमेटी और डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज के किसी सर्कुलर का उल्लेख है जो कि सम्मानित सदस्य ने किया, इससे और अधिक स्पष्ट होता है कि आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के वितरण के लिए नियम बने हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और डायरेक्टरेट आफ इन्डस्ट्रीज के अधिकारी को आन्ध्र प्रदेश सीमेंट कंट्रोल आर्डर के मुताबिक अधिकार हैं कि वे सीमेंट आवंटित कर सकते हैं। मेरी अब तक की जो सूचना है, उसके आधार पर, और वहां के सम्मानित मन्त्री के वक्तव्य के आधार पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह विदेश-यात्रा पर थे और उनकी अनुपस्थिति में इन्डस्ट्रीज के अफसरों ने, जो अधिकृत थे, सीमेंट आवंटित किया···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे पास आदेश की कापी है, जिस पर मन्त्री महोदय ने लिखा हुआ है : "सीन," 18-12-81।

श्री नारायण दत्त तिवारी : 18-12-81 को शायद वह लौटकर आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि आवंटन कब हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री की अनुमति के बिना आवंटन हुआ है—हो सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : क्या माननीय सदस्य आवंटन की तारीख बताएंगे ? (व्यवधान) मैं किसी प्रकार के विवाद में काहे की उलझूं ? मैं उलझना नहीं चाहता। जहां तक

मेरी सूचना है, जब वहां के उद्योग मन्त्री विदेश-यात्रा पर थे, उस समय उनकी अनुपस्थिति में, सम्बन्धित अधिकारियों ने इसका आवंटन किया। बाद में—उनके आने के बाद—उनकी सूचना के लिए भेजा, उस पर उन्होंने "सीन" लिखा। (**व्यवधान**)

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस सदन की महानतम गरिमा का ध्यान हम सबको रखना है और मुझे विश्वास है कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखने में और यहां पर ऐसे प्रश्नों को उठाने के सम्बन्ध में, जो सम्बन्धित नहीं हैं, उनका सहयोग और सहकार मिलेगा। मुझे आशा है कि भविष्य में इस बारे में पुनर्विचार करेंगे और जो उनकी स्वभाव-जन्य गंभीरता है, वे उसको ध्यान में रखते हुए उन्हीं प्रश्नों को उठायेंगे, जो मर्यादित हों।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी, अपनी ओजस्वी भाषा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वाजपेयी का हर जगह भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है, हालांकि वह दुर्गन्ध कहीं है नहीं। मैं तो आपके माध्यम से श्री वाजपेयी को सलाह दूंगा कि वह अपने नाक का इलाज करवा लें। उनके नाक में कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है। मैंने वह समय भी देखा है, सुना है, जब माननीय वाजपेयी जी इधर के आसन पर आसीन थे और उस समय के गृह मन्त्री, चौधरी साहब, के उस वक्तव्य को भी हमने पढ़ा है कि जनता पार्टी के सारे मन्त्री भ्रष्ट हैं और इम्पोटेंट हैं, नपुंसक हैं। यह बात चौधरी साहब ने खुले-आम कही थी कि जनता पार्टी के सारे मन्त्री भ्रष्ट हैं और नपुंसक हैं। मैंने इस बात की कोई छान-बीन नहीं की*** उस समय वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार के वातावरण को अपने चारों तरफ देखा या नहीं, यह मैं नहीं जानता लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उस समय भी राज्य सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। स्वयं उनकी पार्टी के एक मुख्य मन्त्री, जो मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उन पर लाखों रुपया दूसरे देश में जाकर जमा करने का आरोप लगाया गया था। मैं वाजपेयी जी को उस समय सही समझता अगर वे उस मुख्य मन्त्री के खिलाफ जांच करवा देते। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के खलाफ काफी आरोप लगाए गए थे—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल दल में और उत्तर प्रदेश विधान सभा में स्वयं जनता पार्टी के मेम्बरों ने आरोप लगाए थे··· (**व्यवधान**)

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय के बारे में बोलिए।

प्रो० रूपचन्द पाल : जो कुछ भी अनुचित बातें उन्होंने कही हैं क्या आप उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ूंगा। मैंने उसे सम्बन्धित विषय के बारे में बोलने के लिए कहा है।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया

श्री जंतुल बशर : मैं यहां झुकने वाला नहीं हूं। उन्हें किसी भी प्रश्न को पूछने का अधिकार नहीं है। उस समय उन्होंने कोई जांच-पड़ताल क्यों नहीं कराई ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सीमेंट का मामला है, जो सीमेंट राज्य सरकारों को दी गई उसके लिए कुछ गाइड-लाइन्स निर्धारित हुईं और राज्य सरकारों ने उन गाइड-लाइन्स के अनुसार सीमेंट का वितरण किया या नहीं—यही मुख्य सवाल है। जहां तक मेरी तुच्छ जानकारी है, मैं कोई ज्यादा अकलमन्द नहीं हूं, मन्त्री जी से भी बहुत कम बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं यह समझता हूं कि गाइड-लाइन्स केवल एक सलाह की हैसियत रखती हैं। गाइड-लाइन्स कोई आदेश नहीं है, कोई कानून या रूल्स नहीं हैं जिनका पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो। लेकिन यह सलाह की हैसियत अवश्य रखती है। जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है, यहां पर गाइड-लाइन्स का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी आफत आ जाए, किसी राज्य में कोई विशेष प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए जिससे निपटने के लिए अगर उन गाइड-लाइन्स के विपरीत सीमेंट या कोई दूसरी चीज आवंटित कर दी जाए तो उसमें दोष क्या है ? वाजपेयी जी गगनचुम्बी इमारतों की बात कर रहे थे कि बड़े-बड़े ठेकेदार उनका निर्माण कर रहे हैं और उनको लाभ पहुंचाने के लिए यह काम किया गया है। उनकी नजर बड़े-बड़े ठेकेदारों पर तो पहुंच गई क्योंकि उनकी उन ठेकेदारों से बड़ी पुरानी दोस्ती है लेकिन इस उद्योग में जो लाखों मजदूर लगे हुए हैं, राजगीर लगे हुए हैं वहां तक उनकी नजर नहीं गई। अगर यह कांस्ट्रक्शन का पूरा काम बन्द हो जाए, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, कर्नाटक, दिल्ली और बम्बई में, तो इस कांस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए करोड़ों मजदूरों की स्थिति क्या होगी ? वे अपनी रोजी-रोटी कहां से लायेंगे ? इसलिए सीमेंट आवंटित करने में—चाहे केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेशीय सरकारें हों—उन्हें इस बात का तो खयाल रखना ही पड़ेगा कि जिस उद्योग पर लाखों की संख्या में काम करने वालों की रोजी-रोटी निर्भर करती है, वह बन्द न होने पाए। यदि इस प्रकार की बातों पर भी आक्षेप किया जायेगा तो इस देश का शासन कैसे चलेगा ? यह फैसले कैसे होंगे, किसी काम के लिए निर्णय कैसे होगा। मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं कि जगह-जगह आप भ्रष्टाचार की बात करके या जो राजनीतिक नेतृत्व देश में है, चाहे वह आपका हो या हमारा हो—उस पर से विश्वास कम नहीं कर रहे हैं ? इतना लम्बा और शब्दों से भरा हुआ लच्छेदार भाषण उन्होंने यहां पर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने शंका व्यक्त करने के अलावा कोई सबूत भी दिया ? ठोस सबूत आपने दिया कि सीमेंट के आवंटन में इतना भ्रष्टाचार किया गया है या इन्होंने इनसे इतना रुपया लिया है या इन्होंने इनको गलत तरीके से मदद पहुंचाई है और उसका यह साक्ष्य है या सबूत है। सिर्फ शंका और शुबहा पर बात करना वाजपेयी जी जैसे बड़े और महान नेता के लिए शोभा नहीं देता है। मैं कह सकता हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन वाजपेयी जी जैसे महान नेता के लिए बात करना शोभा नहीं देता है। जगह-जगह यह बात कहते रहें कि इस मन्त्री ने इस आदमी को सीमेंट देने के बजाय इस आदमी को दिया, इसलिए वह भ्रष्ट है। इस मन्त्री जी ने यहां कोई चीज देने के बजाय वहां दे दी, इसलिए भ्रष्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना चल रही थी। कौन नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल की इस सरकार के विरुद्ध ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस सरकार की गाइड लाइन्स के विरुद्ध काम किया, लेकिन क्या हमारे कृषि मन्त्री जी ने···

उपाध्यक्ष महोदय : आप वहां न जाइये । दिल्ली में ही रहिये ।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : क्या वह कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि जो कुछ भी आपने अभी-अभी कहा है उससे आपको कोई उत्तर मिल जायेगा ।

श्री जैनुल बशर : क्या कृषि मन्त्री जी ने पश्चिम बंगाल को समर्थन नहीं दिया था । जिस प्रकार की बात यहां उद्योग मन्त्री जी कह रहे हैं, उसी प्रकार की बात कृषि मन्त्री जी ने यहां पर कही थी । इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा कि राजनीतिक लोगों से जनता का विश्वास कम होता जाएगा । जब हमारे वाजपेयी जी जैसे महान नेता भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध सूंघेंगे, तो आम जनता का क्या होगा । यह राजनीतिक नेतृत्व का सवाल है । आज हम इधर बैठे हैं, वाजपेयी जी यहां बैठे थे, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वे फिर यहां पर बैठ सकते हैं या नहीं, लेकिन बार-बार भ्रष्टाचार···

मेरे विचार में उन्हें यहां नहीं बैठना चाहिए ।

अगर वे यहां पर बैठ गए तो वे क्या इस बात को पसंद करेंगे कि कुछ सीमेंट यहां देने के बजाय वहां दे दिया गया और भ्रष्टाचार हो गया । राजनीतिक मामले अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो एक इन्स्टीचूशन है, इसमें हर समय बात की खाल निकाला मेरी समझ में राष्ट्र हित में नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट के मामले में परेशानी कैसे पैदा हो गई, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे ख्याल में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, जो इस बात को देख सके कि जो केन्द्र सरकार की गाइड-लाइन्स है, उस गाइड लाइन्स के मुताबिक राज्यों में सीमेंट का वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ? साथ ही साथ वह मशीनरी यह भी देख सके और इसका भी फैसला कर सके कि अगर कोई राज्य सरकार को तुरन्त ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि किसी मद की सीमेंट को किसी दूसरे मद में देना हो, तो उसको यह तुरन्त अधिकार हो, वह देख सके और छानबीन कर सके, यदि ऐसी कोई गाइड-लाइन होती तो मैं समझता हूं कि यह सारी परेशानी पैदा नहीं होती । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा—क्या कोई ऐसी मशीनरी वे बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ? अगर कोई ऐसी मशीनरी बन जाय तो इससे फायदा होगा ।

यह जो सीमेंट की दोहरी-बिक्री की नीति बनाई गई है । यह कुछ अनुभव के बाद बनाई गई है । अनुभव यह था कि सीमेंट हमारे पास कम थी और सीमेंट को हर सैक्टर में बांटना था । गवर्नमेंट वर्क्स के लिए भी देना था, हाउसिंग के लिए देना था, स्कूलों के लिए देना था, अस्पतालों के लिए देना था । यह ठीक है कि उसमें सरकारों ने गाइडलाइन्ज बनाई कि इस काम के लिए सैन्ट्रल कोटे की सीमेंट दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए क्या होगा ? वे भी जरूरी हैं—

लोगों के मकान बनने जरूरी हैं, अस्पताल बनना जरूरी है, स्कूल बनना भी जरूरी है, और सबसे बढ़कर मकान की मरम्मत होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अब जो सीमेंट की दोहरी नीति बनाई है—उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसमें आप गरीब लोगों के लिए, गांवों के लोगों के छोटे-छोटे मकान बनाने के लिए, खासकर जो रूरल पापुलेशन है उसके लिए आप सीमेंट की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? उनके लिए परमिट देने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? किसान की आमदनी बहुत सीमित है और हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसान हैं जो गांवों में रहते हैं, वे भी पक्के मकान बनाना चाहते हैं। कच्चे मकान आये-दिन बारिश और तूफान में गिर जाया करते हैं, जब उनके पास कुछ आमदनी होगी तो वे पक्के मकान बनाना चाहेंगे, उस को बनाने के लिए आप क्या राहत दे रहे हैं।

बहुत से छोटे-मोटे, गांवों में, उद्योग लगे हुए हैं जो सीमेंट पर आधारित हैं। वे सीमेन्ट के छोटे-छोटे सामान बनाते हैं, जो मकानों में लगाये जाते हैं, जैसे खिड़कियां बनाते हैं, जालियां बनाते हैं, अन्य बहुत सारे सामान बनाते हैं, प्रीफैबरीकेटेड मैटीरियल बनाते हैं जिनके जरिये गांवों में सस्ते मकान बनाये जाते हैं जो हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हैं। मुझे कई जगहों से हैदराबाद से, मेरे अपने वाराणसी से, मद्रास से, दिल्ली से, अन्य कई जगहों से छोटे छोटे सीमेंट पर आधारित उद्योग-धन्धों की एसोसियेशन्ज की तरफ से पत्रक आये हुए हैं कि इससे हमारा धन्धा बन्द हो जायेगा, हमारा काम बन्द हो जायेगा, क्योंकि उनको सीमेंट महंगा पड़ेगा और वे सस्ते मकानों के लिए कम दामों पर उन चीजों को नहीं दे सकेंगे जिसका प्रभाव देश के हरिजनों और वीकर सैक्शन्ज पर पड़ेगा। इसलिए उनको भी लेवी की सीमेंट दी जाय ताकि वे भी अपने उद्योग को चालू रख सकें और सस्ते मकान बन सकें। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए मन्त्री जी क्या करने जा रहे हैं?

आखरी सवाल यह पूछना चाहता हूं—आज जो यह मामला उठा हुआ है कि गाइडलाइन्ज को तोड़कर सीमेंट दिया गया, गाइड लाइन्ज को तोड़कर यहां सीमेंट दिया गया, वहां सीमेंट दिया गया, इसके बारे में क्या वाकई कोई तथ्य है? अगर कहीं गाइड-लाइन टूटी है तो क्या राज्य सरकार ने उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने गाइड-लाइन्ज का थोड़ा-बहुत उल्लंघन क्यों किया? क्या कारण था, कौन सी मुसीबत या विपत्ति थी जिसके कारण उन्होंने गाइड-लाइन से हटकर थोड़ा बहुत सीमेंट इधर या उधर दे दिया? क्या इसके बारे में भी मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने चार प्रश्न पूछे हैं। पहला-जो लोग निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, जो मजदूर निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं, वे सीमेंट की उपलब्धि न होने से बेकार न हो जायें—इस खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो बिजली और सिंचाई के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए तो सीमेंट का प्रायर-रिजेर्वेशन, पहले से ही रिजर्वेशन है। जो दूसरे निर्माण कार्य हैं उनके लिए राज्य सरकारों को छूट है वे अपनी आन्तरिक प्राथमिकता के अन्तर्गत विविध निर्माण कार्यों के लिए कितना देना चाहते हैं, किस प्राथमिकता के आधार पर देना चाहते हैं—यह उन पर निर्भर करता है, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं।

जहां तक मशीनरी का सवाल है कि राज्यों में मशीनरी नहीं है, यह मशीनरी मौजूद है उनके सिविल सप्लाईज विभाग की मशीनरी है और सीमेंट कन्ट्रोलर की मशीनरी है। दो मशीनरीज हैं। एक तो आवंटन करने वाली है और राज्य सरकार भी जो बल्क एलोटमेंट करती है, वह भी सीमेंट कन्ट्रोलर के पास आता है, जो रीजनल सीमेंट कन्ट्रोलर हैं, उनके यहां से फैक्टरीज को आदेश जाते हैं कि फलां-फलां को, जिनको राज्य सरकार कहती है, सीमेंट भेज दिया जाए। तो दो मशीनरीज हैं और मुख्तया जो वितरण की मशीनरी हैं, यह राज्य सरकार के अन्तर्गत होती है। अगर किसी राज्य में मशीनरी को कोई शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता हो, तो उसके बारे में राज्य सरकार विचार कर सकती है।

श्री जैनुल बशर : मंत्री जी ने मेरी बात को समझा नहीं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या आपके पास केन्द्र में कोई ऐसी मशीनरी है जो यह देखती रहे कि गाइडलाइन्स के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं और अगर परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो वह उसको करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय गाइडलाइन्स ये हैं कि बिजली और सिंचाई के लिए बिल्कुल प्राथमिकता है और सीमेंट का रिजर्वेशन है। इसके लिए सेन्ट्रल वाटर कमीशन और सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथेरिटी की मशीनरी है, जो यह देखती है कि किस प्राजेक्ट के लिए कितने सीमेंट की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आपने राज्यों को दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की जांच पड़ताल की है। क्या ऐसा कोई तंत्र है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विशेषज्ञ निकाय है जो इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लागू करते हैं और वे ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए सीमेंट की आवश्यकताओं के बारे में निगरानी भी करते हैं। जहां तक गरीब लोगों के लिए परमिट वगैरह देने की बात है, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि जिन तत्वों को मिलना चाहिए, उसके लिए हमने 80 स्क्वेयर मीटर का प्लिथ एरिया रखा है। इसका अर्थ यह है कि 80 स्क्वेयर मीटर तक या कम के प्लिथ एरिया वाले मकान वालों को हम लेवी का सीमेंट देंगे और उसके ऊपर वालों का नहीं देंगे। यह एक बात की गई है और इसलिए की गई है ताकि किमानों को और गरीबों को यह सीमेंट मिल सके और अगर सीमेंट का उत्पादन बढ़ेगा जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि हम चाहते हैं कि देश के अन्दर सीमेंट के उत्पादन की क्षमता दुगनी हो जाए, तो उसके आधार पर सीमेंट का ज्यादा बटवारा होगा। अगर देहातों में सेल डिपो खुले होंगे, तो एक तरफ तो फ्री सेल का सीमेंट होगा और दूसरी तरफ लेवी का सीमेंट लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सभी बातों से बचने का एक मात्र समाधान यह है कि अधिक उत्पादन करिये। किसी ने भी सीमेंट के बड़े हुए उत्पादन के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया है। उससे सभी प्रकार की गड़बड़ समाप्त हो जायेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक छोटे उद्योग-धन्धों की बात है, जाली बनाने वालों की बात है, मैंने पहले भी कहा है और पुन: दोहराना चाहता हूं कि मैं सम्मानित सदस्य का

आभारी हूंगा कि यदि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई प्रार्थना पत्र मिले, आवेदन पत्र मिले, अगर वे मुझे अग्रसारित कर सकें, मुझे भेज सकें, तो बड़ी कृपा होगी और उन पर अवश्य ही सहानुभूति से विचार करूंगा। छोटे उद्योग-धन्धे जो सीमेंट पर आधारित हैं, उनके लिए क्या किया जाए ? बड़े उद्योग-धन्धे में और छोटे उद्योग-धन्धों में शायद कोई भेद करना पड़े लेकिन जहां तक गाइड-लाइन्स के उल्लंघन की बात है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सिंचाई के क्षेत्र से, बिजली के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में यह पूर्व-आवंटित सीमेंट गया हो, ऐसी कोई निश्चित शिकायत हमारे पास नहीं आई है और सीमेंट कन्ट्रोलर सीमेंट इशू नहीं करेंगे फैक्ट्री के लिए और वे प्रोजेक्ट्स के लिए ही सीमेंट इशू करते हैं सीधे। इर्रीगेशन और पावर सेक्टर में से डाइवरशन होगा, ऐसी बात नहीं है और स्माल स्केल सेक्टर में जो पहले रिजर्वेशन था, अब तो वह रिजर्वेशन भी नहीं है और जो नयी गाइडलाइन्स हैं, उनके आधार पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अलग-अलग कार्यवाही करनी है।

इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के बारे में वक्तव्य

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : इस्पात के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है, परन्तु वास्तव में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात के मूल्य सरकार द्वारा विनियमित किए जाते हैं। फरवरी, 1981 में मुख्य उत्पादकों को छड़ों, गोल छड़ों और अर्ध-तैयार इस्पात के मूल्य निश्चित करने की छूट दे दी गई थी। परन्तु कच्चे लोहे और क्वायल, चादरों, प्लेटों, संरचनात्मकों और रेलवे सामग्री आदि जैसी अन्य श्रेणियों के इस्पात के संयुक्त संयंत्र समिति मूल्य द्वारा घोषित किए जाने से पूर्व सरकार द्वारा निश्चित किए जाते रहे हैं।

स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के पश्चात् सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित करने की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने का फैसला किया है। अब से कच्चे लोहे और सभी श्रेणियों के इस्पात के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किए जायेंगे और सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सरकार संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों पर निगरानी रखेगी। लोहा और इस्पात नियंत्रक संयुक्त संयंत्र समिति का अध्ययन होने के नाते मूल्यन ढांचे पर नजर रखेगा। मूल्य राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के समग्र हितों को पूरी तरह ध्यान में रखकर निश्चित किए जायेंगे। ऐसी स्थिति बनाए रखने के प्रयास किए जायेंगे जिसमें सभी प्रकार का लोहा और इस्पात आसानी से उपलब्ध हो सके और जहां कहीं मूल्यों में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाए, वहां मूल्यों को उचित सीमा में रखा जाए।

इस कदम से सभी श्रेणियों के लोहे और इस्पात के मूल्य अधिक व्यावहारिक हो जायेंगे और इससे बाजार में मिलने वाला ऊंचा लाभ, जैसाकि नियंत्रित मूल्य व्यवस्था में होता है, सरकार को मिल सकेगा और इससे उद्योग के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी। इस तरह जो भी अतिरिक्त संसाधन जुटाए जायेंगे, वे यथावत् इस्पात विकास कोष में जायेंगे और उनका इस्तेमाल इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मद्रास के गोदी श्रमिक बोर्ड पर लगाये गये कल्याण उपकर और केन्द्रीय उपकर में कमी

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : गोदी श्रम बोर्ड, मद्रास के सम्बन्ध में कल्याण लैवी और सामान्य लैवी को भारत सरकार द्वारा और भी कम कर दिया गया है। इस लैवी को प्रति वर्ष इस आधार पर कैम किया जा रहा है कि फालतू धन उपलब्ध है। यह आश्चर्य की बात है कि कल्याण निधि के लिये एकत्र हुए धन को पूरी तरह खर्च नहीं किया जाता है जिसके फल-स्वरूप वह फालतू हो जाता है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी उपायों के लिये प्रयास भी नहीं किया जाता है; उन्हें कार्यान्वित किये जाने की बात को तो छोड़ ही दीजिये। चल रहे कल्याणकारी उपायों को भी उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। क्या मद्रास डाक श्रम बोर्ड में श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की कोई सीमा है ? श्रमिकों के लिये कैंटीन को चलाया जा सकता है। निश्चित स्थान तथा वापिसी स्थान से श्रमिकों को मुफ्त परिवहन उपलब्ध किया जा सकता है, विभिन्न स्थानों से कार्य स्थलों तक भी मुफ्त परि-वहन उपलब्ध किया जा सकता है। सभी श्रमिकों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जा सकता है। पौष्टिक भोजन को उचित तथा आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर सप्लाई किया जा सकता है। सभी लाभ नैमित्तिक तथा अस्थाई कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। उपस्थित भत्ता नैमित्तिक श्रमिकों को भी दिया जा सकता है। वर्तमान लैवी में किसी प्रकार की कमी किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे भय है कि प्रशासन व्यापारियों से सांठ-गांठ करके लैवी में कमी कर रहा है जिसके फलस्वरूप श्रमिकों को जो न्यायसंगत हिस्सा मिलना चाहिये, उससे तथा उनके कल्याणकारी उपायों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह पूर्ण रूप से इसके आशयों का अध्ययन करे तथा श्रमिकों के अधिकारों को बहाल करे। सरकार को सच्चे मन से कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना चाहिये और व्यापारियों को उन श्रमिकों का शोषण करने से रोकना चाहिये, जो दिन रात मद्रास पत्तन न्यास के विकास के लिए अनथक परिश्रम करते रहते हैं। मद्रास पत्तन के शताब्दी वर्ष के दौरान गलत गोदी श्रम बोर्ड के श्रमिकों को गलत रूप से दिये गये अनुग्रहपूर्वक भुगतान की कल्याण निधि से समायोजित किया जा सकता है। यदि प्रशासन ने उचित रूप तथा सही ढंग से कार्य किया होता, तो मद्रास गोदी श्रम बोर्ड के कल्याण निधि आदि में किसी प्रकार का फालतू धन हो ही नहीं सकता था। लैवी में कटौती किये जाने के प्रस्तावों को इनकी प्राप्ति के 8 दिनों के भीतर 11-3-82 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। वही उत्सुकता, जल्दी, तेजी 750 रुपये के शताब्दी उपहार को बिना किसी प्रकार की कटौती किये जाने के मद्रास पत्तन न्यास श्रमिकों को एक पुश्त में दिये जाने के बारे में निर्णय करते तथा उसे देने में नहीं दिखाई गई है। हालांकि स्वयं शताब्दी वर्ष ही समाप्त हो चुका है।

मेरी प्रार्थना है कि मद्रास पत्तन के श्रमिकों को अविलम्ब न्यास किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में केवल तीन वक्ताओं के ही होने के बावजूद हमें अपने स्थानों पर 2 घंटे तक बैठाये रखा गया है। क्या यह एक रिकार्ड नहीं है ? मैं यह जानना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा इस कारण से हुआ है क्योंकि यह विषय सीमेंट के सम्बन्ध में है।

श्री माधवराव सिन्धिया : मेरे विचार में अटल जी के प्रभावशाली भाषण ने भी हम पर कुछ समय तक जादू बनाये रखा।

(व्यवधान)

(दो) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के डाकू-पीडित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : पुलिस की गतिविधियों में तेजी आने के बावजूद डाके की समस्या अभी भी एक मुख्य समस्या बनी हुई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के बड़े भाई, न्यायाधीश सी० एस० पी० सिंह पर निर्दयतापूर्ण तथा कातलाना आक्रमण के द्वारा डाकुओं का मामला नाटकीय ढंग से प्रकाश में आया है, जिसकी पराकाष्ठा उनके पुत्र सहित, उनकी मृत्यु के रूप में सामने आयी। यद्यपि मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चम्बल डिविजन, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के डकैती-ग्रस्त जिलों में पुलिस की गतिविधियों में तेजी आने तथा सीमा सुरक्षा बल की तैनाती डकैती-विरोधी उपायों का केवल रोगनाशक पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं।

इस समय सक्रिय डाकू गिरोह को समाप्त करने मात्र से ही डाकुओं की समस्या पूर्णतया हल नहीं हो सकती, जब तक कि सामाजिक आर्थिक कारणों को दूर करने के लिए लक्षित, जिनके कारण नये डाकू गिरोह उत्पन्न होते हैं, विशेष निवारक पहलुओं की ओर भी उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के डकैतीग्रस्त क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। बहती नदियों के साथ बहुत फैली हुई तंग घाटियां मौजूद हैं और निरन्तर भूमि के कटाव के कारण कृषि-योग्य भूमि क्षेत्र में काफी सीमा तक कमी आ गयी है। उद्योगों के नगण्य विकास के कारण रोजगार के अन्य अवसर मौजूद नहीं रहे हैं। स्वतंत्रता के 34 वर्षों के पश्चात भी इन तीनों राज्यों के किसी एक भी डकैतीग्रस्त जिले में सरकारी क्षेत्र में निवेश के रूप में एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। इसलिये वहां भी भूमि बहुत ही कीमती है और छोटे-छोटे भूमि सम्बन्धी विवादों के फलस्वरूप हत्यायें हो जाती हैं।

इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के अभाव से लोगों के, विशेषकर डाकुओं के गिरोहों का पीछा कर रही पुलिस के आसानी से आने जाने में बाधा पड़ती है।

यह अनिवार्य है कि सरकार इन प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक कारणों को दूर करने के लिये प्रभावी पग उठाये ताकि इस क्षेत्र में बार-बार उत्पन्न होने वाली डकैती समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढा जा सके। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने, छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों की

स्थापना करने, इस क्षेत्र में गांवों में बिजली की व्यवस्था करने, डकैती-विरोधी सड़कों के निर्माण करने तथा व्यवसायिक स्कूलों तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने जैसे उपायों से इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थि स्थितियों को सुधारने में काफी अधिक सहायता मिलेगी ।

चूंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दोनों राज्यों का अपनी सीमा के दोनों ओर से है, इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्र की कड़ी निगरानी में इन तीनों राज्यों के बीच समन्वय को स्थापित किया जाये ।

इसलिए मैं सुझाव देता हूं :

1. संघ सरकार को इन तीनों राज्यों के डकैती-ग्रस्त क्षेत्रों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये, निवारक पहलू का अध्ययन करने हेतु बहुत ही उच्च स्तर पर एक कक्ष अथवा एक समिति का गठन करना चाहिये ।

2. उपरोक्त कार्यक्रम को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारों को इन क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्धारित की जानी चाहिये ।

3. मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को इन क्षेत्रों के लिये बजट नियतन करने में उच्च प्राथमिकता देने हेतु परामर्श दिया जाना चाहिये ।

4. युद्ध स्तर पर अनिवार्य रूप से निवारक उपाय किये जाने चाहिए, अन्यथा इस समय किये जा रहे उपचारात्मक उपायों का कोई लाभ नहीं होगा ।

यदि संघ सरकार द्वारा ऐसी कोई उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई और डाकूग्रस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रतिरोधात्मक उपाय डाकू समस्या के प्रभावी समाधान निकालने में बहुत सहायक होंगे ।

(तीन) मद्रास-ताम्बरम रेलवे सैक्शन पर रेल यातायात की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री इरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1978-79 के दौरान लगभग 14 करोड़ यात्रियों ने मद्रास विद्युत रेल प्रणाली से यात्रा की । परन्तु मद्रास ताम्बरम तक यात्रियों के लिए प्रयोग में लाई गई रेलों की संख्या मात्र 26 है । अतः इसके परिणामस्वरूप बहुधा अत्यधिक विलम्ब होता है और अधिकांश रेलें समय पर नहीं चल पाती हैं । इसके अलावा रेलों की इतनी कम संख्या लगभग 20 करोड़ यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है । यात्रियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए रेलों की कुल संख्या में शीघ्र वृद्धि की जानी चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि रेलों की संख्या बढ़ाने में कुछ कठिनाइयां हैं । विद्युत रेल केवल मद्रास में ही, मीटर गेज लाइन पर चलाई जा रही हैं और हमारे देश के अन्य भागों में ये रेलें बड़ी लाइन पर चलती हैं ।

अधिकांश डिब्बों की मरम्मत की जा रही है और फालतू पूर्जे देश के बाहर से खरीदे जाने हैं। पेराम्बूर की इंटीगृल कोच फैक्टरी बडी लाइन के ही डिब्बे बना रही है और मीटर लाइन के डिब्बों का निर्माण नहीं किया जाता है। अतएव बड़े अरसे से मद्रास के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में महिला संगठन और मद्रास तथा चेंगलपट जिला यात्री संगठन के कई प्रदर्शनों के बावजूद अधिकारियों ने रेलों की संख्या बढ़ाने या अन्य कोई समाधान निकालने के प्रति अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

इस समय मद्रास और चेंगलपट यात्री संगठन और कामकाजी लड़कियों के संगठन ने राज्य-व्यापी प्रदर्शन का आव्हान किया है। इस आव्हान की प्रतिक्रियास्वरूप जनसम्पर्क कार्यालय या दक्षिण रेलवे प्राधिकरण ने यह स्पष्टतः बताया है कि स्थिति में सुधार लाने का एकमात्र उपाय तम्बारम और मद्रास बीच के मध्य मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना है। अगर प्राधिकरण इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त कार्रवाई करने में असमर्थ रहा तो इससे अनावश्यक रूप से कानून व व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ेगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मैं इसे सम्मानीय सदन के ध्यान में ला रहा हूं कि वह मद्रास व तम्बारम के लोगों की दीर्घ प्रतीक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यथाशीघ्र बड़ी लाइन बिछाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के लिए इसे रेल मन्त्री के ध्यान में लाएं।

इसके अतिरिक्त इस समय विद्युत रेल सुविधा मद्रास से तम्बारम तक ही बढ़ाई गई है। परन्तु यह सुविधा चिंगरपट्टु झिरनकाजीकुरम और महाबलीपुरम से होकर कलपक्कम तक नहीं बढ़ाई गई है। धार्मिक केन्द्र कलपक्कम थिरकाजीकुरम (जिसे पाटची झुरथम कहते हैं) में स्वचालित विद्युत परियोजना है। महावालिपुरम प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है। इन स्थानों के मध्य में कई नमक उत्पादन करने वाले केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी फैक्टरियां स्थित हैं। अतः रेल/परिवहन सुविधा के बिना चिंगलपट्टु क्षेत्र के करीब 5 लाख लोगों पर असर पड़ता है।

तम्बारम से चिंगलपट्टु तक दोहरी लाइन और थिरुकाजीकुरम, महाबलीपुरम होकर कलपक्कम तक नई रेलवे लाइन, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अतिशीघ्र आवश्यक है। रेलवे अधिकारियों ने पहले ही इस प्रयोजन से पुलों का निर्माण किया है। अतः मैं सम्मानीय सदन से अपील करता हूं कि रेल परिवहन सुविधा की व्यवस्था करने के लिए यह बात रेल मंत्रालय के ध्यान में लाई जाए।

(चार) पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया में नूरा से लोगों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पदयात्रा

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, दीर्घकाल से चली आ रही कुछ अत्यावश्यक समस्याओं पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिनांक 29-3-82 को पश्चिम बंगाल में सैकड़ों लोगों ने हुए, पुरुलिया से पद यात्रा आरम्भ की, ये लोग 250 कि० मी० का रास्ता तय करके 5 अप्रैल 1982 को कलकत्ता पहुँचेंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों की मांगों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(एक) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-पुरुलिया खंड के मध्य एक्सप्रेस रेल सेवा चलाना और पुरुलिया-कोटशिला मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना।

(दो) मेझिया से होकर रानीगंज और बांकुरा के मध्य रेल-सम्पर्क।

(तीन) मेचदा से डिगा तक, हल्दिया से बोकारो तक, घाटल से होकर पशकुरा से चन्द्रकुना रोड तक रेल सम्पर्क।

(चार) शेराफुली और तारकेश्वर के बीच दोहरी रेल लाइन और विष्णुपुर तक रेल लाइन बढ़ाना।

(पांच) कटवा-बंडेल रेलवे लाइन को दोहरा करना और उसका विद्युतीकरण।

(छः) हावड़ा-आमटा-शेरवाला लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र परिवर्तित करना।

(सात) बज-बज से नामखाना तक रेल सम्पर्क कार्य शीघ्र पूरा करना।

(आठ) इस समय केवल माल यातायात के लिये इस्तेमाल की जा रही नैहाटी-काकुरगेछी-बजबज लाइन में यात्री-रेलगाड़ियों की शुरुआत करना।

(नौ) कलकत्ता की सर्कुलर रेलवे परियोजना को शीघ्र पूरा करना।

(दस) जलपाईगुड़ी (उत्तर बंगाल) और दिल्ली के बीच दूसरी तीव्रगामी रेल चलाना और मालदा-बेलूघाट-दिल्ली के मध्य रेल सम्पर्क।

रेलवे की इन मांगों के अलावा कुछ और जरूरी मांगें भी हैं, वे इस प्रकार हैं :

(एक) मेझिया (बांकुरा) में कोयले पर आधारित थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना।

(दो) हल्दिया पेट्री-रसायन परियोजना और हल्दिया की पोत निर्माण और पोत मरम्मत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाना।

(तीन) साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में भारत इलेक्ट्रोनिक्स कम्पलैक्स लि० की एक यूनिट की स्थापना।

(चार) आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में कोयले पर आधारित रसायन उद्योग स्थापित करना।

(पांच) औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए उत्तर बंगाल के तेजी से औद्योगीकरण के लिए केन्द्र से विशेष वित्तीय सहायता।

(छः) भूमिहीनों, अकाल पीड़ित लोगों के मामलों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण कर केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और संस्थानों में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार के नियमों को सख्ती से लागू करना।

(सात) पश्चिम बंगाल की विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता और आवंटन।

पश्चिम बंगाल की जनता की ये कुछ जरूरी मांगें हैं जिन्हें वे लम्बे समय से केन्द्र सरकार के समक्ष बार-बार रखते आ रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इन पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उन मांगों को स्वीकार करे जिन्हें लेकर पश्चिम बंगाल की जनता केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पद-यात्रा कर रही है।

(पांच) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का बम्बई से बंगलौर स्थानान्तरण

श्रीमती संयोगिता राणे (पाणाजी) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहती हूं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानांतरित करने के भारत सरकार के निर्णय से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार के इस निर्णय से उत्पन्न विवादों के कारण बम्बई कार्यालय का कामकाज पिछले तीन महीनों से ठप्प पड़ा है। इस बोर्ड के अधिकांश सदस्य कर्मचारी बंगलौर जाने में असुविधा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने सरकार से कई अपीलें और मांगें करके ऐसा निर्णय न लेने पर जोर दिया है। बोर्ड कर्मचारी संगठन भी इस मामले से उत्तेजित है। बहुत से कर्मचारी—जिनकी पत्नियां सेवारत हैं या बच्चे स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्होने सरकार से अपील की है कि वह इस वर्ष मई तक यह स्थानांतरण स्थगित रखे।

जैसा कि देश में उत्पादित रेशम का तीन-चौथाई भाग बम्बई से निर्यात होता है, यह वांछनीय है कि बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई में ही रखा जाए। कर्मचारियों में फैली उत्तेजना के कारण बोर्ड का कामकाज वस्तुत: ठप्प सा हो गया है, यदि सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती तो संभवत: यह और भी तीव्र हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह केन्द्रीय रेशम बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई से बंगलौर स्थानांतरित न करे।

(छ:) उत्तर प्रदेश के आंवला लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में रेल सेवाओं के बढ़ाने की आवश्यकता

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक-सभा क्षेत्र आंवला में रेल यातायात में विशेष सुधार की आवश्यकता है। बरेली से एक पूर्वोत्तर रेल कासगंज की ओर जाती है और एक बरेली से आंवला व चन्दौसी की ओर उत्तर रेलवे जाती है और दूसरी बरेली से शाहजहांपुर की ओर रेलवे लाइन जाती है। बरेली से कासगंज के लिए जो रेल लाइन जाती है, उस पर बहुत सी ट्रेनें समय पर नहीं चलती हैं और उनके समय भी सही रूप से निर्धारित नहीं किये गये हैं।

बरेली स्टेशन पर रात को लखनऊ मेल, काशी विश्वनाथ, दून एक्सप्रेस व अनेक ट्रेनों से विभिन्न स्थानों से यात्री जाते हैं, और जो बदायूं व कासगंज की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए अगले दिन प्रात: 10 बजे तक कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं होती। ऐसे हजारों यात्री प्रतिदिन परेशान रहते हैं। इसी प्रकार कासगंज से बरेली की ओर जो यात्री चलते हैं, उनको शाम को या रात में कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं होती, उनको कासगंज में ही पड़े रहना पड़ता है। यह आवश्यक है कि प्रात: 5 या 6 बजे के मध्य एक ट्रेन बरेली से कासगंज को चलाई जाए और इसी

प्रकार शाम को 6 बजे एक ट्रेन कासगंज से बरेली को चलाई जाए। बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दिन में कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है। बरेली से एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के लिये वाया रामपुर व एक ट्रेन वाया चन्दौसी चलना आवश्यक है।

आंवला से जो एक रेल की बोगी आंवला से दिल्ली को जुड़ती थी, उसको भी रेल विभाग ने रद्द कर दिया है। बरेली, बदायूं, कासगंज की ओर से जो यात्री मथुरा होकर दिल्ली, बम्बई, जयपुर आदि स्थानों पर जाना चाहते हैं, उनको भी कोई ट्रेन दिन में उपलब्ध नहीं है। बरेली से दिन में एक मेल या एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन को, और इसी प्रकार दिन में मथुरा जंक्शन से एक ट्रेन बरेली जंक्शन को चलना आवश्यक है। बदायूं व उसके आस-पास के सरकारी कर्मचारी, छात्र और कचहरी जाने वाले लोग व आम जनता को भीड़ के कारण ट्रेनों में स्थान नहीं मिल पाता और उनको दफ्तर व स्कूल के समय पर ट्रेनें उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसलिये बरेली, बदायूं व कासगंज के बीच एक शटल चलने की आवश्यकता है।

मुझे रेल विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना है कि बरेली, बदायूं, कासगंज, भमौरा, मकरन्दपुर, बमयाना, घटपुरी, आंवला आदि स्टेशनों पर टिन-शेड व बैठने की बेंचें व अच्छे वेटिंग रूम, रोशनी व पानी की व्यवस्था नहीं है जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। जो ट्रेनें चलाई जाती हैं, उनकी खिड़कियां, शीशे, चिटखनी, बाथरूम की टोटियां व अच्छे शौचालय उपलब्ध नहीं रहते और अधिकतर सीटों पर रेक्सीन वगैरह भी गायब रहती है।

इन सारी समस्याओं का समाधान रेल विभाग को अतिशीघ्र करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोगों की परेशानियां दूर हो सकें। सरकार को इस पर अविलम्ब कारगर कदम उठाना चाहिए।

(सात) दिल्ली में धोबियों की समस्यायें

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजधानी में धोबियों की समस्याओं तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा की जा रही उनकी घोर उपेक्षा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

आजादी के 35 वर्षों के बाद आज तक यहां के धोबियों के लिए कपड़े धोने के लिए स्वच्छ पानी के घाटों तथा स्थायी अड्डों का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए मजबूर होकर उन्हें ज्यादातर नागरिकों के कपड़े यमुना तथा गंदे नालों के गंदे पानी में धोने पड़ते हैं, जो न केवल नागरिकों, बल्कि खुद धोबियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं।

श्रीमान, दिल्ली में धोबियों के लिए वर्तमान घाटों की संख्या पर्याप्त नहीं है। 1970 के बाद से नये घाटों का निर्माण नहीं किया गया है। 1975 में रामकृष्णपुरम क्षेत्र में एक घाट और कुछ मकान जरूर बनाये गये थे, परन्तु मकान धोबियों के बजाय अन्य लोगों को आवंटित कर दिये गये और घाट पर समुचित व्यवस्था न होने के कारण आज तक वह खाली पड़ा है।

दिल्ली के धोबियों के अनेक संगठन और उनके नेता समय-समय पर दिल्ली प्रशासन को अपनी समस्याओं तथा मांगों के सम्बन्ध में अवगत कराते रहे हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस एवं प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। इन लोगों की यह भी मांग है कि हलवाइयों की तरह उन्हें भी कोयले का कोटा निर्धारित किया जाये और कपड़े धोने के काम आने वाली अन्य सामग्री भी उन्हें उचित मूल्य पर दिलायी जाये तथा रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समाज के काम और मेहनत को ध्यान में रखकर वह दिल्ली प्रशासन को निर्देश दे कि धोबियों की उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लाये।

(आठ) **माल के जमा हो जाने के कारण केरल में हथकरघा उद्योग में संकट**

श्री के० कुन्हाम्बु (कन्नानोर) : मैं सरकार का ध्यान केरल में हथकरघा उद्योग में उत्पन्न गंभीर संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल राज्य हथकरघा से बनी वस्तुओं के लिए सदियों से प्रसिद्ध है। लेकिन वहां अब इतना गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है कि इस उद्योग में लगे लगभग एक लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इस संकट का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की कमी और इसके फलस्वरूप भारी स्टाक जमा हो जाना है। एक प्राक्कलन के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये के हथकरघा वस्त्र निजी क्षेत्र में और 7 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्र 'हेन्टेक्स' और हथकरघा विकास निगम में जमा हो गए हैं। यदि इस स्टाक को निकालने के अनथक प्रयत्न नहीं किए गए तो श्रमिक तथा उनके परिवार भूखों मर जाएंगे। इससे कन्नानोर और कालीकट जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि इन दो जिलों में ही अधिकतर करघे लगे हुए हैं।

ताइवान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के हथकरघा वस्त्रों की मांग कम हो गई है और इसी से वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका एक और कारण सूत और रगाई आदि में काम आने वाले रसायनों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होना है। उदाहरणत: 20 काउन्ट के सूत का मूल्य 1968 में 30 रुपये था। अब इसका मूल्य 105 रुपये हो गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक में दी जाने वाली कम मजदूरी से भी इस संकट को बढ़ावा मिला है।

ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को इस संकट से उबारने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। उचित मूल्य पर पर्याप्त सूत उपलब्ध करवाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए। इस उद्योग में काम आने वाली रसायन उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। इनका वितरण सरकारी डिपुओं और सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। सूत की सप्लाई के लिए एक लेवी प्रणाली शुरू की जानी चाहिए ताकि मिलों को विवश किया जा सके कि वे इसकी सप्लाई हथकरघा इकाइयों को ही करें। जब तक कामगारों को रोजगार नहीं मिलता उन्हें निःशुल्क राशन दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त उपर्युक्त कदम उठाये और इस उद्योग को तथा इसमें लगे भूखों मरते मजदूरों को बचा ले।

———

अनुदानों की मांगें, 1982-83—जारी

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद यह सं० 13 पर आते हैं : शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। अब सभा में शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय से सम्बन्धित मांग सं० 25 से 28 पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिए 8 घंटे का समय आवंटित किया गया है। सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य, अनुदानों की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, तो 15 मिनट में पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों के क्रमांक निर्दिष्ट हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। कुछ ही समय में नोटिस बोर्ड पर एक सूची लगा दी जाएगी जिसमें प्रस्तुत किये गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांक उल्लिखित होंगे। यदि किसी माननीय सदस्य को इस सूची में कोई गलती दिखाई दे तो वह कृपया सभा पटल पर विद्यमान अधिकारी को अविलम्ब इसकी सूचना दे सकते हैं। श्री अजित बाग।

***श्री अजित बाग** (सीरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 को सरकार ने एक उत्पादकता वर्ष के रूप में माना है। लेकिन यदि आप शिक्षा के लिए बजट प्रावधानों को देखें तो आपको उद्देश्यों की प्राप्त करने की सरकार की निष्ठा का एकदम स्पष्टीकरण हो जायेगा। यह कौन नहीं जानता कि अपेक्षित शिक्षा प्राप्त करके एक श्रमिक कामगार अपने कार्य की डिजाइन तथा अन्य तकनीकी ब्यौरों को आसानी से समझ सकता है और वह अपने अशिक्षित साथियों की अपेक्षा अच्छा उत्पादन कर सकता है। इसी प्रकार एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किसान जो समाचार पत्र तथा प्रचार पत्रिकाएं पढ़ सकता है, वह अपने अशिक्षित किसान भाईयों की अपेक्षा कीटनाशक दवाइयों तथा उर्वरकों का अपनी फसल में अच्छी तरह उपयोग कर सकता है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम अपने देश में उत्पादन में सुधार करना चाहते हैं तो श्रमिक तथा कामगारों के लिए शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश अब भी हमारे देश में 64 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं और काम करने वालों की अधिकतर संख्या इस श्रेणी के ही लोगों की है तथा जो हमारे देश में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और हमारी सरकार ने इतने अधिक लोगों के लिए इतना कम आवंटन किया है। 29,219 करोड़ रुपये के सामान्य बजट में से केवल 352 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए रखे गये हैं जो बजट आवंटन का 1.2 प्रतिशत है तथा छठी योजना आवंटन का 1.6 प्रतिशत है। संक्षेप में इ। समुद्र में पानी की एक बूंद कह सकते हैं। जहां समस्या इतनी विराट हो सरकार द्वारा इतना कम आवंटन किया जाना-बुर्जुआ-जमीदारों के दृष्टिकोण के साथ धोखा करना तथा इन श्रेणियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक युक्ति है।

आजादी से पहले भारत में शिक्षा की एक उपनिवेशवादी पद्धति थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने हमारे देश में शिक्षा की ऐसी पद्धति की शुरुआत की थी जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी

*मूल बंगला ने दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पढ़े लोगों की एक श्रेणी पैदा करना था जो प्रशासन को चलाने मे उनकी मदद कर सके और उनकी शोषण की चक्की चालू रखने में मदद कर सके और उनको प्रशासक, न्यायाधीश, लेखाकार, लिपिक आदि उपलब्ध कर सके। 1835 में लार्ड मैकालेने जो ने कुछ कहा था। मैं यहां उसका एक उद्धरण दे रहा हूं :

"आजकल हमें एक ऐसी श्रेणी बनाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए जो हमारे तथा उन करोड़ों लोगों, जिन पर हम शासन करते हैं, के बीच एक दुभाषिये का काम कर सकें। उस श्रेणी को हमें अधिकांश जनसंख्या में धीरे-धीरे जानकारी देनी की अनुमति देनी चाहिए।"

मैकार्ले के इस कथन से उसकी शिक्षा से सम्बन्धित 'डाउनवर्ड फिल्टरेशन थिओरी' के सार का पता लगता है जिसका सामान्य अभिप्राय यह है कि शिक्षा केवल धनी वर्ग, विशिष्ट वर्ग तथा समाज के मुट्ठीभर उच्च स्तर के लोगों के लिए होनी चाहिए तथा शिक्षा का एक अन्य भाग निर्धन, पददलित लोगों के लिए अनुमत्य होना चाहिए जो समाज का बड़ा भाग हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि देश भर में बड़े पैमाने पर यह आरोप लगाये गये थे और आजादी की लड़ाई के दौरान शिक्षा की शुरुआत करने की मांग की गयी थी जिससे लोग अपनी मातृभाषा को सीख सके। हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को इस बात के लिए सहमत किया था कि आजादी प्राप्त करने के तुरन्त बाद शिक्षा सम्बन्धी लोकप्रिय माँग को कार्यान्वित किया जायेगा। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि संविधान के निर्माताओं को संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत निदेशक सिद्धान्तों में यह प्रावधान करना पड़ा था कि संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 6-14 वर्ष की आयु के लड़के व लड़कियों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की जायेगी। लेकिन हमारी सरकार के कार्यकरण के सम्बन्ध में यह एक कूटनीतिज्ञ टिप्पणी है कि 31 वर्ष बीतने के बाद भी यह लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं किया गया है, क्यों ?

इस सम्बन्ध में मैं कुछ मूलभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम यह देख चुके है कि यह सरकार न तो किसी बात की परवाह करती है और न ही संसद में अच्छे-अच्छे वादे करने में थकती हैं। सरकार समितियों आयोगों की सिफारिशों का तब तक विरोध नहीं करती है जब तक कि वे प्रतिवेदनों अथवा दस्तावेजों के पृष्ठों में रहती है लेकिन जब इन सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रश्न उठता है। उस समय सरकार निश्चित रूप से बेचैनी महसूस करती है। क्या ऐसा नहीं था और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान में किये गये कानूनी उपबंध अधूरे क्यों रहने चाहिए ? सरकार ने इसे क्यों नहीं किया ? सरकार के रास्ते में आने वाली अड़चनें कौन-कौन सी हैं ? मुझे उनके (सरकार) श्रेणीगत दृष्टिकोण और इसे कार्यान्वित करने की इच्छा न होने पर वास्तविक परेशानी होती है। जो सरकार पूंजीवाद में विश्वास करती है वह कुछ नहीं कर सकती लेकिन अपनी यथा स्थिति को बनाये रख सकती है। हमारे देश के मध्यवर्गीय जमीदार शासक यह नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का प्रकाश प्रत्येक अन्धकार को दूर करे क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा से जाग्रति पैदा होती है और जाग्रति क्रान्ति की ओर ले जाती हैं। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसाकि अंग्रेजों ने किया था तथा अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ शिक्षित वर्ग के मुट्ठीभर लोगों को अपने कब्जे में रखा और हमने आजादी मिलने से पहले की अवधि से लेकर आज तक इतनी जोरदार घोषणाओं के बावजूद यह देखा है

कि हमने 34 वर्ष से भी अधिक समय में 80 प्रतिशत निरक्षरता को घटाकर 64 प्रतिशत तक किया है और यह भी बहुत ही धीमी गति से किया है। संविधान में 1960 तक नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था लेकिन उपलब्धि के इस वर्ष को समय-समय पर लगातार स्थगित किया गया। सर्वप्रथम इसे 1970 तक बढ़ाया गया इसके पश्चात इसे 1976 तक तत्पश्चात इसे 1980 तक बढ़ाया गया और अब यह कहा जा रहा है कि इस उद्देश्य को 1990 तक प्राप्त किया जायेगा। लेकिन हम अपने पुराने अनुभव के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि पहले की तरह अब भी यह वचन पूरा नहीं किया जायेगा। मेरी इस आशंका के औचित्य का कारण यह है कि शिक्षा के लिए कुल बजट आवंटन के 3 प्रतिशत से अधिक का आवंटन कभी नहीं किया गया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में खेर समिति ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार को अपने बजट का 10 प्रतिशत और राज्य सरकारों को अपने-अपने बजटों का 30 प्रतिशत आवंटन शिक्षा के लिए करना चाहिए। यह वास्तव में बड़े दुख की बात है कि जबकि अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने बजट आवंटन का 30 प्रतिशत से अधिक अथवा 30 प्रतिशत के आस-पास शिक्षा के लिए आवंटन किया है लेकिन केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में स्थिर रही है और उसने अब तक कभी भी शिक्षा के लिए 3 प्रतिशत से ज्यादा आवंटन नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश के शासक यह नहीं चाहते कि जनसाधारण शिक्षित बने। क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करना वास्तव में असम्भव है? मेरे विचार से यह असम्भव नहीं है। यदि हम शिक्षित होने के बारे में उचित जागरूकता पैदा करें और जनसाधारण को निरक्षरता उन्मूलन आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो लक्ष्य को हम जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। हम यह जानते हैं कि रूस ने अपनी महान क्रान्ति के पश्चात किस प्रकार एक अल्प समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां की जनता को शिक्षित किया। यदि हम अफ्रीका, लेटिन अमरीका तथा एशिया के अन्य प्रगतिशील देशों को देखें तो यह पता लगेगा कि वहां केवल राष्ट्रीय उत्पादन का अधिकतर प्रतिशत शिक्षा के लिए निवेश किया गया है और इसके परिणामस्वरूप हमारे देश की अपेक्षा वहाँ निरक्षरता कम है। कुछ निम्नलिखित आंकड़ों से यह तथ्य अच्छी प्रकार सिद्ध हो जायेगा :

1970 के दौरान

देश	निरक्षरता की प्रतिशतता	निवल राष्ट्रीय उत्पादन से व्यय
1	2	3
मिश्र	56.5	5.7
जाम्बिया	52.7	7
मोरीशस	39.2	4.4
मैक्सिको	25.8	4
जमाइका	12.2	6

1	2	3
ब्राजील	33.8	3.7
पीरू	27.8	3.9
चिली	11.9	5.1
बर्मा	40.3	3.4
इंडोनेशिया	43.4	3.3
श्रीलंका	22.4	4.5
थाईलैन्ड	21.4	3.6
टर्की	48.7	5.3
पश्चिमी मलयशिया	41.5	5.8
भारत	70.5	2.8

उपर्युक्त आंकड़ों से यह भली-भांति स्पष्ट हो जाता है कि जब दूसरे देश निरक्षरता के दोषों का उन्मूलन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत मन्दगति को चुना है। हमारे देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की दर ने साक्षरता की वृद्धि की दर को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 1961-71 के दौरान जनसंख्या में 24.66 प्रतिशत तथा इस अवधि में साक्षरता में 24.02 से 29.04 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में इसमें केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम यह भी कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा साक्षरता में वृद्धि कम हुई। तथापि वर्ष 1971-81 में इस स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ जबकि इस अवधि में जनसंख्या में वृद्धि की प्रतिशतता वही रही। साक्षरता में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन क्या इस वृद्धि को कल्पना की किसी सीमा तक उत्साहजनक समझा जा सकता है। यदि हमें इस गति से आगे बढ़ना है तो इससे हम केवल विनाशक अन्त की ओर बढ़ेंगे। वर्ष 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 44 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित हैं जो विश्व के अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या के आधे से कुछ अधिक हैं। वर्ष 1971-81 के दौरान जनसंख्या में 13½ करोड़ की वृद्धि हुई जबकि बड़े हुए अशिक्षितों की संख्या 7½ करोड़ थी जहां अन्य देशों में निरक्षरता की दर घट रही है भारत में इसकी दर घटने की आशा किये बिना लगातार बढ़ रही है। और यदि निरक्षरता में इसी दर से लगातार वृद्धि होती रही तो निश्चित रूप से एक ऐसा समय आयेगा जब विश्व में निरक्षरता के बारे में हम सबसे आगे होंगे।

भारत जैसे देश में जहां आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है वहां 14 वर्ष की उम्र तक अनिवार्य शिक्षा पर बल देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। हमें इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार कर इस समस्या को शीघ्र खत्म करना होगा। यह समस्या केवल कहने, आयोगों, समितियों का गठन करके अथवा नारेबाजी करके

खत्म होगी। इसके लिये हमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना होगा। तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा वैज्ञानिक शिक्षा के विरोधी हैं। लेकिन हम जो वास्तव में चाहते हैं वह यह है कि भारत के शैक्षणिक सूची स्तम्भों को नीचे से विश्व साक्षरता के साथ आंशिक रूप से संतुलित किया जाये तथा उन्हें धीरे-धीरे और स्पष्ट रूप से संतुलित रूप से कम किया जाये। मुझे ऐसा कहने के लिए इसलिए मजबूर किया गया है क्योंकि हम प्राथमिक शिक्षा को समुचित महत्व नहीं देते हैं।

भारत में जहां शिक्षा बजट आवंटनों से कटौती प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल 36 प्रतिशत है, एशिया के पश्चिमी देशों में यह आवंटन बहुत ज्यादा है। मेरे पास 70 देशों के आंकड़े हैं लेकिन आपकी अनुमति से मैं उनमें से कुछ देशों के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं—

बर्मा—47·9

फिलीपाइंस—83.8

थाईलैन्ड—65·5

मलयशिया—68·3

उपर्युक्त आंकड़ों तथा देश में व्याप्त स्थायी गरीबी को ध्यान में रखते हुए, यदि मैं यह मांग रखूं कि शिक्षा के लिए केन्द्रीय बजट तथा योजना आवंटन का 10 प्रतिशत रखा जाये, तो भी यह अधिक नहीं होगा और इस कोटा में से 60 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए रखा जाये। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के मार्ग में आने वाली प्रमुख कठिनाइयों में से एक कठिनाई बच्चों के स्कूल छोड़ने से सम्बन्धित है तथा दूसरी इससे घनिष्टता से जुड़ी हुई कठिनाई बच्चों के फेल होने की है। यह प्रारम्भ से ही इतना सही रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि 192 में हार्टाफ समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों कारणों का उल्लेख किया था। वर्ष 1964-66 के दौरान कोठारी आयोग ने भी दोबारा केवल इन प्रश्नों पर जोर दिया था। पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में से 60 प्रतिशत विद्यार्थी पांचवी कक्षा तक नहीं पहुंच सके और जब तक कोई बालक कक्षा पांच तक नहीं पहुंचता है तब तक वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसे कामचलाऊ ज्ञान है अथवा उसने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर ली है। यह भारी क्षति ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देती है और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में ज्यादा होती है। इसके ऐसा होने के कारण हमें आर्थिक तथा सामाजिक असमर्थता को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने पड़ेंगे जो प्राथमिक शिक्षा को रोकने का कारण बनी हुई है। शिक्षा को निःशुल्क करने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें उन बच्चों को किताबें व अन्य लेखन सामग्री दोपहर का भोजन, वर्दी आदि निःशुल्क देनी होगी तथा इसके साथ-साथ यह भी पता लगाना होगा कि उन बच्चों के मां बाप को किस प्रकार से उस आमदनी की क्षतिपूर्ति की जा सकती है जिसे वे बच्चे स्कूल में जाकर कमाते हैं। हमें शिक्षा को रोजगारोन्मुखी तथा वास्तविक बनाना होगा। साथ ही हमें प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। जब अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित हो जायेंगे तो वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के ज्यादा इच्छुक होंगे। अनौपचारिक शिक्षा के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आजकल जो केन्द्र इस प्रकार की शिक्षा देते हैं वे वास्तव में सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं और वे वांछित परिणाम नहीं दे सकते हैं।

भारत राज्यों को एक संघ है और प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा तथा संस्कृति है। यदि हम उन्हें पूरी तरह प्रोत्साहन दे सकते हैं सभी राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इसके लिए यह अनिवार्य है कि शिक्षा को राज्य सूची में लाया जाये और केन्द्र को वित्तीय सहायता देने की पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी लेनी होगी। इस सम्बन्ध में राज्यों द्वारा रखे गये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है केन्द्रीय बजट तथा योजना आवंटन का 10 प्रतिशत और निवल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत केवल शिक्षा के लिए निर्धारित करना आवश्यक होगा। वित्तीय हल के मामले में राज्य संतृप्ति के बिन्दु पर पहले ही पहुंच गए हैं। अत: यह अत्यंत आवश्यक है कि पिछड़े तथा आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को केन्द्र द्वारा अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। यदि सभी राज्यों में शिक्षा का स्तर एक समान नहीं हैं तो हम अपने राष्ट्र के विकास की आशा कैसे कर सकते हैं ? अत: हमें उनकी शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने हेतु एक समान पाठ्यक्रम और समान स्तर बनाना होगा। निरक्षरता को दूर करने के लिए लोकप्रिय आन्दोलन चलाना होगा तथा किस प्रकार शिक्षा के प्रसार में लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है यह पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यवाही से भली प्रकार देखा जा सकता है। संक्षेप में, विगत चार वर्ष में पश्चिम बंगाल सरकार की उपलब्धियां इस प्रकार है : (1) शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता अशान्ति दूर करके परीक्षाओं में नकल समाप्त कर दी गई है; (2) शिक्षा के क्षेत्र में लोकतंत्रता लायी गई है; (3) शिक्षा के बजट में वृद्धि की गई है; (4) प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया है, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ-भाषा को स्थान दिया गया है, आदि। यदि अन्य राज्य भी पश्चिम बंगाल का अनुकरण कर सकें तो यह अच्छी बात होगी।

श्रीमान मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि शिक्षा के लिए आवंटन बजट तथा योजना आवंटन को 10% तक बढ़ाया जाय तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर बल दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री इ० के० इम्बीचीबाबा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[केरल और कालीकट विश्वविद्यालयों को उनके कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धन देने की आवश्यकता। (17)]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[वर्ग भावना रखने वाली तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों को और ऐसी शिक्षा को जिससे ग्रामीण लोगों के प्रति भेदभाव किया जाता है, समाप्त करने में असफलता। (18)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राष्ट्रीय एकता हेतु समूचे देश में एक-समान शिक्षा पद्धति लागू करने में असफलता। (19)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा देने की आवश्यकता। (20)]

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित भांगल भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[शिक्षा के सम्बन्ध मे राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता। (21)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता (22)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[प्राथमिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा नीति में प्राथमिकताओं की समीक्षा करने की आवश्यकता। (23)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गम मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनुशासन तथा शिक्षा-स्तर में आई गिरावट। (24)]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[शान्ति बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालयों के परिसरों को राजनीति से मुक्त रखने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की आवश्यकता। (44)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कालेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में व्यावसायिक सहायकों और उसके समकक्ष पदों को सहायक पुस्तकालाध्यक्षों के बराबर करने की आवश्यकता। (45)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[परीक्षा पद्धति में आमूल सुधार करने की आवश्यकता। (46)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने की आकश्यकता। (47)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने की आवश्यकता। (48)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"

[प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की ऊंची दर को कम करने की आवश्यकता । (49)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रबन्ध को समाप्त करने की आवश्यकता । (133)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

[राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता । (134)]

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलोर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[छात्रों को उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण शिक्षा देने की आवश्यकता । (50)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें । "

[देश में, विशेषरूप से कर्नाटक राज्य में, गैर-सरकारी मैडीकल तथा टेक्नीकल कालेजों द्वारा अनुचित प्रावेशिक शुल्क लेने की बुराई को रोकने की आवश्यकता । (51)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अधिकांश स्कूलों और कालेजों में स्वीकृत त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने की आवश्यकता । (52)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन लागू करने की आवश्यकता । (53)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को वास्तविकता बनाने की आवश्यकता । (54)]

'कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[स्कूलों और कालेजों में उपयुक्त पुस्तकालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता । (55)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[प्रौढ़ शिक्षा को सफल बनाने की आवश्यकता । (56)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[अच्छी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने की आवश्यकता । (57)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

[स्कूलों में अधिक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता । (58)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[संस्कृत को उचित स्थान देने की आवश्यकता। (59)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[एक प्रभावी शिक्षा नीति बनाने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता। (60)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता। (61)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[छात्रों को योग्यता तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता। (62)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कम लागत पर शिक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु अनुसंधान पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता। (63)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों समेत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले सहायता अनुदानों सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने की आवश्कयता। (64)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अधिक पोलिटैक्नीक खोलने तथा उन्हें रोजगारोन्मुख तथा उत्पादक बनाने की आवश्यकता। (65)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[उच्च तथा स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्णतः योग्यता के आधार पर देने की आवश्यकता। (66)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[विदेशी छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता। (67)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[छात्रों के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (68)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[नैतिक शिक्षा को शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग बनाने की आवश्यकता। (69)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[खेलों और व्यायाम शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता। (70)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[शिक्षकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने की आवश्यकता। (71)]

"कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सांस्कृतिक अकादमियों में आमूल परिवर्तन करने और उनका प्रभार योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सौंपने की आवश्यकता (72)]

"कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारतीय संस्कृति की अच्छी तथा वास्तविक छवि प्रस्तुत करने हेतु विदेशों के लिये भारतीय परम्परा तथा संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकें तैयार करने तथा प्रकाशित करने की आवश्यकता। (73)]

"कि संस्कृति विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[राष्ट्रीय संग्रहालय में अमूल्य ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित रखने की आवश्यकता। (74)]

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पुरातत्व विभाग के प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता। (75)

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[ऐतिहासिक महत्व के पुराने स्मारकों की बेहतर देखभाल करने की आवश्यकता। (76)]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बल्लालधीमी के प्राचीन स्थल की खुदाई करने की आवश्यकता। (93)]

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें."

[पश्चिम बंगाल में स्वर्ण-बिहार और नादिया में खुदाई करने की आवश्यकता। (94)]

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पश्चिम बंगाल में नादिया जिले का पुरातत्वीय सर्वेक्षण करने की आवश्यकता (95)]

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[प्राचीन स्थानों की खुदाई करने और स्मारकों के संरक्षण के लिये और अधिक धन देने आवश्यकता। (96)]

"कि पुरातत्व शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के पूर्वी सर्किल में गंगा घाटी में प्राचीन स्थानों और अवशेषों की खुदाई कार्य को तेज करने की आवश्यकता। (97)]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में प्रोफेसरों की नियुक्ति में बार-बार होने वाली घोर अनियमितताओं को रोकने की आवश्यकता। (98)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण में कदाचार को रोकने की आवश्यकता। (99)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[क्षेत्रीय कालेजों में, टेकनोलोजी जैसे विभागों पर, जहां ये पाठ्यक्रम समाप्त कर दिये गये हैं, व्यर्थ के व्यय को रोकने की आवश्यकता। (100)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यकलापों की जांच करने की आवश्यकता। (101)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निजी लोगों से किराये पर गोदाम लेने पर व्यर्थ के व्यय को रोकने की आवश्यकता। (102)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसंधान कार्य के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता। (103)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने की आवश्यकता। (104)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[अजमेर के क्षेत्रीय कालेज में प्रवेश सम्बन्धी कदाचार की जांच करने की आवश्यकता। (105)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[क्षेत्रीय कालेजों में आन्तरिक मूल्यांकन के सम्बन्ध में होने वाले कदाचार की जांच करने की आवश्यकता। (106)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में छात्र निधि के दुरुपयोग की जांच करने की आवश्यकता। (107)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अजमेर के क्षेत्रीय कालेज में छात्रों की मृत्यु की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किये जाने की आवश्यकता। (108)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् कालेज में प्रति छात्र व्यय को कम करने की आवश्यकता। (109)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा क्षेत्रीय कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता। (110)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[अध्यापन कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सरकारी अनुदेशों का पालन न किया जाना। (111)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बहुत अधिक दर पर गोदामों को किराये पर लेने पर धन का दुरुपयोग किया जाना, जबकि कागज के भण्डारण के लिए इतने अधिक गोदमों की आवश्यकता नहीं है।(112)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने की आवश्यकता। (113)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को उपहार के रूप में प्राप्त कागज की बिक्री को रोकने की आवश्यकता। (114)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की कुछ इकाइयों में धन के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता। (115)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने की धीमी प्रगति। (116)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कदाचारों को दूर करने की आवश्यकता। (117)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[शिक्षा को व्यवसाय बनाने से रोकने की आवश्यकता। (118)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[स्कूल तथा विश्वविद्यालव परीक्षाओं को अवांछनीय तरीकों से मुक्त करने की आवश्यकता। (119)

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश भर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की आवश्यकता। (120)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ने को रोकने की आवश्यकता। (121)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देश में देहाती क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन नियत करने की आवश्यकता। (122)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[देहाती क्षेत्रों में छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की आवश्यकता। (123)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को अपनी सभी पाठ्य-पुस्तकें भारत सरकार के मुद्रणालयों में मुद्रित कराने का निदेश देने की आवश्यकता। (1 4,]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[शिक्षा के लिए अनुदान और कुल बजट के बीच व्यय-अनुपात में वृद्धि करने की आवश्यकता। (125)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यकता। (126)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[इतिहास की पाठ्य-पुस्तकें लिखने में उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण की कमी। (127)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[1977 में विज्ञान के इतिहास सम्बन्धी प्रदर्शनी को रद्द किए जाने के बारे में जांच कराने की आवश्यकता। (128)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विश्वविद्यालय इंजीनियरी कालेजों में प्रति छात्र व्यय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्तर पर लाने की आवश्यकता। (129)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का अप्रभावशाली कार्यकरण। (130)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कार्यकरण की जांच कराने की आवश्यकता। (131)]

"कि शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधिकांश विभागों तथा एककों के पास कोई काम न होने के कारण सार्वजनिक धन की बरबादी। (132)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे साम्प्रदायिक संगठनों के प्रचार को रोकने में असफलता। (151)]

'कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[विश्वविद्यालयों और स्कूलों के परिसरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे साम्प्रदायिक संगठनों की कवायद को रोकने में असफलता। (152)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[पाठ्य-पुस्तकों में से साम्प्रदायिकता की पुट को समाप्त करने में असफलता। 153)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने में असफलता। (154)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करके इसे रोजगारोन्मुखी बनाने में असफलता। (155)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक प्रभाव को रोकने में असफलता। (156)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पटना नगर के शास्त्री नगर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता। (157)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पटना जिले के खगोल (दानापुर) में रेल कर्मियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता। (158)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[दानापुर केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के बीच व्याप्त मतभेद को दूर करने की आवश्यकता। (159)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[सम्पूर्ण देश के विद्यालयों के लिए समान पाठ्यक्रम चालू करने की आवश्यकता। (160)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के अध्यापकों के संगठनों द्वारा प्रेषित मांगों को स्वीकार करने की आवश्यकता। (161)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[इतिहास के पाठ्यक्रमों में धर्म निरपेक्षता की भावनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता। (162)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में व्याप्त कदाचार को दूर करने की आवश्यकता। (163)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[काशी विद्यापीठ की पुरानी परम्परा की रक्षा करने तथा उसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता। (164)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[काशी विद्यापीठ में भवनों की शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता। (165)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में कदाचार को दूर करने की आवश्यकता। (166)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में पाठन के स्तर में सुधार करने की आवश्यकता। (167)]

"कि शिक्षा विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के अधिकारियों के असहयोगपूर्ण रवैये को बदलने की आवश्यकता। (168)]

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, शिक्षा मन्त्रालय के अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं हमारे देश में उच्च शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं।

श्रीमान् दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन भारत सरकार ने इस देश में शिक्षा के युद्धोपरान्त विकास के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी जिसके चेयरमैन शिक्षा सलाहकार, श्री जॉन सर्जेन्ट थे जिन्होंने जनवरी 1944 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों की परिभाषा के बारे में रिपोर्ट में लिखा था :

"विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह होता है कि समाज का बौद्धिक स्तर उठाया जाए, जनमन को सुव्यवस्थित किया जाए, राष्ट्र की रुचि को विशुद्ध बनाया जाए, लोकप्रिय आकांक्षाओं को सच्चे सिद्धान्तों पर स्थिर किया जाए, युग के विचारों का क्षेत्र विस्तृत और उनमें संयमित किया जाए, राजनीतिक सत्ता के उपभोग को सुविधाजनक और निजी जीवन में परस्पर संसर्ग को परिष्कृत बनाया जाए।"

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

श्रीमान्, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तब पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी स्वराज सरकार ने विश्वविद्यालय-शिक्षा के सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त किया था जिसके चेयरमैन डा० एस० राधाकृष्णन थे। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के 9 और शिक्षाविद थे, उनमें से 3 विदेश के भी थे।

इस आयोग के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित भी शामिल थे :

"भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की वर्तमान

तथा भावी अपेक्षाओं के अनुकूल सुधार और विस्तार के सझाव देना।"

इस आयोग की रिपोर्ट तथा सिफारिशें अगस्त, 1949 में प्रस्तुत की गई थीं। ये तीन खंडों में उपलब्ध हैं। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरे विचार में इस आयोग की सिफारिशें इस समय के बजाय आज अधिक संगत हैं।

इस आयोग की सिफारिशों का सारांश प्रस्तुत करना या उनका सार देना व्यर्थ का प्रयास होगा। लेकिन फिर भी आपकी अनुमति से मैं इस सभा की जानकारी के लिए उसकी दो-तीन सिफारिशें पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण और संगत हैं। मैं उद्धृत करता हूं :

1. "जो अध्यापक अपने विषय में निपुण नहीं है, जो अपने विषय में होने वाली नवीनतम उपब्धियों से भिज्ञ नहीं है और जो स्वतन्त्र और स्वच्छन्द मस्तिष्क से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है वह उस प्रेम और सच्चाई से युवकों का प्रेरणास्रोत नहीं बन सकता जो सम्पूर्ण उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।"

2. दूसरे, हम वास्तविक स्वतन्त्रता को तब तक सुरक्षित नहीं रख सकते जब तक हम लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के मूल्यों को सुरक्षित न रखें। इसी आदर्श की प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए बेशक हम अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए बहुत लम्बी चौड़ी योजनाएं न बनाएं क्योंकि हमें निकट भविष्य में अपेक्षित लक्ष्य को पूरा करना है।

3. अन्त में, कांट ने कहा था, "आदर्श-राज्य की कल्पना करना मधुर स्वप्न की भांति है लेकिन नागरिकों तथा राजनीतिज्ञों का यह कर्तव्य है कि वे आदर्श-राज्य की स्थापना के लिए निरंतर अनथक प्रयास करें। विश्वविद्यालयों को इन्हीं आदर्शों की प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि जब तक मनुष्य विवेक और नेकी की राह पर चलने की इच्छा रखेगा तब तक ये आदर्श बने रहेंगे···यदि हमारे अन्दर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बुद्धि और योग्यता नहीं होगी, तो विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम इन्हें ग्रहण करेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें और उसके महत्व को समझें, हमारे अंदर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा तथा उत्साह हो और हम इस प्राचीन लेकिन नये जनगण को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूरे दिल से बचनबद्ध हों।"

श्रीमान, इस आयोग के सक्षम बहुत से विद्वानों ने अपनी राय प्रकट की और उन सभी की राय यह थी कि जहां तक उच्च शिक्षा और विशेषकर विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है, यह मामला संघ सरकार के अधीन होना चाहिए।

इन साक्षियों के सुझावों से सहमत होकर आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा। मैं उद्धृत करता हूं :

"कार्य कुशलता के न्यूनतम स्तर की राष्ट्रीय गारन्टी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस बात को पृष्ठांकित किया कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा को केवल राज्यों का विषय नहीं बनाये रखना चाहिए।"

श्रीमान्, इस आयोग की रिपोर्ट तथा उसकी सिफारिशों के प्रकाशन के बाद पिछले तीस वर्षों में हुए परिणामों को देखते हुए, कुछ ऐसे कारणों से जिन्हें यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, कहा जा सकता है कि इस आयोग की सिफारिशों को उठाकर रख दिया गया और 'कुछ शक्तियां' किसी प्रकार नये विश्वविद्यालय तथा कालेज स्थापित करने में सफल हो गईं। जो मुख्यत: संकीर्ण तथा साम्प्रदायिक विचारों पर आधारित थे। यहां तक कि इन विचारों में शिक्षा के पुराने संस्थानों को भी काफी दूषित कर दिया। मैंने एक प्रसिद्ध पुस्तक "इण्डिया, दी मोस्ट डेन्जर डिकेड्स" पढ़ी थी जो एक विख्यात लेखक व पत्रकार सालिग हैरिसन ने लिखी है। इसमें लेखक ने हमारे विशाल देश के प्रत्येक राज्य और बाहर की भी स्थिति का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि हमारे देश को वास्तव में दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बाहरी आक्रमण का खतरा और दूसरा है आंतरिक मतभेदों से खतरा, आंतरिक मतभेद जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद और प्रांतीयता आदि से है। जैसे-जैसे समय बीता है ये शक्तियां अधिकाधिक घिनौना रूप धारण करती जा रही हैं। मेरा विनम्र मत यह है कि मोटे तौर पर यही शक्तियां कई नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थीं स्पष्टत: यह सभी के लिए खतरे का एक संकेत था। श्रीमान्, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि ऐसी विघटनकारी शक्तियों के समर्थक लोगों के सहारे पनपकर और शिक्षा पाकर ये संस्थाएं आवश्यक रूप से ऐसे स्थान बन जाएंगी जहां से ऐसे तथाकथित शिक्षित व्यक्ति निकलेंगे जो हमेशा राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हितों की बजाय ऐसे ही साम्प्रदायिक हितों के बारे में सोचेंगे और काम करेंगे।

श्रीमान्, विश्वविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं की संख्या, उनमें कुल विद्यार्थियों की संख्या और इन विश्वविद्यालयों के अलग-अलग विभागों में अध्ययनरत लोगों की संख्या इस प्रकार है :

(एक) विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं की संख्या 1980-81 में···112 जमा 11 = 123।

(दो) नामांकन की कुल संख्या—27,52,437

(तीन) विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में सीधे नामांकित किये गए लोगों की संख्या—3,17,132।

ये आंकड़े 1980-81 के हैं। प्रसंगवश मैं कहना चाहता हूं कि मैं शिक्षा शास्त्री भी नहीं हूं, प्रोफेसर की तो बात ही अलग है; मैं अध्यापक भी नहीं रहा हूं, मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि मैं एक विद्यार्थी रहा हूं, विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी बना रहूंगा और मैं समझता हूं कि विद्यार्थी रहते ही मर जाऊंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है ये आंकड़े वर्ष 1980-81 से सम्बद्ध हैं। यहां कई प्रश्न उठते हैं। क्या इन विश्वविद्यालयों में पर्याप्त उपकरण तथा अध्यापक हैं और इनका प्रबन्ध कुशलमय रहा है। जो विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या वे गुणावगुण के आधार पर इसके योग्य हैं ? जहां तक पहले दो प्रश्नों का सम्बन्ध है जो कुछ मैंने कहा है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से उनका उत्तर दे दिया है। तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में अधिक

अच्छा यह होगा कि मैं प्रमुख विचारक बर्टेड रसेल की पुस्तक 'आन एजुकेशन' में से यह उद्धरण देना चाहता हूं :

"अत: विश्वविद्यालय की शिक्षा को विशेष योग्यता वाले लोगों का विशेषाधिकार माना जाना चाहिए। और जो लोग निपुण हैं परन्तु जिनके पास धन नहीं है उन्हें इन पाठ्यक्रमों के दौरान सरकारी खर्च पर विश्वविद्यालयों में रखा जाना चहिए। जब तक कोई व्यक्ति योग्यता की परीक्षा पास न करले तब तक उसे प्रवेश नहीं मिलना चाहिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां नहीं रहने देना चाहिए जो अधिकारियों की इस बारे में तसल्ली नहीं करा सकता कि वह समय का उपयोग ठीक ढंग से कर रहा है। विश्वविद्यालय आराम करने की जगह है जहां धनी युवा व्यक्ति 2-3 अथवा 4 वर्ष तक अवारागर्दी कर सकते हैं, यह धारणा अब समाप्त होती जा रही है परन्तु चार्ल्स दो की तरह आज के युग के साथ इसकी बिलकुल पटरी नहीं बैठती।"

अब इस स्थिति पर एक और दृष्टि से विचार करें अर्थात् देश में उच्च शिक्षा प्राप्त बेकार लोगों के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं उनकी दृष्टि से देखें। रोजगार दफ्तर से आंकड़े देश भर से प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार रोजगार दफ्तरों में नौकरी की प्रतीक्षा में नाम लिखाने वाले स्नातकों की, जिनमें स्नातकोत्तर व्यक्ति शामिल हैं, संख्या इस प्रकार थी :

1978	13,18,775
1979	14, 8,515
1980	15,21,065

अत: इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक लाख की वृद्धि हो रही है। अर्थात् इस वर्ष एक लाख उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार लोगों के समूह में आ जाते हैं। यह बात स्वाभाविक और तर्कसंगत है कि जैसे-जैसे समय बीतेगा और कालेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे यह संख्या भी बढ़ती जाएगी और कुछ ही वर्षों में यह समस्या हाथ से बाहर हो जाएगी।

कुछ ठोस सुझाव देने की न तो मुझमें शक्ति है और न मेरे पास समय है क्योंकि आप मुझे केवल कुछ ही मिनट और बोलने देंगे। परन्तु कृपया मुझे इस बात की आज्ञा दें कि मैं कुछ प्रमुख लेखकों और विचारकों के, जिन्होंने इस सारे प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है, दो उद्धरण पढ़कर सुनाऊं। पहला उद्धरण श्री एल० के० झा का है जिन्होंने 15 मई, 1981 के 'ईस्टर्न इकानामिस्ट' पत्र में इस प्रकार लिखा था :

"जो लक्ष्य मेरी निगाह में है वह यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें केवल वही व्यक्ति विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भाग ले जिन्हें इन विषयों में रुचि है जिनका अध्ययन वे कर रहे हैं और जिनका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि वे कोई डिग्री पाकर तकनीकी दृष्टि से कोई पद पाने के योग्य बन जाएं—दूसरे शब्दों में, विश्वविद्यालय परिसर मे भीड़-भाड़ और नैराश्य को, जिससे कि देश में कुलपति का कार्य अति कठिन हो गया है, कम करने का प्रयास होना चाहिए।"

एक दूसरा उद्धरण है। यह श्री जे० डी० सेठी, अर्थशास्त्री—मेरे दोस्त श्री पी० सी० सेठी नहीं—का है। उनका कहना है कि :

"यदि देश की राजनीतिक प्रणाली उस शिक्षा में 13 प्रतिशत की दर से और राष्ट्रीय आय में 3.5% की दर से वृद्धि की मांग करती है तो इन दोनों को पूरा करने में इनके बीच कौन सी कड़ी है ? एक पिछड़े देश में, शिक्षा में उस देश की आय की वृद्धि से अधिक विकास नहीं हो सकता, अन्यथा, इससे न केवल बेरोजगारी बढ़ेगी, अपितु सामाजिक अराजकता और सामाजिक हिंसा जैसी समस्यायें पैदा हो जायेंगी। शिक्षित बेरोजगार लोगों में निरंतर वृद्धि होगी। जिससे न केवल एक बल्कि कई प्रकार के नकसलवादी बनेंगे अथवा साम्यवादी अथवा वामपंथी अथवा अन्य प्रकार के हिंसात्मक तत्व बनेंगे।"

जैसा कि हम सब जानते हैं। शिक्षा को आपातकाल में, 1976 से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। जनता शासन ने भी इस विषय को राज्य सूची में वापिस लाना उचित नहीं समझा। किन्तु स्थिति अब भी वही चल रही है—"सबके लिए स्वतन्त्रता है।"

मैं अपने शिक्षा मन्त्री को सम्पूर्ण सम्मान देते हुए, मैं यह सुझाव दूंगा कि अब रोकने का समय आ गया है। जैसा कि मैंने इस सदन को बताया है, 1949 में राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को संघ सरकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। श्री एस० सी० छांगला सहित बहुत से प्रमुख शिक्षाविदों, अधिकारियों तथा विचारकों ने इस विचार का समर्थन भी किया था।

किन्तु शिक्षा किसके लिए है ? हमारे देश में अनेकों विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है ? मैं यह महसूस करता हूं जैसे कि विश्वविद्यालय हैं जिनमें कि हमारे छात्र-छात्राएं पढ़ती हैं। अब हिसाब से हमारा देश अच्छा अथवा बुरा हो सकता है, राष्ट्र अच्छा व बुरा हो सकता है। क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों का न तो कोई लक्ष्य है और न ही कोई दिशा जिसे कि वे प्राप्त कर सकें। अतः हम देखते हैं कि उनसे निकलने वाले छात्र-छात्रायें आमतौर पर जड़-विहीन, बिना किसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अथवा सिद्धान्तों के होते हैं और इसलिए आने वाले समय में उनके हवा के झोंके के साथ बह जाने की सम्भावना रहती है। यहां पर मुझे टी० एस० इलिएट की निम्नलिखित लाइनें याद आ रही हैं :

"ज्ञान में गंवाया हमारा विवेक कहां है ? सूचना में खोया हुआ हमारा ज्ञान कहां है ! बीस शताब्दियों के इस काल चक्र ने हमें परमात्मा से दूर और नर्क के करीब ला दिया है।"

मैं सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता, राजाराम मोहन राय, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के अधीन एक गुलाम देश में पैदा हुए, बड़े हुए और मर गये किन्तु तब भी उन्होंने एक ही विश्व का सपना देखा और उसके लिए कार्य किया। वास्तव में वे स्वयं को विश्व का नागरिक मानते थे। उनके प्रमुख अनुयायी, कवि टैगोर के भी यही विचार थे। हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राजनेताओं में संत और संतों में राजनेता माना गया है। उनके सुविख्यात राजनीतिक उत्तराधिकारी पंडित नेहरू को भी एक महान आदर्शवादी और मार-

तीय राजनीति का 'हैमलैट' माना गया है। अपनी स्थिति के हिसाब से इन दोनों प्रमुख व्यक्तियों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए कार्य किया। और स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान भी उन्होंने यह दिखाया कि उन्हें मानव भ्रातृभाव राष्ट्रों की एकता और एक विश्व में विश्वास था। वे उन प्रमुख विज्ञानिकों की तरह थे जो छोटी-सी प्रयोगशाला में कार्य करके महत्वपूर्ण सिद्धान्त, और आधारभूत सत्यों का पता लगाते थे जो कि सम्पूर्ण मानव के लिए एक मूल्यवान सम्पत्ति बने।

भारत माता के इन महान सपूतों के उत्तराधिकारियों, कुछ सर्वोच्च व्यक्तियों, और आने वाली अजन्मी पीढ़ियों से हम यह आशा करेंगे कि वे उनके कदमों पर ही चलें। समय के साथ-साथ और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ समय और दूरी की धारणा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है और विश्व दिन-प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति में, हमारे विश्वविद्यालयों का क्या मिशन और उद्देश्य होना चाहिए और उन्हें कौन और किस प्रकार मोड़ेगा तथा ठोस आकार देगा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शासन की बागडोर एक ऐसी नेता के पास है जो कि हमारे देश के थोड़े समय पहले के गौरवपूर्ण भूतकाल तथा वर्तमान और भविष्य को मिला रही हैं। वह दृढ़ निश्चय, विवेक और दूरदर्शिता में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। जहां तक उनकी लोकप्रियता का सम्बन्ध है, वह जाति-पांति, क्षेत्र और धर्म की सीमा भी लांघकर दूर-दराज तक फैल गई है। क्या हम आशा करें कि वह··· (**व्यवधान**)

श्री कृष्णचन्द्र हल्दर (गोरखपुर) : इसे विश्वविद्यालयों और स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर बोल रहा हूं और क्योंकि मैं काफी समय ले चूका हूं इसलिए मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर न दिलायें।

मैं आपको बता रहा था कि प्रश्नों का प्रश्न यह है कि क्या वह विश्वविद्यालयों को सुधारने में हाथ बटायेंगी और उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान करेंगी ताकि वे न केवल भारत माता बल्कि सम्पूर्ण विश्व की सेवा के लिए नेता और निष्ठावान व्यक्ति देने में समर्थ हों।

"सा विद्या या मुक्तये"

सच्ची जानकारी वही है जो हमें स्वतन्त्र करे और सभी प्रकार के संकोचों, साम्प्रदायिकता और संकीर्णताओं से स्वतंत्र करे। धन्यवाद।

सभापति : श्री बी० डी० सिंह : श्री सिंह आपके दल से तीन नाम हैं और आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। आप दस-दस मिनट बांट सकते हैं। आपके दल ने मुझे केवल तीन नाम दिए हैं। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को, जिसके अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोगों को यह अवसर मिला कि शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर यहां विचार कर सकें। क्योंकि 1978 के बाद यह पहला मौका है, जबकि हम लोग शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

मान्यवर, शिक्षा किसी भी देश की तरक्की के लिए नितान्त आवश्यक है और जब शिक्षा के द्वारा मनुष्य का विकास होता है, तो राष्ट्र का भी विकास होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा को जो महत्व दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। अभी प्रथम वक्ता हमारे साथी ने विकासशील तमाम देशों के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने यह बताया कि विकासशील देश शिक्षा पर कितना व्यय कर रहे हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो यह विदित होता है कि शिक्षा पर हमने समुचित ध्यान नहीं दिया और उसके लिए जो आवश्यक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए थी, वह भी आवंटित नहीं की गई है। हम प्रथम पंचवर्षीय योजना से देखें, तो हम देखते हैं कि शिक्षा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में मात्र 7.2 प्रतिशत व्यय रखा गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 6.2 प्रतिशत, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 7.5 प्रतिशत, चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.2 प्रतिशत और पांचवी पंचवर्षीय योजना में 3.3 प्रतिशत तथा छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 2 प्रतिशत का व्यय रखा है। इस तरह से हम देखते हैं कि समुचित धनराशि की व्यवस्था शिक्षा के जगत में नहीं की गई है।

मान्यवर, जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब तक उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी और उसके विकास के लिए कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक आगे की शिक्षा ठीक तरह से नहीं चल सकती है। हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की आज जो दुर्व्यवस्था है, उससे अधिकतर गांव के विद्यार्थी ही ज्यादा प्रभावित हैं। जहां पर हमें शिक्षा के विस्तार की बात करनी चाहिये थी, वह बात नहीं हुई। जबकि संविधान की धारा 45 के निदेशक सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त यह है—

"राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।"

लेकिन उस दिशा में कोई सम्यक प्रयास नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि जो लक्ष्य 1960 के लिए निर्धारित किया गया था, उसको पुनः 1970 तक बढ़ाना पड़ा, उसके बाद उसको 1976 तक बढ़ाया गया, फिर 1988 तक और अब हमने लक्ष्य की तिथि 1990 तक तय की है। लेकिन 1990 तक हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लेंगे, मुझे इसमें थोड़ा सन्देह है। आप देखिये — छठी पंचवर्षीय योजना के दो साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रयास नजर नहीं आता जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। मैं गांव के क्षेत्र से आता हूं जिसका मुझे थोड़ा ज्ञान है। मुझे ऐसा कोई भी कन्सर्टेड-एफर्ट या प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है जिससे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई थी—वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में 55 प्रतिशत थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 31.8 प्रतिशत रह गई, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 36.1 प्रतिशत रखी गई, लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में घटाकर 28.6 प्रतिशत कर दी गई, पांचवी पंचवर्षीय योजना में 31.9 प्रतिशत तथा अब छठी पंचवर्षीय योजना में हमने 35.9 प्रतिशत धनराशि निर्धारित की है।

मान्यवर, जबकि पिछले दो दशकों में जनसंख्या 25 प्रतिशत की दर से बढ़ती जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में 1971 में शिक्षितों की संख्या 29.45 प्रतिशत थी, जो 1981 में केवल 36.17 प्रतिशत हुई अर्थात केवल 6.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये उस समय की बातें हैं जबकि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में यह कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, परन्तु उस विशेष ध्यान दिये जाने के फलस्वरूप यह परिणाम निकला।

मान्यवर, आज जो स्थिति प्राइमरी एजूकेशन की गांवों में है, यदि यही दशा बनी रही तो आगे एजूकेशन का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा लगता है कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं चाहती है। मुझे आज स्वर्गीय प्रकाशवीर जी शास्त्री के वे शब्द स्मरण आ रहे हैं, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, परन्तु उन्होंने उस समय राज्य सभा में कहा था कि इस देश में 952 परिवार ऐसे हैं जो इस सारे देश के प्रशासन को चला रहे हैं उन्हीं परिवारों के लोग आई० ए० एस० बन रहे हैं, आई० पी० एस० बन रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाने की बात है—1978 में चौथा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आई है, उसमें हम पाते हैं कि 7 लाख 75 हजार बस्तियां ऐसी हैं जिनमें एक किलोमीटर की दूरी तक प्राइमरी पाठशाला है, 1 लाख 25 हजार बस्तियां ऐसी हैं जिनके बच्चों को पढ़ने के लिये दो किलोमीटर तक जाना पड़ता है। 65 हजार ऐसी हैं जिनमें दो किलोमीटर से अधिक दूरी तक छोटे-छोटे बच्चों को जाना पड़ता है। मिडिल स्तर पर 6 लाख 45 हजार बस्तियां ऐसी हैं जिनके विद्यार्थियों को 3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। 1 लाख 80 हजार ऐसी हैं जिनमें 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। और 1 लाख 40 हजार बस्तियां ऐसी हैं, जहां पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी को तय करना पड़ता है और इतना ही नहीं, देश में 37 प्रतिशत ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें केवल एक ही अध्यापक है। एक ही अध्यापक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा दे रहा है। यह वर्तमान स्थिति है। 36 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिनमें फर्नीचर नहीं है, ब्लैक-बोर्ड नहीं है।

हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 16 हजार ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें भवन ही नहीं है और ऐसे विद्यालय पूरे देश में लगभग 2 लाख हैं। इतने सारे प्राथमिक विद्यालय भवनरहित हैं, जहां पर भवन नाम की कोई चीज नहीं हैं और गांवों की स्थिति तो यह है कि वहां पर 90 प्रतिशत ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं, जिनमें छप्पर नहीं हैं। वहां पर बरसात में और गर्मियों में बच्चे बैठ नहीं सकते। इसके अलावा नये विद्यालय भवन बनाने की कोई योजना भी हमें दिखाई नहीं देती है। इलाहाबाद जिले में 350 विद्यालय भवनरहित हैं।

इसके अलावा ड्राप-आउट्स की भी समस्या है। कहा यह जाता है कि जिस समय प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहां स्थिति यह है कि सन् 1972-73 में 83.3 प्रतिशत विद्यार्थी एडमिट किये गये, 1973-74 में 80.3, 1974-75 में 84.8, 1975-76 में 83.8 और 1976-77 में 82.5। यह करीब-करीब उतनी ही संख्या है जबकि जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। इस तरह से आप देखें कि एनरोलमेंट की संख्या इन तमाम वर्षों में करीब-करीब एक सी रही है। प्राइमरी स्कूलों में इन वर्षों में जो ड्राप-आउट्स हैं, वे हैं, 64.9, 64.4,

63.2, 62.8 और 63.1 प्रतिशत । ये घटे नहीं हैं । मिडल स्कूल में जहां पर एडमीशन में, एनरोलमेंट में कोई वृद्धि नहीं है और वह इन वर्षों में 34.4, 33.2, 35 8, 36.7 और 36.२ प्रतिशत है, वहां ड्रापआउट्स 79.0, 79.2, 78.7, 77.6 और 77.। प्रतिशत हैं । जब प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और ड्रापआउट्स कम नहीं होते, तो ऊपर की शिक्षा कैसे होगी । यह तो वही बात होगी, मूल काट फिर पल्लव सींच । इसलिए प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों को वहां भेजने की आवश्यकता है क्योंकि वहां पर शिक्षकों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन ठीक से नहीं होता है । इस बात की व्यवस्था आपको करनी चाहिए कि वहां पर अच्छे प्रशिक्षित शिक्षक जाएं ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि 1978 में राज्य के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था लेकिन उसके बाद फिर जून 198। में यह हुआ । कम से कम साल में एक बार सम्मेलन हो । इस बात की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए कि जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छा वेतन मिले और वे अपने गांव के स्कूलों से दूर रहें । इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । जो ड्रापआउट्स हैं, इसके दो कारण हैं, एक तो यह है कि उनके लिए विद्यालय दूर हैं और वहां पर विद्यार्थी जा नहीं पाते हैं और दूसरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है । 50 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे के हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ।

मैंने मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर देखा है कि वहां पर विद्यार्थी पढ़ते समय कुछ उत्पादन का काम कर लेते हैं, टाट पट्टी या लकड़ी का सामान वे बनाते हैं । मैं चाहता हूं कि इसका विस्तार होना चाहिए और इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि वे अपनी शिक्षा लेते समय कुछ उत्पादन का काम कर सकें । अनुसन्धान और प्रशिक्षण को ठीक तरह से चलाने में सहायक होने के लिए 196। में नसर्ट की स्थापना हुई थी । जिन रोगों का इलाज करने के लिए इसका निर्माण किया गया था उसका शिकार यह स्वयं बन गई है । खुद वह आज भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गई है । खुद कई बार शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा सचिव ने भी स्वीकार किया है कि इसके कार्यकलापों की जांच होनी चाहिए लेकिन अभी तक यह नहीं हुई है । मैं मांग करता हूं कि इसकी कारगुजारियों की अविलम्ब जांच करवाई जानी चाहिए । मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । आपकी रिपोर्ट को पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । इसके पृष्ठ 10 पर लिखा हुआ है···

"दा प्राइमरी टीचर/प्राइमरी शिक्षक, दा इन्डियन एजूकेशनल रीव्यू, दा जर्नल ऑन इन्डियन एजूकेशन एण्ड स्कूल साईंस, निरन्तर गुणवत्ता सुधार के साथ प्रकाशित होते रहे ।"

यहां पर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है लेकिन जो जनरल प्रकाशित किए जा रहे हैं, उनकी हाल को आप देखें । कई जनरल ऐसे हैं जो 1980 के बाद निकले ही नहीं हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात तो दूर रही । आप देखें कि स्कूल साइंस दिसम्बर 1980 के बाद निकला ही नहीं है । जनरल आफ इंडियन एजूकेशन जनवरी 198। के बाद निकला ही नहीं । प्राइमरी टीचर जुलाई 1980 के बाद कोई निकला ही नही । प्राइमरी शिक्षक अप्रैल 1980 के बाद कोई निकला ही नही है । इस तरह की इन जरनल्ज की हालत है । इस रिपोर्ट

के हिसाब से भी मैं चाहता हूं कि नसर्ट की कार्य प्रणाली को, उसके कार्यकलापों की जांच कराई जाए। उसके बारे में बड़ी शिकायतें आ रही हैं।

अब सिमला इंस्टीट्यूट की बात मैं करना चाहता हूं। यह इंस्टीट्यूट ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसिस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डा० राधाकृष्णन जैसे नेताओं का इस पर वरद् हस्त रहा है। 1980 में कृष्णा कृपलानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने इसकी वर्किंग की जांच की थी। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस इंस्टीट्यूट को कायम रखना चाहिये। लेकिन अब ऐसी सूचना मिली है कि कुछ आई० ए० एस० अधिकारियों की राय पर इसको पांच सतारा होटल में बदलने की बात चल रही है। पांच सतारा होटल वाली संस्कृति हमें कहां ले जाएगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। साथ ही जो खामियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं शिक्षा मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत की गई अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हम इस समय बड़ी अजीब परिस्थिति में हैं। जबकि हमारे पास काफी सुन्दरता से मुद्रित रिपोर्ट है, तो हमारे यहां अशांत विश्वविद्यालय भी हैं जहां हिंसा, उपद्रव और पाठ्यक्रमों तथा खेल-कूद जैसे अन्य कार्यकलापों में अनिच्छा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय बल्कि राज्य विश्वविद्यालय में भी यह दुखद बात देखने में आती है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण नार्थ ईस्टन हिल यूनोवर्सटी, शिलांग के कुलपति की पिछले वर्ष अक्टूबर में गोली मारकर हत्या कर दिया जाना है। इससे हमें यह सोचना पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। यद्यपि इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि स्थिति में सुधार आ जायेगा क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया है जो इस समस्या पर विचार करेगी तथा प्रशंसनीय लक्ष्य रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं :

समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं जो उनके अधिनियमों में निर्धारित किए गए थे;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन का आम स्तर, परिसरों में उपद्रवों के कारण और उनके लिए सुधारात्मक कार्यवाही;

(ग) छात्रों, अध्यापकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रर्याप्त तंत्र और इन विश्वविद्यालयों में निगमित जीवन सुदृढ़ करने के उपाय;

(घ) राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाने की वांछनीयता जिसमें उनके द्वारा विश्वविद्यालयों के कार्यों में शामिल होने की सीमायें निर्धारित की जायें; और

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुशल ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक सुधार के उपाय।

ऐसे कदम के प्रति मेरा पहला आरोप यह है कि समिति को केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है चाहे वे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हों अथवा राजकीय विश्वविद्यालय। समिति के कार्यक्षेत्र और अध्यक्ष को केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तक ही सीमित करने का अर्थ समस्या को केवल कम करना है जैसे कि शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र पर आपका कोई नियन्त्रण ही नहीं हो।

मैं अपने दोस्त श्री मिश्र जी द्वारा प्रकट किए गए विचारों को ठीक करना चाहूंगा कि जबकि शिक्षा को संविधानिक संशोधन द्वारा समवर्ती विषय कांग्रेस शासन में बनाया गया था जनता शासन ने भी तो इसे स्वीकार किया था। जनता पार्टी ने शिक्षा को समवर्ती सूची से राज्य सूची में वापिस लाने के सारे प्रयास किये थे। इसके बारे में इस सदन में एक संकल्प भी पारित किया गया था किन्तु हमारा यह सौभाग्य था कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के दोनों वर्गों के एकमत और सगठित कार्यवाही से राज्य में यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और शिक्षा आज भी संविधान का समवर्ती विषय है। इस कदम ने स्थिति को बचा लिया। अतः जब शिक्षा एक समवर्ती विषय है, और जब देश के सभी विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग में नियंत्रण में हैं, जबकि जुलाई 1908 में इस सदन द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति संकल्प स्वीकार किया गया था और उसके माध्यम से शिक्षा के सभी कार्यकलाप चलाए जाते हैं, मैं यह समझ सकने में असमर्थ हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में यह भेदभाव क्यों किया गया है।

जहां तक विश्वविद्यालयों में कार्य करने और उनमें शामिल होने के बारे राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने का प्रश्न है, मैं यह सुझाव दूंगा कि जो विशेषज्ञ इस कदम पर विचार करें वे यह भी ध्यान में रखें कि आज के छात्र और आज के अध्यापक विक्टोरिया काल के देवता सांसद नहीं हो सकते जैसा कि उस समय के लोग उनको देखना चाहते थे। हमारे विशेषज्ञ विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए विचारों पर विश्वास करके गुजरे हुए जमाने की रिपोर्टों का उद्धरण देने के इच्छुक रहते हैं।

आज का एक छात्र जीवित वास्तविकता है, वह समस्याओं से घिरा हुआ है। आज का अध्यापक एक राजनैतिक सत्ता है। वह आज की राजनीति में सक्रिय भाग लेता है, चाहे वह किसी दल से सम्बद्ध हो अथवा नहा। वह राजनैतिक दलों की गतिविधियों से प्रभावित है और इसलिए छात्र यूनियनों, शिक्षक यूनियनों से किसी भी जोरदार आवाज पर रोक लगाना बुद्धिमानी होगी, क्योंकि आप राजनैतिक दलों के लिए इन दलों के सदस्यों के लिए कोई आचरण संहिता नहीं बना सकते। जब उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अनुशासनपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे, तो इस परामर्श का उन पर कोई असर नहीं होगा। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि कम से कम हस्तक्षेप किया जाए तथा राष्ट्र के राष्ट्रीय कार्यों में छात्रों के सहयोग तथा अध्यापकों के सहयोग के लिए काफी गुंजाइश रखी जाए। एक तरफ हम सभी प्रकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जनसंख्या शिक्षा, नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन, प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा अथवा सामाजिक सेवा आदि

के लिए बुद्धिजीवी समुदाय का सहयोग चाहते हैं, छात्र समुदाय का सहयोग चाहते हैं, और दूसरी ओर हमने उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने अथवा उनके क्षेत्र को सीमित करने की कोशिश करें। यह बड़ा अनुचित होगा।

मैं एक और बात पर भी बल देना चाहूंगा। विश्वविद्यालय शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारी शिक्षा प्रणाली एक ऐसे सूची स्तम्भ (पिरामिड) जैसी है जिसका आधार तो छोटा-सा और सिकुड़ा हुआ है लेकिन ऊपरी हिस्सा भारी है और जिसके गिरने तथा राष्ट्र को अपनी तले कुचलने की आशंका है। जब तक हम इसके आधार को मजबूत बनाने की ओर तत्काल ध्यान नहीं देते, तब तक हम एक अन्धेरी गली में भटकते रहेंगे। यह सुझाव दिया गया है, और रिपोर्ट में भी बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा बजट का 3 6 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा अव्यवस्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। एक प्राथमिक शिक्षा आयोग क्यों नहीं बनाते ? एक सेकेंडरी शिक्षा आयोग क्यों नहीं बनाते ? जब कांग्रेस दल ने 1980 में लोक सभा चुनावों के समय अपने चुनाव घोषणा-पत्र में राष्ट्र को यह वचन दिया था हम एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अथवा राष्ट्रीय अध्यापक आयोग बनाएंगे, तो स्थायी आधार पर इस प्रकार का शिक्षा आयोग बनाने में केन्द्रीय सरकार को क्या बाधा है ?

हाल ही में, पिछले वर्ष, 21 अगस्त को हुए सम्मेलन में भी यह मांग की गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान मन्त्री ने किया था और इसे भारतीय राष्ट्रीय अध्यापक संघ ने प्रायोजित किया था। एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित किया जाए जो शिक्षा के सभी क्षेत्रों में इसके सतत् कार्यकलापों की देखभाल करे, जिसमें प्राथमिक-पूर्व स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी स्तरों विधि, इंजीनियरी, कृषि आदि को इसकी परिधि में लाया जाए। यह नहीं किया गया है। देश के सभी भागों से प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि प्राथमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की माग कर रहे हैं तथा सेकेंडरी अध्यापक एक सेकेंडरी शिक्षा आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं तो हम मात्र विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमें आधार को देखना होगा। अत: मैं इस आयोग के इन दो स्कन्धों—प्राथमिक शिक्षा आयोग तथा सेकेंडरी शिक्षा आयोग—की स्थापना की मांग करता हूं जो अपने समूचे रूप में एक बड़े आयोग में मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहलाएंगे।

मैं अध्यापकों से भी अनुरोध करूंगा कि वे शिक्षा को केवल शिक्षाविदों तक ही सीमित न रखें। इसे एक ऐसी संस्थान न बनाया जाए जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ही न कर सकता हो, और जिसमें केवल वही व्यक्ति ऊपर नीचे, दाएं-बाएं नजर आएं जो बाहर की वास्तविकता से पूर्णत: अनभिज्ञ हों, किसी भी अन्य व्यक्ति को अन्दर न आने देते हों। उसमें ताजी वायु के प्रवेश की गुंजाइश होनी चाहिए। इस प्रकार के आयोग में सार्वजनिक जीवन से, न्यायपालिका से, मजदूरों से तथा छात्रों से प्रतिनिधियों के रूप में सदस्य नियुक्त किए जाएं। भारत में शिक्षा नीति के निर्धारण में छात्रों का सहयोग लेने में कोई हानि नहीं है क्योंकि वे भारत के भविष्य निर्माता हैं और अन्तत: उनका ही निर्णय अन्तिम होगा। जब हम चले जाएंगे तो वे कार्य भार संभालेंगे। अत: उन्हें दूर रखना अनुचित होगा। इसके लिए एक ऐसी नीति भी नहीं होनी चाहिए जो शिक्षा

शास्त्रियों को अलग रखे । मुझे आशंका है, एक दिन आपको शास्त्री भवन में शायद ही कोई शिक्षा शास्त्री मिले, और सभी पदों पर पत्रकार ही हों । यह एक चरम स्थिति है । हमें एक सन्तुलित स्थिति पर पहुँचना चाहिए । भले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य आयोगों में अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों, हमें इन एजेंसियों में शिक्षा-शास्त्रियों को भी रखना चाहिए । दोनों तरफ से, सभी तरफ से, उचित अनुपात होना चाहिए ताकि उचित ढंग से तैयार की गई नीति देश के भाग्य का मार्ग-निर्देश कर सके तथा इसे किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं न छोड़ दिया जाए चाहे वह शिक्षा शास्त्री अथवा विद्वान अथवा लोक कार्यों से सम्बन्धी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति ही क्यों न हो ।

मैं माननीय मन्त्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों का ढांचा तैयार करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए कि हम जो कुछ आज छात्रों को पढ़ा रहे हैं भविष्य में वही सामने आएगा । महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आज के छात्र के लिए भारत के स्वतन्त्रता के संघर्ष के बारे में कोई जानकारी पा सकना संभव है ? क्या यह आवश्यक है कि उसे यह मालूम होना चाहिए कि उसके जिले अथवा उसके राज्य अथवा उसके देश के स्वतन्त्रता सेनानी कौन थे, अथवा क्या यह अधिक महत्वपूर्ण है कि मार्क्स और लैनिन के सिद्धान्तों की जानकारी हो ? कौन सी बात अधिक महत्वपूर्ण है ? क्या हमारे छात्र, हमारी शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी हमारी नीति की जड़ें हमारे देश में होनी चाहिए, ताकि वे इस देश के जीवन में परिशोधन अथवा परिवर्तन कर सकें, अथवा क्या उन्हें किसी विदेशी संस्कृति, किसी ऐसी प्रणाली के रंग में रंगा जाये जिसके साथ हमारा कोई मेल न खाता हो ?

मैं किसी ऐसे अध्ययन को पूर्णत: समाप्त करने का अनुरोध नहीं करता जो किसी अन्तर-राष्ट्रीय अध्ययनों से सम्बन्धित हो । उसका स्वागत है । आप उन्हें यह शिक्षा दीजिए । आप इस शिक्षा के छात्रों को छात्रवृत्तियां दीजिए जो कि दूर-दराज के स्थानों से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं ।

जैसा कि टेगोर ने कहा है :

"ताजी हवा के लिए खिड़कियां
खुली रहने दीजिए"

लेकिन जैसा कि वे आगे कहते हैं,

'भारतीय लोग हवा के झोंकों में
हीं न बह जाएं जिससे कि
हम अपने घर में ही बेगाने हो जायें"

आज शिक्षा में जो कुछ हो रहा है वह एक प्रथम दर्जे की त्रासदी है । त्रासदी यह है कि हमारे छात्र उस समाज से ही उखड़ गए हैं जिसमें वे पैदा होते हैं, क्योंकि वे अपने प्रारम्भिक

जीवनकाल में ही हवा के झोंकों में बह जाते हैं, एक ऐसे वातावरण में आ जाते हैं जहां उनका नियंत्रण नहीं होता और स्वाभाविक है कि वे भावावेश में सांस्कृतिक, शैक्षिक रूप से उखड गए हैं और इसका परिणाम यह होता है कि बेरोजगारी, असंतोष बढ़ जाता है तथा मन ऐसी विचार-धाराओं में मस्त हो जाता है जिनका भारतीय परिवेश और भारतीय परिस्थितियों से कोई मेल नहीं बैठता ।

शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में एक सुस्पष्ट तथ्य सामने आया है कि लगभग 6 लाख प्राथमिक विद्यालयों में से लगभग 1·5 लाख विद्यालयों में केवल एक ही अध्यापक है, जो सभी पांच विषयों को पढ़ाता हो, पांचों कक्षाओं को पढ़ाता है और पूरे आठ घंटे पढ़ाता है ।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 37,000 विद्यालयों में कुल मिलाकर कोई भी अध्यापक नहीं है तथा शिक्षा मंत्रालय को कोई चिन्ता ही नहीं है ।

मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मंत्रालय के कार्यचालन को चुस्त और दुरुस्त किया जाए क्योंकि इसकी तत्काल जरूरत है, ऐसा स्पष्ट है अब मैं जो कहने जा रहा हूं उससे आपको यह मालूम हो जाएगा ।

मैंने अपने प्रश्न संख्या 6349 में यह सूचना मांगी थी कि 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार, देश के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी जिनमें एक भी अध्यापक नहीं था, तथा उन विद्यालयों की संख्या कितनी थी जिनमें केवल एक ही अध्यापक था । मैंने यह सूचना संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में मांगी थी क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों पर शिक्षा मंत्रालय का प्रत्यक्ष नियंत्रण है । यह बात रिपोर्ट में उल्लिखित है ।

उत्तर क्या मिला ? उत्तर यह है कि :

"31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है । 30-9-1978 की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण—चौथा अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण—विवरण में दिया गया है ।"

यदि हमें, यदि इस संसद को राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 1978 में आयोजित और पूरे किए गए सर्वेक्षण में अन्तर्विष्ट सूचना ही उपलब्ध कराई जानी हैं तो क्या सभा की इस चर्चा तथा मंत्रालय के प्रतिवेदन का आज की वास्तविकता से कोई मेल है ?

यदि आज 1978 के आंकड़ों पर निर्भर करना है और यदि हमारी योजना तथा सभी क्रियाकलाप उस सूचना पर आधारित हैं तो यह देश के लिए एक बहुत बुरी बात है ।

यदि 198 के आंकडे उपलब्ध नहीं है तो 1980 के आंकड़े दिए जा सकते थे । लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

मैं और भी निकट, दिल्ली की बात बताता हूं। मैंने कुछ अध्यापकों के बारे में प्रश्न पूछा था···

सभापति महोदय : श्री पराशर, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। दो अथवा तीन मिनट और हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : प्रश्न कुछेक सेवा निवृत्त अध्यापकों की स्थिति के सम्बन्ध में था। सेवा निवृत्त अध्यापक यूनियन ने संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में उन्हें पैंशन देने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था तथा उत्तर यह है :

"सूचना एकत्र की जा रही है।"

यदि संसद प्रश्न 21 दिन मंत्रालय में रहता है और यदि उत्तर यह दिया जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के सम्बन्ध में भी सूचना एकत्र नहीं की गई है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि शिक्षा मन्त्रालय में प्रशासन के कार्य संचालन को क्या हो गया है।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के साथ यह मामला उठाया गया। मेरे पास तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चन्दर द्वारा मुझे लिखा गया एक ऐसा पत्र है जिसमें यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने इस संस्थान को स्थानान्तरित करने का निश्चय किया है और यह निर्णय अन्तिम है और इसे बदला नहीं जा सकता। हमने इसका विरोध किया और आखिरकार भारत सरकार ने इसे शिमला में ही रखने का निर्णय लिया और सौभाग्य से इस संस्थान के कार्यचालन की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि यह वहीं पर बना रहेगा। वास्तव में आभास इसी प्रकार का दिया जा रहा है।

किन्तु एक पर्यटक होटल अथवा पंचतारा होटल के निर्माण को आरम्भ करने का प्रस्ताव बिल्कुल बेतुका है।

'शिक्षा' और 'संस्कृति' को भारत की समेकित निधि से वित्त घोषित करने का उद्देश्य कुछ लाभकारी कार्य करना है, इसलिए मैं यह कहूंगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर इस प्रकार का हल्का और विनोदी रवया नहीं होना चाहिए और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह विचार करने योग्य नहीं है।

अब मैं केन्द्रीय स्कूलों का उल्लेख करूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय स्कूल एक ऊंचे स्तर के संगठन के साथ ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं···

सभापति महोदय : यदि वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो आपको इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : आप मुझे तारीफ के कुछ शब्द भी कहने दें।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष चालीस स्कूल खोले जाने हैं जिनमें से 25 सैनिक क्षेत्र में और 15 सिविल क्षेत्र में हैं। यह देश के लिए अच्छा है। पांचवीं लोक सभा में मैंने यह सुझाव रखा था कि यदि रिपोर्ट के अनुसार देश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय स्कूलों की गति निर्धारक बनना है तो प्रत्येक जिला मुख्यालय मे कम से कम एक केन्द्रीय स्कूल अवश्य होना चाहिए। सैनिक क्षेत्र के अधिकांश जिले इसके अन्तर्गत आ चुके हैं। किन्तु, सिविल क्षेत्र के जिलों को लाभ नहीं पहुंचा है, सिविल क्षेत्र में भी स्कूल खोले जाने हैं। इसलिए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए कि देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक केन्द्रीय स्कूल होना चाहिए जो राज्य स्कूलों के साथ मिलकर शिक्षा प्रदान करे।

सभापति महोदय : मध्य प्रदेश में मण्डलीय मुख्यालयों तक में नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं सभी जिला मुख्यालयों/मंडलीय मुख्यालयों और सभी राज्य राजधानियों की बात कर रहा हूं।

मेरे राज्य में जहां बहुत से लोग सेना में हैं और उनके परिवार घर पर हैं, काफी मुसीबत उठानी पड़ती है क्योंकि वे अपने परिवारों को सीमा क्षेत्रों में नहीं ले जा सकते। कई बार जब उन्हें स्थानान्तरित किया जाता है वे अपने परिवारों के साथ जाते हैं और यदि सभी जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय स्कूल हों तो बच्चों की शिक्षा समस्या नहीं होगी। सैनिकों तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों दोनों को ही सहुलियत होगी।

राज्य सरकार की ओर से—मुख्य मंत्री ने लिखा है—हमीरपुर में एक केन्द्रीय स्कूल का प्रस्ताव है। यह खोला जाना चाहिए।

अन्त में, मैं शिक्षा और बेरोजगारी की बात करूंगा। प्रधान मंत्री ने वर्ष का सबसे बड़ा सबक दिया है।

श्रमेव जयते : हमें श्रम और मेहनत का सम्मान करना चाहिए। बीस सूत्री कार्यक्रम की 16वीं मद, संविधान के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल में दाखिले के पात्र प्रत्येक बालक को शिक्षा दिलाने से सम्बन्धित है। हमें शिक्षा को उत्पादकता, रोजगार के साथ जोड़ने के सभी प्रयत्न करने चाहिए और हमें इस देश में इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए जहां श्रमिकों, श्रम और मेहनत को उचित सम्मान मिले और हम यह कह सकें कि श्रमेव जयते एक सच्चा नारा है।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा से सम्बन्धित जो मांगें इस सदन में उपस्थापित की गई हैं, उनके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। 1975 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था :

"शिक्षा सारे राष्ट्र की समस्या है। एक बच्चा जो प्राथमिक शिक्षा में दाखिला लेता है उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है।"

जो बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है उसे सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता क्या है और विरासत में हमें कैसी सभ्यता और संस्कृति मिली है। उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश की सामुद्रिक सम्पदा क्या है, वैभव क्या है। लेकिन क्या आज इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है ? मैं समझती हूं इन उद्देश्यों की पूर्ति में अनेक बाधायें और अड़चनें उपस्थित हो गई हैं।

प्रो० कोठारी की बनाई हुई जो नेशनल पालिसी थी वह 1976-77 में, जब हमारी सरकार नहीं रही तब उस नेशनल पालिसी का फिर से रिवीजन हुआ। रिवीजन होने के बाद ड्राफ्ट बना लेकिन फिर भी उसी स्थिति में वह पड़ा रह गया। हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ है। 1978 में जो आंकड़े हमारे सामने आए, उसके अनुसार दुनिया में 72 करोड़ 30 लाख यदि अनपढ़ थे जो हमारे देश में 42 करोड़ 40 लाख अनपढ़ थे। हमारी सरकार इस बात को लेकर बहुत चिन्तित है और शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रयत्नशील भी है। 1977-78 में जो नामांकन हुआ, उसमें 29.7 लाख व्यक्ति कला, विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थी थे। अभी जो आंकड़े देखने को मिले हैं, उनमें 2 लाख 51 हजार 270 इन्जीनियर हैं, 2 लाख 46 हजार 730 डिप्लोमा होल्डर हैं, 1 लाख 74 हजार 320 डाक्टर्स स्नातक हैं और साइंस के स्नातक 11 लाख 82 हजार 272 हैं। 1981 में जो बेरोजगार है, 11 प्रतिशत कला, 17 प्रतिशत विज्ञान और 13 प्रतिशत वाणिज्य स्नातक बेरोजगार हैं। प्लस-2 या जो भी आप कहिए, उनकी जो शिक्षा हुई है और जो बेरोजगार हैं, उनके आंकड़ों में नहीं जाना चाहती हूं। साक्षरों की बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पर बल दिया जाए और वहीं से व्यवसायोन्मुखी बनाने की दिशा में मोड़ दी जायें, जॉब-ओरिटन्टेड बनाया जाए। शिक्षा का विस्तार इतना न किया जाये कि साधनों के अभाव में ऐसा न हो कि उसका जो रूप है, वह निस्सार हो जाए। मेरा ऐसा सुझाव है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य हो और उसके साथ-साथ उच्चतम शिक्षा, जोकि विश्वविद्यालयों की शिक्षा है, जो विशेष उद्देश्य से जाना चाहता है, उसको वहां जाने दिया जाए। विश्वविद्यालय की शिक्षा को ज्ञानोन्मुखी और उच्च माध्यमिक शिक्षा को ज्ञान के साथ-साथ व्यवसाय की भी व्यावहारिक जानकारी पर जोर देना चाहिए। यह बात सही है कि माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है, योग्यता है, वह आफिस के लिए, दफ्तरी काम के लिए ही पर्याप्त नहीं।

दूसरी बात यह है कि साधनों का अपव्यय हो रहा है। बहुत अंश तक हमारे हजारों स्नातक, जिनकी शक्ति का उपयोग ध्वंसात्मक रूप में हो रहा है, उसको रचनात्मक शक्ति के रूप में प्रयोग करने की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय सरस्वती के मंदिर अब नहीं हैं, वह एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में अराजकता है, असन्तोष है और गन्दी राजनीति ने प्रवेश कर लिया है। हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन प्रोफेसरों का भी संगठन है, उनकी यूनियन है। इस प्रकार संगठन और यूनियनबाजी वहां पर प्रधान हो गई है और वहां का शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल गौण हो गया है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे चरित्र के मूल्यों में गिरावट आई है। यह सही है कि हमें सैक्यूलर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति

के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो । आज के समय में, मुझे आप क्षमा करेंगे, यह बात सही है कि विश्व-विद्यालयों में जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वे गांजा, चरस और भांग के आदी हो गए हैं । इसके लिए कौन उत्तरदायी है, जिसकी वजह से सारा समाज ग्रसित है ।

प्रतिवर्ष यह देखा जाता है कि बड़े-बड़े वाइस-चान्सलर, शिक्षाविद और शिक्षा विशारद, जिनका सम्मेलन होता है, बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा के क्रम में सुधार की बात केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है । अभी हमको इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी हम एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रहे हैं । हमारे इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अभी भी तीन पर्चे देने बाकी हैं । कब उनका रिजल्ट निकलेगा और वे कब वोकेशनल कोर्सेज में बैठेंगे । समान अवसर की बात करते हैं, तो कितने लड़के हैं, जो उसमें नहीं बैठ सकते हैं हमारे जो सत्र चलते हैं—उन 7-8 महीनों में कोई न कोई बहाना निकाल कर छुट्टी मना लेते हैं । हमारे विश्वविद्यालय बन्द रहते हैं, समय पर परीक्षायें नहीं होती हैं ।

जहां तक +2 की बात है—यह अभी भी एक्सपेरिमेन्टल स्टेज में है । स्कूलों में हो या कालिजों में हो, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी अलग-अलग तरह की शिक्षा-प्रणाली चली हुई है । अनेक राज्यों में इन्टरमीडियेट स्तर पर विभिन्न शिक्षा परिषदों में अभी भी समन्वय नहीं है । विश्वविद्यालयों से वे अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित कर रही हैं । कई राज्य सरकारों, कई परिषद या आयोग का संगठन तो करती हैं, उनका उद्देश्य भी यही रहता है कि उच्चतर शिक्षा का विकास होना चाहिए, लेकिन कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । किसी भी ठोस नीति के अभाव में कोई भी योजना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना नहीं बन पाती है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि शिक्षा में एकरूपता होनी चाहिए । अलग-अलग प्रान्तों में शिक्षा के माध्यम भले ही अलग-अलग भाषायें हों लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए ।

सभापति महोदय, अब मैं प्राइवेट कालिजिज के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं । ऐसे अनेक महाविद्यालय आजकल व्यवसाय के रूप में चल गये हैं जिनके कारण हमारा शैक्षणिक स्तर नीचे की ओर जा रहा है । इन्जीनियरिंग कालिजिज, मैडिकल कालिजिज, पोलिटेकिनक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टीचूट्स—ये सब हमारे बड़े-बड़े वरिष्ठ लोगों के संरक्षण में खोले जाते हैं । इनमें विद्यार्थी इसलिए जाते हैं कि इनमें जाकर उनको डिग्री मिल जायेगी । इन कालेजों पर प्रतिबन्ध भी आर्डिनेन्स द्वारा लगाया जाता है, लेकिन फिर भी बड़े-बड़े लोगों के संरक्षण में चलते हैं तथा इनमें घटिया किस्म के विद्यार्थी तैयार होते हैं तथा आगे जाकर जब उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन उनके अन्दर पैदा होता है । नामांकन में विश्व के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जब वे दूसरे के समक्ष नहीं आते हैं तो उनकी भावना को ठेस लगती है और वे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं । मैंने पहले भी कहा है कि हमारे साक्षर-बेकार लोगों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है ।

अब मैं कुछ थोड़ा सा नेशनल कान्सिल आफ एजूकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के सम्बन्ध में कहना चाहती हूं । इस संस्था की किस उद्देश्य से स्थापना की गई थी ? इसका उद्देश्य था कि स्कूलों के समस्त कार्यक्रमों को लेकर चलना, उनमें कैसे सुधार हो—चाहे शैक्षिणिक हो या शोध

कार्य हो। 1961 में इस संस्था की स्थापना हुई थी लेकिन अब तक क्या काम हुआ ? इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, परन्तु जिस अनुपात में वह काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। 1978-79 में 9 करोड़ 97 लाख रुपया इसके लिए आवंटित किया गया। 1980-81 में 6 करोड़ 18 लाख रुपया आवटित किया गया। मैं इस अवसर पर सारी बातों को नहीं कहना चाहती, केवल 2 मुद्दों को आपके सामने रखना चाहती हूं। पहली तो यह कि इसकी किताबें केवल केन्द्रीय विद्यालयों तक ही सीमित रहती हैं। राज्य सरकार की स्वेच्छा है कि वे इनको मानें, या न मानें, स्वीकृति दें या न दें। जब हमारी सरकार इतनी राशि इन पुस्तकों के निर्माण पर खर्च कर रही है तो राज्य सरकारों पर भी प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाता कि वे इन किताबों को अपने सिलेबस में रखें। कुछ राज्यों में पुस्तकों को नहीं, बल्कि कुछ अध्यायों, कुछ पाठों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए परमीशन ले लेते हैं। मेरा कहना है कि जब वे किताबें अच्छी हैं तो उनके सिलेबस में उनको किताबों को शामिल किया जाय।

दूसरी बात—स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता को एक सीमा तक ध्यान में रखते हुए समान स्तर की किताबों को अपनाया जा सकता है तथा समान शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। आज कठिनाई यह है कि एन० सी० ई० आर० टी० की क्लास 11 तथा 12 की पाठ्य पुस्तकों का बहुत ज्यादा अभाव रहता है। इस कान्सिल को इन पाठ्य पुस्तकों के छपाने का दायित्व सौंपा गया है लेकिन वे अपनी इस दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं। पुस्तकों के अभाव का कारण क्या है—मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं—सत्र प्रारम्भ होने के 6-6 महीनों तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पातीं।

परिषद के अनेक कार्यकलापों में एक दायित्व यह भी है कि राष्ट्रीय प्रतिभा की खोज, उसे बढ़ावा देना तथा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित सैकड़ों स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कराना। अब उन्हें वाजिब दामों पर छात्रों को उपलब्ध कराने की बात भी शामिल है लेकिन शिक्षा और प्रतिभा के विकास विस्तार में उनका यह काम पूरा नहीं हो सका और यह संस्था अंधों की ऐसी जमात बन गई, जो आपस में ही सब कुछ बांट रही है। गांव में जो प्रतिभा है, उसको ये देख नहीं रहे हैं और शहरों में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया, वे भी ऐसे हैं जो पी० एच० डी० के स्तर तक नहीं पहुंच सके। आज लाखों विद्यार्थी जो गांवों में हैं, उनकी ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगी कि पाठ्य पुस्तक तैयार करने का भार कुछ ऐसे लोगों को दिया गया है, जिनको कोई जानकारी नहीं है। पाठ्य पुस्तक छापने का भार कुछ ऐसे लोगों को दिया गया है, जो उस विषय के ज्ञाता नहीं है और उस विषय को न जानने के कारण अच्छा प्रकाशन नहीं हो पाया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय का यह दायित्व था कि हर एक पांच वर्ष के बाद जो सैट-अप है, जो सिस्टम है, उसके कार्य-कलापों की जांच की जाती लेकिन संभवतः 12 वर्ष से इसकी जांच नहीं हो रही है और शिक्षा छकड़े किसी तरह से चली ही जा रही है। मेरा बड़े अदब के साथ यह कहना है कि जिस तरह से हम विकास की सारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिस प्रकार से हम उनका मनन और

चिन्तन कर रहे हैं, वैसा शिक्षा के बारे में नहीं हुआ है। इसको एक आवश्यक चीज हमें समझना चाहिए क्योंकि हमारा आज का नहीं बल्कि हमारा जो पौराणिक इतिहास है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हम पाते हैं कि यदि कोई एक सूत्र कहा जाता था, तो उसका बहुत गूढ़ अर्थ रहता है। हमारे यहां जैसा कहा गया है :

विद्या ददाति विनयं
विनयात् याति पात्रताम् ।।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : इसके आगे है :

पात्रत्वात् धनमाप्नोति
धनाद्धर्मं ततःसुखम् ।।

श्रीमती कृष्णा साही : ठीक है। यह भी कहा गया है :

विद्या बिना न शोभन्ते
निर्गन्धा या वा किंसुका ।।

सभापति महोदय, जब तक बच्चे ऐसी गूढ़ बातों को नहीं जानेंगे, हमारी जो संस्कृति हमको विरासत में मिली है, उसको नहीं जानेंगे और अनुशासन को ताक पर रख देंगे, तो कैसे अच्छे नागरिक बनेंगे और अगर अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, तो कैसे सभ्य समाज बनेगा और सभ्य समाज नहीं बनेगा, तो कैसे राष्ट्र का निर्माण वे करेंगे।

इसके बाद मेरा सुझाव यह है कि शिक्षा में महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी आबादी 50 प्रतिशत है लेकिन हमारी शिक्षा के ऊपर जो व्यय होता है, वह कम है और हमारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनमें अभी भी कमी है। हम समान और बराबरी की बात जरूर करते हैं लेकिन इसकी तरफ मंत्री महोदय को जरूर ध्यान देना चाहिए।

मेरा एक निवेदन मंत्री महोदया से और होगा। आजकल दहेज को लेकर इतनी भयानक बातें चल रही हैं। हमारे समाज में रोज कितनी ही मृत्युएं हो रही हैं। जिस तरह से सिलेबस में और बहुत सारी बातें सिखाई जा रही हैं, उसी तरह से बचपन में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सिलेबस में इसको रख दिया जाए कि दहेज एक बुरी बात है और किस तरह से हमारे समाज में यह कुप्रथा है। कैसे यह हमारे समाज में आई। यह तो बहुत सुन्दर शब्द है और दुहिता शब्द से बना है। पहले लड़की की घर में कितनी प्रतिष्ठा थी लेकिन अब क्या स्थिति हो गयी है, यह आप सब देख रहे हैं। वह प्रतिष्ठा अब समाप्त होती जा रही है। हमारी जो एजूकेशन है, उसमें इस बुराई को समाप्त करने के लिए सिलेबस में इसको रखा जाना चाहिए। हमारी जो एजूकेशन है, उसमें महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देती हूं और आशा करती हूं कि एक महिला मंत्री होने के नाते महिला शिक्षा के ऊपर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और उसके विकास, उसकी उन्नति के लिए प्रयास किया जाएगा ।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदय, मैं अपने दल द्र० मु० क० की ओर से शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय की 1982-83 की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

शिक्षा, हमारे देश की भावी पीढ़ी तैयार करने वाली शाश्वत शक्ति है । हमारे देश में शक्ति को नारी के रूप में देखा जाता है । यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा मन्त्री, शिक्षा विभाग की सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग की सचिव तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष, सभी नारियां हैं । इसके अलावा, हमारी प्रधान मन्त्री भी नारी हैं । निस्सन्देह हम यह आशा कर सकते हैं कि अधिकारियों द्वारा शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों को कुशलता-पूर्वक कार्यान्वित किया जाएगा ताकि राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो सके । 10+2 शिक्षा प्रणाली अब पाँच वर्ष पुरानी हो चुकी है । अभी तक यह सभी राज्यों में लागू नहीं हो सकी है । पाठ्य पुस्तकें भी केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में ही आसानी से उपलब्ध हैं । राज्यों के आन्तरिक भागों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं । छात्रों को इससे काफी नुकसान होता है । सम्पूर्ण देश में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए । दूसरे, यह प्रणाली केवल बड़े नगरों में ही उपयोगी सिद्ध हुई है । मध्यम और छोटे शहरों के विद्यार्थी भारी मुसीबत में हैं । उन्हें अपनी रुचि के विषय समूह नहीं मिल रहे हैं । इसके अलावा उन स्थानों पर महाविद्यालयों में उनको उच्च शिक्षा के लिए वे विषय नहीं मिल पाते हैं । उन्हें उच्च शिक्षा के लिए महानगरों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है । 10+2 प्रणाली हमारे समाज के केवल धनाढ्य वर्गों में ही उपयोगी सिद्ध हुआ है ।

माननीय मन्त्री महोदय को चाहिए कि वे इसकी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इसे समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के लिए भी उपयोगी बनाया जा सके । 6-11 के आयु-वर्ग के बच्चों की भर्ती का प्रतिशत 84 है किन्तु 11-14 के आयु-वर्ग में यह केवल 40 प्रतिशत है । इसका अर्थ यह हुआ कि 50 प्रतिशत छोड़ गए । इसकी जांच की जानी चाहिए तथा छोड़कर चले जाने वालों का प्रतिशत घटाने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाएं । देश में 366 केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें 2.51 लाख विद्यार्थी हैं । दुर्भाग्य से क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं हैं । शिक्षा मन्त्रालय द्वारा इस समस्या का हल ढूंढा जाना चाहिए । मैं यह मांग करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, के कार्यपालन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए । पाठ्य पुस्तकें राज्यों को सही समय पर नहीं भेजी जाती हैं । पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी कई गल्तियां हो जाती हैं । इन सभी बातों की इस उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करके ही संतोष मान लेता है। मद्रास विश्वविद्यालय तमिलनाडु सरकार की कठपुतली बन चुका है। सरकार द्वारा इसकी स्वयत्ता समाप्त कर दी गई है। जो व्यक्ति 2 लाख रुपए दान करे वह सिंडिकेट का स्थायी सदस्य बन सकता है। चुने हुए सदस्य तीन वर्ष से अधिक कार्यालय में नहीं बने रह सकते। विश्वविद्यायय अनुदान आयोग राज्य में होने वाली घटनाओं का मूक दर्शक बना हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालयों की स्वयत्ता राज्यों द्वारा समाप्त न की जाए।

थंजापुर सरस्वती महल पुस्तकालय में खजूर पत्रों की पांडुलिपियां जो कि हजारों साल पुरानी है, तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें रखने की वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जा सके।

दिल्ली में ललित कला अकादमी में कई घोटाले हैं। कुछ दिन पहले इन्हें दिल्ली के स्टेट्स मैन में बताया गया है। इसी प्रकार, इसी समाचार पत्र में यह बताया गया है कि साहित्य अकादमी की कार्यकारी समिति के लेखक-सदस्यों द्वारा इनाम आपस में बांट लिए जाते हैं। इन सभी घोटालों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी के लिए 1982-83 में क्रमश: 50 लाख रुपए और 40 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन रकमों को ठीक प्रकार से व्यय किया जाए। नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के निदेशकों की बार-बार तब्दीलियां होती रहती हैं। मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि वह इसके कारणों की जांच कराएं। सांस्कृतिक करारों को हस्ताक्षरित करना विदेश मन्त्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। यह शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत होना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि शिक्षा मन्त्रालय का सचिव कोई आई० ए० एस० अधिकारी न होकर कोई विख्यात शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए आई० ए० एस० अधिकारी नियुक्त करने की प्रथा समाप्त की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि तमिलनाडु में हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय है और पेरियार-रिगनट अन्ना यनिवर्सिटी आफ इंजिनीयरी टैक्नालाजी है। चिकित्सा शिक्षा भी काफी प्रौढ़ हो चुकी है। किन्तु देश में कोई भी पृथक चिकित्सा विश्वविद्यालय नहीं है। 18 दिसम्बर, 1981 को मेरे सहयोगी डा० कलानिधि ने इसी सदन के पटल पर मांग की थी कि तमिलनाडु में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। मुझे यह जानकर खेद हुआ है कि अभी तक इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। मैं यह मांग करता हूं कि तमिलनाडु में बिना किसी विलम्ब के चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए तथा केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ए० ई० टी० बैरो (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदय, मैं नहीं जानता कि इस बात का विनोदपूर्ण अथवा कुटिलतापूर्ण कोई महत्व है कि शिक्षा बजट पर बहस आप पहली अप्रैल "मूर्ख दिवस" पर हो रही है। यह विषय सभी से सम्बन्धित है और इस लोक सभा

के जीवन में शिक्षा पर यह पहली बहस हो रही है। कुछ संतोष की बात यही है कि आखिरकार इस विषय को चर्चा के लिए लिया गया।

प्रत्येक मंच से, प्रत्येक भाषा में उच्च महत्वपूर्ण व्यक्ति से लेकर साधारण व्यक्ति तक हम प्रत्येक से निरर्थक और कपटी चर्चा यही सुनते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए; शिक्षा नीति मे परिवर्तन होना चाहिए। और इसका परिणाम क्या निकला ? कुछ भी नहीं किया गया।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों से लेकर साधारण व्यक्तियों तक मचाया जाने वाला शोर केवल बर्तनों की खनक बनकर रह गया है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हो यह रहा है कि हमारी शिक्षा खतरनाक रूप से शैक्षणिक अराजकता की ओर जा रही है क्योंकि हमारे पास शिक्षा की कोई सुस्पष्ट, स्थित राष्ट्रीय नीति नहीं है।

1966 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1967 में एक समिति का गठन किया गया और मैं उस समिति का सदस्य था और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा तैयार की गई। किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। समिति की केवल एक सिफारिश जिसका मैं उल्लेख करूंगा वह यह थी शिक्षा की नीतियों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाए; यह रिपोर्ट अब इतनी पुरानी है कि इसकी अन्य सिफारिशों का उल्लेख करने का कोई लाभ नहीं।

वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने एक मसौदा प्रस्तुत किया था जो मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था। इससे कोई भी गैर सरकारी व्यक्ति सम्बद्ध नहीं था लेकिन समग्र राष्ट्र के लिए जनता पार्टी ने राजनीतिक आत्महत्या करने का यह निर्णय ले लिया था; जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय नीति के मसौदे को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

पिछले वर्ष शिक्षा मन्त्रालय ने शिक्षा मन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी—मेरे विचार में यह बैठक जून, 1981 में बुलाई गई थी—और उन्होंने छठी योजना के प्रलेख पर चर्चा की थी। मेरा शिक्षा मन्त्रियों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे इसमें गम्भीर सन्देह दिखाई दे रहा है कि क्या केवल शिक्षा मन्त्रियों को खुद ही शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति के बारे में निर्णय लेना चाहिए। इसमें शिक्षाविद् ऐसे लोग भी सम्मिलित किये जाने चाहिए जो इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों। मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा मन्त्री प्रशासकों के हाथों में खेलते हैं। लेकिन ऐसा कहते हुए मेरा यह तात्पर्य नहीं कि मेरा उनके प्रति आदर कम है अथवा मैं किसी के प्रति उंगली उठा रहा हूं। जब तक अनुभवी शिक्षाविदों, उपकुलपतियों, अध्यापकों तथा उनसे सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को इस कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र के लिए अपेक्षित नीति तैयार नहीं हो पाएगी। शिक्षा समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है। क्या समय नहीं आया है कि हम शिक्षा के लिए अर्थपूर्ण तथा प्रभावी निदेशन देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करें। अन्यथा, जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था आ जायेगी।

राष्ट्रीय स्तर का दूसरा एकमात्र निकाय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। इस बोर्ड में शिक्षा मंत्री, उप कुलपति तथा अन्य प्रसिद्ध शिक्षाविद् शामिल होते हैं। इसका क्या हुआ ? यह

निकाय 1979 तक कार्य करती रही और जनता सरकार के जाने पर चुपचाप गायब हो गई। इस प्रकार इसका अन्त हुआ। क्या वह समय नहीं आया है कि हम एक राष्ट्रीय मंच बनायें जिसमें मंत्री तथा अन्य व्यक्ति शामिल हों ? मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीति वह नियंत्रणकारी विज्ञान है जो नीति के लिए निर्देश देती है, लेकिन इसे तब तक नीति तैयार नहीं करनी चाहिए जब तक कि शिक्षाविद् तथा अन्य क्षेत्रों से अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति इस नीति के बारे में निर्णय लेने के लिए सहायता लेने हेतु सम्मिलित न किये जायें। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बोर्ड में फिर से प्राण डाले जाएं; यह विद्यमान है, आपको केवल इसे पुनर्जीवित करना है; इसकी ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाये और इसे पुन: सक्रिय बनाया जाए। इस सम्बन्ध में एक मंच बनाया जाए—अब ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां अल्पसंख्यक जा सकते हों और अपनी समस्याएं रख सकते हों। उन्हें न्यायालयों में जाना पड़ता है। जब तक वे न्यायालयों में नहीं जाते तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है।

मैं महसूस करता हूं कि शिक्षा के बारे में हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल गलत हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत हमें एक निर्देश दिया गया है कि हम वर्ष 1960 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमारी उपलब्धि क्या है ? हम 1960 तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके; 1960 तक के लक्ष्य को 1970 तक बढ़ा दिया गया और 1970 के बाद इस लक्ष्य को बदलकर 1980 तक कर दिया गया था। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा है कि अब लक्ष्य की तारीख 1990 रखी जानी है। यह कल्पित लक्ष्य की भ्रामक ही रहेगा यह भी पूरा होने वाला नहीं है।

जिस बात को मैं सिद्ध करना चाहता हूं उसे विस्तार से समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं।

एक किसान था, जो पैदल एक अलग-अलग गांव की यात्रा कर रहा था। वह दिशा जानता था लेकिन उसे दूरी का ज्ञान नहीं था। वन में से गुजरते समय संयोगवश उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला जिससे उसने पूछा कि उसे उस गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बूढ़े आदमी ने अपने कंधों को झटका दिया और कहा "मुझे मालूम नहीं है।" किसान ने आह भरी। अपने बंडल को एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख लम्बे-लम्बे कदम भरने लगा। अकस्मात् बूढ़ा लकड़हारा चिल्लाया : "सड़क से 15 मिनट लगेंगे।" किसान असमंजस में पीछे मुड़ा और कहा, "आपने उसी समय क्यों नहीं कहा ?" बूढ़े आदमी ने शांति से उत्तर दिया : "पहले मैंने यह देखना था कि आप कितने लम्बे कदम रखोगे।"

अब, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की ओर हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ? प्राथमिक स्कूलों में 6-11 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के नामांकन की कुल संख्या जो 1973 में 80.30 प्रतिशत थी धीरे-धीरे बढ़कर 1978 तक 81.65 प्रतिशत हो गई थी जिसके फलस्वरूप 5 वर्षों में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 11 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन संख्या जो 1973 में

33·15 प्रतिशत थी बढ़कर वर्ष 1978 में 37·78 प्रतिशत हो गई। यही है वह मन्थर गति जिस पर आप वर्ष 1970 तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के इस कल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

एक और बेचैन करने वाली बात है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को ध्यान में रखा था जबकि उन्होंने राज्य सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की थी। अनुच्छेद 45 में जिस आयु के बच्चों की परिकल्पना की गई है उनकी संख्या 1971 की जनगणना की संख्या से 1981 की जनगणना में 78 लाख बढ़ गई है। वास्तव में इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमने 1990 तक 78 लाख विद्यार्थियों का और नामांकन करना है। मैं नहीं जानता 1991 की जनगणना के आंकड़े क्या होंगे। यह सोचना पूर्णतया कल्पना है कि वर्ष 1990 तक हम संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करा देंगे।

महोदय, मैं एक बेहतर अनुमान के बारे में सोचता हूं जो अजीब सा लग सकता है, लेकिन यह अधिक वास्तविक है, यह अनुमान डा० एस० एस० सेठ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय परिषद की भविष्य विज्ञान नामिका के सचिव द्वारा बनाया गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भविष्य विज्ञान का फलित जोतिष अथवा हस्तरेखा ज्ञान से कोई सरोकार नहीं है। यह मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ में संसाधनों तथा मांग के बीच के परस्पर क्रिया का अध्ययन होता है। उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों अध्यापकों कक्षा के बारे में सन्तुलित के अनुमान लगाया है और उनका अनुपान यह है कि यदि हम लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं। तो हमें अगले 20 वर्षों के लिए 250 विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक 10 सवीं मिनट पर एक स्कूल खोलना शुरू करना चाहिए और जनसंख्या के एक प्रतिशत अर्थात् 60 लाख लोगों को अध्यापक के रूप में नियुक्त करना चाहिए।

मैं नहीं जानता कि आपके योजना आयोग अथवा शिक्षा मंत्रालय ने वास्तविक रूप से कोई गणना की है अथवा नहीं क्योंकि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को मैं नहीं गिन रहा हूं। वास्तव में यह केवल कुल नामांकन असली नामांकन नहीं है, वास्तव में इसका तात्पर्य नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में रखने से है।

महोदय, मैं प्राथमिक शिक्षा के स्तर का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये आंकड़े सरकारी आंकड़ों से दे रहा हूं। 2,737 प्राथमिक स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं है, 34 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल एक अध्यापक से चल रहे हैं; 27 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में केवल 2 अध्यापक हैं और केवल 9 प्रतिशत स्कूलों में ही 5 अध्यापक हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : संसद में भी गणपूर्ति नहीं है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : जी हां, यहां भी गणपूर्ति नहीं है। लेकिन हम बातें करते जाते हैं।

महोदय, यह रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया टेग से तैयार की गई है। मैं इसे संभाल कर रख रहा हूं। इस रिपोर्ट में बड़ी सुन्दर तस्वीरें हैं, लेकिन चीज को सही रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। आपने टैंटों में लगने वाले स्कूलों, उन स्कूलों, जिनमें अध्यापक नहीं हैं, की तस्वीर नहीं दिखाई है, सही तस्वीर दीजिए।

मुझे मजबूर होकर 'लिसीडा' में विषयों के विरुद्ध मिल्टन के उत्तेजनापूर्ण भाषण में से कुछ यहां देने पड़ रहे हैं। यह आजकल हमारे बच्चों पर बिल्कुल सही लागू होता है। "भूखी भेड़ खाना मांगती है लेकिन उसे खाना कोई नहीं देता।" और मैं कहता हूं कि "जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कुछ ठोस न कर हमारे देश में इसका मजाक उड़ाया गया है।"

अब मैं प्रोफेसर व्हाइटहैड के शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके शब्दों का भारत के संदर्भ में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा है :

"जब कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र के बच्चों की शिक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न के महत्व पर विचार करता है तो टूटी हुई जिन्दगियों, धूमिल आशाएं राष्ट्रीय असफलताएं जो इस दिशा में बरती गईं उपेक्षा का परिणाम है तो आदमी को अपने आप पर काबू नहीं रहता, वह गुस्से से पागल हो जाता है।

मैं अपने उन मित्रों का समर्थन करता हूं जिन्होंने कहा था कि हमें एक आयोग, एक सांविधिक आयोग का गठन करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि कोई भी विरोधी दल अनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधानिक निर्देशकों कार्यान्वित करने का मैंने इसे कार्यान्वित करने के एकमात्र कार्य का अन्य योजनाओं तथा सुधारों का नहीं, अविरोध नहीं करेगा। जैसा कि मैंने कहीं और कहा है कि "हमें इस अवस्था में साक्षरता तथा गिनती पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद तथा अन्य निकायों के सभी प्रयोगों को पूर्णतया अलग कर दिया जाए। साक्षरता और गिनती इसका आधार हैं।

शैक्षिक प्रणाली की नींव कच्ची है और शैक्षिक प्रणाली ढह जाने का खतरा है।

हमारे ईसाई कर्मकाण्ड ने हमें संस्कार दिये हैं। श्री रेड्डी संस्कार की इस परिभाषा की पुष्टि करेंगे, "अन्दर की मानसिक सदिच्छा का बाहर दृष्टिगोचर होने वाला लक्षण।" हम सबके अच्छे इरादे हैं। हमारे बाहरी लक्षण को आयोग के रूप में उभरना चाहिये जिससे यह लगे कि हम संवैधानिक निर्देश को गम्भीरता से कार्यान्वित कर रहे हैं। केवल यह देखने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 45 में दिए गए निर्देश को कार्यान्वित किया जाता है।

मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, बल्कि केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र, जो मुझसे पहले बोले हैं, ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के बारे में बातचीत की है। वे स्थापित किए गए हैं और स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा शिक्षा का स्तर गिर गया है और गिरता जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में तनाव, हिंसा के कारण संक्षुब्धता व्याप्त है। यह दुःखद सत्य है। हमारे पास न पढ़ाने वाले अध्यापक हैं। हमारे पास न पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। फिर भी हम न पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा न पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय स्थापित करते जा रहे हैं। और अभी भी हम ऐसा करते जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में शिक्षा को एक उद्योग' बताया है, इन विश्व-विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी। मुझे खुशी है कि श्रम मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में हस्पतालों तथा शैक्षिक संस्थाओं को 'उद्योग' शब्द की परिधि से बाहर निकालने का विचार कर रहा है।

मैंने श्री चह्वाण को लिखा था, जब वे मन्त्री थे। मैंने यह काम करवाने के लिए श्री शिव-शंकर को लिखा था, जब वे कानून मन्त्री थे लेकिन उन दोनों का स्थानान्तरण हो गया। अब मैं वर्तमान मन्त्री को नहीं लिख रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि "जनता पार्टी ने हस्पतालों तथा शैक्षिक संस्थाओं को 'उद्योग' शब्द की परिधि से बाहर लाने सम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत किया था। मैंने उस विधेयक का इसे प्रस्तुत करते समय विरोध किया था क्योंकि इसमें अल्प-संख्यकों के स्कूलों की स्थिति को ध्यान में रखा गया था।

लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक सही दिशा में कदम है—अल्पसंख्यकों के हितों की अवहेलना नहीं की गई है, अपितु शिक्षा संस्थानों को 'उद्योग' की परिभाषा से अलग किया गया है। मैं यह सभी दलों को कह रहा हूं। हमारे विश्वविद्यालय और कालिज, राजनैतिक षडयन्त्रों का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। राजनैतिक दल खुद ही अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए अध्यादेश बनायें। उनको छात्रों और अध्यापकों के चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि अध्यापकों के और छात्रों चुनावों पर रोक लगा दी जाए। अध्यापकों का चयन वरिष्ठता और छात्रों का योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अन्यथा मैं नहीं समझता कि हम विश्वविद्यालय प्रणाली को विफल होने से बचा सकेंगे।

मैं विश्वविद्यालयों और कालेजों में ज्ञान और प्रतिभा के आधार पर राजनीतिक विचारों पर वाद-विवाद के विरुद्ध नहीं हूं। यह आवश्यक है कि विचारों का पुनरुत्थान हो। सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श हो, जिससे कि जब ये छात्र शिक्षा समाप्ति के बाद नये जीवन में प्रवेश करें तो अपनी विचारधारा व ज्ञान के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण करें।

मैं यहां इस बात से अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि राजनीतिक दल यह महसूस करें कि विश्वविद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। यह मैं किसी द्वेष से नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा मेरा दृढ़ मत है।

यही समय है कि छात्र और अध्यापक इस बात को समझें कि राजनीतिक दल अध्यापकों और छात्र नेताओं को अन्य राजनीतिक दलों के गढ़ों को उखाड़ने में हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मेरा विचार है कि अब समय आ गया है कि छात्रों और अध्यापकों को अपना दिमाग चिन्तन में लगाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, इस माननीय सदन में माननीय शिक्षा मन्त्री जो द्वारा जो महत्वपूर्ण मांग विचारार्थ प्रस्तुत की गई हैं, मैं उसका समर्थ करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, यह मांग बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। जिससे सम्बन्धित है, आर्थिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, मनोवैज्ञानिक उन्नति व नैतिक उन्नति। इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम इस माननीय सदन में आज चर्चा कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत से विद्वान माननीय सदस्यगणों ने अपने विचारों का इस माननीय सदन में शिक्षा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, रखा है।

मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से इस माननीय सदन में शिक्षा के प्रति क्या होना चाहिए और क्या परिवर्तन होना चाहिए—उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। क्या सुधार होना चाहिए मान्यवर, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 की जो डिमाण्ड्स हैं, उनका, मैंने अवलोकन किया है, और देखा कि इसमें किसी भी प्रकार का बदलते समय को देखते हुए, जो मांग है या जो धन रखा गया है, उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। 1981-82 में 422.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 107.11 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र में और 315.22 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में रखा गया है, जो कि कुल मांग का, कुल बजट का केवल 2.4 प्रतिशत आता है। मुझे सबसे पहले तो यह कहना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए जिससे हम सबकी उन्नति कर सकते हैं, जिसके द्वारा संविधान में निहित समाजवाद, लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता को आगे बढा सकते हैं, उसके प्रति इतना कम धन आवंटित किया जाय—यह उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमें इसके लिए और अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

मान्यवर, ई विद्वान सदस्यों के मैंने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में विचार सुने। लेकिन मैं कुछ बिन्दुओं पर ही अपने विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में कहूंगा। छठी पंचवर्षीय योजना में इसको एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मानकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है और 905 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो शिक्षा के लिए कुल 2524 करोड़ रुपए के प्रावधान का 36 प्रतिशत हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इतने कम धन से काम चलने वाला नहीं है। मैं इस मांग का समर्थन करते हुए खेद प्रकट करना चाहता हूँ कि देश की प्राथमिक शिक्षा के लिए, देश के प्राथमिक विद्यालयों के लिए बहुत कम धनराशि का आवंटन हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं इस बात को जानतीं हैं कि हमारे ग्रामीण आंचलों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें छात्रों के बैठने के लिए अध्यापकों के बैठने के लिए टाट पट्टियां तक नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए भवन नाम की कोई चीज नहीं है। मैं जब चुनाव जीत कर आया था तो मैंने माननीय प्रधान मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था। यह पत्र मैंने 23-12-1980 को लिखा था जो मेरे क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में था। उसके बाद शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की तरफ से मुझे जबाब आया कि हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव (गोरखपुर) में कुल 512 प्राथमिक विद्यालय है जिनमें 138 विद्यालय भवनहीन हैं और इस आलोच्य वर्ष 1981-82 में 522 विद्यालय बनाने का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, इस उत्तर से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस पिछड़े हुए आंचल की क्या स्थिति है। हमारे संविधान में एक शब्द निहित है—"समाजवाद", क्या वह यही समाजवाद हैं जिसमें

एक तरफ शिशु सदन है, कान्वेन्ट के विद्यालय चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम रे ग्रामीण आंचलों में इस तरफ के स्कूल चल रहे हैं जिनमें न बैठने की व्यवस्था है, न भवन हैं, यहां तक कि अध्यापकों का अभाव है। क्या हम अपने देश में दो तरह के इन्सान पैदा करने चाहते हैं ? इसलिए मैं आज सरकार से निवेदन करना चाहूंगा—जब तक शिक्षा की एक नीति नहीं होगी, शिक्षा में एकरूपता नहीं होगी, तब तक हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में जो कुछ कहा है उसको पूरा नहीं कर पायेंगे। हमारी माननीय प्रधानमन्त्री जी ने जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया है—उसमें एक बहुत खुशी और सन्तोष की बात है—उसके 16वें सूत्र में उन्होंने लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय, साथ ही इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाय, ताकि निरक्षरता का अन्धकार दूर हो सके। यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार की तरफ से जो नया बीस-सूत्री कार्यक्रम चलाया गया है, उसमें जो सुधार लाया गया है, उससे प्राथमिक शिक्षा जो है, वह आगे बढ़ सकेगी। इसलिए मैं इसके लिए सरकार को और माननीय प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके बाद मैं एक बिन्दु की ओर और ध्यान आकृष्ण करना चाहूंगा जैसे हमारे प्रोफेसर पाराशर साहब ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन की बात कही। केन्द्रीय विद्यालय संगठन नवम्बर 1962 में स्थापित किया गया था और वह इसलिए स्थापित किया गया था कि जो केन्द्रीय सरकार के रक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, या जो केन्द्रीय सरकार के दूसरे कर्मचारी हैं, जिनका स्थानान्तरण इधर से उधर होता रहता है, उनके बच्चों की पढ़ाई में पूरे देश में एकरूपता रहे। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रालय से निवेदन करूंगा कि इस वक्त देश में 366 केन्द्रीय विद्यालय स्थापित हैं। मैं चाहूगा इस प्रकार के जो विद्यालय हैं, उनको और खोला जाए। इस वक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 2,51,848 है और उसमें जो अध्यापक अध्यापन कार्य और गैर अध्यापन कार्य करने वाले हैं, उनकी संख्या 15,478 है उनके पाठ्यक्रमों में जो एकरूपता है, उसके कारण चाहे कोई जम्मू व काश्मीर में पढ़ता हो या कन्या कुमारी तक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पढ़ता हो, उसको कोई परेशानी नहीं होती है और प्रत्येक केन्द्रीय कर्मचारी के बच्चों के लिए एक सा पाठ्यक्रम है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए।

इसके जो क्षेत्र हैं, करीब-करीब 11 क्षेत्र हैं और एक क्षेत्र और खोलने का आपकी रिपोर्ट में प्रावधान है। ये क्षेत्र अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोहाटी हैदराबाद, मध्य प्रदेश और पटना में हैं। इस तरह से 11 क्षेत्रों में इस संगठन के विद्यालय कार्य कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो 12वां क्षेत्र बनने वाला है और शीघ्र ही बनने वाला है, उसको गोरखपुर जनपद में खोला जाए। वह हमारे उत्तर-पूर्व का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर भगवान बुद्ध और कबीर जैसे महापुरुष हुए हैं। वहां पर पूर्वांचल का पूर्वी कमान का हैडक्वाटर है, एयरफोर्स का हैडक्वाटर और एन० ई० रेलवे का हैडक्वाटर है और वह एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो एक नया क्षेत्र खुलने वाला है, वह गोरखपुर में स्थापित हो।

एक निवेदन और करना चाहूँगा कि अब तक तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में बातें हुईं। बीच में माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न अभी-अभी हमारे विद्वान सदस्यगण कह चुके हैं। यह आवाज उठाई गई कि शिक्षा जो है, वह समवर्ती सूची में क्यों है। आपके माध्यम से मैं सरसरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में देश में उन्नति करना है, समाजवाद को लाना है और लोकतन्त्र की रक्षा करना है और धर्म-निरपेक्षता को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा को केन्द्रीय सूची में अवश्य रखा जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें।

एक निवेदन और इसके साथ ही साथ करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से समान कार्य के लिए समान वेतन हम देते हैं, वैसे प्राइवेट स्कूलों में भी होनी चाहिए। आजकल जो प्राइवेट मैनेजमेंट में स्कूल हैं, वहां पर जो एक लेक्चरार है, वह हमारे यहां सरकारी स्कूल में जो पढ़ाता है, उससे ज्यादा पाता है। चार घन्टे वह पढ़ाताहै और उतना ही सरकारी स्कूल में काम करने वाला पढ़ाता है। जब सारी व्यवस्था आप कर रहे हैं, धन, पेंशन, ग्रेच्युइटी आदि आप दे रहे हैं तो क्या एतराज हो सकता है उन विद्यालयों और उस शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने से? सभापति महोदय, आपने यहां से अपने विचार सदन के सामने रखे थे शिक्षा के सम्बन्ध में। मेरी प्रार्थना है कि आपके द्वारा कि शिक्षा मन्त्रालय इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करें।

सभापति महोदय : मैं भी निवेदन कर रहा था।

श्री महावीर प्रसाद : अब आपके द्वारा मेरा निवेदन है कि इस पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार किया जाए। यह एक मूलभूत सिद्धान्त हैं। हम तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते हैं जब तक उस वस्तु का हम राष्ट्रीयकरण नहीं कर देते हैं। समाजवाद लाने के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मैं बिहार सरकार को माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मंत्री महोदय उत्तर-प्रदेश की रहने वाली हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार को बाध्य करें कि वह भी माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दे, यह मेरा उनसे निवेदन है।

सभापति महोदय : मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया समाप्त करें।

श्री महावीर प्रसाद : भाषा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। भारतीय संविधान में निहित है कि हम हिन्दी को वरीयता के आधार पर प्रथम स्थान देंगे। वह स्थान उसको दिया भी गया है। प्रान्तीय भाषाओं का भी सहयोग है उसको मैं कम नहीं आंकता हूं। मैं नहीं कहता कि प्रान्तीय भाषाओं को हम प्रोत्साहन दें। उनको प्रोत्साहन हम दें और हिन्दी को सर्वोपरि स्थान भी दें। उर्दू भाषा को भी उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। यह किसी एक सम्प्रदाय की भाषा नहीं हैं, किसी एक धर्म की भाषा नहीं है। उर्दू पढ़ने वाले सारे देश में फैले हुए हैं, कल भी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उर्दू भाषा से ही इन्कलाब शब्द निकला था, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा, निकला था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, निकला था। उर्दू को उसका स्थान मिलना चाहिए। उर्दू सबकी भाषा है, भारत की भाषा है, जन मानस की भाषा है।

अब मैं दो शब्द अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहना चाहता हूं और विद्यालयों में इनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपकी रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। मंत्री महोदया बैठी हुई हैं। उप मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। आपने रिपोर्ट में दिया हुआ है कि हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, माध्यमिक स्कूलों में हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश के लिए और उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में हमने व्यापक व्यवस्था कर रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार विद्यालयों में प्रवेश और नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान है उसी प्रकार से जो निजी विद्यालय हैं या जो प्राइवेट मैनजमेंट में चलने वाले विद्यालय हैं उनमें भी यही व्यवस्था होनी चाहिये, उनके प्रवेश और उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में और इनमें भी उनके लिए स्थान सुरक्षित किए जाने चाहिये।

अन्त में इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम, इन तीनों का मिलन होगा तब जाकर शिक्षा का सदुपयोग भी होगा। धन्यवाद।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। शिक्षा और संस्कृति यही राष्ट्र की बुनियाद है। इस राष्ट्र की बुनियाद पर विचार प्रकट करने का जो अवसर मिला है, मैं उसका सही उपयोग करना चाहता हूं। जहां तक आज की शिक्षा है इस विषय पर विचार रखने के पहले मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी शिक्षा मन्त्री जी विदिषी शिक्षा शास्त्री हैं, उनको स्वयं शिक्षा का अनुभव है, साथ ही साथ इस सभा में भी एक से एक अच्छे शिक्षा शास्त्री और अधिकारी भी हैं और दर्शकगण में भी शिक्षा के प्रति विचार करने वाले और शिक्षा शास्त्री हैं। ऐसे समय में अपने विचार रखते हुए मन में जरूर संकोच होता है कि एक सही समीक्षा करते समय अपने विचार प्रकट करने में कमजोर तो नहीं पड़ रहा हूं। फिर भी में आपके सामने अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

आज की जो शिक्षा पद्धति है ब्रिटिश काल की शिक्षा पद्धति की देन के रूप में दिखाई देती है। परिवर्तन इसमें होना जरूरी है। उस समय के लिए आवश्यक था जिसमें उनको एक क्लर्क और अफसर की जरूरत था। मगर आज हमको राष्ट्र निर्माण के लिए इस शिक्षा का पूरा उपयोग करना है। इस स्थिति में हम देखना चाहते हैं कि क्या शिक्षा पद्धति हमारी इसमें योगदान दे रही है ? आज की सबसे बड़ी समस्या शिक्षित बेरोजगारों की है। नई पीढ़ी, जिसको निर्माण में लगना था, वह बेरोजगार हो रही है। इस बेरोजगार होने में क्या इस शिक्षा पद्धति का भी कोई योगदान है ? मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति ही सबसे बड़ी दोषी है। परस्पर आज एक दूसरे को हम मिलायें, एक दूसरे के दिल को जोड़े यह हमारी संस्कृति की जो देन है, एक आधार है शिक्षा पद्धति का कि क्या हमको आपस में मिला रही है, इन दोनों दृष्टिकोण से इस शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की ओर ज्यादा विचार हो। आज चाहे हम प्राइमरी कक्षा में प्रवेश करें, क्या प्राइमरी कक्षा तक पढ़ने के बाद वह विद्यार्थी अपने घर, परिवार के लायक बनता है ? गुणवर्धन और स्वावलम्बन यह शिक्षा का आधार है। गुणवर्धन और स्वावलम्बन की दृष्टि से प्राइमरी स्कूल को देखें तो हमें उसके अन्दर में कोई आधार नहीं मिलता। हायर सेकेन्ड्री में भी पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने यहां के जीवन में समाहित होने के लायक नहीं बनता। उच्च शिक्षा के बाद भी यही स्थिति होती है, और वह बेरोजगार के रूप में आता हैं। और थोड़े से जो हमारे रोजगार हैं कहीं न कहीं

नौकरी के लिए भटकता हैं। यह स्थिति बनी रहेगी अगर यही शिक्षा पद्धति बनी रही तो, हम इसकी किसी तरह टाल नहीं सकेंगे। आज अगर वह डाक्टर भी बनता है तो अपने गांव के लायक नहीं रह जाता है। इंजीनियर बनता है ती नौकरी ही ढूंढता है। और चाहे एम० ए०, बी० ए०, मैट्रिक या प्राइमरी पास हो एक असन्तोष ही बढ़ा रहा है।

आज हमने हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ी जनता के लिए रिजर्वेशन रखा है। रिजर्वेशन का लाभ तो उनको मिल रहा है, लेकिन इसमें हम एक दूसरे के आक्रोश को ही बढ़ाते हैं। बेरोजगारों की टोली गैर-रिजर्वेशन वालों के हाथ में है, बहुत बड़ी संख्या उनके साथ है। आदिवासी, हरिजन और जिनको रिजर्वेशन भी है पड़ाई लिखाई और नौकरी में वह आज की स्थिति में इतना निम्न हो गया है कि उससे कई गुना बेरोजगार पैदा हो गये हैं। दोनों के अन्दर एक आक्रोश बढ़ता है, एक दूसरे को यह समझते हैं कि हमें इनके कारण पूरे रोजगार का मौका नहीं मिलता है। दूसरा समझता है कि इनके कारण से रोजगार का मौका नहीं मिलता है। इस स्थिति में जब हम परिवर्तन लायेंगे तभी इस समस्या का हल हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि इस परिवर्तन का एक ही आधार है, वह है प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिल्प-आधारित शिक्षा। इसके सिवाय कोई ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं है जो कि हमको इस गर्त से ऊपर उठा सके और आगे बढ़ा सके।

शिल्प-आधारित शिक्षा राष्ट्रीय आन्दोलन के समय आगे आई थी, गांधी जी ने इस चीज को बुनियादी शिक्षा के नाम से रखा था, मगर हम इसको भूल गये। हमें उधर फिर से जाना है। हर जगह पढ़ने-लिखने के बाद आज कम-से-कम उसके हाथ में कोई हुनर रहे और वह बेरोजगार न हो जाये। ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिससे विद्यार्थी को बोझा न लगे। आज जब कोई पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वह बेरोजगार होता है, उसे सड़क पर आना होता है। पढ़ाई की जितनी कुंटा उसको रहती है, उतनी ही पढ़ाई के बाद उसको नौकरी ढूंढने के लिए हो जाती है। उनके पालक किसी तरीके से अपनी रोजी-रोटी, जिन्दगी काटकर बच्चे को बढ़ाते है, लेकिन नौकरी की समस्या उनके सामने आती है। स्थिति इतनी विपरीत होती है कि अगर एक जगह बहुत बड़े उद्योग का कारखाना है भी, लेकिन वहां के इंजीनियरिंग कालेज का पढ़ा हुआ लड़का उस कारखाने के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है।

पद्धति इस ढंग की हो कि हम पढ़ते भी जायें और काम भी करते जायें, परीक्षा बोझ के रूप में न रहे और पढ़ाई के समय से ही जिस काम में विद्यार्थी जाना चाहे, पढ़ने के बाद जाकर उस काम में लग जाये। यह आवश्यक है कि इस आधार पर हम पढ़ें, अन्यथा आज की शिक्षा पद्धति केवल बेरोजगार पैदा करती है, यह किसी योग्य नहीं होगी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ हमारा ध्यान होते हुए भी क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? मैं एक कड़वा तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोगों का जो चिन्तक लोगों का वर्ग है, जो उस जमीन से उठ गया है, मैं यहां चाहे एक गरीब घर से आया हूं लेकिन यहां आने के बाद मुझे ग्रामीण बच्चे दिखाई नहीं देते, मुझे सिर्फ अपने बच्चे ही दिखाई देते हैं। यह एक विशेष वर्ग की आवश्यकता है, चाहे गरीब घर का ही क्यों न हो, अगर वह आई० ए० एस० अफ-

सर हो गया तो उसके बाद अपने बच्चों क लिए उसे कन्वेंट स्कूल ही दिखाई देता है। गांव का गरीब हो भले हरिजन, आदिवासी हो, वहां पर उसका ध्यान नहीं जाता है। चाहे वह शिक्षा शास्त्री ही क्यों न हो, उसको अपने बच्चे दिखाई देते हैं, उस गांव के 90 प्रतिशत बच्चे दिखाई नहीं देते। इसलिए जान-बूझकर इस पद्धति को नहीं बदला जा रहा है, ऐसी आत्मा कहती है। मैं हालात आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, भले सी यह मेरी धृष्टता हो, मगर इस ओर आपको विचार करना होगा।

3 वर्गों का आपको विचार करना होगा क्योंकि तीनों के हाथ में सामाजिक स्थिति है। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। उनके साथे के साथ गांधी जी का जो अन्त्योदय है, अन्त के आदमी को लाभ पहुंचाने का, जो हमारा थर्मामीटर है, उससे इस शिक्षा पद्धति को भी नापना होगा, तब जाकर शिक्षा पद्धति का विकास होगा। आप देखें कि आज की शिक्षा पद्धति से अन्त के आदमी का क्या विकास होता है ?

हमने अपने बजट को पढ़ने का प्रयत्न किया है, उसमें बहुत अच्छा उद्धृत है कि हम गांव की प्रतिभा को, गरीबों की प्रतिभा को एक मौका देते हैं। प्रतिभावान व्यक्तियों को मौका देते हैं, उसके लिए स्कालरशिप की व्यवस्था आपने की है। मगर आम बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए कौन सा काम आपने किया है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है।

ठीक हैं, एक गरीब का लड़का किसी प्रतिभावान की कृपा से अच्छा निकलता है, उसके लिए आप स्कालरशिप से उच्च से उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे लेकिन हजारों लाखों में से एक आई० ए० एस० अगर निकल भी जायेगा तो यह बहुत बड़ी क्रांति नहीं होगी। आम बच्चों के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको शिल्प-शिक्षा रखनी होगी, और सामाजिक भावना देनी होगी, यही मेरा निवेदन है।

दूसरा विषय मेरा संस्कृति का है। इसकी ओर भी आपको देखना होगा कि किस ढंग की संस्कृति आज चल रही है। इसे तो मैं विकृति ही कह सकता हूं। मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि अगल-अलग सम्प्रदाय के नाम से आज स्कूल चल रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिये। मैं अगर यह कहूं तो धृष्टता नहीं होगी कि वहां साम्प्रदायिकता पनपती है, अलग-अलग धर्मों के अलग स्कूल चलते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति है, उसने सभी धर्मों को एकता और विश्व-बंधुत्व का ज्ञान दिया है। क्या हमारे स्कूलों द्वारा राष्ट्रीय एकता, विश्व-बंधुत्व और बसुधेव कुटुम्बक की शिक्षा दी जाती हैं ? आज घर-घर और गांव-गांव में जो विकृति दिखाई देती है, वह इस शिक्षा का उत्पादन है। मेरा निवेदन है कि नैतिक शिक्षा का भार शासकीय संस्थाएं लें। यह काम निजी संस्थाओं पर न छोड़ा जाए, जिन्होंने इस्लाम, हिन्दू धर्म या ईसाइयत के नाम पर विद्यालय खोले हुए हैं। आखिर नैतिकता क्या है ? विद्यार्थियों को सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। प्रेम, सत्य और करुणा सभी धर्मों में बराबर है। और इन विद्यालयों में क्या सिखाया जाता है ? —मैं ही सब कुछ हूं, मैं सबका विलीनीकरण करूं। लेकिन वह संस्कृति नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी राष्ट्रीयता के संकल्प को शिक्षा के माध्यम से पूरा करें। जिस संस्था में दूसरे वर्गों के छात्र प्रवेश न कर सकें और जहां राष्ट्रीयता की शिक्षा

न हो, उसे किसी प्रकार की मान्यता और सुविधा न दी जाए। इसी प्रकार केवल उन्हीं प्राईवेट होस्टलों को मान्यता देनी चाहिए, जिसमें अन्य वर्गों के छात्र भी प्रवेश पा सकें। आज देश बंट रहा है, और वह संस्कृति तथा शिक्षा के माध्यम से बंट रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है। शिक्षा संस्थाएं चलाने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि वे संस्कृति के नाम पर चलाई जाने वाली अपनी दुकानें बन्द कर दें और उनमें समाज के सभी नवयुवकों तथा विद्यार्थियों को प्रवेश दें।

शिक्षा के खेल-कूद का बहुत महत्व है। आज गावों में, हरिजनों में और आदिवासियों में जो संस्कृति है, हम उसको देखें। शिक्षा मन्त्रालय की रिपोर्ट में कत्थक नृत्य और शास्त्री संगीत से सम्बन्धित संस्थाओं का जिक्र किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए महाविद्यालय स्थापित करने चाहिए। उस संस्कृति में प्रेम और करुणा है। जितना प्रेम उन लोगों के गीतों और नृत्य में है, उतना शास्त्रीय संगीत में नहीं है। इसलिए हम उस संस्कृति को मिटने न दें।

हम जगह-जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करते हैं। मगर हम आम विद्यार्थियों और नवयुवकों को उसकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाते, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक वही खेल-कूद का माध्यम है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्बन्ध में अपने विचार श्री वाजपेयी के सामने रखना चाहता था। मगर मेरे और मित्र सामने बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं कि उनकी भावना मेरी भावना के अनुकूल है। केवल अपने आप को राष्ट्रीय कहने से कोई संस्था राष्ट्रीय नहीं हो सकती। कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में थोड़ा सा बदल करने का प्रयत्न हुआ था कि हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदि राष्ट्र के सब लोग उसमें प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन यह परिवर्तन नहीं हो पाया। जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में यह परिवर्तन हो जाएगा कि सब लोग उसमें प्रवेश पा सकें, तब उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो जाएगा। आज उसका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं है। सब धर्मों को अपनी-अपनी विशेषताओं को रखना है। भारत की यही विशेषता है। वे उन विशेषताओं को कायम रखें, लेकिन वह राष्ट्रीय रूप नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय रूप सांस्कृतिक रूप लेकर सामने आए अन्यथा जो विकृतियां गांवों में दिखाई दे रही हैं, हरिजनों और सवर्णों की जो समस्या गांवों में हैं, वह हमारी विकृति ही है जो कि फूट कर निकल रही है···

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री कंवर भूषण : जी हां, मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था। मैं केवल पांच मिनट और लूंगा।

मेरा अन्तिम निवेदन है कि नीचे के तबके में सही संस्कृति है और परस्पर मेल के लिए वे तड़प रहे हैं। जाति-भेद, छुआ-छूत और वर्ण-व्यवस्था—यह हमारी संस्कृति नहीं है। इसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था लेकिन निहित स्वार्थों ने हमें दबाया। जिस समय शंकराचार्य जी ने एक लकीर से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, जिसे उन्होंने अद्वैत कहा, जिस मंगी को छुआ-छूत से दूर करके आगे बढ़ाया, उस समय समाज के ठेकेदारों ने, जब उसकी मां की मृत्यु हुई तो उसकी लाश को चिता तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। मजबूर होकर उसे अपनी मां की लाश के

तीन टुकड़े करने पड़े। तो उस समय भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने आगे बढ़ने वाले प्रगतिशील लोगों को रोका और उनका दमन करने का प्रयत्न किया। बुद्ध की करुणा को आप जानते हैं लेकिन जब वे आगे बढ़े तो उन्हें कितनी रुकावटों का सामना करना पड़ा ? माहवीर जी के कान में सीसा डाला गया। हमारे महात्मा गांधी जब सारे देश को एक करना चाहते थे तो उन्हें गोली का निशाना बना दिया गया।

इसलिए मैं आज ईमानदारी से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि आज आदिवासी और हरिजन अगर राष्ट्र को एक करने के लिए, मूल धारा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कुचल दिया जाता है, असामाजिक तत्वों द्वारा। हजारों साल की जो हमारी परम्परा रही है उसके सही रक्षक महात्मा गांधी से लेकर अब श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं जिनके नेतृत्व में सावधानी के साथ हमें चलना होगा। कभी-कभी कहा जाता है कि वे हमारी मूल धारा में आयें लेकिन हमको उनकी मूल धारा में जाना चाहिए क्योंकि वही राष्ट्र की मूल धारा में हैं। उनमें कितनी धार्मिकता है ? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे प्रान्त में शिवपुरी में जो दो हरिजनों की हत्या हुई वह क्यों हुई ? इसलिए हुई कि वे शिवजी के मन्दिर में जल चढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। वे गंगाजी से जल लेकर आए हुए थे। मैं समझता हूं आज उन हरिजन वीरों के सिवाय और कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका कि शिवपुरी में मन्दिर में जल चढ़ाने के लिए कत्ल कर दिया गया हो, गोली से उड़ा दिया गया हो। यह क्यों हुआ ? संस्कृति की रक्षा के लिए तो वे ही जा रहे थे। उनको उन्हीं असामाजिक तत्वों ने गोली मारी जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी। इसी प्रकार से हमारे जिले से लगा हुआ जो एक हरिजनों का काण्ड हुआ, वह क्यों हुआ ? इसलिए कि वे स्वाभिमान से आगे बढ़ना चाहते थे, वह एक ऐसा परिवार था जो पंचायत में अपनी बातें रहना चाहता था और अपनी बहू-बेटियों से अठखेलियां नहीं करने देना चाहता था जिसका नतीजा उन्हें भुगतान पड़ा। यह जो हमारी संस्कृति के रक्षक हैं, उन्होंने परिवार के 14 सदस्यों को, पेट में गर्भ के बच्चों, सभी को मार डाला। ऐसा क्यों हुआ ? इसीलिए कि वे मिलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरी सावधानी के साथ गांवों से लेकर शहर तक स्कूलों में नीचे के व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देते हुए, असहाय को आगे बढ़ाते हुए ऐसी पद्धति रखें जो सहायक बन सके। बीच का जो जोड़ हैं, आप अलग से कान्वेन्ट खोलते हैं, बड़े को और बड़ा होने का मौका देते हैं, उसको बदलें। आप अपनी शिक्षा में शिल्प को जोड़िए—वह चाहे प्राइमरी शिक्षा हो या ऊपर की शिक्षा हो। हर कोई आदमी अपने हाथ से काम करना सिखेगा। विद्यार्थी हायर सैकेण्डरी से निकलने के बाद कम से कम गांव के लायक तो बने। आज गाव में कृषि सिखाने वाला कोई नहीं हैं। कृषि स्नातक है, वे मारे-मारे फिर रहे हैं। शिक्षा का हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ पा रहा है और हम जानबूझकर इसको जुड़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दें और राष्ट्र के स्वार्थ को लेकर शिल्पाधारित शिक्षा और स्वावलम्बन की भावना की पद्धति, इसका आधार आगे बढ़े—यही मेरा आपसे निवेदन है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सूरजभान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि सदन में एजूकेशन मिनिस्ट्री की डिमाण्ड पर डिसकशन हो रहा है। लेकिन एजूकेशन के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी नाकाम रही है, वह इसको कितनी इम्पोर्टेंस देती है, यह बात साफ जाहिर होती है कि एजूकेशन मिनिस्ट्री का यहां कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर नहीं है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज है।

श्री सूरजभान : बड़ी खुशी की बात है। मैं अपने अल्फाज वापिस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 35 वर्षों के बाद भी आज अगर किसी 50-60 साल के बूढ़े से कहा जाए कि दस्तखत करो और वह दस्तखत न कर सके, तो समझ में आ सकता है कि आजादी के टाइम में उसकी उम्र 15/20 साल की होगी, लेकिन यदि आज 15-18 साल के नौजवान से भी कहा जाए कि दस्तखत करो, और वह अंगूठा दिखाए, क्योंकि वह अनपढ़ है। इसलिए यह जो थम्स-अप की पालिसी है, यह खत्म होनी चाहिए। इस थम्स-अप की बजाए···

अध्यक्ष महोदय : किसने बनाया ?

श्री सूरजभान : अंगूठा बढ़ाओ की बजाए कलम चलाओ की पालिसी आए, तो अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी श्री बी० डी० सिंह बता रहे थे कि इतने स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है और ये सुविधायें नहीं हैं। बिल्डिंग के बगैर तो कुछ काम चल सकता है, लेकिन फोर्थ इंडियन एजूकेशन सर्वे की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 600 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनमें टीचर नहीं हैं। बिहार में 497 स्कूल हैं, जिनमें टीचर नहीं है। मध्य प्रदेश में 411 ऐसे स्कूल हैं, लेकिन कुल योग यह है कि 2 हजार 900 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनमें टीचर नहीं है। उनको स्कूल कहा जा सकता है ? कहा जाना चाहिए या नहीं, जिसमें टीचर नहीं है, वहां बच्चा जाकर क्या करेगा।। लाख 64 हजार 9 1 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है। यदि वह टीचर भी बीमार पड़ जाये, तो स्कूल बन्द है। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अगर स्कूल में इत्तफाक से महिला टीचर हो और वह भी स्वीटर बुनती रहे तो वहां भी मामला साफ है। इसलिए श्री पराशर जी ने जो मांग रखी है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के साथ प्राइमरी एजूकेशन का भी कोई ग्रान्ट कमीशन हो और सैकेन्डरी एजूकेशन के बारे में भी ऐसा कोई कमीशन हो, तो मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि उसको बढ़ावा मिल सके और शिक्षा की हालत सुधर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं प्राइमरी एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन कम्पलसरी होनी चाहिए। यदि आप एक 50-60 साल के बूढ़े को, 70 साल के बूढ़े को दस्तखत करना भी सिखा देंगे, तो वह अपने परिवार के बच्चों को लाज्मी तौर पर पढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, बशर्ते कि आप उसको सिगनेचर करना सिखा दें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि असमानता भी शिक्षा के क्षेत्र में खत्म होनी चाहिए। एक तरफ एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा

रहा है, जहां पर कि टीचर नहीं है और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि या तो पब्लिक स्कूल खत्म होने चाहिए और अगर आप खत्म नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिक स्कूल में कम से कम 50 प्रतिशत सीट्स आपको रिजर्व रखनी चाहिए, जो गरीब आदमी है, चाहे हरिजन हो या आदिवासी हो, गरीब ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जाट भी हो सकते हैं—उनके लिए भी सीटें होनी चाहिए और उनका सारा खर्चा सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए।

कुछ प्राइवेट इंस्टीचूशन्ज ऐसी हैं, चाहे आप दिल्ली की ले लें या कहीं की भी ले लें, जो दुकानें बन गई हैं, टीचिंग-शाप्स बन गई हैं जहां विद्यार्थियों को एक्सप्लाएट किया जाता है। इसलिये मेरा अनुरोध है शिक्षा में भी समानता आनी चाहिये, असमानता खत्म करनी चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है—पावर्टी लाइन से बिलो जो फैमिलीज हैं उनके बच्चों को स्कालरशिप देने के लिये "स्कालरशिप फण्ड" क्रिएट किया जाये। बजाय इसके कि आप लोगों से स्पेशल बीअरर बाण्डस खरीदने के लिये कहें, आप लोगों से यह कहें कि पावर्टी-लाइन से नीचे के बच्चों के लिये यह फण्ड क्रियेट किया गया है, जो इसमें पैसा जमा करायेंगे उनको इन्कम-टैक्स में कन्सेशन दी जाएगी। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर दें तो इसका बहुत लाभ होगा और बच्चों के लिये एक फण्ड बन जाएगा।

अभी माननीय सदस्य कैंयूर भूषण जी ने कहा — कुछ छूआछूत का उल्लेख किया। इत्तिफाक से मैं भी उसी जाति से सम्बन्धित हूं जिन्हें लोग हरिजन कहते हैं। आर्य-समाजी हूं और आर्य समाजी स्कूल में पढ़ा हूं। पूरी फीस देता था, होस्टल में रहता था, लेकिन आर्य समाज के उस स्कूल में भी—मैं किसी सनातन धर्मी स्कूल की बात नहीं करता हूं—मेरे बर्तन अलेहदा थे, मैं किचन में नहीं जा सकता था। मेरा आपसे अनुरोध है कि शिक्षा के माध्यम से इस छूआछूत को दूर करने के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये, कम से कम इन इंस्टीचूशन्ज को इस तरह की हिदायत दी जानी चाहिये कि इस तरह छूआछूत न बरता जाये।

मुझे एक बात की खुशी है—वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं—उसी आर्यसमाजी स्कूल के होस्टल में, जहां मैं रहता था और जहां के किचन में जाने की मेरे लिये पाबन्दी थी, जहां मेरे बर्तन अलेहदा थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथियों ने उनको मजबूर कर दिया कि मैं ज़रूर किचन में दाखिल होऊंगा, वहां झगड़ा हुआ तो उन्होंने यह तय कर दिया कि या तो सूरजभान रहेगा या वह होस्टल और स्कूल बन्द होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने यह स्टैण्ड लिया, इसलिये आप उनके खिलाफ कम से कम इस तरह का इल्जाम न लगायें।

साठे जी, उनको ज्यादा जानते हैं, वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में पहले गये हैं···

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : बहुत अच्छी तरह से पता है।

श्री सूरजभान : बचपन में गये हैं।

श्री वसन्त साठे : बहुत बड़े पैमाने पर छूआछूत वहाँ पर होता है।

श्री सूरजभान : मंत्रीपद से हटाये जाने के डर से ऐसा कह रहे हैं। अभी मेरी एक बहन कह रही थी कि यूनीवर्सिटीज सियासत और गुण्डेपन का अखाड़ा बन गई हैं। यह बड़े दुख की बात

है, मैं भी उनसे सहमत हूं। यूनिवर्सिटीज को सियासत का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिये, गुण्डापन वहां पैदा नहीं होने देना चाहिये। पिछले साल के आखिर में हमारे यहां एक बहुत अखबार है—ट्रिब्यून—उसमें एक लेख फर्स्ट पेज पर निकला, जिसमें लिखा था :

(Eve-teasing School in Delhi University Campusn.)

उस राइटर ने काफी लम्बा लेख लिखा था जिसमें उसने कई उदाहरण दिये, जो वहां पर उसने देखे थे। कम से कम यह चीज जरूर खत्म होनी चाहिये। कभी हमारी यूनीवर्सिटीज में डा० राधाकृष्णन वाइसचांस्लर होते थे, श्री आसुतोष मुखर्जी, श्री सी० पी० रामास्वामी, डा० जाकिर हुसैन वाइसचांस्लर होते थे। यूनीवर्सिटी में उनकी प्रेस्टिज थी, विद्यार्थी भी उनकी इज्जत करते थे, टीचर्स भी उनकी इज्जत करते थे, और सरकार भी उनकी इज्जत करती थी। लेकिन आज हमारी यूनीवर्सिटीज खिलवाड़ बन गई हैं। यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और एक और संस्था बनी हुई है, उसने भी रिकमेण्ड किया है कि वाइसचांस्लर केवल ऊंचे दर्जे के एजूकेशनिस्ट होने चाहिये। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यू० पी० की 6 यूनीवर्सिटीज में पिछले साल 6 ब्यूरोक्रेटेस वाइसचांस्लर बने। हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी का वाइसचांस्लर एक ब्यूरोकेट है। नतीजा यह है—मैं हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी के बारे में जानता हूं—हाईकोर्ट में 8-10 रिट्स चल रही हैं। मैं इसलिये उनका जिक्र यहां नहीं करना चाहता क्योंकि मामला सब जूडिस है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा—कम से कम यूनीवर्सिटीज से तो ब्यूरोक्रेट्स को हटाया जाये।

मैं तो यह भी मांग करना चाहता हूं—एक राउण्ड टेबिल कान्फरेंस—विद्यार्थियों, उनके माता-पिता, प्रोफेसरों, वाइसचांस्लरों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की बुलायें जिसमें इन चीजों पर विचार हो कि कैसे यूनीवर्सिटी के माहौल को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है और इस पर सोचा नहीं जा रहा है और मैं तो सजेस्ट करता हूं कि यूनिवर्सिटीज का ढांचा ठीक से चल सके, उसके लिए केन्द्र की तरफ से कोई ऐसा माडल बाई-एक्ट बनाया जाए जैसे कि काआपरेटिव सोसाइटीज के लिए माडल बाई-लाज हो हैं। उसको यूनिवर्सिटीज को भेजा जाए और यनिवर्सिटियां उस पर एक्ट अपोन करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कहानियां रोजाना यहां पर सुनते रहते हैं। वहां पर 5 लाख रुपये खर्च करके कुछ लोगों को बाहर फील्ड स्टडी के लिए भेजा गया लेकिन 3। आदमियों ने वापस आकर कोई थीसिस नहीं दी। इस तरह से यह जो पांच लाख रुपया था, यह वेस्ट गया।

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी एक थीसिस लिखी जाए।

श्री सूरजभान : बहुत अच्छा आपका सुझाव है। इसी यूनिवर्सिटी से चार एक्सपर्ट्स को बढ़ाया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने एक सज्जन को प्रोफेसर लगाया गया। मेरे पास नाम जरूर है लेकिन मैं नाम कोट नहीं करना चाहता। उस सज्जन ने प्रोफेसर बनने के बाद अपने उन चारों महरबानों को लेक्चरार लगा दिया। तुमने मुझे लगा दिया और मैंने तुम्हें लगा दिया, अगर ऐसी व्यवस्था चलेगी, तो एजूकेशन का स्टैन्डर्ड तो ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हर विद्यार्थी को स्कोलरशिप मिलती है लेकिन

बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, जो कि होस्टल का खाने का खर्चा दिये बगैर चले गये और लाखों रुपया उन पर ड्यू है। मैं यह चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में विजिटरल इंक्वायरी हो, विजिटर ही इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए और वहां की हालत में सुधार हो। एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दिल्ली एजूकेशन एक्ट का थ्री लैंगुएज फार्मूला केवल कागज पर रह गया है। दो लैंगुएज तो जरूरी हैं और तीसरी ओप्शनल का नतीजा यह होता है कि कोई हिन्दी छोड़ता है, तो कोई संस्कृत छोड़ता है और अंग्रेजी सभी पढ़ते हैं। मेरा कहना यह है कि थ्री लैंगुएज फार्मूला दिल्ली में लागू होना चाहिए।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि फिजिकल इंस्पेक्टर स्कूलों में लगे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उनकी जगह पर योग के टीचर लगाए जा रहे हैं। दो-दो महीने की ट्रेनिंग देकर उनको सलेक्ट कर लिया जाता है और रख लिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, उन सबको दो-दो महीने की ब्रह्मचारी जी से योग की ट्रेनिंग दिलवा दी जाए ताकि उनकी सर्विस खतरे में न पड़े।

दिल्ली में एशियाड के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च करने की बात थी और अब यह कह रहे हैं कि यह खर्चा 1,000 करोड़ रुपये तक होगा। इन 1000 करोड़ रुपयों में स्टेडियम बनेंगे लेकिन स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए क्या हो रहा है। केवल 1200 स्कोलरशिप्स प्लस 100 यानी 1300 स्कोलरशिप्स देने की बात है, जिन पर 1 लाख 60 हजार रुपये के करीब खर्च होगा। अगर स्पोर्ट्समैन दूध नहीं पियेगा और अच्छी खुराक नहीं खाएगा, तो नतीजा क्या निकलेगा। उसको अच्छी स्कोलरशिप मिलनी चाहिए। स्टेडियमों पर तो आप 1000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। उन पर आप 1 करोड़ रुपया भी नहीं खर्च कर सकते। मैं यह भी चाहता हूं कि स्पोर्ट्स को एजूकेशन का पार्ट होना चाहिए, तभी हम इस दिशा में कुछ कर सकते हैं।

अध्यक्ष सहोदय, आप भी इसको जानते होंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से 8 साल पहले गवर्नर साहब ने एनाऊन्स किया था कि गुरु रविदास की एक चेयर वहां बनाई जाएगी लेकिन आज तक वह चेयर नहीं बनाई गई है। अभी पिछले महीने एक एडवरटाइजमेंट निकला है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रोफेसर की चेयर भरने के लिए जो भी दरखास्त दे, वह पंजाबी का स्कोलर हो और उसे हिन्दी का भी ज्ञान हो और ऐसा आदमी ही उसके लिए एप्लाई कर सकता है। गुरु रविदास जी के जो प्रवचन हैं या उनकी जो वाणी है, वह पंजाबी में नहीं है। वे या तो बृज भाषा में लिखे गये हैं या फिर हिन्दी में। मैंने आदरणीय श्रीमती शीला कौल को पत्र भी लिखा था लेकिन इत्तिफाक की बात है कि उनका कोई जवाब नहीं आया। पंजाब के गवर्नर साहब को जब लिखा, तो उन्होंने यह लिखा कि वाइस प्रेसीडेंट आफ इन्डिया इस यूनिवर्सिटी का चांसलर हैं, इसलिए उनको लिखना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु रविदास की जो चेयर बनाने की बात है, वह पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है बल्कि गुरु रविदास की जो विचारधारा है, उनके जो विचार हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए है। मेरा कहना यह है कि जिन्होंने गुरु रविदास की वाणियों पर या जीवन पर रिसर्च किया है, ऐसे लोगों को उसमें लगाया जाए और इसमें जो पंजाबी भाषा की शर्त लगाई गई है, उसको हटाया जाए। गुरु रविदास ही नहीं बल्कि और भी बहुत से महापुरुष हुए हैं जैसे भगत कबीरा, मलूक दास, अब्दुल रहीम खानखाना, पदमावत के

रचियता मलिक मोहम्मद जायसी और सुब्रह्मण्यम भारती, ऐसे महापुरुषों की भी चेयर बनाई जाए और नार्थ इन्डिया में भी वह हो। केवल साउथ में ही नहीं, नार्थ में भी होनी चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क पैदा करना नहीं, बल्कि यह शिल्प पर आधारित और जाब ओरिएंटेड होनी चाहिए।

एन० सी० आर० टी० सी० के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह भारत के इतिहास को विदेशी आंखों से न देखे, जो कुछ वे लिखते हैं, उसमें अधिक देश का होना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और गरीब आदमी ड्रेस, बस्ता और किताबों का बोझ वहन नहीं कर सकता। उसको अच्छे शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। इसका सीधा सम्बन्ध तो शिक्षा मंत्रालय से नहीं है, लेकिन फिर भी सम्बन्ध है, यू० पी० में देवबन्ध में दारुल अलूम मुसलमानों की शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। वहां पर बच्चे, नौजवान और बूढ़े, सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं और भारत के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए शिक्षा का केन्द्र है। पिछले साल वहां पर एक जश्न भी हुआ था, जिसमें आदरणीया प्रधानमंत्री जी भी गई थीं। लेकिन उसके बाद उस संस्था पर कब्जा करने के लिए सियासत वहां भी घुस गई। "जमायते उल्मा-ए-हिन्द" के चीफ, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, ने गुण्डों और पुलिस की सहायता से यहां पर नाजायज कब्जा किया है, जिससे मुसलमानों के दिल में गम और गुस्से की लहर है।

मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि वहां से सियासत बाहर निकले और जो नाजायज कब्जा है वह हटना चाहिए। इस बारे में मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज से इन्क्वायरी करा ली जाए या मुख्तलिफ पार्टियों के मुस्लिम एम० पीज० और एक्स० एम० पीज० की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करा ली जाए और जो भी वह निर्णय दे, उसके अनुसार करना चाहिए, ताकि इस संस्था की गरिमा को बहाल किया जा सके।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

यह वास्तव में सही है कि हमने शिक्षा में जो आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए था, वह नहीं किया। यह प्रसन्नता की बात है कि संविधान में बयालीसवें संशोधन द्वारा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो गई है। इसलिए मुझे आशा है ही नहीं बल्कि विश्वास है कि शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकीकरण के स्वप्न को पूरा कर सकेंगे।

मान्यवर, शिक्षा एक प्रकाश स्तम्भ है जो कि हर व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं को प्रकाशमान करती है। शिक्षा का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आज हमारे देश में शिक्षा

29% है यह प्रतिशत बहुत कम दिखाई पड़ता है। विश्व का मानचित्र देखें तो पता लगेगा कि पूरे विश्व में 72 करोड़ निरक्षर है, इसमें से 42 करोड़ हमारे देश में हैं। आखिर यह अशिक्षा का साम्राज्य कब तक जारी रहेगा। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में हमने शिक्षा को नि:शुल्क और बुनियादी माना है, लेकिन हम अभी तक शिक्षा को अनिवार्य और नि:शुल्क नहीं कर पाए हैं।

शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। वैदिक काल में जो शिक्षा थी, मध्य-काल में उससे भिन्न थी। ब्रिटिश काल में कुछ और थी, परन्तु आज जो शिक्षा है वह एक ऐसा पौधा है, जिसे सात समुद्र पार से लाकर यहां लगाया गया। इस देश का क्लाइमेट उस पौधे के लिए सूटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कृत्रिम सांस देकर आज तक जिन्दा रखा गया और हमारी सारी शिक्षा को वेस्टर्नाइज कर दिया गया। उसके परिणामस्वरूप उस पौधे से जो फल प्राप्त हुआ वह है "बेरोजगारी" जो आज हमारे देश में हर जगह दिखाई देती है।

शिक्षा में परिवर्तन की बातें बहुत कही जाती हैं। पार्लियामेंट में भी और इसके बाहर भी कई शिक्षा-शास्त्रियों ने अपने मत व्यक्त किए हैं कि इस शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कई आयोग बिठाए गए। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए 10 प्लस 2 प्लस 3 स्कीम के बारे में भी सुझाव दिया। परन्तु यह स्कीम जो आपने चलाई है यह सभी जगह लागू नहीं हुई है वहां पर भी इसके नतीजे सन्तोषजनक नहीं हैं। कई राज्यों में तो यह स्कीम लागू ही नहीं हुई है। खासतौर से राजस्थान का उदाहरण में पेश करना चाहती हूं। वह एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य है जिसका हमेशा ओवर ड्राफ्ट रहता है। आज वहां पर कोई नए स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। इस 10 प्लस 2 प्लस 3 की कल्पना करना तो एक तरह से व्यर्थ होगा। मेरा निवेदन है जिस प्रकार से पिछड़े हुए राष्ट्रों को विश्व बैंक या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विशेष प्रकार की सहायता देते हैं उसी प्रकार जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सहायता मिलनी चाहिए।

आज यूनिवर्सिटी शिक्षा से लेकर सैकेंडरी, प्राइमरी सारी शिक्षा में कुछ न कुछ डिफैक्ट हमें दिखाई देता है। सबसे पहले मैं प्री प्राइमरी एजूकेशन के बारे में कहना चाहती हूं। यह केवल कुछ स्थानों पर सीमित हो गई है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्री प्राइमरी एजूकेशन उन आदिवासी और ग्रामीण बच्चों के पास नहीं पहुंचाई गई हैं जिनका प्रतिशत आपकी जनसंख्या के आंकड़ों में अस्सी है। इसी प्रकार से प्राइमरी और सैकेंडरी एजूकेशन राज्य का विषय होते हुए भी इसके समवर्ती सूची में आने की वजह से कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। हमारा सारा पाठ्यक्रम या सिलेबस जो है वह डिफैक्टिव है। पुरानी बातें बताई जाती हैं। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। देश तथा प्रांत की कौन-सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कौन से इतिहास पुरुष हुए हैं, इन सब बातों की जानकारी विश्व इतिहास के साथ विश्व विज्ञान के साथ बच्चों को कराई जानी चाहिए। पुराने समय में हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी जहां शिक्षा दी जाती थी वह बहुत अधिक उपयुक्त थी। आज उसको हम माडर्न वे में, परिवर्तित तरीके से दे सकते हैं। इसका एक एक्सपैरिमेंट माऊन्ट आबू में किया गया है। वहां एक "गुरु शिखर" नाम की संस्था है जिसमें माडर्न एजूकेशन के साथ-साथ टीचर और टाट का क्या सम्बन्ध है, पुराने

सम्बन्धों को फिर से दोहराया गया है। आज हमारा प्राइमरी एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है वह बड़ा ही अरुचिपूर्ण है। पर किताबों को बोझा बहुत ज्यादा लाद दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि थ्योरेटिकल नालेज के साथ प्रैक्टिकल को जोड़ा जाना जाहिए। अगर कोई अध्यापक ज्योग्रेफी पढ़ाता है वह बच्चों को ले जाकर दिखाए कि पहाड़ क्या हैं, नदियां क्या हैं, नाले क्या हैं। यदि वह इतिहास पढ़ाता है तो महापुरुषों को फिल्म शो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए। यदि वह किसी उपज के बारे में पढ़ाता है तो खेत खलिहान में ले जाकर उसको पढ़ाए। शिक्षा में किताबों का बोझ जो आज बच्चों पर है कम किया जाना चाहिए।

थ्री लैंगुएज फार्मूला केवल यूनिवर्सिटियों में लागू है। हर स्तर पर इसको लागू किया जाना चाहिए जिसमें प्रान्तीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी जो एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, उसकी शिक्षा आवश्यक हो।

ऐसे स्कूल खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हैं जिनको वन मैन स्कूल कहा जाता है। एक ही आदमी प्राइमरी स्कूल की सभी पांचों कक्षाओं के सभी बच्चों को पढ़ाता है। वह कैसे पढ़ा पाएगा, यह समझ में नहीं आता है। इस प्रकार की संस्थाओं से एक तरह से आप बच्चों के साथ मखौल कर रहे हैं। एक व्यक्ति कभी भी इस तरह से शिक्षा नहीं दे सकता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

हमारे स्कूल टीचर्स का समाज में आज आदर नहीं होता है। जापान का उदाहरण मैं देती हूं। वहां यदि एक टीचर बस में चला जाता है तो बस के सब लोग खड़े होकर उसको स्थान देते हैं। हमारे यहां क्या होता है इसका आप जानते ही हैं। अध्यापकों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। समाज के दृष्टिकोण को बदलेंगे तभी जाकर के शिक्षा का सही रूप दिया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में लोगों ने कई सुझाव दिये कि इसका व्यावसायिक रूप होना चाहिये। मैं भी कहना चाहती हूं कि जहां पर आपने 10 प्लस 2 स्कीम लागू की है वह भी सफल नहीं हुई है। आपको 2 साल सामान्य ज्ञान के साथ बोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी तरह से देनी चाहिए जैसे मेकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, वर्कशाप वेटेरिनरी साइंस, होम साइन्स और ऐग्रीकल्चर साइन्स के बारे में उन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इससे दो लाभ होंगे। एक तो लोग बाबूगीरी की मृगतृष्णा की ओर नहीं जाएंगे और दूसरे यूनिवर्सिटीज और कालेजों पर भी भार कम हो जाएगा और लोग अपने आप रोजगार में लग जाएंगे।

इसी तरह से मेरा कहना है कि आज का पेपर सैटिंग का सिस्टम खराब है। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले यहां चर्चा हुई थी। ऐग्जामिनेशन सिस्टम बदलने की जरूरत है, सारा का सारा ऐग्जामिनेशन पैटर्न जो अभी 10 सवाल में से 5 सवाल और 3 घन्टे वाला सिस्टम है इस पैटर्न को बदलना जरूरी है। टीचर आता है वह कहता है कि पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि क्या इस पैटर्न को नहीं बदल सकते? जरूरी है कि 3 घन्टे में 10 क्वेश्चन करने ही होंगे? इस सिस्टम को और ऐग्जामिनेशन पैटर्न को चेन्ज करना पड़ेगा। आजकल बाजारों में जो चीज मिलती है, वन डे सक्सेस, श्योर सक्सेस आदि इसको बैन करना चाहिए। यह बच्चों के सोचने के दायरे को संकुचित करती है और पुस्तकालयों में जो अच्छी-अच्छी किताबें होती हैं उनका कोई उपयोग

नहीं करता। इसलिए इस तरह की बाजारी सस्ती पुस्तकों को बैन करना चाहिए। काम-धंधे के बारे में हर स्कूल में एक सैल होनी चाहिए जो जानकारी दे कि कौन-कौन से व्यवसाय में कैसे लग सकते हैं और उसके लिए किस-किस जगह से कर्ज मिल सकता है।

विश्वविद्यालय की शिक्षा भी बेहाल है। यू० जी० सी० लाखों रुपया विश्वविद्यालयों को देता है। परन्तु वहां क्या होता है ? विद्यार्थी विध्वंसात्मक कार्यों में लग जाते हैं। कभी असम आन्दोलन, कभी गुजरात का आरक्षण विरोधी आन्दोलन। विद्यार्थियों में एक आक्रोश एक फ्रस्ट्रेशन तो यह फ्रस्ट्रेशन विद्यार्थियों में क्यों है, इसको खोजना होगा। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के आगे प्रश्न चिन्ह है। क्या करना है आगे वह नहीं समझ पाते हैं ? इसलिए ऐसे कामों में लग जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न चिन्ह को हटाकर विद्यार्थी किस तरफ जाएगा उसके भविष्य का निर्धारण यूनीवर्सिटीज में करना होगा। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज में इतनी अधिक तादाद में विद्यार्थी होते हैं कि टीचर और टोट का सम्बन्ध एक श्रोता और टेप रेकार्डर का हो गया है। इसलिए सबसे पहले यूनीवर्सिटीज में संख्या को सीमित करने के लिए ऊंचा परसेंटेज कर दीजिये। अमरीका, फ्रान्स आदि में यूनीवर्सिटी ऐजूकेशन वही व्यक्ति लेते हैं जिनकी पढ़ने में रुचि है। हड़ताल करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए प्रवेश का परसेंटेज बढ़ा दीजिए। एक बार जो विद्यार्थी फेल हो जाता है उसको दुबारा ऐडमीशन नहीं मिलना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि सभी विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा है उसमें आप एन० सी० सी० और मिलिटरी साइन्स को कम्पलसरी कर दीजिये। उससे युवकों का जो फालतू समय है वह एक अच्छे काम में लग सकेगा और एक सैकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स आपकी तैयार हो सकेगी। इसके साथ ही मोरल एजूकेशन और सैक्स एजूकेशन भी यूनीवर्सिटीज में दी जानी चाहिए ताकि एक अच्छा दृष्टिकोण और स्वस्थ वातावरण इसके लिए बन सके।

शिक्षा मन्त्रालय समवर्ती सूची में आने के बाद यूनिवर्सिटी एजूकेशन पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के हाथ में होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर, रीडर्स, प्रोफेसर्स और लैक्चरर्स हैं, उनका सलैक्शन भी सैंटर से ही होना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहूंगी कि जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी तरह से यूनिवर्सिटीज सर्विस कमीशन भी होना चाहिए और उसी के द्वारा सलैक्ट हुए लोगों का एक कैडर बना देना चाहिए जिससे वह प्रोफेसर और लैक्चर होकर यूनिवर्सिटीज में जा सकें।

आज हमारे यहां कई इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनको अच्छी समाजोपयोगी शिक्षा दी जा सकती है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां कि जातिवाद के कीटाणु बढ़ते हैं। इसके लिए भी बैलेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको चैक एंड बैलेंस रखना होगा। इसके लिए इन्टर यूनिवर्सिटीज ट्रांस्फर किये जाने चाहिए जिससे इस प्रकार की अव्यवस्था न हो।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : एक सैकिंड में समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो दो सैकिंड कह रही थीं। आज मेरे ख्याल में महिला मन्त्री का आधिपत्य देखकर आपका मन बढ़ा है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : आपने 10 मिनट भी नहीं दिया है, जबकि दूसरे लोग आधा-आधा घन्टा बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपके 15 मिनट हो गये हैं, आप समाप्त करें ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं निवेदन करना चाहूगी कि आपकी विश्वविद्यालयी शिक्षा की यूनिफार्म पालिसी और इसके साथ ही साथ यूनिवर्सल पालिसी होनी चाहिए । यूनिवर्सिटी एजूकेशन में कम से कम एकसा सलेबस हो, एक से एग्जामिनेशन पेपर्स हों, ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ।

प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजूकेशन के लिए आपने छठी पंचवर्षीय योजना में 123 करोड़ रुपया रखा है, इसका मैं स्वागत करती हूं और कहना चाहूंगी कि अडल्ट एजूकेशन को आपको एक विशेष प्रारूप देना है जिससे अक्षर ज्ञान के साथ-साथ हमारे गांवों के प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों को अन्य विषयों की भी जानकारी मिले, प्रशिक्षण मिले ।

हमारी कई ऐसी ड्राइवज सोसाइटीज हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नीलगिरि, राजस्थान व मध्य प्रदेश में उनकी एन्थ्रोपोलोजीकल स्टडीज के बारे में भी मैं कहना चाहती हूं । एन्थ्रोपोलोजीकल म्यूजियम बनाये जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें, श्री डी० पी० यादव ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, परन्तु आपने जितना समय दिया है उसमें अपने विचार रखकर मैं शिक्षा के अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं ।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : अध्यक्ष जी, अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के 12 साल के दरम्यान में 6 साल शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री रहा हूं । मेरा लगाव इस मन्त्रालय से अपने घर जैसा हो गया है । 6 साल तक मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ बोला नहीं, 12 साल के अपने अनुभव को कुछ मिनट में रखने की कोशिश करूंगा । अध्यक्ष जी, आप पहली घन्टी भी बजाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा ।

आज हम किस ओर जा रहे हैं शिक्षा के मामले में ? शायद अभी तक हम राष्ट्रीय नीति निर्धारित नहीं कर पाये हैं ? आज उसी की आवश्यकता हो गई है, आत्म-विवेचन की । डायरेक्शन्स हमको किस ओर ले जाना चाहती हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, एसपिरेशन्ज क्या हैं, देश की एसपिरेशन्ज क्या हैं ?

किसी भी देश की आकांक्षा, इच्छा, सरकार के जो हेड होते हैं, इस सदन का जो नेता होता है, उसकी वाणी में होती है । योजना आयोग में वह परिलक्षित होता है । देश की नेता प्रधान मन्त्री जी ने योजना के प्रारूप में कहा है कि "भारत के आकार और विविधता वाले देश में प्रगति सभी वर्गों के सहभागिता और पूर्ण सम्बद्धता पर निर्भर करती है ।"

दो शब्द आये हैं "सहभागिता" और "पूर्ण सम्बद्धता का। अन्त में" प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि प्रजातंत्रीय आयोजन का अर्थ है लोगों की शक्ति का उपयोग करना और उनकी पूर्ण सहभागिता प्राप्त करना। पीपल्ज पार्टिसिपेशन और समर्थन, यही आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सिद्धान्त होगा, मैं ऐसा अनुभव करता हूं।

मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब तक किसान की समस्या से शिक्षा को नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक कलम और कुदाल का मेल नहीं होगा, तब तक हम चाहे लाख बातें करें, शिक्षा में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह कोई कैमिकल कम्पाउन्ड नहीं है, या फिजिकल आवजेक्ट नहीं है, जिसको कैमिकल एक्शन से, या मैकेनिकल फोर्स से, या किसी और मैथड से परिवर्तित कर दिया जाए। जिस किसी ने भी यह नारा दिया हो—कई माननीय सदस्य भी कहते हैं कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए—मैं समझता हूं कि यह खोखला नारा है और हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

हमने देश में शिक्षा के लिए जो इनफ्रा-स्ट्रक्चर तैयार किया है, वह कम नहीं है। युनाइटिड किंगडम से हमारे यहां प्रति हजार ग्रेजुएट्स ज्यादा हैं। विश्व में हम तीसरी साइन्टिफिक और टेकनिकल मैनपावर हैं। हमारे यहां दस करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हमारे पास 123 यूनिवर्सिटीज, 5,000 कालेज और इन्जीनियरिंग के 123 या 124 डिग्री कालेज हैं। इसलिए यह कहना कि अमुक परिवर्तन कर दो, तो शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

मंत्री महोदया से मेरी गुजारिश है कि देश के लिए हर व्यक्ति सहभागिता कैसे प्राप्त करें, आज इस पर शिक्षा देने की आवश्यकता हो गई है। कृषि के क्षेत्र में क्या स्थिति है ? हमने 56 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई की क्षमता तैयार कर दी। लिखा है कि एक हैक्टेयर में कम से कम चार से पांच टन गल्ला पैदा होना चाहिए। तो केवल सिंचित क्षेत्र में ही कम से कम 250 मिलियन टन गल्ला पैदा हो जाना चाहिए। हमारी रेक्वायरमेंट 131 मिलियन टन है। लेकिन अगर हम पिछले दस साल का रिकार्ड उठाकर देखते हैं, तो गल्ले का हमारा औसत उत्पादन मात्र 113 मिलियन टन हुआ है। हम इस देश के लोगों को इतना भी शिक्षित नहीं कर पाए हैं कि हमारी फूड रेक्वायरमेंट्स क्या हैं। फूड पालिसी क्या है। मन्त्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा कि लोगों का हमारी फूड रेक्वायरमेंट्स और कनजरवेशन आफ फूड आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए अगर करीकलम में परिवर्तन करना पड़े, तो वह करना चाहिए।

जहां तक हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, जब हम पब्लिक एन्टरप्राइजिज सरवे का निगाह डालते हैं, तो देखते हैं कि पब्लिक एन्टरप्राइजिज 22,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, लेकिन उनमें नफा कमाने के बजाए हमें प्रतिवर्ष करीब-करीब 500, 600 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। हम लोगों को यह शिक्षा देने में भी सामर्थ्यवान नहीं हो पाए हैं कि 22,000 करोड़ रुपए की इनवेस्टमेंट करने के बाद हमें घाटे के बजाए नफा होना चाहिए। यह कैसी शिक्षा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है।

मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं का ज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चे-बच्चे तक पहुंचायें। कनजरवेशन आफ एनर्जी, कनजरवेशन आफ फूड, कनजरवेशन आफ

रीसोर्सिज, ये सब बातें शिक्षा में लाई जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि तभी हम कुछ परिवर्तन कर सकेंगे । हमारे पास 37 लाख शिक्षकों की सेना है । आप उनसे नेशनल फिगर्ज के बारे में कोई साधारण से साधारण बात पूछिए, तो उन्हें उसका ज्ञान नहीं होगा । प्राइमरी शिक्षक क्या, अगर आप कालेज के शिक्षक को पूछें कि प्लान डाकुमेंट किसको कहते हैं, रीसोर्स सरवे किसको कहते हैं, एनडाउमेंट सरवे किसको कहते हैं, तो वे बताने में असमर्थ होंगे जब तक हमारे पास नई आवश्यकताओं के अनुरूप नई शिक्षा-प्रणाली नहीं होगी, तब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे । बातें हम बहुत कर लेते हैं । कहते हैं हेल्थ फार आल होनी चाहिए 2000 ए डी तक लेकिन यह सम्भव नहीं । आपके पास 37 लाख की फौज है, उसको आप कैसे ट्रेन अप कीजियेगा और डेलिवरी सिस्टम कैसे तैयार कीजियेगा ? प्राइमरी से लेकर कालेज टीचर तक एफशिएन्सी आफ टीचिंग घट गई है, यह हमको मानकर चलना चाहिये । तो डेलिवरी सिस्टम में एफीशिएन्ट टीचिंग कैसे हो ? यह सोचिए । इसको आप रिसोर्स मोबिलाईजेशन करके करें । कुछ लोग कहते हैं कि प्लान फंड बढ़ा दीजिए लेकिन प्लान फंड बढ़ने वाला नहीं है । 2523 करोड़ 74 लाख भी अगर आपको सिक्स्थ प्लान में मिल जाए तो काफी है, हम इसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे । वैसे इसमें घटेगा ही इसलिए कम राशि में ही आपको काम चलाना पड़ेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बड़ी फौज को आप किस प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट में, नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स इनवाल्व कीजिएगा, कैसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की टीचिंग दीजिएगा और कैसे नेशनल इंटिग्रेशन में इन शिक्षकों को लगा सकिएगा, इन बातों पर आप तबज्जह देने की कृपा करें ।

अभी हमारी बहनजी कह रही थीं कि वोकलाईजेशन कीजिए । मैं समझता हूं इस देश का हर बच्चा जो लोहार के घर में पैदा हुआ है उसका वोकलाईजेशन है, जो किसान के घर में पैदा हुआ है उसका वोकलाईजेशन है, जो सोनार के घर में पैदा हुआ है उसका वोकलाईजेशन है । इसलिए आज वोकलाईजेशन की आवश्यकता समाज में नहीं रह गई है । आज जरूरत इस बात की है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में एन्डाउमेन्ट के अनुपात में किस प्रकार से आप्टिमम यूज करके प्रशिक्षित कर सकें, यही हमारे प्रशिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए .

यहां पर आफिसर्ज गैलरी में जितने आफिसर्ज बैठे हुए हैं इनमें से 70-80 प्रतिशत लोगों ने मेरे साथ भी काम किया है । उनकी एबिलिटी पर, उनकी क्षमता पर, मुझे विश्वास है । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं इनमें एक से एक टैक्नाकेट्स हैं, एक से एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्ज है । उनकी कैपेबिलिटी में, उनकी कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है । अगर कमी है तो यह कि किस प्रकार से उनकी क्षमता को एक साथ मोबिलाइज करके डैप्लाय कर सकें । लीडरशिप में जिस दिन कमी हो जाएगी उस दिन देश के शिक्षक भटक जायेंगे । फिर आप पर तोहमत आयेगी, हम पर भी तोहमत आयेगी, और अध्यक्ष जो आप पर भी तोहमत आयेगी । लोग कहेंगे, अध्यक्ष ऐसे थे जिन्होंने डायरैक्शन ठीक से नहीं दी । इसलिए ठीक से डायरैक्शन देना आपका काम है...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए लगातार देता रहता हूं ।

श्री डी० पी० यादव : मिनिमम नीड्स जो शिक्षा के लिए, प्राइमरी शिक्षा हो या सैकण्डरी शिक्षा हो, वह देना आवश्यक है । आप सैन्ट्रल स्कूल्ज की तरह की बिल्डिंग सभी के लिए न बना

सकें, लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए तीन-चार कमरे किसी न किसी प्रकार लोकल रिसोर्सेज से या गवर्नमेन्टल हैल्प से बनाने ही चाहिए। बिना बेसिक नीड्स को सप्लाई किए हुए अगर हम चाहें भी तो भी हमारा काम नहीं चलेगा।

अन्त में मैं एक बात और कह दूं कि 1975-76 में हमने बड़ा हल्ला करके शिक्षा को कानकरैक्ट लिस्ट में रखा। 1976 से लेकर आज तक कानकरैन्ट लिस्ट में रखने के बावजूद भी एक भी डायरैक्शन शिक्षा मन्त्रालय की ओर से राज्य सरकारों को नहीं गई और न ही कोई नेशनल पालिसी बनी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप वह पालिसी बनायें और डायरैक्शन दें। देश की अखण्डता का भार केवल गृह मंत्रालय पर नहीं, आपके ऊपर भी है। बस इतना ही निवेदन करके मैं बैठना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले दो-तीन साल के बाद शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित डिमाण्ड्स डिस्कशन के लिये यहां पर रखी गई हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत सारे अच्छे सुझाव दिये हैं। शिक्षा के महत्व के बारे में मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने प्रकाश डाला है। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा लोग कहते हैं देश में शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये। शिक्षा पद्धति में जो दोष है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस कदर हमारे शिक्षित लोग बेकार घूम रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत ही विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। इस बात को लेकर हमारे देश के नौजवानों में बहुत असन्तोष है। बेकारी के मारे भटकते फिर रहे है। नौकरी की तलाश में फिरते-फिरते तंग आ चुके हैं कि उनको अपनी जिन्दगी बोझिल लगने लगी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के हालत को देखते हुए जो साइड-इफैक्ट्स बढ़े हैं, उस पर हमें गौर करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि चाहे कानून और व्यवस्था की बात है, चाहे दूसरे प्रकार के आन्दोलन हैं, इन सबको देखते हुए आपको मानना पड़ेगा कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से इसका बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। इसकी ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि हमारी बहन ने वोकेशनल कोर्सेज के बारे में कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश से जब तक बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती, जबकि वोकेशनल कोर्सेज के द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को कुछ इस प्रकार के काम सिखायें, ताकि वे श्रम की प्रतिष्ठा करना सीखें। अगर वे अपने जीवन में प्रैक्टिल वर्क कर पायेंगे, तो आने वाले समय में हमारे देश को उसका लाभ मिलेगा। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा। मेरी ऐसी धारणा है कि वोकेशनल कोर्सेज और परिवार नियोजन के द्वारा, जनसंख्या को नहीं रोका जाएगा, तो आने वाले दिनों में हम बेरोजगारी की समस्या को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे देश में शिक्षा का व्यापार शुरू हो गया है। जिस प्रकार की आज हालत है, चाहे कान्वेंट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हों, जो

समाज में असमानता पैदा करते हैं, उन सबको दूर करने के लिए सारे सदन के माननीय सदस्यों की भावना जुड़ी हुई है। इसके कारण जो एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, उस पर सदन को विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि शिक्षा व्यापार के रूप में फैलती जा रही है, जिस प्रकार अलग-अलग तरह की दुकानें होती हैं, उसी प्रकार कुछ तत्वों ने पूरे देश के अन्दर शिक्षा को व्यापार के रूप में शुरू किया है। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े आफिसरों, आई० ए० एस० के बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन जो देश का गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है या जो इतना गरीब है कि उसके पास इतनी सुविधायें नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को कान्वेन्ट स्कूल और पब्लिक स्कूलों में दाखिल करवा सके, इस असमानता को दूर करने की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

अब समय आ गया है, हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस असमानता को देखते हुए गरीब बच्चों के अन्दर हीन भावना घर कर गई है। जबकि संविधान में अन्दर यह प्रावधान है कि सभी को समान अवसर पढ़ने के लिए मिलने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 30 या 19 (जी) की बात हैं, जिसके अन्तर्गत यह कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अलग-अलग धर्मों के नाम पर स्कूल चलाते हैं, उनको बन्द नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे स्कूलों में बारे में सोचना पड़ेगा कि वहां किस प्रकार दूसरे बच्चों को भी समान अवसर दिला सकें। चाहे किसान का बेटा हो, या मजदूर का बेटा हो, वहां इस प्रकार की स्थिति बनानी चाहिए कि वे भी बड़े-बड़े स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार समान अवसर देकर हम लोगों के साथ न्याय कर सकेंगे। आज इन्दिरा जी के बारे में पूरे देश को विश्वास है, उनकी विल-पावर इतना मजबूत है कि वह किसी भी प्रकार बड़ा निर्णय ले सकती हैं और मुझे विश्वास है वह इस तरफ जरूर ध्यान देंगी। मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित करता हूं···

अध्यक्ष महोदय : शीला जी का ध्यान आकर्षित कीजिये।

श्री अशोक गहलोत : आज अलग-अलग जातियों और धर्मों के नाम पर प्राइवेट स्कूल चलते हैं, मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ऐसे स्कूलों में जिस प्रकार का एक्सप्लाएटेशन होता है उस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। वहां बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तथा उन स्कूलों को 90 प्रतिशत सहायता सरकार से मिलती है। आज लोग शिक्षा के समाजीकरण, राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर दिलाने का प्रयत्न करें।

आज गांवों में शिक्षा की जो हालत है और जिस प्रकार का वातावरण बन गया है उसे आप सब जानते हैं। अधिकांश टीचर्स गांव में जाना पसन्द नहीं करते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने भी बतलाया है पूरे देश के अन्दर हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर्स नहीं हैं, चपरासी आयेगा, औपचारिकता पूरी करके चला जायेगा। जब हम लोग अपनी कांस्टीचुएन्सी में जाते हैं तो हमें इस प्रकार की शिकायतों का सामना करना पड़ता है। वैसे यह राज्य सरकार का काम है, फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस तरफ ध्यान देकर ऐसे हालत पैदा करने चाहिये कि सभी स्कूलों में जहां टीचर्स की कमी है, वह पूरी की जा सके तथा हमारे स्कूल सुचारू रूप से चलते रहें। मेरा एक सुझाव यह है कि जब भी टीचर्स की भरती हो तो यह शर्त लगानी चाहिये

कि जो भी भरती की जायगी वह गांवों के लिए होगी। यदि आप ऐसा अंकुश लगायेंगे तो शायद हम इस कमी को पूरा कर सकेंगे।

अन्त में यही सुझाव देना चाहता हूं—जैसा मेरे पूर्व-वक्ता ने भी कहा है—शिक्षा के जो राष्ट्रीयकरण की बात है उस पर ज्यादा गम्भीरता से गौर करके काम करना चाहिये।

धन्यवाद।

*श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की 1982-83 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। शुरू में आपका ध्यान, मैं इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा का कार्य महिलाओं के हाथ में सौंपना उचित ही है। श्रीमती शीला कौल, हमारी शिक्षा मंत्री भारत में शैक्षिक संस्कृति की प्रमुख हैं। शिक्षा सचिव, श्रीमती अन्ना जार्ज, मल्होत्रा हैं। समाज कल्याण विभाग की सचिव एक महिला हैं। विश्वविद्यालय आयोग की चेयरमैन एक महिला हैं। इन सबसे ऊपर हमारी प्रिय प्रधान मंत्री हैं। जब मैं शिक्षा विभाग के प्रभारी के रूप में महिलाओं की विशिष्ट मंडली देखता हूं तो मुझे विश्वास हो जाता है कि शिक्षा की प्रगति, जिस पर राष्ट्र की समृद्धि निर्भर करती है, प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

केन्द्रीय विद्यालय के भूतपूर्व अध्यापक के रूप में शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मुझे गर्व अनुभव हो रहा है। आठ वर्षों से अधिक समय तक मैं केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापक रहा। शुरू में मैं एक वकील था, बाद में मैंने शिक्षा की (डिग्री) उपाधि प्राप्त की और अब मैं इस प्रतिष्ठित सदन का सदस्य हूं और शिक्षा सम्बन्धी इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में हिस्सा ले रहा हूं। मुझे विश्वास है कि अधिकार मेरे विचारों से सहमत होंगे।

दुर्भाग्यवश, इस समय शिक्षा का प्रभार भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है, मैं मानता हूं कि वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं, वे कुशल और योग्य हैं। फिर भी उनकी सेवायें वहां इस्तेमाल की जानी चाहिए, जहां उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। शिक्षा को प्रशासन के कठोर ढांचे में नहीं जकड़ा जा सकता। शिक्षा और इसके विकास का काम विख्यात शिक्षाविदों और शिक्षा विशेषज्ञों की देखरेख में होना चाहिए। आज हालत एकदम विपरीत है। मेरी दफ्तरशाही के विरुद्ध कोई विपरीत धारणा नहीं है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि शिक्षा का काम शिक्षाविदों के हाथ में होना चाहिए। मंत्रालय का प्रभार, जैसा कि युवा भारत के पूर्व वर्षों की परिपाटी रही है, शिक्षा विशेषज्ञों के हाथ में रहना चाहिए।

मुझे यह जानकर दुख: हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय में एक नारा लगाया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके शिक्षा विशेषज्ञों को बाहर निकाल दें। इसकी आप इस महान देशभक्त और शिक्षाविद मौलाना आजाद, जब वे शिक्षा मंत्री थे, के निदेश से तुलना करें। उनका मत था कि शिक्षा का विकास वरिष्ठ शिक्षाविदों द्वारा किया जाना चाहिए और इसे कभी भी प्रशासकों

*तमिल में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

का अखाड़ा न बनने दिया जाय। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे देश में भारतीय शिक्षा सेवा होती थी। मुझे मालूम नहीं उसे क्यों समाप्त कर दिया गया था। अब हमारे देश में भारतीय आर्थिक सेवा है। अब भारतीय शिक्षा सेवा रहने से क्या हानि है। ताकि शिक्षाविदों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समान रैंक और पद प्राप्त हो सकें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि शीघ्र ही भारतीय आर्थिक सेवा आरम्भ करें।

आप जानते ही हैं कि, अध्यापक देश की मानव सम्पदा के निर्माता होते हैं, उनके जिम्मे मानव-झुंडों मे से मानव-निर्माण जैसा कठिन कार्य सम्पन्न करना होता है। लेकिन उनकी हैसियत क्या है ? केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संगठन के मुख्य संरक्षक की हैसियत से मैं, खंडन किये जाने के भय के बिना कह सकता हू कि वे अपनी उचित वास्तविक कठिनाइयों को दूर करवाने क लिए सड़कों पर निकल आते हैं। उनके वेतनमान आकर्षक नही हैं। अधिकारी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उनका देश के किसी भाग में भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है। उनके स्थानान्तरण के लिए कोई युक्त युक्त नीति नहीं है। उनको वेतनमान बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। अगर अध्यापकों की इसी प्रकार बेइज्जती की जाती रही तो राष्ट्र की गरिमा धूमिल हो जायेगी। शिक्षा स्तर में गिरावट आती है और विश्व में हो रहे शैक्षिक विकास से राष्ट्र वंचित रह जाता है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि अध्यापकों क लिए काफी कुछ किया जाना चाहिए।

शिमला में स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, देश का गौरव थी। इस संस्थान के संचालक इसकी पवित्रता को समाप्त करने के दोषी नही थे। कुछ बाहरी प्रभाव के कारण कुछ अनियमितताएं पैदा हुई, जिन्हें शुरू में ही दबा दिया जाना था। लेकिन इस गौरवशाली शिक्षा संस्था को पांच-सितारा होटल में तबदील करने का प्रस्ताव बचकाना सा है, क्या हमें कुछ और पांच-सितारा होटलों की आवश्यकता है ? विदेशी पर्यटकों के लिए हमारे पास आवश्यकता से अधिक होटल हैं। एक तरफ जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी की हालत में रह रहे हैं, धूप में झुलस रहे हैं, वर्षा में भीग रहे हैं और दोनों समय का भोजन न मिल पाने के कारण भूख से मर रहे हैं, ऐसी स्थिति म एक शिक्षा संस्थान को बड़े होटल में बदलना कहां तक उचित है ? मेरा सुझाव है कि राजनीतिक झुकाव के बिना लोगों को इस संस्थान का प्रभारी नियुक्त किया जाय, जिससे कि इसकी पुरानी गरिमा कायम की जा सके।

हम हर कार्य के लिए समितियां और आयोग गठित करते हैं। लक्ष्मणस्वामी मुदलेयार आयोग नियुक्त किया गया था। कोठारी आयोग नियुक्त किया गया था। राधाकृष्णन समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया। मुझे यह कहते हुए दुख अनुभव हो रहा है कि ये सारे प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालय में दबे पड़े हैं, अगर हमें आयोगों के प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही ही नहीं करनी है, तो उन्हें नियुक्त करने का क्या औचित्य है ? अभी हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्य की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है—केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की। राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी उक्त समिति की जांच के अधीन क्यों नहीं रखा गया ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आखिर राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी अनुदान देता है। तमिलनाडु में विश्वविद्यालय, आल इंडिया अन्ना द्रुमक सरकार के दास बन कर रह

गये हैं। अगर एक तस्कर, चोर बाजारी करने वाला या एक उद्योगपति 20 लाख रु० दान देता है तो उसे विश्वविद्यालय सिंडिकेट का स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। लेकिन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि केवल तीन वर्ष है, पहले तो सिंडिकेट का चुनाव होता ही नहीं है, अगर होता है तो उसे जल्द ही रद्द कर दिया जाता है। मैं मांग करता हूं कि यह समिति, राज्यों के विश्व-विद्यालयों के कार्य की भी जांच करे।

समूचे देश में स्कूल और पढ़ाने की दुकानों में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी होती जा रही है—अपने पैशनेबल नामों व नारों से वे अभिभावकों को आकर्षित करते हैं। ये सब लोगों को धोखा देने के लिए वाणिज्यिक संस्थाएं हैं। उनका शैक्षिक स्तर कुछ नहीं है। वे संस्थाएं तो पैसा बनाती हैं और फिर वे बन्द हो जाती हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन वाणिज्यिक शैक्षिक संस्थाओं की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए, कोई नियमित कानून बनाया जाना चाहिए।

अध्यापक पिंजरे में पक्षी के समान नहीं होने चाहिए, उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम बनाये जाने चाहिए, जिससे उन्हें शिक्षण की नई-नई तकनीकों का ज्ञान हो सके। उनके पढ़ाने का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। उनके ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए। उनका सिर्फ यही कार्य नहीं होना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाओ और घर वापस चले जाओ। उनको देश की यात्रा करायी जानी चाहिए, जिससे उनका ज्ञान बढ़े।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालयों की योजना बहुत सफल रही है। लगभग सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय हैं। मेरी मांग है कि केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा, आम जनता के बच्चों के लिए भी खोले जायें। मेरा सुझाव है कि इस प्रयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनाया जाय। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, चिंगलपुर में अनेक केन्द्रीय सरकार के संगठन हैं, लेकिन फिर भी वहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। मैं मांग करता हूं कि चिंगलपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाय।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र-जारी

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 100/82-सी०शु० [सा० का० नि० 289 (अ)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 14 अक्तुबर, 1980 की अधिसूचना संख्या 201-सी० शु० में कतिपय

संशोधन किया गया है जिससे कि सीमा शु० की छूट का लाभ विदेशों में प्रदर्शनियों में विक्रम के लिए स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के निर्यात की योजना के अन्तर्गत आयातित सोने पर दिया जा सके ।

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 101/82-सी-शु० [सा० का० नि० 290 (अ)] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 352-सी० शु० को निरस्त किया गया है तथा मारीशस, सेशल्ज और टोंगा से पारस्परिक आधार पर आयातों के सम्बन्ध में टैरिफ अधिमान लागू किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये एल० टी० संख्या 3808/82]

अध्यक्ष महोदय : सभा 5 अप्रैल, 1982 के ग्यारह बजे म० पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 अप्रैल, 1982/15 चैत्र, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर दिल्ली